लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. VIII contains Nos. 1 to 10]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 2, मंगलवार, 16 नवम्बर, 1971/25 कार्तिक, 1893 (शक)
No. 2, Tuesday, November 16, 1971/Kartika 25, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
31. मिस्र का प्रतिकूल व्यापार संतुलन	Trade Balance against Egypt ...	1—3
32. सिंचाई की क्षमता का उपयोग	Utilisation of Irrigation Potential ...	3—6
33. मांशी से सहरसा तक हाई टेन्शन लाइनें प्रतिस्थापित करना	Installation of High Tension Line from Manshi to Saharsa ...	6— 7
34. सैलूनों में यात्रा करने के हकदार रेलवे अधिकारियों की श्रेणियाँ	Categories of Railway Officers Entitled to Travel in Saloons ...	7—10
35. भारत में वैगनों की आवश्यकता और उनका उत्पादन	Requirement and Production of Wagons in India ...	10—13
36. भारत-पाक नहर जल संधि के अन्तर्गत पाकिस्तान को पानी की सप्लाई	Supply of Water to Pakistan under Indo-Pak Canal Water Treaty ...	13—15
37. उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी	Shortage of Power in Uttar Pradesh ...	15—18
39. व्यापार घाटे में वृद्धि	Increase in Trade Deficit ...	18—20
40. विदेशों में सह-उद्योगों संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ (फैडरेशन आफ इंडियन चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री) के सुझाव	F. I. C. C. I. Suggestions re : Simplification of Procedures for Joint Ventures Abroad ...	20—22
41. रेल-भाड़े से आय	Earnings from Railway Freight Traffic ...	22

* किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० सख्या	S. Q. Nos.	
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
38. बिहार की कोयला खानों से कोयले की ढुलाई के लिए अपेक्षित रेल वैगन	Wagons Required for Movement of Coal from Collieries in Bihar ...	22—23
42. मेवे के आयात व्यापार को अपने हाथ में लेना	Take over of Dry Fruit Impot Trade ...	23—24
43. पटसन और चाय से अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange earned through Jute and Tea ...	24
44. आयात अधिभार (सरचार्ज) समाप्त करने के लिए भारत का अमरीकी सरकार से अनुरोध	India's Approach to U. S. Government to waive Import Surcharge ...	24—25
45. संविधान (चौबीसवाँ संशोधन) विधेयक	Constitution (Twenty-fourth Amendment) Bill ...	57
46. निर्यात बाजार का विस्तार करने की योजना	Scheme for Expanding Export Markets ...	25—26
47. सियालदह डिवीजन (पूर्वी रेलवे) में रेल गाड़ियों का बिलम्ब से आना-जाना	Late running of Trains in Sealdah Division (Eastern Railway) ...	26—27
48. सरकार की नीति के बारे में केरल के रबड़ व्यापारियों का विरोध	Kerala Rubber Dealers Protest against Government's Policy ...	27
49. भाखड़ा बाँध से 1975 के पश्चात दिल्ली को बिजली की सप्लाई	Supply of Electricity to Delhi from Bhakra Dam beyond 1975 ...	27—28
50. सिगरेटों और कच्चे तम्बाकू का निर्यात	Export of Cigarettes and Raw Tobacco ...	28
51. भारत-नेपाल व्यापार और पार गमन संधि	Indo-Nepal Trade and Transit Treaty	29
52. पश्चिमी बंगाल में बिजली का संकट	Power Crisis in West Bengal ...	29
53. बरौनी-गढ़हरा क्षेत्र के रेल कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Railway Employees of Barauni-Garhara Area ...	29—30
54. दक्षिण रेलवे में नई रेलवे लाइनों के लिए तमिलनाडु सरकार से प्राप्त प्रस्ताव	Tamil Nadu Government's Proposals for New Railway Lines on Southern Railway ...	30
55. पाकिस्तानी एजेन्टों की तोड़फोड़ की गतिविधियों के कारण रेलवे को हानि	Loss to Railways due to Sabotage Activities of Pakistani Agents ...	30—31
56. अमरीका से रुई की खरीद	Purchase of Cotton from U. S. A. ...	31

विषय	Subject	पृष्ठ Pages

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

57. बोंगईगाँव से गौहाटी तक बड़ी लाइन का बिछाया जाना	Broad Gauge Line from Bongaigaon to Gauhati ...	32
58. जूट के माल के निर्यात में वृद्धि	Rise in Exports of Jute Goods ...	32
59. नियंत्रित वाले कपड़े की प्रचलित किस्मों का उत्पादन	Production of Popular varieties of Controlled Cloth ...	32—33
60. चुनाव में मत पत्रों पर निशान लगाने के लिए नये तरीके का अपनाना	Adoption of New Method for Marking Ballot Papers in Election ...	33

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

201. दिल्ली में मतदाता सूचियों में शुद्धि के लिए लगाये गये अध्यापकों को भुगतान	Payment of Teachers in Delhi Engaged for Correction of Voters Lists ...	33
202. सरकारी क्षेत्रों में चाय कम्पनी की स्थापना	Setting up of Tea Company in Public Sector	34
203. बड़वाड़ीह-चिरमिरी रेल मार्ग पर ऊपरी-पुल	Overbridges on Railway Line from Barwadih to Chirmiri ...	34—35
204. पानीपत/सोनीपत से दिल्ली तक दोहरी रेल लाइन बिछाना	Doubling Railway Line from Panipat/Sonipat to Delhi ...	35
205. पेरनघुसी रेलवे स्टेशन (दक्षिण रेलवे) का "फ्लैग स्टेशन" के रूप में दर्जा बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन	Representation for Raising Perunguzhi Railway Station as a Flag Station (Southern Railway) ...	35
206. केरल में रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण	Reconstruction of Railway Stations in Kerala ...	35—36
207. गृह-निर्माण ऋण दिये जाने के लिए भार मुक्ति का प्रमाण-पत्र	Non-encumberance Certificate for Grant of House Building Loan ...	36
208. गृह-निर्माण ऋण दिये जाने के लिए भार मुक्ति का प्रमाण-पत्र	Non-encumberance Certificate for Grant of House Building Loan ...	36—37
209. चाय बागान का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Tea Gardens ...	37
210. अन्तर्राज्य जल विवाद	Inter-State Water Disputs ...	37—38
211. रेल अधिकारियों द्वारा रेल सैलूनों का का प्रयोग	Use of Saloons by Railway Officers ...	38—39
212. चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में इंजनों का निर्माण	Production of Engines in Chittaranjan Locomotive Works ...	39—40

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
213. हावड़ा और सियालदह स्टेशनों पर टिकटों के विक्रय से आय	Sale Proceeds of Tickets at Howrah and Sealdah Stations ...	40—41
214. कारों का आयात	Import of Cars ...	41
215. भारत के संयुक्त अरब गणराज्य के साथ व्यापार में कमी	Decline in Indo-U.A.R. Trade ...	41
216. लोक-सभा के मध्यावधि चुनाव पर व्यय	Expenditure on Mid-Term Elections to Lok Sabha ...	41—42
217. तोड़-फोड़ करने वाले पाकिस्तानियों द्वारा असम में रेलगाड़ियों का उड़ाया जाना	Blowing up of Trains in Assam by Pakistan Saboteurs ...	42
218. रेलवे के कार्यकारी व्यय में वृद्धि	Increase in Working Expenses of Railways ...	43—44
219. यू० के० द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाया गया शुल्क	Fresh Levy Imposed on Indian Goods by U. K. ...	44
220. मताधिकार की आयु को कम करना	Lowering of Voting Age ...	45
221. दीर्घावधि सप्लाई कार्यक्रम के बारे में दक्षिण कोरिया के साथ बातचीत	Negotiations with South Korea re : Long-Term supply Programme ...	45
222. माल-डिब्बों को तोड़ने की घटनाओं में वृद्धि	Increase in incidence of Wagon of Breaking ...	45—46
223. उत्तरी बंगाल में तापीय बिजली घर लगाना	Installation of Thermal Power Station in North Bengal ...	46—47
224. मार्टिन रेलवे के भूतपूर्व कर्मचारियों का भारतीय रेलों में खपाया जाना	Absorption of Former Martin Railway Employees in Indian Railways ...	47
225. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा तथा वाणिज्य क्षेत्रों में नई घटनाओं के परिणामस्वरूप भारत के निर्यात व्यापार को कठिनाइयाँ	Difficulties for Indian Exports due to New Developments in International Monetnry and Commercial Fields ...	47—48
226. भारत और रूस के बीच माल डिब्बों संबंधी सौदा	Indo-Soviet Wagon Deal ...	48—49
227. बैंककाक में "ग्रुप आफ 77" के एशियाई सदस्यों की बैठक	Meeting of Asian Members of "Group of 77" at Bangkok ...	49
228. गंगा बेसिन बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना	Setting up of Gangetic Basin Flood Control Board ...	49—50
229. तीसरी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण	Rural Electrification during Third Five Year Plan ...	50

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
230. संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा 'इंजिप्शियन काटन' के लिए लिया गया अधिक मूल्य	High Price charged by U.A.R. for Egyptian Cotton ...	51
231. उड़ीसा में खुरदा से पुरी तक दोहरी रेलवे लाइन	Double Railway Line from Khurda to Puri in Orissa ...	51
232. खड़गपुर-एडरा रेलवे लाइन का विद्युतीकरण	Electrification of Khargapur Adra Railway Line ...	51—52
233. मिदनापुर कस्बे में घटल सब-डिवीजन के लिए रेल सम्पर्क	Rail Link for Ghatal Sub-Division in Midnapur Town ...	52
234. स्वीडन के वाणिज्यिक ऐजेंटों द्वारा भारत से आयात बन्द करने की धमकी	Threat by Commercial Agents of Sweden to Stop Imports from India ...	52
235. केरल राज्य से रबड़ के संचित स्टाक का उठाया जाना	Lifting of Accumulated Rubber Stocks from Kerala State ...	52—53
236. उत्तर प्रदेश में टनकपुर से बागेश्वर तक रेलवे लाइन	Railway Line from Tanakpur to Begeshwer in Uttar Pradesh ...	53
237. उत्तर प्रदेश में हरिद्वार और बद्रीनाथ के बीच रेल संबंध	Rail Link between Hardwar and Badrinath in Uttar Pradesh ...	53—54
239. संयुक्त अरब गणराज्य के साथ व्यापार	Volume of Trade with U. A. R. ...	54
240. पूर्वी क्षेत्र में पाकिस्तानी तोड़-फोड़ करने वालों की गतिविधियों के कारण हुए विस्फोट	Explosions due to activities of Pakistan saboteurs in Eastern Region ...	54—25
241. बांसपानी बड़जमदा से पारादीप पत्तन तक लौह अयस्क का ले जाया जाना	Movement of Iron Ore from Banspani-Barajamda to Paradip Port ...	55—56
242. ईराक में रेल लाइनें बिछाना	Building of Railway line in Iraq ...	56
243. विस्फोटों के कारण रेल गाड़ियों का पटरी से उतर जाना	Derailment of trains due to explosious ...	56—57
244. कलकत्ता में भूमिगत रेलवे के बारे में महानगर परिवहन परियोजना का प्रतिवेदन	Metropolitan Transport Project for Calcutta Underground Railway ...	57
245. कलकत्ता रेल परियोजना के संबंध में रूसी परामर्शदात्री सेवा को समाप्त किया जाना	Bid to Eliminate Russian Consultancy on Calcutta Railway ...	57—58
246. रद्दी रेलें नीलामी में अनियमिततायें	Ir regularities in Auction of Scrap Rails ...	58

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
247. अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन के लिए वित्तीय सहायता	Financial help from International Coffee Organisation ...	58—59
248. पटना सिटी स्टेशन (पूर्वी रेलवे) का विकास	Development of Patna City Station (Eastern Railway) ...	59
249. आल इण्डिया स्टेशन मास्टर्स ऐसोसिएशन द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by All India Station Masters' Association ...	59
250. परियोजना भत्ता देने पर विचार करने के लिए मध्यस्थ निर्णय बोर्ड	Board of Arbitration to Consider the Grant of Project Allowance ...	60
251. बरौनी गढ़ारा क्षेत्र के कर्मचारियों को परियोजना भत्ते की मंजूरी	Grant of Project Allowance to Employees of Barauni Garhara Area ...	60
252. अक्तूबर, 1971 की रेलवे समय-सारणी जारी करने में विलम्ब	Delay in issue of Railway Time-Table October, 1971 ...	61
253. 1939 के भारत इंगलैण्ड व्यापार समझौते की समाप्ति	Termination of Indo-U. K. Trade Agreement of 1939 ...	61
254. उत्तरी बिहार को चारा ले जाने के लिए रेल डिब्बे	Wagons to carry Fodder in North Bihar ...	61—62
255. भारत द्वारा एम्स्ट्रेडम डेनमार्क में हुई अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की बैठक में भाग लिया जाना	Participation of India at Meeting of International Experts in Amsterdam, Denmark ...	62
256. बहराइच जिले को कोयला सप्लाई करने के लिए वैगन की कमी	Wagon Shortage for Supply of Coal to Bahraich District ...	62—63
257. मद्रास-विजयवाड़ा तथा मद्रास-जलारपेट रेल लाइनों का विद्युतीकरण	Electrification of Madras Vijayawada and Madras-Jalarper Lines ...	63—64
258. रेल गाड़ियों की गति बढ़ाने का डाक के आने-जाने पर प्रभाव	Effect of Speeding up of Trains on Despatching of Mail ...	64
259. राज्य व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम में क्रय और विक्रय अधिकारियों की नियुक्ति	Officers Appointed for Sales and Purchage in S. T. C. and M. M. T. C. ...	64
260. वैस्टर्न रेलवे एम्प्लाईज कौंसिल द्वारा कर्मचारियों (रतलाम डिवीजन) की कठिनाइयों के बारे में ज्ञापन	Memorandum by Western Railway Employees Council about difficulties of employees of Ratlam Division ...	64—65
261. वर्ष 1972 में राज्य विधान सभाओं के चुनाव	Election to State Assemblies in 1972 ...	65

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
262. इद्दिकी जल विद्युत परियोजना का पूरा किया जाना	Completion of Idikki Hydro-Electric Project ...	65—66
263. "गोल्डन राक वैगन बिल्डिंग फैक्टरी" (दक्षिण रेलवे) के श्रमिकों को छंटनी की धमकी	Threatened Retenchment of Workers of Golden Rock Wagon Building Factory (Southern Railway) ...	66—67
264. रबर उद्योग के समक्ष संकट	Crisis in Rubber Industry ...	67
265. तेल्लिचेरी-मैसूर रेलवे लाइन का सर्वेक्षण	Survey of Tellicherry-Mysore Railway Line ...	67
266. वस्तु विनिमय करार के अन्तर्गत रूसी रुई का आयात	Import of Russian Cotton under Barter Deal ...	68
267. तीसरी श्रेणी के रेल डिब्बों में पंखों का कम किया जाना	Reduction of Fans in Third Class Compartments ...	68—69
268. एडवर्ड काटन मिल्स, ब्यावर का पुनः खोला जाना	Reopening of Edward Cotton Mills, Beawar ...	69
269. पश्चिम कोसी नहर परियोजना को नेपाल की मंजूरी	Nepal's Approval for Western Kosi Canal Project ...	69
270. दुर्गापुर के निकट बाँधों के पूरा किये जाने संबंधी योजना	Scheme to Complete Embankments below Durgapur ...	70
271. राज्य व्यापार निगम के कार्यों की समीक्षा	Review of performance of State Trading Corporation ...	70—71
272. राज्य व्यापार निगम का तुलन-पत्र	Balance Sheet of S. T. C. ...	71
273. हल्दिया पत्तन इंजीनियरी वस्तुओं के लिए निर्बाध व्यापार क्षेत्र की स्थापना	Setting up of Free Trade Area for Engineering Goods at Haldia Port ...	72
275. सेवानिवृति के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति	Appointment of Judges after Retirement ...	72—73
276. दिल्ली के न्यायालयों में अनिर्णीत मुकदमें	Cases pending in Courts of Delhi ...	73
277. रेल दुर्घटनाएँ	Railway Accidents ...	74—75
278. मेल रेल गाड़ियों से रेलवे डाक सेवा वाले डिब्बों का हटाया जाना	Discontinuing of R. M. S, Vans in Mail Trains ...	75
279. न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर के कर्मचारियों को उपदान का भुगतान करने के लिए उत्तर प्रदेश के राज्य वस्त्र निगम द्वारा वित्तीय सहायता की माँग	Financial help sought by State Textile Corporation of Uttar Pradesh for payment to workers of New Victoria Mills, Kanpur ...	75—76
280. लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर को अधिकार में लेना	Take over of Laxmi Rattan Cotton Mills, Kanpur ...	76

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
281. दिल्ली के लिए भूमिगत रेलवे	Underground Railway for Delhi ...	76
282. रुई तथा रुई से बनी वस्तुओं के समूचे निर्यात को सरकारी अधिकार में लेना	Take over of all cotton and cotton products export ...	77
283. दक्षिण-पूर्व रेलवे के मुख्यालय को कलकत्ता से भुवनेश्वर स्थानांतरित करना	Shifting of headquarters office from Calcutta to Bhubneswar of South Eastern Railway ...	77
284. खुर्द डिवीजन (दक्षिण पूर्व रेलवे) में सेवारत उड़िया तथा गैर-उड़िया निवासी	Oriyas and non-Oriyas in services in Khurda Division (South Eastern Railway) ...	77—78
285. खुर्द डिवीजन (दक्षिण पूर्व रेलवे) में सामान्य नियंत्रण रेलवे टेलीफोन लाइन का असंतोषप्रद कार्यकरण	Unsatisfactory working of general Controlling Phone Line of Khurda Division (S. E. Railway) ...	78
286. उड़ीसा में भीम कुंड बाँध परियोजना की कार्यान्विति	Implementation of Bhim Kund Dam Project in Orissa ...	78—79
287. अखिल भारतीय गार्ड परिषद की माँग	Demand of All India Guards Council ...	79
288. सरकार द्वारा संकटग्रस्त और बन्द कपड़ा मिलों का अधिग्रहण	Take over of sick and closed Textile Mills ...	79
289. ईराक से व्यापार प्रतिनिधि मंडल	Trade Delegation from Iraq ...	80
290. दोहद से इन्दौर तक रेलवे लाइन	Railway Line from Dohad to Indore ...	80—81
291. खानों के मुहाने पर कोयले का इकट्ठा होना	Accumulation of Coal at Pit-Heads ...	81
292. भारतीय रेलवे द्वारा चलते फिरते टिकट घर बनाने की योजना	Scheme for Mobile Ticket Booking on Indian Railways ...	81—82
293. फरक्का बाँध परियोजना का पूर्ण होना	Completion of Farakka Barrage Project ...	82
294. भारत और रूस के मध्य आर्थिक सहयोग में प्रोत्साहन देने के बारे में रूसी विशेषज्ञ दल का दौरा	Soviet Experts Team's to visit to promote Economic Cooperation between India and U. S. S. R. ...	82—83
295. पट्टाम्बी रेलवे स्टेशन (दक्षिण रेलवे) पर उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय के लिए अभ्यावेदन	Representation for provision of Upper Class waiting room at Pattambi Railway Station (Southern Railway) ...	83
296. केरल में अलवाय रेलवे स्टेशन पर उपरि पैदल पुल	Foot over-bridge at Alwaye Railway Station (Kerala) ...	83
297. कच्ची, गीली नारियल की भूसी संबंधी आदेश	Raw retted Coconut husks order ...	84

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
298. समुद्रीय उत्पादों के निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना	Setting up of Marine Products Export Development Authority ...	84
299. भारत द्वारा राष्ट्रमंडलीय देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक बुलाने का सुझाव	Meeting of Trade Minister of Commonwealth Countries suggested by India ...	84—85
300. अतिरिक्त रबड़ को खरीदने के लिए केरल को ऋण देना	Loan to Kerala for purchaes of surplus rubber ...	85
302. विदेशों में संयुक्त उपक्रमों के स्थापित करने में कठिनाइयाँ	Difficulties in promotion of Joint ventures abroad ...	85—87
303. कश्मीर मेल से दिल्ली मेन स्टेशन पर बरामद हुए विस्फोटक पदार्थ	Explosives found in Kashmir Mail at Delhi Main Station ...	88
304. विद्युत उत्पादन तथा उसके उपयोग के संबंध में क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करने संबंधी योजना	Plan to eliminate Regional Imbalance in Power Generation and Consumption ...	88—89
305. अंतरिम राहत दिया जाना और तीसरे वेतन आयोग का प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत किया जाना	Grant of interim relief and early submission of Third Pay Commission report ...	89
306. कलकत्ता भूमिगत रेलवे के लिए सोवियत तकनीशियन	Soviet Technicians for Calcutta Underground Railway ...	89
307. अधिक मूल्य वाली रूसी वस्तुयें खरीदने के लिए रूस द्वारा भारत पर दबाव डाला जाना	Russia Pressurising India to buy High Value Soviet Items ...	89—90
308. केरल के तट पर समुद्र से कटाव के संबंध में डा० मनोहरन का प्रतिवेदन	Report of Dr. Manoharan Re : Sea-Erosion on Kerala Coast ...	90
309. एर्नाकुलम क्विलोन-त्रिवेन्द्रम लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Ernakulam Quilon-Trivandrum Line into Broad Gauge ...	91
310. तिरुनेलवली-केप कामोरिन त्रिवेन्द्रम रेलवे लाइन के लिए सर्वेक्षण	Survey for Tirunelveli-Cape Comorin Trivandrum Railway Line ...	91
311. मैसूर में हुबली से कारावार तक नई रेल लाइन	New Railway Line from Hubli to Karwar in Mysore ...	92
312. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के उत्पादों के लिए अमरीका से क्रयादेश	Orders for H. M. T. Products from USA ...	92
313. राज्यों की बाढ़ में रक्षा के लिए सहायता	Assistance given to States for Flood Protection ...	92

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
314. रेलवे सामग्री नीलामी से संबंधित विवाद	Disputes over Auction of Railway Materials	93
315. रेलवे प्रशासन और नीलामी में बोली देने वालों के बीच नीलामों अथवा निविदाओं से उत्पन्न होने वाले झगड़े	Disputes arising out of Auctions or Tenders between Railway Administration and Bidders ...	93—94
316. नीलामी के समय बोली दाताओं को सुविधाएँ देना	Facilities to Bidders at the Time of Auction ...	94
317. लघु उद्योगों को दिए गये आयात लाइसेंस	Import Licences issued to small scale Industries ...	95—96
318. मोटे तथा मध्यम किस्म के कपड़े के उत्पादन में कमी	Decline in Production of Coarse and Medium Varieties of Cloth ...	96
319. सरकार द्वारा काजू के निर्यात व्यापार को अपने हाथ में लिया जाना	Take over of Export Trade of Cashewnuts ...	96
320. वर्ष 1970-71 के दौरान रुई का आयात	Import of Cotton during 1970-71 ...	97
321. भोपाल में स्विच गियर टैस्टिंग और डेवलपमेंट स्टेशन	Switch Gear Testing and Development Station at Bhopal ...	97
322. मिश्र के साथ व्यापार करार	Trade Pact with Egypt ...	97—98
323. सिगरेटों का निर्यात	Export of Cigarettes ...	98—99
324. निर्यात संवर्धन परिषदों को जारी रखने की वांछनीयता पर विचार करने के लिए नियुक्त किये गये पेनल का प्रतिवेदन	Report of Panel appointment to Examine Desirability of continuance of Export Promotion Councils ...	99
325. निर्यात प्रक्रिया और दस्तावेजों के सरलीकरण के बारे में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का प्रतिवेदन	Report of Indian Institute of Foreign Trade on Simplification of Export Procedure and Documents ...	99
326. निर्यातित प्रमुख वस्तुओं की मात्रा तथा मूल्य	Quantity and value of Major Exports ...	100
327. आंध्र प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए बड़ी योजना को अन्तिम रूप देना	Finalisation of Cluster Scheme for Rural Electrification in Andhra Pradesh ...	100—101
328. बेल्जियम के साथ व्यापार करार	Trade Pact with Belgium ...	101—102
329. बिहार की मुख्य सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति	Central Clerance to Major Irrigation Projects of Bihar ...	102
330. चेकोस्लोवाकिया से व्यापार करार	Trade Pact with Czechoslovakia ...	102—103

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

331. अधिक दूरी तक जाने वाली श्रेणी रहित रेल गाड़ियों का चलाया जाना	Introduction of new set of Long Distance Classless Trains	... 103
332. श्रीलंका द्वारा तमिल दैनिक समाचार-पत्रों पर प्रतिबंध लगाया जाना	Ban on Tamil Dailies by Ceylon	... 103
333. डाक गाड़ियों की गति का बढ़ाया जाना	Increase in Speed of Mail Trains	...103—104
334. सियालदह डिवीजन (पूर्वी रेलवे) में रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना	Cancellation of Trains in Sealdah Division (Eastern Railway)	... 104
335. बिहार में बाढ़ के कारण रेलों को हानि	Loss to Railways due to Floods in Bihar	...104—105
336. भारतीय दस्तकारी वस्तुओं के लिए योरुप में मंडियों का पता लगाने के बारे में कार्यवाही	Steps to explore European Markets for Indian Handicrafts	...105—106
337. दिल्ली से मंगलौर (दक्षिण रेलवे) को सीधी रेल सेवा आरम्भ करना	Introduction of Direct Train Services from Delhi to Mangalore (Southern Railway)	... 106
338. कलकत्ता ट्यूब रेलवे के लिए भारत सरकार और सोवियत सरकार के मध्य समझौता	Agreement between Indian Government and Soviet Government for Calcutta Tube Railway	... 107
339. गाड़ियों का दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशन से देर से छूटना और वहाँ देर से पहुँचना	Late running of Trains from and to Delhi and New Delhi	... 108
340. यूरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन के प्रवेश के परिणामस्वरूप यूरोप में भारत के निर्यात का बढ़ाया जाना	Boosting India's Exports to Europe Consequent upon Britain's entry into E.C.M.	...108—110
341. नदी प्रणाली का अध्ययन और बाढ़ नियंत्रण करने के बारे में गंगा आयोग की स्थापना	Setting up of Ganga Commission to study River system and Control Floods	... 110
342. रूस के साथ रुई व्यापार करार	Cotton Trade Agreement with U. S. S. R.	... 110
343. दक्षिण रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया जाना	Memorandum submitted by Dakshin Railway Employees' Union	...110—111
344. एस० एस० लाइट रेलवे का बन्द होना	Closure of S.S. Light Railway	... 111
345. मार्टिन एण्ड बर्न कम्पनी को कोयले की सप्लाई	Coal supplied to M/s. Martin and Burn Company	... 112

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
346.	भारत से निर्यात होने वाले कपड़ा व्यापार को इंगलैंड के आयात शुल्क से संरक्षण देने के लिए की गई कार्यवाही	Steps to safeguard India's Textile Export Trade against British Import Duty	... 112
347.	यमुना समिति द्वारा की गई प्रगति	Progress made by Yamuna Committee	...112—113
348.	माल्दा जिले में फरक्का बाँध परियोजना के भाग के रूप में उभार बाँध का निर्माण	Construction of afflux bund as part of farakkha Barrage Project in Malda District	... 114
349.	बाढ़ लाने वाली दामोदर, मयूराक्षी, कांगसाबाती और तीस्ता नदियों पर नियंत्रण	Taming of flood prone Damodar, Mayurakshi, Kangsabati and Teesta Rivers	...114—115
350.	नंगल स्थित ब्यास डिजाइन संगठन के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान	Payment of salary to staff of Beas Designs organisation, Nangal	... 115
351.	पाली-मारवाड़ स्टेशन पर टिकटों की बिक्री	Sale of Tickets at Pali Marwar Railway Station	...115—116
352.	छोटे अभ्रक व्यापारियों का शोषण	Exploitation of Small Mica Traders	... 116
353.	अभ्रक के निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Mica Export Trade	... 116
354.	पंडानल रेलवे स्टेशन से लोहट (पूर्वोत्तर रेलवे) तक यात्री गाड़ी का चलाया जाना	Introduction of Passenger Train Service from Pandaul Railway Station to Lohat (North Eastern Railway)	...116—117
355.	रिवाड़ी जंक्शन (उत्तर रेलवे) से अहमदाबाद (पश्चिम रेलवे) तक दुहरी रेलवे लाइन	Doubling of Railway Line from Rewari Junction to Ahmedabad (Western Railway)	... 117
356.	महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का वातानुकूलित किया जाना	Air-conditioning of Major trains	...117—118
357.	विधि आयोग का पुनर्गठन	Reconstitution of Law Commission	...118—119
358.	एफ्रो-एशियाई देशों में तकनीकी संस्थानों की स्थापना	Setting up of Technical Establishments in Afro-Asian Countries	...119—120
359.	चमड़े के वस्त्रों का उत्पादन	Production of Leather Garments	...120—121
360.	कयर उत्पादन क्षमता के अनुसंधान के लिए योजना	Scheme for research in Coir Product potential	... 121
361.	जूट के उत्पादन में कमी	Loss of Jute production	...121—122

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
362. काली मिर्च के निर्यात में कमी	Decline in Export of Pepper	... 122
363. पी० एल० 480 कपास का पोत लदान	Shipment of PL-480 Cotton	...122—123
364. कपास संबंधी निर्यात नीति का पुनरीक्षण	Revision of Export policy for raw cotton	... 123
365. चर्म उद्योग के लिए आयात लाइसेंस	Import licences for leather industry	...123—124
366. भारतीय ऊनी वस्त्रों को लीबिया में बेचे जाने की संभावनाएँ	Exploring of Libyan Markets for Indian Wollens	... 124
367. भारतीय काफी बाजार सर्वेक्षण प्रतिनिधि मण्डल का प्रतिवेदन	Report of Indian Coffee Market Survey Delegation	... 124
368. भारत और जापान के बीच व्यापार की नई संभावनाएँ	New Possibilities of Trade between India and Japan	...124—125
369. भारत द्वारा 1971 में अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना	International Fairs Attended by India during 1971	... 125
370. भारत और यूगोस्लाविया में व्यापार करार	Indo-Yugoslav Trade Agreement	... 125
371. मेरठ सिटी स्टेशन पर काम कर रहे पार्सल कुलियों द्वारा शिकायत	Complaint by Parcel Porters working at Meerut City Station	... 126
372. पूर्वोत्तर रेलवे की कार्यकुशलता	Efficiency of North-Eastern Railway	... 126
373. निर्यात लक्ष्य में कमी	Shortfall in Export Targets	...126—127
374. इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद् द्वारा तैयार किया गया निर्यात का जोरदार कार्यक्रम	Crash Programme for Exports formulated by Engineering Export Promotion Council	...127—128
375. असम के पटसन व्यापारियों के लिए मालगाड़ी डिब्बे	Railway Wagons for Jute Merchents of Assam	...128—129
376. नई रेल भाड़ा सूची	New Fare List	... 129
377. स्थानीय रेल गाड़ियों की समय-पालन तालिका	Punctuality Schedule of Local Trains	...129—130
378. राजधानी एक्सप्रैस तथा अन्य डीलक्स गाड़ियों की गति बढ़ाना	Speeding up of Rajdhani Express and other De-Luxe Trains	... 130
379. बड़ी लाइन का समस्तीपुर से रक्सोल तक बढ़ाया जाना	Extension of Broad Gauge Line from Smastipur to Raxaul	...130—131
380. केलो बाँध का निर्माण करने हेतु केलो नदी का सर्वेक्षण	Survey of Kelo River for Construction of Kelo Dam	... 131

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		

381. रायगढ़ में सरिया नाला पर बाँध का निर्माण	Construction of Dam on Sariya Nullah in Raigarh	...131—132
382. मध्य प्रदेश में दाहोद से खण्डवा तक नई रेलवे लाइन	New Railway Line from Dahod to Khandwa in Madhya Pradesh	... 132
383. भुसावाल और इटारसी (मध्य रेलवे) के बीच रेल सेवाएँ रद्द करना	Cancellation of Train Services between Bhusawal and Itarsi (Central Railway)	...132—133
384. भुसावाल डिवीजन (मध्य रेलवे) में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि	Increase in incident of Crimes in Bhusawal Division (Central Railway)	...133—134
385. मध्य रेलवे जोन में मीटर गेज लाइन का बड़ी लाइन में बदला जाना	Conversion of Metre Gauge Lines into Broad Gauge in Central Railway Zone	... 134
386. असम, मेघालय, नागालैंड तथा नेफा के लिए कपड़े की नियंत्रित किस्में	Controlled Varieties of Cloth for Assam, Meghalaya, Nagaland and NEFA	... 134
387. रबड़ का न्यूनतम मूल्य	Minimum Price of Rubber	...134—135
388. विजय मोहिनी मिल्स लि० त्रिवेन्द्रम और पार्वती मिल्स लि० क्विलन का अधिकार में लिया जाना	Take over of Vijaya Mohini Mills Ltd., Trivandrum and Parvathi Mills Ltd., Quilon	...135—136
389. पंजाब में बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत फसलों के लिए जल की उपलब्धता	Availability of water for crop under major irrigation projects in Punjab	136
390. उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में विधि आयोग का प्रतिवेदन	Report of Law Commission on appellate jurisdiction of Supreme Court	...136—137
391. कटपडी से सिकन्द्राबाद तक सीधी एक्सप्रैस रेलगाड़ी चलाने के लिए अभ्यावेदन	Representation for Introduction of a Direct Express Train between Katpadi and Secunderabad	... 137
392. रेलवे बोर्ड के ढांचे में परिवर्तन	Change in the structure of Railway Board	... 137
393. मानिकपुर रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर एक्सप्रैस/मेल रेल गाड़ियों का रुकना	Stoppage of Express/Mail trains at Manikpur Railway Station (North Eastern Railway)	... 138
394. रेलगाड़ियों की रफ्तार बढ़ाना	Speeding up of trains	...138—139
395. सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को कार्य सौंपने पर प्रतिबन्ध लगाना	Imposition of ban on giving assignments to retired judges	... 139

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
396. काफी की अधिक काश्त के कारण काफी उत्पादकों को हुई कठिनाई	Difficulties experienced by Coffee growers due to large harvest	...139—140
397. पत्रातु ताप-बिजली परियोजना का पूरा होना	Completion of Patratu Thermal Power Project	... 140
398. काफी की उत्पादन लागत के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय लेना	Finalisation of cost of production of Coffee	...140—141
399. समुद्री तूफान से उड़ीसा को क्षति	Orissa hit by tidal waves	... 141
400. बनसागर परियोजना की वांछनीयता के बारे में विशेषज्ञों की समिति	Committee experts on desirability of Bansagar Project	...141—142
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance–	
अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि	Price Rise of Essential Commodities	...142—149
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Behari Vajpayee	
श्री यशवन्त राव चह्वाण	Shri Yeshwantrao Chavan	
अध्यादेश जारी करने के बारे में	Re. Issue of Ordinances	... 149
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	...150—151
राज्यसभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	...151—152
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	...152—153
कराधान विधि (संशोधन) विधेयक	Taxation Laws (Amendment) Bill	...153—161
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	... 153
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	...153—155
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. Salve	...155—156
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	...157—160
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chander Goswami	... 160
श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	Shri Virendra Agarwal	...160—161
श्री बालतन्डायुतम	Shri K. Balathandayutham	... 161
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	... 161
7, जंतर-मंतर रोड पर हुए आक्रमण और तत्संबंधी घटनाओं को रोकने में दिल्ली पुलिस की असफलता के बारे में प्रस्ताव	Motion Re : Failure of Delhi Police to prevent violence at 7-Jantar Mantar Road and incidents connected therewith	...162—180
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	...163—164
श्री के० डी मालवीय	Shri K. D. Malaviya	...164—165

श्री ए० के० गोपालन	Shri A. K. Gopalan	...165—166
श्री एच० के० एल भगत	Shri H. K. L. Bhagat	...166—167
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	... 167
श्रीमती मुकुल बनर्जी	Shrimati Mukul Banerji	...167—168
श्री के० मोनहरन्	Shri K. Manoharan	...168—169
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	... 169
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Behari Vajpayee	...169—170
श्री सिद्धार्थ शंकर राय	Shri Sidhartha Shankar Ray	...170—172
श्री फ्रैंक एन्थनी	Shri Frank Anthony	...172—173
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	...173—175
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	...175—176
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	...176—177
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	... 177

लोक सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 16 नवम्बर, 1971/25 कार्तिक, 1893 (शक)

Tuesday, November 16, 1971/ Kartika 25, 1893 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मिश्र का प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन

*31. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मिश्र का कुल प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन कितना है;

(ख) क्या मिश्र ने इस कमी को पूरा करने के लिये भारत को रुई बेचने से इंकार कर दिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) 1 जुलाई, 1970 से 30 जून, 1971 की योजना अवधि के दौरान मिश्र से 44·36 करोड़ रुपये के आयात हुए और मिश्र को हमारे निर्यात 40·59 करोड़ रु० मूल्य के हुए, इस प्रकार मिश्र के पक्ष में 3·77 करोड़ रु० का व्यापार सन्तुलन शेष रहा ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री फतहसिंहराव गायकवाड़ : क्या यह सच है कि वर्ष 1971-72 के लिये प्रस्तावित व्यापारिक आदान-प्रदान का मूल्य, वर्ष 1970-71 की अपेक्षा कम है और यदि हाँ, तो इस कमी के क्या कारण हैं और मिश्र के अशोधित तेल को शामिल न करने के क्या कारण हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : इसमें कमी नहीं आयी । 1968-69 के दौरान 632·30 करोड़ रुपये, 1969-70 के दौरान 563 करोड़ रुपये तथा 1970-71 के दौरान 951·30 करोड़ रुपये का व्यापार हुआ था। अशोधित तेल शामिल किया गया है । यह हमारे लिये उपयोगी रहेगा या नहीं, इसके लिये हमें परीक्षण करने पड़ेंगे । हमें अशोधित तेल तथा रुई के देने में मिश्र को कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री फतहसिंहराव गायकवाड़ : मिश्र किस मूल्य पर भारत को रुई बेचने के लिये सहमत हुआ है और विश्व के देशों के मूल्यों की तुलना में रुई का यह मूल्य कितना कम या अधिक है ? क्या करार के अनुसार भारत को बेचे जाने वाली रुई का मूल्य मिश्र अन्य देशों की अपेक्षा कम लेगा, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : मूल्य बताना जनहित में नहीं होगा क्योंकि इससे अन्य देशों के साथ व्यापार के लिये हमें काफी कठिनाइयाँ पैदा होंगी । मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यह एक स्पर्द्धात्मक मूल्य है और हम मिश्र को कोई विशेष मूल्य नहीं दे रहे हैं ।

श्री राम सहाय पांडे : हम बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का व्यय करके मिश्र से लम्बे रेशे की रुई का आयात कर रहे हैं । क्या मंत्री महोदय ने कपड़ा मिलों से लम्बे रेशे की कपास देश ही में पैदा करने हेतु कुछ करने के लिये कहा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कृषि मंत्रालय से संबंधित है ।

श्री राम सहाय पांडे : बहुमूल्य विदेशी मुद्रा नष्ट हो रही है क्योंकि लम्बे रेशे की कपास को हम देश में पैदा नहीं कर सकते। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने किसानों को लम्बे रेशे की कपास पैदा करने हेतु सहायता प्रदान करने के लिये तथा मिश्र से आयात न करने के लिये लोगों को कहा है। यह एक प्रासांगिक प्रश्न है और इसका उत्तर मिलना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे संगत नहीं माना ।

श्री बी० आर० कावड़े : यह खेद की बात है कि प्रति वर्ष रुई का आयात करना पड़ता है। सरकार की एक निश्चित नीति होनी चाहिए । सरकार को एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिये कि अमुक अवधि के पश्चात् रुई का आयात नहीं किया जायेगा और इसके लिये संकर-4 तथा अन्य किस्मों को उचित स्थान देना अनिवार्य है और इसके लिये क्या करना है सरकार को इस संबंध में निर्णय करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न वैसा ही है जैसा कि श्री पांडे ने पूछा था । इसका पहला भाग प्रासंगिक है ।

श्री एल० एन० मिश्र : हम माननीय सदस्यों की चिन्ता को समझते हैं। मैं इस सदन में कह चुका हूं कि कृषि तथा वित्त मंत्रालयों तथा योजना आयोग के परामर्श से लम्बे रेशे की कपास के लिये हमारा एक विशेष कार्यक्रम है। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिये हम उत्पादकों की सहायता कर रहे हैं लेकिन कपास में आत्म-निर्भर होने के लिये अभी कुछ समय लगेगा।

सिंचाई की क्षमता का उपयोग

*32. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी और मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत देश में उत्पन्न की गई 20 लाख हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). उपयुक्त सिंचाई क्षमता 12·5 लाख हैक्टेयर है। यह नोट करने की बात है कि वित्तीय वर्य (मार्च) के अन्त तक उत्पन्न की गई क्षमता केवल अगले वित्तीय वर्ष में समुपयोजन के लिए उपलब्ध होती है जब मानसून का पानी संचय अथवा नहर प्रणालियों में व्यपवर्तन के लिए उपलब्ध होता है। 1951 से लेकर मार्च, 1970 तक उत्पादित क्षमता 94·5 लाख हैक्टेयर थी और मार्च, 1971 तक समुपयोजन 82 लाख हैक्टेयर था।

समुपयोजन में मुख्य कमी कोसी परियोजना की कोसी पूर्वी नहर और राजपुर नहर में है। इन दो नहरों में 5 लाख हैक्टेयर की कमी है। इसके कारण हैं (1) भारी वर्षा जिसके परिणामस्वरूप किसान लोग अच्छी वर्षा के वर्षों में सिंचाई के लिए पानी नहीं लेते क्योंकि यह उनकी इच्छा पर निर्भर है कि वे पानी की सप्लाई लें, अथवा न लें, (2) 5 क्यूसेक से/क्यूसेक तक जल मार्गों का पूरा न होना; और (3) नहरों में भारी मात्रा में गाद का जमा हो जाना। बिहार सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि वर्तमान 'सट्टा' प्रणाली को अनिवार्य सिंचाई में परिवर्तित कर देना चाहिए। जल-मार्गों के निर्माण में तेजी लाई गई है; लगभग आधा कार्य पहले ही पूर्ण कर दिया गया है और शेष कार्य को अगले तीन वर्षों में पूर्ण करने का कार्यक्रम बनाया गया है। बराज और नहर के नियमन संबंधी नियम प्राप्त अनुभव की रोशनी में बना दिये गये हैं और पिछले दो वर्षों में इस अवधि के दौरान नहरों से गाद भी निकाल दी गई थी जब उन्हें बन्द किया जाता है।

मध्य प्रदेश के चम्बल परियोजना क्षेत्र में समुपयोजन में 1·6 लाख हैक्टेयर की कमी हुई है। इसके कारण हैं (1) झाड़ियों के उगने तथा अन्य रुकावटों के कारण मुख्य नहर की क्षमता में कमी, (2) जल-मार्गों के निर्माण में देरी। नहरों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए और

नहर प्रणाली को दृढ़ करने के लिए उपचारी उपाय किए गए हैं। जल-मार्गों के निर्माण में भी तेजी लाई जा रही है।

राजस्थान नहर परियोजना—चरण-I में 1 लाख हैक्टेयर के समुपयोजन की कमी है। यह कमी विशेषत: पोंग बाँध के विस्थापितों द्वारा उपनिवेशन में देर लगाने के कारण है। अन्य परियोजना क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक समय भी चाहिए क्योंकि राजस्थान नहर द्वारा सिंचित होने वाला क्षेत्र अकृष्टपूर्व, मुख्यत: रेतीली प्रकृति का है।

ककड़ापार और माही चरण-I परियोजनाओं में समुपयोजन में 2·5 लाख हैक्टेयर की कमी है। यह कमी रबी सिंचाई के लिए संचित जल के न उपलब्ध होने के कारण है। उकई जलाशय, जो कि ककड़ापार कमान के क्षेत्रों को पानी सप्लाई करेगा, पूरा होने वाला है। कडाना बाँध के पूर्ण हो जाने पर माही नहर क्षेत्र में समुपयोजन में वृद्धि होगी।

समुपयोजन में शेष कमी अन्य कई परियोजनाओं में है और इसके लिए जो आम कारण दिया जाता है, वह है काश्तकारों द्वारा क्षेत्रीय नालियों के निर्माण में देरी करना। परन्तु यह ध्यान देने की बात है कि समुपयोजन कई वर्षों तक 100% नहीं होगा और वर्तमान 87% समुपयोजन को सन्तोषजनक समझा जा सकता है। पृथक-पृथक परियोजनाओं पर जहाँ समुपयोजन इस प्रतिशतता से कम है, निगरानी रखी जा रही है जिससे स्थिति में सुधार हो।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मंत्री महोदय ने कहा है कि औसतन 80 प्रतिशत जल का उपयोग हो रहा है। लेकिन यह औसत बहुत खतरनाक है। कुछ परियोजनाओं द्वारा केवल 50 प्रतिशत जल का उपयोग किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिये।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि कौन कौन सी परियोजनायें 95 प्रतिशत से अधिक जल का और 50 से 60 प्रतिशत जल का उपयोग कर रही हैं और उनका कहना है कि कोसी परियोजना में 5 लाख एकड़ का उपयोग नहीं हो रहा है।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : यह नहीं कहा गया है कि इस समय यह प्रतिशत का 80 है। इस समय 87 प्रतिशत का उपयोग हो रहा है। यह बात नहीं कि कोसी प्रायोजना में 5 लाख एकड़ जमीन का उपयोग नहीं हो रहा, वास्तव में यह 50 लाख हैक्टेयर है अर्थात् 11-12 लाख एकड़। मुझे खेद है कि कोसी परियोजना अन्य परियोजनाओं की अपेक्षा काफी पीछे है। विवरण में उल्लिखित परियोजनाओं अर्थात कोसी और चम्बल परियोजनाओं और राजस्थान नहर को छोड़कर सारी परियोजनाएँ ठीक तरह से काम कर रही हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : कोसी में पानी के कम उपयोग के इन्होंने कोई कारण नहीं बताये। यदि यह काम 'सट्टा' प्रणाली पर चलता है तो सरकार राज्य सरकारों को उन लोगों को दंडित करने के लिए बाध्य क्यों नहीं करती जो पानी का उपयोग नहीं करते।

डा० के० एल० राव : विवरण में मैं इसका उत्तर दे चुका हूँ। एक मुश्किल यह थी कि

मूलत: केवल 5 क्यूसेक जल-शक्ति का निर्णय किया गया था। बाद में मालूम हुआ कि 5 क्यूसेक का अर्थ 500 एकड़ है जो किसान के लिये बहुत अधिक है। अत: बाद में 100 एकड़ का निर्णय किया गया जिसके अनुसार अब तक काम चल रहा है। आधे से ज्यादा काम हो चुका है और शेष काम निर्माणाधीन है।

'सट्टा' प्रणाली के बारे में यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर भारत विशेषकर बिहार में किसानों को अपनी इच्छा के अनुसार सिंचाई जल लेने की व्यवस्था है जिससे वे, विशेषकर कोसी क्षेत्र के लोग, जहाँ 60 से 80 इंच वर्षा होती है, प्रोत्साहित हो रहे हैं। वर्षा आने तक किसान प्रतीक्षा करता है और सोचता है कि वर्षा आयेगी। अत: वह समय पर प्रार्थना-पत्र नहीं देता। इसी प्रकार विलम्ब होता है। अत: गंडक सरारेवी बड़ी परियोजनाओं के संबंध में हम सरकार पर दक्षिण भारत की अनिवार्य प्रणाली को लागू करने पर दबाव डाल रहे हैं। मुझे आशा है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और जब तक इसमें परिवर्तन नहीं होता उस समय तक जल क्षमता का नियमित उपयोग संभव नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : पिछले सत्र में भी मेरा यही अनुरोध था कि उत्तर संक्षिप्त होने चाहिएं। उत्तर भाषण की तरह नहीं होने चाहिएं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : 'सट्टा' प्रणाली से उस क्षेत्र को काफी हानि हो रही है। मेरा प्रश्न है···

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न को चर्चा में परिवर्तित करते हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या मंत्री महोदय आन्ध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों में प्रचलित प्रणाली को लागू कर रहे हैं ?

डा० के० एल० राव : यह बात राज्य सरकार पर निर्भर करती है।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री डी० एन० तिवारी : क्या जल का पूर्ण उपयोग न किये जाने का मुख्य कारण गलत प्रकार के जलमार्ग बनाना है अथवा नहर से खेतों तक जलमार्ग न बनाना है ?

डा० के० एल० राव : मैं इसका उत्तर दे चुका हूँ। यह भी एक कारण है। इसका उल्लेख विवरण में भी है। एक कारण यह भी है कि जल शक्ति केवल 5 क्यूसेक तक है। मेरे विचार में माननीय सदस्य उस समय वहाँ नहीं थे जब मैंने मूल प्रश्न का उत्तर दिया। उस समय से जल-शक्ति घटाकर 100 एकड़ करदी गयी। यह भी एक कारण है। लेकिन मुख्य कारण तो 'सट्टा' प्रणाली है।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : The Hon. Minister just now said that the farmers resort to "Satta" system in the matter of irrigation water and do not allow the flow of water. In view of this, may I know the number of farmers who do not utilise the irrigation

water for earning from 'Satta' ? Is it a fact that the water from the dam at Chambal in Bhuraina and Bhind districts is not being utilised with the result that the farmers do not get the water according to their requirements ?

MR. SPEAKER : The Hon. Member may raise this point when there is debate on irrigation.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Question is that the water of the Chambal canal is not being utilised and it is being given to farmers for irrigation in inadequate quantity.

MR. SPEAKER : The question relates to the utilization of irrigation potential and the Hon. Member is referring to Bhuraina and Bhind.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : This question is very important. Therefore, I want to know the steps being taken by the Government to provide water in sufficient quantity for irrigation to the farmers who are not getting the water according to their requirements ?

MR. SPEAKER : If you are allowed to put this question, the other Members can also ask questions about their districts.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Let him reply to my first question. The Hon. Minister stated that the farmers.....

MR. SPEAKER : Dr. Rao is going to reply.

डा० के० एल० राव : यह सच है कि चम्बल क्षेत्र में जहाँ वर्षा कम होती है, किसान पानी लेने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं। बिहार के कोसी क्षेत्र में किसान पानी लेने में संकोच करते हैं क्योंकि वहाँ वर्षा काफी होती है।

SHRI NATHU RAM MIRDHA : I would like to know the extent of less utilization of Chambal water in Rajasthan as well as in Madhya Pradesh.

MR. SPEAKER : Does it arise from this question ?

SHRI NATHU RAM MIRDHA : This is a question relating to utilisation of irrigation potential of the Chambal and it is for this reason that I want to know as to what extent Madhya Pradesh and Rajasthan are responsible for it. Let the Hon. Minister reply to this.

डा० के० एल० राव : यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की सांझी है। मध्य प्रदेश के पीछे रहने के कारणों का उल्लेख मैं विवरण में कर चुका हूँ।

मंशी से सहरसा तक हाई टेन्शन लाइनें प्रतिस्थापित करना

*33. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्रुत औद्योगिकीकरण एवं चतुर्मुखी प्रगति के लिये मंशी से सहरसा तक की 17 किलोमीटर की दूरी में हाई टेन्शन लाइनें प्रतिस्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) मंशी से सहरसा तक उच्च वोल्टता लाइन लगाने के बारे में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

SHRI R. P. YADAV : The reply given by the hon. Minister shows that there is no proposal at present under consideration of the Government. Bihar is the most backward state in India and Saharsa is one of the most backward area in that State. In view of the proposed installation of High Tension Lines from Manshi to Saharsa, is the Government considering to take some steps in this direction, if so, when ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : जब हमने कहा कि सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है, तो हमारा तात्पर्य यह था कि राज्य सरकार ने ऐसी किसी लाइन का प्रस्ताव नहीं किया। लेकिन कुछ समय से मैं स्वयं इस समस्या का अध्ययन कर रहा हूँ और मैं अनुभव करता हूँ कि इस संबंध में एकमात्र समस्या कोसी नदी है और इस कठिनाई पर काबू पाने के लिये अभी हमें कुछ कदम उठाने हैं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मंशी से सहरसा तक रेलवे पुल है। लाइन लेने में कोई कठिनाई नहीं है।

डा० के० एल० राव : कोसी नदी इसमें बाधा डालती है। इसके बीच से अभी 11 किलोवाट लाइन नदी पार करना अपवाद है, और इस हेतु हमें 132 किलोवाट वोल्टेज की शक्ति चाहिये और इसी बात पर मैं विचार करता आ रहा हूँ। यदि मेरे सहयोगी श्री हनुमंतैया पुल पर लाइन लगाने के लिये सहमत होते हैं तो हम इसे जोड़ लेंगे।

सैलूनों में यात्रा करने के हकदार रेलवे अधिकारियों की श्रेणियां

*34. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन श्रेणियों के रेल अधिकारियों को दौरे करते समय और स्थानांतरण के समय सैलूनों, निरीक्षण कारों या चार, छः अथवा आठ पहियों वाले रेल कोचों में यात्रा करने का अधिकार प्राप्त है;

(ख) वातानुकूलित सैलूनों का प्रयोग करने का अधिकार किन श्रेणियों के अधिकारियों को प्राप्त है;

(ग) कौन सा अधिकारी सैलूनों / कैरेजों के प्रयोग की अनुमति दे सकता है और किन मामलों में इन्हें आगे बढ़ाने से पहले उससे ऊँचे अधिकारी की अनुमति अपेक्षित है;

(घ) क्या सैलूनों में रसोइयों, बैरों आदि की सेवाएँ निःशुल्क उपलब्ध की जाती हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमंतैया) : (क) महोदय, सहायक और वरिष्ठ वेतन मान अधिकारी जब ड्यूटी पर हों तो 4/6 पहिये वाले निरीक्षण यान के उपयोग के हकदार होते हैं और कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड और इससे ऊँचे अधिकारी बोगी निरीक्षण यान के हकदार होते हैं। जब अधिकारी स्थानांतरण पर जा रहे हों तब उनके द्वारा निरीक्षण यानों के उपयोग किये जाने की व्यवस्था नियमों में नहीं है।

(ख) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य वातानुकूल पर्यटनकार का उपयोग करने के हकदार हैं।

(ग) हक़ के मुताबिक निरीक्षण यानों के कर्षण के लिये किसी उच्चतर प्राधिकारी की अनुमति अपेक्षित नहीं है, बशर्ते निरीक्षण यान लगाने के लिये वह गाड़ी निषिद्ध न हो या उसमें प्रतिबंध न लगा हुआ हो।

(घ) प्रत्येक निरीक्षण यान में अधीक्षक के रूप में एक परिचारक की व्यवस्था होती है।

श्री एस० एन० मिश्र : मैं जानना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय द्वारा सदन में दिये गये वक्तव्य के अनुसार क्या यह विशेषाधिकार उन अधिकारियों तक सीमित है जिनके लिये गन्तव्य स्थानों पर आवास उपलब्ध हैं? क्या इस वक्तव्य को कार्यान्वित किया गया है?

श्री के० हनुमन्तैया : हर स्टेशन पर ठहरने की व्यवस्था नहीं है। बहुत से स्टेशन ऐसे हैं जहाँ अधिकारियों के ठहरने के लिए विश्राम-गृह तथा अन्य सुविधाएँ नहीं हैं। यह भली प्रकार विदित है कि ये कोच निरीक्षण यान के रूप में कार्यालय के कार्य के लिए और परामर्श और विचार विमर्श के लिए उपयोग में लाये जाते हैं। इसलिये हर अन्य स्टेशन पर आवास उपलब्ध करना वर्तमान व्यवस्था से अधिक मँहगा पड़ेगा।

श्री एस० एन० मिश्र : क्या मंत्री महोदय की जानकारी में ऐसे मामले आये हैं जिनमें इन कोचों के कारण यात्रियों को असुविधा हो रही है, विशेषतः जबकि उनको आगे बढ़ाने की व्यवस्था की जाती है? मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं। क्या मंत्री महोदय को इनकी जानकारी मिली है?

श्री के० हनुमन्तैया : वर्तमान नियम यह है कि ये निरीक्षण यान सामान्यतया महत्वपूर्ण मेल, एक्सप्रैस (अथवा यात्री गाड़ियों) से नहीं जोड़े जाते। अधिकांशतः ये धीरे चलने वाली यात्री गाड़ियों अथवा माल गाड़ियों में 4 पहिये वाले/6 पहिये वाले डब्बे जोड़े जाते हैं।

SHRI ISHAQ SAMBHALI : The Hon. Minister is giving incorrect information to the House. I have myself seen that saloons are attached to Express trains.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Their family members trevel in saloons. There are thousands of such instances.

श्री के० हनुमन्तैया : माननीय सदस्यों ने मुझे ठीक नहीं समझा है। मैं यहाँ नियमों का उल्लेख कर रहा था। वास्तविक बात मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा।

एक माननीय सदस्य : अच्छा, अब वे उल्लंघनों के बारे में बताएँगे।

श्री के० हनुमन्तैया : नियम ऐसे हैं जिनसे जनता को असुविधा न हो । यदि उन नियमों का कहीं उल्लंघन होता है तो माननीय सदस्य हमें उस बारे में लिख सकते हैं ।

SHRI ISHAQ SAMBHALI : Hon. speaker, I have myself seen that saloons are attached to Express trains.

अध्यक्ष महोदय : अब वे माल गाड़ी से यात्री गाड़ी जोड़ रहे हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह दुर्घटना होने से बेहतर है ।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : अपने समाजवादी दृष्टिकोण को देखते हुए क्या मंत्री महोदय स्पष्ट अन्तर देंगे कि क्या रेलवे के सभी अधिकारियों के लिए सैलूनों की सुविधाएँ बन्द कर दी जाएँगी ?

श्री के० हनुमन्तैया : यदि इन्हें विशेषाधिकार समझा जाये तो माननीय सदस्य का कथन सही होगा । यह विशेषाधिकार नहीं हैं, अपितु सरकारी कार्य करने के लिए सुविधाएँ हैं । सदन को इस बात पर विचार करना है कि क्या अधिकारियों को अपने कर्त्तव्य के पालन के लिए ऐसी सुविधाएँ देना आवश्यक है ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्यों न एक पृथक डिब्बा लगाया जाये और वातानुकूलन को छोड़ दिया जाये ?

श्री० के० हनुमन्तैया : यह पृथक डिब्बा होता है अथवा पृथक कोच यह विभेद व्यर्थ है । क्या वातानुकूलित कोच व्यापक रूप से दिये जाएँ या नहीं, यह मामला वास्तव में विचारणीय है । मुझे आँकड़ों से पता चलता है कि वातानुकूलित कोच निरीक्षण यान की तुलना में जोकि साधारण कोच हैं, बहुत कम हैं ।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : उत्तर असंतोषजनक है । जब जवान बिना सुविधाओं के अपना कर्त्तव्य निभा सकते हैं तब रेलवे अधिकारी सैलूनों के बिना कार्य क्यों नहीं कर सकते ? मंत्री महोदय उनका पक्ष लेते हैं ?

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय ने उत्तर में कहा है कि इन कोचों को माल गाड़ियों से जोड़ना चाहिए । परन्तु हमने देखा है कि वे कभी भी माल गाड़ियों से नहीं जोड़े जाते, अपितु एक्सप्रैस और मेल गाड़ियों से जोड़े जाते हैं, कभी-कभी तो तीसरे दर्जे के डिब्बों को काटकर भी जोड़े जाते हैं । मैं स्वीकार करता हूँ कि निरीक्षण कार्य के लिए या परामर्श के लिए विशेष सुविधाएँ दी जाती हैं । यदि उन्होंने परामर्श ही करना है तो घर पर कर सकते हैं, कोच में ही नहीं ।

श्री के० हनुमन्तैया : मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूँ कि 1000 पुराने निरीक्षण यानों की तुलना में लगभग 14 वातानुकूलित कोच हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : परिवार कोचों से अधिक है ।

श्री के० हनुमन्तैया : नियमों के अनुसार ऐसे दौरों में केवल पत्नी को साथ रखा जा सकता है। यदि एक अथवा दो बच्चों को साथ ले जाया जाता है तो मैं समझता हूँ कि हमें इतने कठोर दिल का नहीं होना चाहिए कि हम उनके परिवार को पृथक कर दें।

श्री पी० आर० शिनाय : क्या रेलवे मंत्री वातानुकूलित सैलून में यात्रा करने के पात्र हैं, और यदि हाँ, तो वे किन गाड़ियों में जोड़े जाते हैं। क्या यह केवल माल गाड़ियों के साथ जोड़े जाते हैं अथवा अन्य गाड़ियों के साथ भी ?

श्री के० हनुमन्तैया : नियमों के अनुसार सभी मंत्रीमण्डलीय स्तर के मंत्रियों को एक सी यात्रा सुविधाएँ उपलब्ध हैं। बेशक रेल मंत्री रेलवे बोर्ड के सदस्यों के समान पृथक सैलून के हकदार हैं, परन्तु स्थापित प्रथाओं के अनुसार इस सुविधा का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY : In view of the resentment in the House over the fact that the coaches meant for the Railway officers are being misused and as the Hon. Minister has instances, like the carriage of Chairman of Railway Board being attached to a train which was not a goods trains, but an Express trains, will the Hon. Minister give a specific reply that he is going to withdraw the saloons so that the officers may not misuse them.

श्री के० हनुमन्तैया : मैं जानता हूँ कि माननीय सदस्य का मत सारी सभा का मत है। जब भी इन सुविधाओं का दुरुपयोग किया जायेगा मैं निश्चय ही कार्यवाही करूँगा।

श्री नरसिंह नारायण पांडे : मेरा विशिष्ट प्रश्न है और मुझे उत्तर से संतोष नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने विशिष्ट उत्तर दे दिया है।

श्री इसहाक सम्भली : सुविधाएँ वापस लेने के बारे में क्या उत्तर है ?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Keeping in view the fact that railway passengers do not get space in spite of increase in railway fares and also that if all the saloons are withdrawn and are used for the benefit of passengers then hundreds of new trains can operate, would the Hon. Minister promise to consider the entire matter afresh ?

श्री के० हनुमन्तैया : माननीय सदस्य को पता होना चाहिये कि ये सैलून अथवा निरीक्षण यान हर गाड़ी के साथ नहीं लगाये जाते। जब कभी भी कार्य करना अपेक्षित होता है इन्हें गाड़ियों के साथ जोड़ा जाता है अथवा पृथक किया जाता है; और ऐसा बहुत कम होता है। इसलिये यह आम प्रश्न नहीं है। तब भी मैं इस सभा में व्यक्त मतों पर विचार करूँगा तथा ध्यान रखूंगा कि इनका दुरुपयोग न हो और इन सैलूनों का उपयोग यात्रियों की सुविधाओं में बाधक न बने।

भारत में वैगनों की आवश्यकता और उनका उत्पादन

*36 **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति वर्ष कितने वैगनों की आवश्यकता रहती है तथा कुल कितने वैगनों का निर्माण होता है;

(ख) पश्चिम बंगाल में वैगनों के उत्पादन की प्रतिशतता क्या है;

(ग) पश्चिम बंगाल की इंजीनियरिंग फर्मों द्वारा इस समय बनाये जा रहे वैगनों की सही संख्या क्या है; और

(घ) पश्चिम बंगाल की इंजीनियरिंग फर्मों को इस वर्ष कितने वैगन बनाने के आर्डर देने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) रेलों द्वारा अपेक्षित माल डिब्बों की संख्या यातायात की आवश्यकताओं के अनुसार वर्ष प्रति वर्ष बदलती रहती है। उसी प्रकार वस्तुतः उत्पादित माल डिब्बों की संख्या भी वर्ष प्रति वर्ष बदलती है। 1970-71 में लगभग 9,000 चौपहिए माल डिब्बे बनाये गये।

(ख) 1970-71 के दौरान वस्तुतः निजी क्षेत्रों द्वारा उत्पादित कुल माल डिब्बों का लगभग 57 प्रतिशत पश्चिम बंगाल के निजी माल डिब्बा बनाने वालों द्वारा उत्पादित किया गया। 1971-72 के प्रथम छः महीनों के दौरान इस प्रतिशतता में बढ़ती होकर लगभग 64 प्रतिशत हो गयी।

(ग) अप्रैल, 1971 से सितम्बर, 1971 तक के छः महीनों के दौरान पश्चिम बंगाल के निजी क्षेत्र के माल डिब्बे बनाने वालों द्वारा उत्पादित चौपहिये माल डिब्बों की मासिक औसत संख्या 328 थी।

(घ) बकाया आर्डर के अनुसार बनाये जाने वाले माल डिब्बों को छोड़कर वर्ष, 1971-72 के दौरान लगभग 5,000 चौपहिए माल डिब्बे।

श्री एस० पी० भट्टाचार्य : क्या कोयले के क्षेत्रों में माल डिब्बों की कमी के कारण कोयला उपभोक्ताओं के पास पहुँच नहीं पाता ?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : प्रश्न वैगनों के उत्पादन के संबंध में है। माननीय सदस्य वैगनों की उपलब्धि के बारे में पूछ रहे हैं। कोयला की खानों में वैगनों की संख्या बढ़ा दी गई है और हम वहाँ पर वैगनों की उपलब्धि की स्थिति को और भी सुधारने का यत्न कर रहे हैं।

डा० रानेन सेन : मंत्री महोदय ने अभी-अभी बताया कि 75 प्रतिशत वैगनों का उत्पादन पश्चिम बंगाल में हुआ। क्या यह सच है कि पिछले कुछ समय से पश्चिम बंगाल में उत्पादन करने वाली इंजीनियरिंग फर्में जोकि पश्चिम बंगाल में वैगनों का निर्माण करती थीं तथा जोकि बहुत अच्छी वैगन निर्माता सिद्ध हुई हैं, बेकार पड़ी हैं क्योंकि रेल मंत्रालय ने उनको आर्डर देने से इंकार कर दिया है तथा उसके परिणामस्वरूप कई कारखाने बंद पड़े हैं ?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : निजी क्षेत्र में कुल 13 वैगन-निर्माता कारखाने हैं जिनमें से 7 पश्चिम बंगाल में हैं। आकड़ों से देखा गया है कि उन फर्मों में बहुत से आर्डर बकाया हैं और वे रेलवे की आवश्यकता के अनुसार वैगनों का निर्माण नहीं कर पाती। यह ठीक नहीं है कि रेलवे ने गैर-सरकारी वैगन-निर्माता फर्मों को आर्डर नहीं दिये हैं।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या उप मंत्री को पता है कि देश की अर्थ-व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में वैगनों की कमी के कारण कठिनाई हो रही है।

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : यह कहना ठीक नहीं कि केवल वैगनों की कमी के कारण ही देश की अर्थ-व्यवस्था पिछड़ी हुई है। मुख्य प्रश्न वैगनों के उत्पादन के संबंध में है।

श्री प्रबोध चन्द्र : प्रश्न केवल वैगनों के उत्पादन का ही नहीं है। प्रश्न देश में अपेक्षित वैगनों से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि उनका कथन है कि उत्पादन देश की आवश्यकताओं के अनुरूप है।

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : जी हाँ, मैंने कहा था कि जहाँ तक वैगनों के उत्पादन का संबंध है वे देश की आवश्यकताओं को पूरा करता है। जहाँ तक विभिन्न कारखानों की उपलब्धि का प्रश्न है उसमें निःसंदेह कुछ कठिनाई है।

SHRI ACHAL SINGH : May I know from the Hon. Minister as to whether it is a fact that in West Bengal, thousands of wagons are lying idle as Naxalites have removed parts from them and consequently they have become useless ?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI : Yes sir, it is correct to some extent that about 20,000 wagons in the eastern sector, in West Bengal are lying idle as their parts have been stolen. Many have been cannibalised, and have been immobilized.

श्री त्रिदिब चौधरी : मंत्री महोदय ने अभी-अभी बताया है कि पश्चिम बंगाल के गैर-सरकारी वैगन-निर्माताओं के पास वैगनों के बहुत से आर्डर बकाया पड़े हैं। क्या रेलवे ने उसके कारणों के बारे में कोई जाँच की है, क्या इस्पात की कमी उनके पीछे रहने का मुख्य कारण है और यदि हाँ, तो रेलवे मंत्रालय उसका कैसे समाधान करना चाहती है ?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : इस बात की कमी एक कारण रही है, परन्तु यह मुख्य कारण नहीं है। इन कारखानों द्वारा उत्पादन-लक्ष्यों को पूरा न कर सकने के अन्य कारण भी रहे हैं, यथा कानून और व्यवस्था की असंतोषजनक स्थिति और भिन्न-भिन्न कारखानों के समक्ष श्रमिक समस्याएँ आदि। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, पश्चिम बंगाल के गैर-सरकारी वैगन निर्माताओं के पास 4,230 वैगनों के आर्डर बकाया पड़े हैं और वे 9677 का लोड उठाते हैं। परन्तु जब तक बकाया कार्य पूरा नहीं हो जाता, रेलवे द्वारा उन्हें अतिरिक्त आर्डर देना सम्भव नहीं है। जैसे ही बकाया कार्य कर लिया जाता है, उनको अतिरिक्त आर्डर दिये जायेंगे।

श्री त्रिदिब चौधरी : मैंने नये आर्डरों के बारे में नहीं पूछा है। मेरा प्रश्न था कि इस्पात की कमी यदि इसका एकमात्र नहीं तो एक मुख्य कारण रहा है। समस्या के इस पहलू को दृष्टि में रखते हुए रेलवे क्या कार्यवाही करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिये इस्पात का आयात करने हेतु इस्पात मंत्रालय और विदेश व्यापार मंत्रालय से तालमेल कैसे रखा जाता है ?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : मुख्यतया चपटे इस्पात और इस्पात की चादरों की जो कमी

है, उसकी वैगनों-निर्माताओं की आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लिए हम भारी मात्रा में इस्पात का आयात कर रहे हैं।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम् : मंत्री महोदय ने बताया कि गैर-सरकारी वैगन-निर्माताओं ने रेलवे की आवश्यकताओं के अनुसार वैगनों का निर्माण नहीं किया है। ऐसी दशा में रेलवे को हानि पहुँचा कर उन पर आर्डर क्यों दिये जाते हैं। रेलवे के कारखाने स्वयं ही वैगनों का निर्माण करते रहे हैं। क्यों न रेलवे के कारखानों की उत्पादन क्षमता को बढ़ा दिया जाये ?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : वैगनों के उत्पादन के सिलसिले में हमें अर्थ-व्यवस्था को समूचे रूप में देखना पड़ता है। रेलवे विभाग नौ कारखानों में इन वैगनों का निर्माण करता है। अब उन्हें घटाते हुए, श्रमिकों पर असर न डालते हुए, तीन कारखानों में यह कार्य किया जा रहा है। इन कारखानों में हम किसी भी श्रमिक को नौकरी से अलग नहीं कर रहे हैं। परन्तु पश्चिम बंगाल के गैर-सरकारी कारखाने निश्चय ही कुछ गम्भीर गड़बड़ी का सामना कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गड़बड़ी ?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : यदि वहाँ कोई कार्य न हो तो इससे बेरोजगारी पैदा होगी। इस क्षेत्र में अधिक आर्थिक गतिविधियों को बनाये रखने के लिये हमने गैर-सरकारी कारखानों को क्रयादेश दिये हैं।

श्री विश्वनाथ राय : देश में वैगनों के बढ़ते हुए निर्माण से क्या उनका निर्यात भी बढ़ रहा है, और यदि हाँ, तो कौनसा देश हमारे देश से अधिकतम वैगनों का आयात करता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न की सीमा से बाहर है।

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : इस समय मेरे पास आँकड़े नहीं हैं परन्तु मैं आँकड़े दे सकता हूँ।

Supply of water to Pakistan under Indo-Pak Canal Water Treaty

+

*36. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) the total quantity of water supplied so far to Pakistan for the use of which India was entitled under the Indo-Pak Canal Water Treaty: and

(b) the steps Government propose to take in future in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI B. N. KUREEL) : (a) and (b). On the expiry of the Transition Period on 31.3.1970, as provided in the Indus Waters Treaty 1960, the waters of the three Eastern Rivers (the Sutlej, the Beas and the Ravi) have become available for the unrestricted use of India from that day. For the years 1970 and 1971, a total of 8 MAF and 14·5 MAF went down the rivers into Pakistan territory. At this time, rivers in Pakistan were also in spate. Most of the waters in the three rivers, the Sutlej, the Beas and the Ravi will be utilised in India after the completion

of the storage dam on the river Beas at Pong, the Beas-Sutlej Link, and the Rajasthan Canal Project, all of which are under advanced stage of construction. This would leave a balance of about one MAF in an average year which will go down the river Ravi during the monsoon months. To impound these flood waters, proposal for a storage dam on Ravi are under study.

In an year like 1971 when the inflows in the rivers, the Sutlej, the Beas and the Ravi are much larger than in a fifty percent year. In spite of storages, some water will go down in the monsoon season as the storages cannot contain them and as utilisation by the canals in such time also declines due to heavy rainfall.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : It is mentioned in the statement that from 80 to 145 lakh acre feet of water was given to Pakistan during the year 1970-71. May I know as to why water is not being fully utilised in our country when we are having strained relations with Pakistan for the last few days ? What steps are being taken to utilise the water and why no steps have been taken so far in this behalf ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : इन सब परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तथा खारे पानी का उपयोग करने के लिए सरकार बहुत उत्सुक है। जब तक हम पौंग बाँध, राजस्थान नहर तथा रावी के बाँध को पूरा नहीं करते, उस समय तक हम इस पानी का उपयोग नहीं कर सकते। अतः हम यह सब करने के लिए बहुत उत्सुक हैं।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : My question was that why have they not taken steps in this behalf so far. This question has been asked many a times. Why has not the Government taken steps to utilise some water in India. A categorical answer may be given to this question whereafter I will ask my next question.

डा० के० एल० राव : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि रावी बाँध को छोड़कर ये परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं और हम इन्हें पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। समस्या यह है कि आर्थिक रूप से हम कुछ कठिनाई में हैं। फिर भी 1973-74 तक हमें इस पानी के काफी भाग को उपयोग में लाने की आशा है।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : The Hon. Minister has stated that water in large quantity flows down during monsoon. Have they taken some steps to prevent the flow of water during monsoon ? When will the dam on Ravi be completed and what expenditure will be incurred on its construction ?

डा० के० एल० राव : मानसून के पानी को पानी संचय बांध के अतिरिक्त और किसी उपाय द्वारा नहीं रोका जा सकता है। मानसून के पानी को जमा करने से पहले पौंग बाँध तथा रावी के बाँध को पूरा करना है। एक दूसरी कठिनाई भी रही है। इस वर्ष बहुत अच्छी वर्षा हुई है और हमारे किसानों ने जल नहीं लिया। जब तक बाँध पूरे नहीं होते, उस समय तक मानसून का पानी इकट्ठा नहीं किया जा सकता।

MR. SPEAKER : He says why Punjab is not sunk by storing the monsoon waters.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : The water should be given to the other areas.

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि यदि भारत के गुरदासपुर तथा अमृतसर जिले के क्षेत्रों को वर्ष भर पानी दिया जाये तो यह सारा पानी जो पाकिस्तान की ओर जाता है वर्तमान नहरों में आ सकता है ?

डा० के० एल० राव : यह पानी रबी के मौसम में नहीं होता । यदि यहं रवी के मौसम में हो तो हमारी नहरें इस पानी को ले सकती हैं । लेकिन यह पानी जून से सितम्बर में होता है जब नदी में पानी काफी मात्रा में होता है और नहरें इस पानी को नहीं ले सकतीं । फिर भी हम अधिक से अधिक जल लेंगे । लेकिन इस पानी का उपयोग इसे जमा करके ही किया जा सकता है ।

DR. LAXMINARAIN PANDEY : It is mentioned in the statement that a storage dam is proposed to be constructed over Ravi. When will they implement this proposal and what will be the expenditure thereon ?

डा० के० एल० राव : रावी बाँध के बारे में दो या तीन समस्याएँ हैं । पंजाब सरकार द्वारा छाँटी गयी जगह बहुत अच्छी है । लेकिन पुनर्वास की समस्या को हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब ने निपटाना है । जल के आबंटन का भी प्रश्न है । मेरा शीघ्र ही मंत्रियों की बैठक बुलाने तथा इन समस्याओं को निपटाने का विचार है ।

SHRI YAMUNA PRASAD MANDAL : It is mentioned in the statement that Pong dam on Bias is being constructed for storage. I want to know the time by which this dam will be completed.

डा० के० एल० राव : यह जून, 1973 तक पूरा हो जायेगा ।

उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी

*37. **श्री निहार लास्कर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित दशक योजना में उत्तर प्रदेश के लिए विद्युत की अतिरिक्त 3·150 मैगावाट प्रजनन क्षमता निरूपित करने पर भी वर्ष 1980-81 में बिजली की और अधिक कमी हो जायेगी; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रत्याशित कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) दशक योजना में उत्तर प्रदेश की अपनी प्रतिष्ठापित क्षमता को 5,664 मैगावाट तक लाकर उत्तर प्रदेश के लिये 4,140 मैगावाट की अतिरिक्त प्रतिष्ठापित क्षमता की परिकल्पना की गई है । इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश केन्द्रीय परियोजनाओं से, जिनमें बदरपुर और उत्तरी क्षेत्र में अणु और जल विद्युत केन्द्र शामिल हैं अपना उचित हिस्सा प्राप्त करेगा । 1980-81 तक लगभग 5,200 मैगावाट की प्रत्याशित भार माँग का पूरा हो जाना प्रत्याशित है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री निहार लास्कर : यह अब बिल्कुल स्पष्ट है कि दस वर्षीय योजना के कार्यान्वित होने पर भी कई कारणों से उत्तर प्रदेश बिजली के मामले में आत्म-निर्भर नहीं होगा । इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय ग्रिड प्रणाली जिसके द्वारा अन्य क्षेत्रों से बिजली लायी जा सकती है, की दिशा में क्या प्रगति की गयी है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : हमने इस बात को अनुभव कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में बिजली की बहुत कमी है । हम इस कमी को, जहाँ तक संभव हो, दूर करने की कोशिश कर रहे हैं । हमने अनुमान लगाया है कि दस वर्षीय योजना के कार्यान्वयन पर हमें 7,000 मैगावाट बिजली की आवश्यकता होगी । हमने 3,000 मैगावाट की स्वीकृति दे दी है और हमने उत्तर प्रदेश सरकार को अधिक बाँध बनाने के लिए कह दिया है ।

श्री निहार लास्कर : राष्ट्रीय ग्रिड के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

डा० के० एल० राव : राष्ट्रीय ग्रिड 1980 में समाप्त होने वाले दशक में पूरा हो जायेगा । वास्तव में, जब हम उत्तर प्रदेश के लिये एक दशक का आयोजन कर रहे हैं तो हमें 7,000 मैगावाट के लिये इस ग्रिड पर निर्भर करना पड़ता है ।

श्री निहार लास्कर : इस प्रणाली के पूरा होने पर क्या हम उत्तर प्रदेश की सारी आवश्यकता को पूरा कर सकेंगे अथवा फिर भी क्या आज की तरह बिजली की कमी रहेगी ?

डा० के० एल० राव : उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ ट्रांसमिशन लाइनें नहीं हैं । विशेषकर पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्रों में ट्रांसमिशन लाइनों को मजबूत बनाना है । हम ट्रांसमिशन लाइनें बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं । इसके साथ प्रजनन क्षमता की ओर भी ध्यान देना पड़ता है ।

SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY : Has the U. P. Government sent a proposal regarding the proposed atomic power station to be installed in U. P. or its eastern region, with a view to remove power shortage ?

डा० के० एल० राव : परमाणु ऊर्जा आयोग दल कई स्थानों पर गया, जिसने आखिर में नरोरा परियोजना के लिए निर्णय किया । मेरे विचार में इसे शीघ्र ही शुरू किया जायेगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या सिंचाई और बिजली मंत्री के ध्यान में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने यह बात लायी है कि बिजली की कमी के कारण उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने से इन्कार कर दिया है ? उत्तर प्रदेश के लोग, विशेषकर पूर्वी जिलों के लोग बिजली की लगातार कमी के कारण काफी कष्ट में हैं । दशक योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को बिजली के मामले में आत्म निर्भर बनाने के लिए केन्द्र किस प्रकार की सहायता प्रदान कर रहा है ? जिम्मेवारी केवल केन्द्र की है क्योंकि राज्य सरकार ने योजना प्रस्तुत कर दी है ।

डा० के० एल० राव : यह बात सच है कि उत्तर प्रदेश में बिजली की बहुत कमी है,

जिसके कारण वहाँ उद्योग स्थापित नहीं हो रहे हैं। दुर्भाग्यवश हमने इस बात को कुछ देर से अनुभव किया। बिजली पैदा करने में कुछ समय लगता है। हमें आशा है कि बदरपुर बिजली घर के बनने पर बिजली की कमी कुछ सीमा तक दूर हो जायेगी। लेकिन बिजली की कमी उस समय तक बनी रहेगी जब तक सारी स्वीकृत की गयी योजनाएँ समय पर पूरी नहीं हो जातीं।

DR. GOVIND DAS RICHHARIYA : It was declared in the meeting of Irrigation and Power Committee held at Sundernagar that Atomic Power Station will be set up in U. P. Is it a fact that Government is considering to change this decision ?

डा० के० एल० राव : अणु शक्ति स्टेशन सारे राज्यों के लाभ हेतु स्थापित किये जाते हैं न कि किसी विशेष राज्य के लाभ हेतु। उनसे पैदा हुई बिजली का उपयोग दो अथवा तीन राज्य करते हैं। इस मामले में हम आशा रखते हैं कि अणु शक्ति स्टेशन से पैदा हुई बिजली के अधिक भाग को उत्तर प्रदेश को दिया जायेगा। जैसाकि मैं पहले कह चुका हूँ, मामला अणु शक्ति आयोग के विचाराधीन है जिसके लिये मैं उन्हें स्मरण-पत्र दूंगा।

SHRI ISHAQ SAMBHALI : Is the Government aware of the fact that agriculture is heavily suffering due to power shortage in U. P. ? Tube-wells are running hardly for 3 to 4 hours a day for the last 3 years. The hon. Minister can calculate the loss to the agriculture due to this shortage. Is it a fact that Tehri Dam project, which can supply enough power to U. P., is not being implemented because Rajmata of Tehri-Garhwal is opposing it ? Is it also a fact that the U. P. Government has submitted various schemes regarding power to the Central Government but those schemes are not being implemented because the Central Government is not providing the funds ? When will these schemes be implemented so that declining agricultural production in U. P. could be improved.

डा० के० एल० राव : माननीय सदस्य ने टिहरी बाँध की बात भी की है। टिहरी बाँध का कोई विरोध नहीं हो रहा, सबने इसे स्वीकार किया है और हम आगामी कार्यवाही करने जा रहे हैं। यह परियोजना केन्द्रीय जल और बिजली आयोग के विचाराधीन है। यह कहना ठीक नहीं कि राजमाता इसका विरोध करती हैं, इसके विपरीत वे इसके पक्ष में हैं कि परियोजना कार्यान्वित होनी चाहिये। टिहरी बाँध के निर्माण पर लगभग आठ वर्ष लगेंगे, उसके पश्चात ही इससे बिजली उपलब्ध हो सकेगी। अतः अभी हमें उन्हीं योजनाओं को चलाना है जो शीघ्र ही लागू होने वाली हैं।

SHRI NATHU RAM AHIRWAR : Is it a fact that Madhya Pradesh Government has submitted proposals to the Central Government for taking up construction of Thermal Power Project in coal-mines areas. Orchha Dam in Tikamgarh Distt. and Bansagar Dam in Rewa District ? Power shortage of U. P. and other adjoining areas can be made up if these projects are implemented. What action is the Central Government taking in this behalf ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है, प्रश्न नहीं।

डा० के० एल० राव : प्रश्न मध्य प्रदेश के बारे में है और माननीय सदस्य कहते हैं कि कोयले की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वहाँ ताप विद्युत स्टेशन स्थापित किया जाना चाहिये।

SHRI NARENDRA SINGH BISHT : Will the hon. Minister recall his announcement about the construction of Pancheshwar Dam in U. P., which will be the best Dam in India ? Why this project has not so far been started and no progress made in this behalf so far ?

डा० के० एल० राव : नेपाल की गोगरा नदी पर करनाली नामक एक परियोजना है। अभी हाल में हमने नेपाल सरकार से बातचीत की है और परियोजना को पूरा होने पर इससे बिजली लेने के लिए सहमत हो गये हैं। इसके साथ ही हमने पंचेश्वर बाँध का काम आगे बढ़ाने के लिए भी नेपाल सरकार से आग्रह किया है। यह नदी नेपाल और भारत के बीच सीमा है। हमने परियोजना प्रतिवेदन तैयार करके नेपाल सरकार को प्रस्तुत कर दिया है। उनसे उत्तर आने के बाद हम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करेंगे।

व्यापार घाटे में वृद्धि

+

*39. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अप्रैल-अगस्त के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले व्यापार घाटा 109·9 करोड़ रुपये से बढ़कर 145·1 करोड़ रुपये हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी, हाँ।

(ख) गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-अगस्त, 1971 में निर्यातों (107·4 करोड़ रु०) की अपेक्षा आयातों (142·6 करोड़ रु०) में अधिक वृद्धि हो जाने के कारण भारत का विदेश व्यापार का घाटा बढ़ गया।

विदेश व्यापार के सन्तुलन को ठीक करने के लिए सरकार द्वारा किये गये सभी उपाय वे ही हैं जो निर्यातों में वृद्धि करने और आयातों में कमी करने से संबंधित हैं। वर्तमान आयात-निर्यात नीति के निर्माण का उद्देश्य निर्यातों को बढ़ाने तथा आयातों को कम करने के लिये और देश की आर्थिक स्थिति में औद्योगिक आधार को सामान्यतः सुदृढ़ बनाने के लिये जो विभिन्न नियंत्रण तथा प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं और जो प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं इन दोनों को, अधिक सार्थक तथा सप्रयोजन बनाना है।

30 जुलाई, 1970 को संसद में रखे गये निर्यात नीति संकल्प में सरकार की निर्यात नीति की प्रमुख बातें दी गई हैं। आयात संवर्धन उपायों में प्रतिपूर्ति लाइसेंस योजना के माध्यम से आयातित कच्चे माल की पूर्ति, क्षमता संबंधी प्रतिबन्धों को हटाना, निर्यात शुल्क को समाप्त अथवा कम करना, आयात तथा उत्पादन शुल्क की वापिसी, वस्तु विनिमय सौदे आदि शामिल हैं।

उन वस्तुओं का आयात कम कर दिया जायेगा जिनका उत्पादन देश में बढ़ गया है। निर्यात उत्पादन की आवश्यकताओं पर और उन वस्तुओं के निर्यातों को बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान दिया जायेगा जिनके लिये अन्य देशों की तुलना में हमारे देश को अधिक तुलनात्मक लाभ उपलब्ध है।

SHRI JAGANNATH RAO JOSHI : Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister has admitted that there has been fall in trade balance and the improvements suggested include that imports be reduced and exports increased. But the import licences issued during the past few months indicate that there is remote possibility of imports coming down. In the reply it has been said "To keep the cotton price in check, considerable imports of cotton are also being resented to." It goes on to say :

"Raw materials other than cotton which are in short supply, edible oils and certain varieties of steel both of which are being imported in substantial quantity."

In view of this how would the imports be reduced ?

Second thing relates to the boosting up of exports. There has been decline in our traditional exports like tea and jute. Inspite of the increase in tea production there has been decline in its export and why there has been loss in jute ? And the commodities, exports of which have picked up, like leather and leather goods or raw iron and its products, engineering goods, fish and fish products and the trailers for deep sea fishing...

MR. SPEAKER : Please do not enter into an agrument, ask the question.

SHRI JAGANNATH RAO JOSHI : I am asking a specific question. You cannot reduce the imports, therefore, what concrete steps are being taken to boost the exports ?

SHRI L. N. MISHRA : It is correct, as stated by the hon. Member, that during the 6 months of the current year imports have outstripped higher exports by 41-42 crores. It is because we had to import steel. The hon. Member should know that if the imports of any developing country increases, it results in subsequent increases in exports. His contention regarding export of tea is not correct. Export of tea during 1970-71 was 146·46 crores and this year it is of the order of Rs. 148.25 crores. The export of jute during 1970-71 was of the value of Rs. 189·92 crores and this year it is of Rs. 250 crores. So our exports of tea and jute have increased. We hope to make up the deficit by March this year. In the third plan there was a 60% growth and we hope to cross that during the Fourth plan. Last year it was 8·3 and next year also there would be growth of about 8 percent. Nobody can check the rise in imports of a developing country. You would be surprised to know that export growth of Bangkok is 40% every year and still they are in a loss. They have to import more. So we would have to import for our advancement.

SHRI JAGANNATHRAO JOSHI : Recently England has decided to join E. C. M. and U. S. A. has imposed ten percent surcharge on its imports. What steps Government propose to take to ward off its affect on our exports.

SHRI L. N. MISHRA : A lot of discussion has taken place regarding U. K. and the fifteen percent tariff would seriously hit our textile industry. Export of textiles worth 17 to 20 crores of rupees would be hit by that rate and so we are exploring other markets. We want to export it to Soviet Russia and East European countries. U. S. A. has imposed 10 percent surchage in an unjust manner. We called their Ambassadors here and our Ambassadors called

at their office and gave an *aide memoire*. But it did not bear any result. On the one hand they are committed under UNCTAD to adopt general scheme of preferences, on the other hand they have imposed surcharge. They are working against their own international commitments.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Mr. Speaker, Sir, taking in view the fact that. Britain has decided to join E. A. M, are we making efforts to develop our relations with E. C. M.? Has their been any discussions with these countries and if so, with what results ? Will the hon. Minister take the house into confidence ?

SHRI L. N. MISHRA : There have been discussions with E. C. M. countries and we placed a proposal before them that a cooperative agreement be made between India and E.C.M. countries. Our Prime Minister discussed this matter when she visited Brussels, stressing that India's proposal be acceded to. We are increasing our trade with these countries individually as well. Hon. Member would be glad to know that these countries have agreed to the scheme of general preferences. They would impose less duty on our goods. This would increase our trade with them.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं दो बातें जानना चाहता हूँ :

(1) निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) बीजक को कम अथवा अधिक दिखाने को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री एल० एन० मिश्र : उनके प्रश्न का भाग (ख) गृह मंत्रालय से संबंधित है। मैं तो केवल इतना कह सकता हूँ कि हम आयात-निर्यात की कई वस्तुओं को इच्छित दिशा में मोड़ने का यत्न कर रहे हैं। मैंने बताया कि हमारा प्रयत्न न केवल कुल मूल्य को अपितु वस्तुओं के मूल्य को भी बढ़ाने का है परन्तु यह तभी हो सकता है जब हम अपने सामान के लिये अच्छे बाजार पा लें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जब तक आप निर्मित सामान का निर्यात नहीं करते, आप सफल नहीं हो सकटे।

विदेशों में सह-उद्योगों संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ (फैडरेशन आफ इंडियन चैम्बर आफ कामर्श एण्ड इंडस्ट्री) के सुझाव

*40. **श्री राम सहाय पाण्डे** :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री वीरेंद्र सिंह राव :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ (फैडरेशन आफ इंडियन चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री) ने हाल ही में परियोजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाने, सूचना प्राप्त करने के लिये एक पृथक मंडल की स्थापना करने एवं विदेशों में सह-उद्योगों के लिये भारतीय जानकारी प्रदान करने और निर्माण कार्यों के ठेके लेने के संबंध में सुझाव दिये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) और (ख). भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने "विदेशों में भारतीय औद्योगिक संयुक्त उद्यम" पर एक विवरणिका प्रकाशित की है जिसमें उसने ये सुझाव दिये हैं। यह पहला अवसर नहीं है कि ऐसे सुझाव दिये गये हों। सरकार उन पर ध्यान दे रही है और उन्होंने इस दिशा में कतिपय कदम भी उठाये हैं। विदेशों में औद्योगिक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिये प्रस्थापनाओं के अनुमोदन के लिए क्रियाविधि के सरलीकरण के लिये सरकार ने हाल ही में कुछ उपाय किये हैं, जिसमें ये शामिल हैं :

(1) मौके पर जाँच-पड़ताल करने तथा उद्यम कर्त्ताओं से प्राप्त प्रस्थापनाओं के अनुमोदन के लिये संयुक्त उद्यमों के अनुमोदनार्थ अन्त: मंत्रालय समिति का गठन जिसमें सम्बद्ध मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं।

(2) एक विहित आवेदन-पत्र फार्म निर्धारित किया गया है क्योंकि, विलम्ब का मुख्य कारण आवेदकों द्वारा अपर्याप्त जानकारी देना था; और

(3) प्राप्त हुई प्रस्थापनाओं पर शीघ्र विचार करने के लिये विदेश व्यापार मंत्रालय में एक पृथक प्रकोष्ट बनाना।

इन उपायों के फलस्वरूप ऐसी प्रस्थापनाओं के संबंध में अनुमोदन देने में लगने वाला समय काफी हद तक कम हो गया है।

2. विशेषज्ञता, संयंत्र तथा मशीनों के निर्यात तथा आद्योपान्त परियोजनाओं का ठेका लेने के माध्यम से पूंजी लगाने के अवसरों की जानकारी नियमित रूप से एकत्र की गई और सुस्थापित माध्यमों से संबद्ध हितों को वितरित की गई। भारतीय निवेश केन्द्र भी विदेश स्थित संयुक्त उद्यमों के संबंध में जानकारी तथा संभाव्यताओं के बारे में भारतीय व्यापारिक समुदाय को नियमित रूप से जानकारी देने का कार्य करता है।

SHRI R. S. PANDEY : I want to say that you should fix some time limit for the project. What is your view in the matter ?

SHRI L. N, MISHRA : The main question raised by the hon. Member is based on the information contained in a pamphlet of Indian Chamber of Commerce. This question is quite different from that. In this regard I have to say that whatever plan is prepared and whatever joint ventures come before us, conditions are laid as to the investment and the time in which it is to be completed. Hon. Member would be pleased to know that we have accepted about 126 joint ventures of which 28 are in production and 61 are in various stages of development and 37 have been abandoned. There has been ample progress in some of them.

SHRI R. S. PANDEY : I want to know about the projects you have accepted under joint ventures and whether you have taken their consent for a certain extent of compulsory exports ?

SHRI L. N. MISHRA : The joint ventures are with others, how can we get

commitment from them for export. The factories established by other countries in our country are called joint ventures.

रेल-भाड़े से आय

*41. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में रेल-भाड़े से होने वाली राजस्व-आय में कोई सुधार हुआ है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) 1971-72 की पहली तिमाही में रेलवे माल यातायात से जो आमदनी हुई, वह 1970-71 की इसी अवधि की आमदनी से लगभग 5 करोड़ रुपये अधिक थी, लेकिन वह बजट प्रत्याशा से लगभग एक करोड़ रुपये कम रही।

(ख) आमदनी में गिरावट मुख्यत: इस कारण आयी क्योंकि बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों से कोयले का लदान प्रत्याशित लदान से कम हुआ तथा गाड़ियों का संचलन अस्त-व्यस्त हो जाने के कारण देश के पूर्वी क्षेत्र से तथा वहाँ के लिए सामान्य माल यातायात का संचलन प्रत्याशित संचलन से कम हुआ। लौह अयस्क का यातायात भी प्रत्याशा से कम रहा।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : अभी अभी मंत्री महोदय ने बताया कि कमी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यातायात में कमी के कारण हुई है। मैं जानना चाहती हूँ कि रेल सेवाओं और वैगनों का पूर्वी भारत अर्थात असम और त्रिपुरा में आवागमन पूरी तरह क्यों नहीं होता ?

श्री के० हनुमन्तैया : इसमें इस महीने से सुधार की संभावना है। परन्तु इस कमी का वास्तविक कारण यह है कि यह रेलवे के अधिकार में नहीं है। इसका संबंध कानून और व्यवस्था तथा इस्पात संयंत्रों में कम उत्पादन से है। कच्चे लोहे की पर्याप्त सप्लाई नहीं होती रही क्योंकि उसका आवश्यक मात्रा में आयात नहीं हुआ है। अत: कई एक कारण हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बिहार की कोयला खानों से कोयले की ढुलाई के लिए अपेक्षित रेल वैगन

*38. **राजमाता कृष्णा कुमारी** (जोधपुर) : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की कोयला खानों के मुहानों पर जमा कोयले के स्टाक तथा कोयले के वर्तमान उत्पादन की ढुलाई के लिए प्रति दिन कितने वैगनों की आवश्यकता है;

(ख) रेल विभाग द्वारा प्रतिदिन कितने वैगन दिये जा रहे हैं; और

(ग) वैगनों की कमी के कारण देश में औद्योगिक उत्पादन में किस सीमा तक बाधा पड़ी है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग). अप्रैल से जुलाई, 1971 तक बिहार के कोयला खानों से कुल 102·00 लाख मीटरिक टन कोयले का उत्पादन हुआ (मंत्रालय के पास उपलब्ध सबसे बाद के आँकड़े) । इसमें 51·2 लाख मीटरिक टन कोकिंग कोयला और 50·8 लाख मीटरिक टन गैर कोकिंग कोयला शामिल है । कोयला खानों द्वारा अपने उपभोग में लाये गये हार्ड कोक और सोफ्ट कोक के उत्पादन में खपने वाली मात्रा, कोयला खान और धुलाई कारखानों से अस्वीकार किया गया उपभोग में न आने लायक कोयला और परिवहन के अन्य साधनों आदि द्वारा भेजे जाने के कारण इस उत्पादित कोयले में से कितनी मात्रा के लिए रेल परिवहन अपेक्षित नहीं है इसका पता इस मंत्रालय को नहीं है । कुल उत्पादित कोयले की रेल द्वारा निकासी के लिए वर्ष के प्रथम चार महीनों में जितने कोयले का उत्पादन होता है उसके लिए प्रतिदिन लगभग 4,000 माल डिब्बों का लदान अपेक्षित होगा । परिवहन के अन्य साधनों के अलावा रेलवे द्वारा प्रतिदिन लगभग 3,800 माल डिब्बे भेजने की जरूरत होगी ।

बिहार कोयला क्षेत्रों में कोयले का स्टाक मार्च, 70 के अंत में 36·6 लाख मीटरिक टन की तुलना में जुलाई, 71 के अंत में 55·9 लाख मीटरिक टन था जो सामान्य समझा जा सकता है। कोयला खानों पर इकट्ठे कोयले की निकासी के लिए कितने माल डिब्बों की आवश्यकता होगी, यह अतिरिक्त स्टाक की निकासी की अपेक्षित अवधि पर निर्भर करेगा ।

अप्रैल, 1971 से बिहार के कोयला खानों और धुलाई कारखानों से लादे गये माल डिब्बों की संख्या इस प्रकार है :

अप्रैल	...	3544
मई	...	3444
जून	...	3231
जुलाई	...	3404
अगस्त	...	3834
सितम्बर	...	3480
अक्तूबर	...	3525

देश में माल डिब्बों की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन को किस हद तक बाधा पहुँची यह सूचना इस मंत्रालय के पास तत्काल उपलब्ध नहीं है । उपलब्ध सूचना के अनुसार इस्पात संयंत्र, बिजलीघर आदि जैसे बड़े उद्योगों के उत्पादन प्रभावित नहीं हुए हैं, क्योंकि उनकी आवश्यक माँगों को पूरा करने के लिए विशेष सावधानी बरती गयी थी ।

Take over of Dry Fruit Import Trade

*42. DR. SANKATA PRASAD : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether the private importers of dry fruits are earning huge profits;

(b) whether Government propose to take over this trade; and

(c) if so, the broad outlines thereof ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI L. N. MISHRA) : (a) to (c). Profit margin on dry fruits and dates is really very high on account *inter alia* of demand in India and restrictive imports. The question of canalising import of dry fruits and dates through a Public Sector Undertaking or Undertakings has been under active consideration of the Govt. for some time past. Final decision will be taken about it in consultation with exporting countries—Afghanistan, Iran and Iraq shortly.

पटसन और चाय से अर्जित विदेशी मुद्रा

*43. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटसन और चाय से हमारे देश ने वर्ष 1970-71 में वास्तव में कितनी विदेशी मुद्रा कमाई;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में हाल ही में आई बाढ़, और उत्तर बंगाल और असम में कोयले के वैगनों की कमी का विदेशी बाजार में पटसन और चाय के व्यापार पर प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या उनका मंत्रालय चाय-बागानों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार कर रहा है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क)

पटसन माल — 189·92 करोड़ रु०
चाय — 146·66 करोड़ रु०

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आयात अधिभार (सरचार्ज) समाप्त करने के लिए भारत का अमरीकी सरकार से अनुरोध

*44. **श्री पी० गंगादेव** :
श्री पी० एम० मेहता :
श्री एच० एम० पटेल :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अमरीकी सरकार से जोरदार शब्दों में यह अनुरोध किया है कि हाल ही में समूचे आयातों पर लगाये गये 10 प्रतिशत अधिभार (सरचार्ज) से विकासशील देशों को छूट दी जाये;

(ख) क्या अमरीका को प्रति वर्ष निर्यात किये जाने वाले एक चौथाई भारतीय माल पर इसका प्रभाव पड़ेगा;

(ग) यदि हाँ, तो इससे भारत को कुल कितनी हानि होगी; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यपार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी, हाँ ।

(ख) इस नये अधिभार से 21 प्रतिशत से अधिक भारतीय निर्यातों पर प्रभाव नहीं पड़ा है ।

(ग) इस अवस्था में यह निर्धारित करना बहुत कठिन है कि विदेशी मुद्रा उपार्जनों पर इसका क्या वास्तविक प्रभाव पड़ेगा ।

(घ) अतिरिक्त आयात शुल्कों के आरोपण के अस्थायी स्वरूप को देखते हुए सरकार द्वारा अभी कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी जाती। स्थिति पर सतत् निगरानी रखी जा रही है।

संविधान (चौबीसवाँ संशोधन) विधेयक

*45. **श्री एन० ई० होरो :**
श्री वरके जार्ज :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कितने राज्यों ने संविधान (चौबीसवाँ संशोधन) विधेयक का समर्थन किया है;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने इस विधेयक पर आपत्ति की है; और

(ग) यदि हाँ, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और उनके तर्क क्या हैं ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री० एच० आर० गोखले) : (क) अब तक ग्यारह राज्यों ने विधेयक का अनुसमर्थन कर दिया है ।

(ख) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसी राज्य ने विधेयक पर आपत्ति की है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्यात बाजार का विस्तार करने की योजना

*46. **श्री पी० के० देव** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राष्ट्र मंडल के 26 विकासशील देशों के लिए निर्यात बाजारों का विस्तार करने की एक योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस योजना का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख). तकनीकी सहयोग के निमित्त राष्ट्र मंडल कोष के प्रतिनिधि बोर्ड की नासू, बहामा में हुई दूसरी बैठक में 20 सितम्बर, 1971 को यह विनिश्चिय किया गया कि राष्ट्र मंडल कोष के कार्यकलापों के क्षेत्र को बढ़ाकर उसमें राष्ट्र मंडलीय विकासशील देशों के निर्यात बाजार विकास के तकनीकी सहायता और बाजार गवेषणा संबंधी पहलुओं को शामिल किया जाए। प्रश्नाधीन विनिश्चय राष्ट्र मंडल सचिवालय के तत्वावधान में तैयार किये गए अध्ययन में की गई सिफारिशों के पश्चात् किया गया था।

प्रश्नाधीन विनिश्चय के अनुसार राष्ट्र मंडल के उन विकासशील देशों को तकनीकी सहयोग के निमित्त राष्ट्र मंडल कोष में से सहायता उपलब्ध की जायेगी जो अपने निर्यात उत्पादों के संबंध में निर्यात बाजार विकास के लिए और बाजार गवेषणा करने के लिए तकनीकी सहायता चाहते हों। इस निधि में से राष्ट्र मंडल के विकासशील देश बाजार सर्वेक्षण और बाजार गवेषणा करने के लिए, जिसमें पर्यटन जैसे अदृश्य व्यापार का क्षेत्र भी शामिल होगा, सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) तकनीकी सहयोग के निमित्त राष्ट्र मंडल कोष में भारत सरकार ने 15,000 पौंड के बराबर अपरिवर्त्य रुपयों का वार्षिक अंशदान देना स्वीकार किया था। परन्तु चूँकि इसके कार्य-कलापों का विस्तार कर दिया गया है, अत: अंशदान बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। चूँकि भारत राष्ट्र मंडल का एक विकासशील देश है, अत: वह तकनीकी सहयोग राष्ट्र मंडल कोष में से अपने लिए तकनीकी सहायता और बाजार गवेषणा करने के लिए सहायता लेने का पात्र है। किन्तु तकनीकी सहयोग के निमित्त राष्ट्र मंडल कोष के कार्य कलापों का कार्य-क्षेत्र बढ़ाने से भारत को किस हद तक लाभ होगा, यह अभी ठीक-ठीक पता नहीं है।

सियालदह डिवीजन (पूर्वी रेलवे) में रेलगाड़ियों का विलम्ब से आना-जाना

*47. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सियालदह डिवीजन (पूर्वी रेलवे) में रेलगाड़ियाँ विलम्ब से आती-जाती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपरोक्त डिवीजन में रेलगाड़ियाँ यथासमय चलाने और सियालदह डिवीजन की विशेषकर स्थानीय गाड़ियों में यात्रियों की अत्यधिक भीड़ को कम करने के लिए क्या उपाय किये गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी, हाँ।

(ख) (i) ऊपरी तारों की चोरी जिसके फलस्वरूप रेक प्रस्थान स्टेशनों से दूर फँस जाते हैं;

(ii) चल स्टाक के उपस्कर की चोरी जिसके फलस्वरूप उप-नगरीय बिजली गाड़ियों के रेक अस्थायी रूप से रुके रह जाते हैं;

(iii) गाड़ियों का रोक लिया जाना जिसके फलस्वरूप रेक प्रस्थान स्टेशनों से दूर फँसे रह जाते हैं; और

(iv) नागरिक उपद्रव होना, बंदों का आयोजन तथा कर्फ्यू लागू करना जिसके फलस्वरूप गाड़ियाँ चलाना और कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी पर उपस्थित होना मुश्किल तथा जोखिमपूर्ण हो जाता है।

(ग) ऊपर बताई गई सीमाओं के अन्तर्गत, सियालदह मंडल में उपनगरीय गाड़ियों के समय पालन में सुधार लाने के लिए जो कुछ व्यावहारिक है, किया जा रहा है। दैनिक यात्रियों के लिए संतोषप्रद परिवहन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से सियालदह मंडल में उप-नगरीय गाड़ियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ायी गयी है और उनमें अधिक डिब्बे लगाये गए हैं।

सरकार की नीति के बारे में केरल के रबड़ व्यापारियों का विरोध

*48. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के रबड़ व्यापारियों ने 11 अक्तूबर, 1971 को सरकार की इस कथित नीति के विरोध में हड़ताल की थी कि इसके फलस्वरूप रबड़ के बाजार में संकट और बेरोजगारी उत्पन्न हो गई है;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा रबड़ की सीधी खरीद के लिए कोई माँग भी की गई थी; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग). केरल के रबड़ व्यापारियों ने 11 अक्तूबर, 1971 को हड़ताल रखी और यह माँग की कि बफर स्टाक के रूप में प्रयोग करने के लिए राज्य व्यापार निगम को 1971-72 के दौरान लगभग 15,000 मे० टन का अतिरिक्त स्टाक खरीद लेना चाहिए। राज्य व्यापार निगम द्वारा की जाने वाली खरीदारियों के अलावा केरल के छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादित रबड़ की अधिप्राप्ति के लिए केरल सरकार को 2·50 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर करने का विनिश्चय किया जा चुका है। खरीदारी निकट भविष्य में शुरू की जाएँगी।

भाखड़ा बाँध से 1975 के पश्चात् दिल्ली को बिजली की सप्लाई

*49. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** :
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाखड़ा बाँध से दिल्ली को 1975 के पश्चात् बिजली की सप्लाई नहीं की जाएगी; और

(ख) यदि हाँ, तो राजधानी की बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या प्रबंध किये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख). भाखड़ा प्रबंधक बोर्ड ने जून, 1971 में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को एक नोटिस दिया है । यह नोटिस बिजली की सप्लाई की व्यवस्था करने वाले प्रारूप-करार के अंतर्गत दिया गया है और संक्षेप में इसका तात्पर्य यह है कि 13-4-1975 के बाद दिल्ली को भाखड़ा काम्प्लेक्स से विद्युत नहीं मिलेगी । इस सारे मामले की सावधानीपूर्वक जाँच हो रही है और अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी पक्षों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा ।

इस समय दिल्ली की विद्युत की आवश्यकताओं को उसके निजी ताप विद्युत केन्द्रों से पूरा किया जा रहा है; इसके अलावा 80 मैगावाट जल विद्युत भाखड़ा प्रबंधक बोर्ड से प्राप्त की जाती है । इस मंत्रालय के अधीन काफी संख्या में विद्युत केन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है और राजधानी की संपूर्ण आवश्यकताओं को सभी परिस्थितियों में सुनिश्चित रूप से पूर्ण करना संभव होगा ।

सिगरेटों और कच्चे तम्बाकू का निर्यात

*50. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तैयार सिगरेट निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में से एक है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार उन कुछ देशों को सिगरटों का निर्यात करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी जहाँ इनकी अच्छी माँग है; और

(ग) कितने रुपये के मूल्य का कच्चा तम्बाकू और परिष्कृत तम्बाकू निर्यात किया जाता है और जिन देशों को यह निर्यात किया जाता है उनके नाम क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी, हाँ ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारतीय अनिर्मित तम्बाकू का निर्यात विश्व के 50 से अधिक देशों को किया जाता है । जिन देशों को तम्बाकू निर्यात किया जाता है उनमें से कुछ प्रमुख देश ब्रिटेन, सोवियत संघ, जापान, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, नीदरलैंड, बेल्जियम, अदन आदि हैं । 1970-71 के दौरान अनिर्मित तम्बाकू के हमारे निर्यात 3,140 लाख रुपये मूल्य के रहे ।

साधित तम्बाकू :

1970-71 के दौरान 116 लाख रुपये मूल्य का निर्मित तम्बाकू, नेपाल, मलयेशिया, कुवैत, बहरीन द्वीप समूह, कतार, सऊदी अरब आदि को निर्यात किया गया था ।

भारत-नेपाल व्यापार और पारगमन संधि

*51. **श्री बनमाली पटनायक :**
श्री भान सिंह भोंरा :
श्री पी० वेंकटासुब्बया :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल ने पाँच वर्ष की अवधि के लिए एक नई व्यापार और पारगमन संधि पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) क्या यह संधि दोनों देशों के लिए संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—988/71.]**

पश्चिमी बंगाल में बिजली संकट

*52. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल, विशेषकर कलकत्ता औद्योगिक क्षेत्र, गम्भीर बिजली संकट से प्रभावित है जैसाकि कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम द्वारा बार-बार बिजली का लोड कम करने से स्पष्ट है और जिसके कारण जनता को काफी असुविधा हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो बिजली के इस संकट का स्वरूप और कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा यदि कोई उपाय किए गए हैं, तो वे क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—989/71.]**

Strike by Railway Employees of Barauni-Garhara Area

*53. SHRI RAMAVTAR SHASTRI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the employees of the Eastern and North Eastern Railways working at Garhara and Barauni had observed 33 days' strike in March-April last in support of their demand for grant of Project Allowance;

(b) if so, whether the said employees called off their strike keeping in view the grave situation created by the Bangla Desh problem and on the assurance given by the Labour Ministert hat no legal action would be taken against them;

(c) if so, whether inspite of the said assurance given by the Labour Minister, 56 employees have been suspended, break in service has been ordered in respect of about 5,000 workers and about 300 workers are being prosecuted in the courts; and

(d) if so, the remedial steps proposed to be taken by Government in this regards ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI HANUMANTHAIYA) : (a) Yes, Sir.

(b) The Labour Minister made an appeal drawing the attention of the striking employees to the assurance given by me on 7.4.71 that "the Ministry of Railways has never subjected and will not subject the striking staff to any victimisation, and that the normal course of law will follow in cases of railway employees who may have been apprehended for breach of law, intimidation and violence".

The striking employees resumed duty thereafter.

(c) Besides natural consequences of break in service of 4210 employees, 64 employees were placed under suspension, following their arrest under different sections of Indian Penal Code and/or under Essential Services Maintenance Act, 1968. Prosecution cases are pending against them.

(d) The departmental rules or the law, as the case may be, will operate by way of remedies.

दक्षिण रेलवे में नई रेलवे लाइनों के लिये तमिलनाडु सरकार से प्राप्त प्रस्ताव

*54. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम्** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना की अवधि के दौरान दक्षिण रेलवे में नई रेलवे लाइनें बिछाने के संबंध में तमिलनाडु सरकार से प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—990/71.]**

(ख) चौथी योजना में नयी लाइनें/आमान परिवर्तनों से संबंधित प्रस्ताव अभी तैयार नहीं किये गये हैं और इस स्थिति में यह बताना संभव नहीं है कि अन्ततः कौन सी नयी लाइनों/परिवर्तन कार्यों को चौथी योजना में हाथ में लिया जायेगा।

Loss to Railways due to sabotage activities of Pakistani Agents

*55. SHRI G. P. YADAV :
SHRI SHASHI BHUSHAN :
SHRI R. V. BADE :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of incidents of sabotage together with the dates and the extent of loss sustained so far by the Railways due to acts of sabotage by Pakistani infiltrators or agents since the beginning of freedom struggle in Bangla Desh; and

(b) the preventive steps taken in this connection ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA): (a) There have been 12 such incidents occurring on 2.6.71, 13.7.71, 14.8.71, 5.9.71, 15.9.71, 11.10.71, 17.10.71, 21.10.71, 21.10.71, 24 10.71, 1.11.71 and 8.11.71, causing a loss of Rs. 1,16,775/- to the Indian Railway;

(b) The steps taken are :

(i) Security patrolling by the Police/Home Guards has been implemented;

(ii) Track patrolling by Home Guards/Village Defence Party members/Special Security Body in conjunction with the Railway gangmen;

(iii) Guarding of vital Railway installations round-the-clock by the Armed Force. Guarding of important bridges by Armed Police and Home Guards;

(iv) Searchlight patrolling by 59 Mount Brigade;

(v) Suspension of night running of passenger carrying trains in vulnerable sections;

(vi) Observation posts have been set up at important Railway stations;

(vii) 3-metre area from the Railway track has been declared as protected area under the Assam Maintenance of Public Order Act 1947;

(viii) Imposition of fines on the two villages bordering East Pakastani Territory;

(ix) Arousing consciousness amongst villagers adjacent to Railway track against act of sabotage by Pak. agents;

(x) Rewarding persons responsible for timely detection of sabotage activities.

अमरीका से रुई की खरीद

*56. **श्री सेझियान** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका से रुई खरीदने के प्रबन्ध कर लिये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस पर खर्च आने वाली विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध पी० एल—480 करार के अन्तर्गत किया जायेगा; और

(ग) इस प्रकार कितनी तथा कितने मूल्य की रुई खरीदी जायेगी ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग). मुक्त विदेशी मुद्रा के बदले संयुक्त राज्य अमरीका से रुई की 27,000 गाँठ खरीदी जा चुकी हैं। पी० एल०—480 के अन्तर्गत किसी करार को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

बोंगईगाँव से गौहाटी तक बड़ी लाइन का बिछाया जाना

*57. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने बोंगईगाँव से गौहाटी तक बड़ी लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस लाइन को बिछाने के लिए और क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) (क) और (ख). न्यू बोंगईगाँव-गुवाहाटी मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तन करने के लिए सर्वेक्षण कर लिये गये हैं। रिपोर्टों की जाँच की जा रही है। एक आर्थिक अध्ययन भी किया जा रहा है। आमान-परिवर्तन संबंधी विनिश्चय अध्ययन-रिपोर्ट और सर्वेक्षण-रिपोर्टों की जाँच किये जाने और उसके लिए रकम की व्यवस्था होने पर किया जायेगा।

जूट के माल के निर्यात में वृद्धि

*58. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष भारतीय जूट के माल के निर्यात में टनों और मूल्य के रूप में, कितनी वृद्धि होने की आशा है;

(ख) पाकिस्तान के जूट उद्योग और व्यापार के अस्त-व्यस्त हो जाने से भारत को अधिकतम लाभ प्राप्त कराने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या अधिक निर्यात के कारण उद्योग को होने वाले अधिक लाभ में से जूट मिल मजदूरों और भारत में जूट की खेती करने वालों को एक हिस्सा देने की कोई योजना है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) लगभग 181,000 मे० टन जिसका मूल्य लगभग 60 करोड़ रु० होता है।

(ख) माँग में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए पटसन मिलों में अधिकतम सीमा तक उत्पादन बढ़ाया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं। चालू मौसम के लिये कच्चे पटसन के संबंध में न्यूनतम समर्थन कीमत 6·70 रु० प्रति क्विंटल तक बढ़ायी जा चुकी है।

नियंत्रित दर वाले कपड़े की प्रचलित किस्मों का उत्पादन

*59. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कपड़ा मिलें नियंत्रित दर वाले कपड़े की प्रचलित किस्मों का उत्पादन नहीं कर रही हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी मिलों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख). कुछ वस्त्र मिलों ने, मई, 1968 में घोषित योजना के अन्तर्गत नियन्त्रित कपड़े के उत्पादन के लिये अपनी बाध्यता को पूरा नहीं किया था। कथित योजना के अन्तर्गत ऐसी मिलों द्वारा 6 पैसे प्रति वर्ग मीटर मुआबजा दिया जाना अपेक्षित था।

निर्वाचन में मत-पत्रों पर निशान लगाने के लिये नये तरीके का अपनाना

*60. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्वाचनों में प्रयुक्त होने वाले मत-पत्रों पर निशान लागने के वर्तमान तरीके के स्थान पर एक नया तरीका अपनाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में मतदाता सूचियों में शुद्धि के लिए लगाये गये अध्यापकों को भुगतान

201. **श्री अम्बेश** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री दिल्ली में मतदाता सूचियों में शुद्धि के लिए लगाये गये अध्यापकों को भुगतान के बारे में 3 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न सं० 6712 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सभी अध्यापकों को जिनका कार्य संतोषजनक पाया गया था, अभी तक भुगतान नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). कुछ अध्यापकों को मानदेय का भुगतान करने के पश्चात् यह पता चला कि कार्य बहुत ही असंतोष-जनक ढंग से किया गया था और इस कारण कई क्षेत्रों में अतिरिक्त कर्मचारियों को काम पर लगाकर निर्वाचक नामावलियों का विशेष पुनरीक्षण कराना पड़ा, जिसके लिए सरकार को खर्च करना पड़ा जो बचाया जा सकता था। इसलिए मामले की और जाँच करने तक बाकी अध्यापकों को मानदेय का भुगतान रोक दिया गया। इस मामले के सभी पहलुओं पर, जिनमें प्रश्न के भाग (क) में निर्दिष्ट बात भी सम्मिलित है, अब निर्वाचन आयोग के परामर्श से विचार किया जा रहा है और इस संबंध में शीघ्र ही अन्तिम निर्णय कर लेने की संभावना है।

सरकारी क्षेत्रों में चाय कम्पनी की स्थापना

202. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय से संबंधित संसदीय सलाहकार समिति की एक उप-समिति ने सरकारी क्षेत्र में एक चाय कम्पनी की स्थापना की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित चाय कम्पनी के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं और सरकार इसकी स्थापना कब तक कर सकेगी ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी, हाँ ।

(ख) प्रस्तावित सरकारी चाय निगम, भारत तथा विदेशों में चाय का पैकेटों में विपणन करेगा और उसके निम्नलिखित अन्य कार्य होंगे :

(1) काली, हरी, इन्स्टेंट, पैकेट आदि चाय के सभी स्वरूपों के व्यापार तथा विपणन में भाग लेना;

(2) निर्यात विपणन तथा घरेलू बाजार के हित में पैकेज वाली चाय अथवा सम्मिश्रण मात्रा, गुणों, मूल्यों आदि के विषय में स्वयं अथवा अन्य अभिकरणों के माध्यम से गवेषणा करना;

(3) भारत तथा विदेशों में, और यदि आवश्यक हो तो विदेशी संगठनों अथवा राष्ट्रकों के सहयोग से, चाय के सम्मिश्रण तथा पैकेजिंग करने वाले एककों की स्थापना करना;

(4) उपरोक्त में से किसी भी प्रयोजन के लिये भारत अथवा विदेशों में सरकारी अथवा गैर-सरकारी संगठनों के साथ आवश्यक करार करना; तथा

(5) जहाँ भी आवश्यक हो, चाय बागान का प्रबन्ध करना । अगले दो से तीन सप्ताह के अन्दर इस निगम को रजिस्टर कर दिया जायेगा ।

बड़वाडीह चिरमिरी रेल मार्ग पर ऊपरी-पुल

203. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पालामू जिले में बड़वाडीह से मध्य प्रदेश में चिरमिरी तक 10 वर्ष पूर्व एक रेल-मार्ग की स्वीकृति दी गई थी और इसका निर्माण हुआ था;

(ख) इस मार्ग में बहने वाली नदियों पर कोई रेल-पुल क्यों नहीं बनाया गया; और

(ग) इस मार्ग के निर्माण पर कितना धन खर्च किया गया और इस मार्ग पर रेलें कब तक चलने लगेंगी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमंतैया) : (क) और (ख). बड़वाडीह सरना-डीह रेल सम्पर्क (64 कि० मी०) जो कि बरवाडीह-चिरमिरी लाइन का पहला भाग है, का निर्माण अप्रैल, 1947 में मंजूर किया गया था। कुछ प्रगति कर लेने के पश्चात काम रोक दिया गया और रेलों के अर्थोपाय की कठिन स्थिति को देखते हुए मार्च, 1950 में परियोजना बंद कर दी गयी। उस समय तक पुल संबंधी लगभग 50 प्रतिशत कार्य, मुख्यत: चिनाई का काम, पूरा किया जा चुका था।

(ग) लगभग 1·51 करोड़ रुपये। फिलहाल, इस लाइन को पूरा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जब कभी भविष्य में इस लाइन को पूरा करने का विनिश्चय किया जायेगा तो निर्मित परिसम्पत्तियों का उस समय उपयोग करने का विचार है।

पानीपत/सोनीपत से दिल्ली तक दोहरी रेल लाइन बिछाना

204. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री 10 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7390 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपर्युक्त लाइन संबंधी यातायात सर्वेक्षण रिपोर्ट सरकार को दी जा चुकी है; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमंतैया) : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पेरनघुसी रेलवे स्टेशन (दक्षिण रेलवे) "फ्लैग स्टेशन" के रूप में दर्जा बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन

205. **श्री वयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के पेरनघुसी रेलवे स्टेशन का "फ्लैग स्टेशन" के रूप में दर्जा बढ़ाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमंतैया) : (क) जी हाँ।

(ख) इस प्रस्ताव की जाँच की जा रही है।

केरल में रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण

206. **श्री वयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया गया; और

(ख) उन पर कुल कितना धन व्यय किया गया ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमंतैया) : (क) दो; पुदूकोटै और चिखकल स्टेशनों की इमारतें ।

(ख) 84,669 रुपये (चौरासी हजार, छः सौ उनहत्तर रुपये) ।

गृह-निर्माण ऋण दिए जाने के लिए भार मुक्ति का प्रमाण-पत्र

207. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री 23 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6121 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण से खरीदे गये प्लाट पर मकान बनाने हेतु ऋण लेने के लिए सरकारी वकील से भार-मुक्ति का प्रमाण-पत्र लेने को समाप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर सरकार द्वारा इस बीच कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). जिन अट्ठाइस मंत्रालयों और विभागों से आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई है उनमें से केवल वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) तथा निर्माण और आवास मंत्रालय ने सूचित किया है कि उनको ऐसे अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें यह कहा गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण से सरकारी कर्मचारियों द्वारा खरीदे गए प्लाटों पर मकान बनाने के लिए ऋण प्राप्त करने के वास्ते सरकारी प्लीडर से भार-मुक्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया समाप्त कर दी जाए । आम राय भार-मुक्ति प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करने के विरुद्ध नहीं प्रतीत होती । तथापि मामला अब भी विचाराधीन है ।

गृह-निर्माण ऋण दिये जाने के लिये भार-मुक्ति का प्रमाण-पत्र

208. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री 28 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6121 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् उपायुक्त, दिल्ली के कार्यालय द्वारा जारी किये जाने वाला भार-मुक्ति का प्रमाण-पत्र सरकारी वकील द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र से भिन्न है;

(ख) क्या उपायुक्त के कार्यालय द्वारा जारी किये जाने वाले भार-मुक्ति के प्रमाण-पत्र को विधि मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण से बने बनाये मकान की खरीद के लिये सरकार से ऋण लेने हेतु सरकारी कर्मचारी को सरकारी वकील से भार-मुक्ति का प्रमाण-पत्र नहीं देना

पड़ता और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये भार-मुक्ति प्रमाण-पत्र को स्वीकार कर लिया जाता है; और

(घ) यदि हाँ, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण से खरीदे गये प्लाट पर मकान बनाने हेतु ऋण के मामले में उपायुक्त, दिल्ली तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों को स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सम्यक् अनुक्रम में सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) ऐसा करना संभव नहीं है क्योंकि ऐसी कोई वर्गीकृत जानकारी विधि मंत्रालय में नहीं रखी जाती है ।

(ग) जी, हाँ ।

(घ) निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय के का० ज्ञा० सं० 10/16/59 एच० III, तारीख 1-1-63 के साथ पठित उन नियमों के उपनियम 9(घ) के अधीन, जो उस मंत्रालय ने मकानों के निर्माण आदि के लिये केन्द्रीय सरकार के सेवकों के लिए अग्रिम धन की मंजूरी विनियमित करने के वास्ते बनाये हैं, मंत्रालयों / विभागाध्यक्षों से अपेक्षित है कि वे संबंधित है केन्द्रीय सरकार के सेवकों से कहें कि वे भार ग्रस्त न होने का प्रमाण-पत्र सरकारी प्लीडर से प्राप्त करें या ऐसा न हो सके तो उस स्थान के राजस्व अधिकारी से प्राप्त करें जहाँ सम्पत्ति स्थित है। इसलिए भार ग्रस्त न होने के बारे में किसी अन्य प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किया जाता ।

चाय बागान का राष्ट्रीयकरण

209. **श्री हरी सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में चाय बागान के राष्ट्रीयकरण की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में कब तक निर्णय किया जायेगा ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अन्तर्राज्य जल-विवाद

210. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राज्य जल-विवादों को हल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : जहाँ तक संभव होता है

किसी भी अन्तर्राज्यीय नदी के बारे में दो या अधिक राज्य सरकारों के बीच जल-विवादों को बातचीत द्वारा हल करने के प्रयास किये जाते हैं। केन्द्र के सुयोग्य प्रभाव द्वारा सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जलविद्युत से संबंधित बहुत सी अन्तर्राज्यीय समस्याओं और विवादों को संबंधित राज्यों के बीच बातचीत द्वारा सुलझाया गया है। केन्द्रीय सरकार की सहायता से, संबंधित राज्यों के बीच कुछ अन्य समस्याओं और मतभेदों पर विचार विमर्श हो रहा है।

ऐसे विवादों के लिए जो बातचीत द्वारा नहीं सुलझाये जा सकते अंतर्राज्यीय जल-विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत न्यायाधिकरण स्थापित किये जा सकते हैं। इस अधिनियम में यह व्यवस्था है कि केन्द्रीय सरकार की दृष्टि में यदि कोई जल-विवाद बातचीत द्वारा न सुलझाया जा सकता हो, और इस संबंध में संबंधित राज्यों में से किसी से भी इस बारे में औपचारिक अनुरोध प्राप्त हो, तो किसी जल-विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए न्यायाधिकरण को सौंपा जा सकता है। इस न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष होगा और दो सदस्य होंगे जो कि उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से, जो इस प्रकार के मनोनयन के समय न्यायाधीश हों, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत किये जाएँगे।

संबंधित राज्यों के बीच बातचीत द्वारा कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा से संबंधित विवादों को न सुलझाया जा सका था। भारत सरकार ने अन्तर्राज्यीय जल-विवाद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत कृष्णा और गोदावरी जल-विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए 10 अप्रैल, 1969 को न्यायाधिकरणों को और 6 अक्तूबर, 1969 को नर्मदा जल-विवाद न्यायाधिकरण को गठित किया था। अब इन न्यायाधिकरणों की न्यायनिर्णयन की कार्यवाही प्रगति पर है।

रेल अधिकारियों द्वारा रेल सैलूनों का प्रयोग

211. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल अधिकारियों द्वारा सामान्य तथा वातानुकूलित रेल सैलूनों के प्रयोग के लिये कोई शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी परिस्थितियों में भी सैलूनों का प्रयोग करने की अनुमति है जबकि अधिकारियों को रेलगाड़ियों द्वारा जिनमें वातानुकूलित डिब्बे उपलब्ध होते हैं, यात्रा करनी होती है और पहुँचने वाले स्टेशन पर विश्राम गृह की सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो यह सुविधा देने के कारण क्या हैं जब कि प्रमुख मेल/एक्सप्रैस गाड़ियों में यात्री यातायात बहुत अधिक है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). ड्यूटी पर यात्रा के लिये सहायक और वरिष्ठ वेतनमान अधिकारी 4/6 पहिये वाले निरीक्षण यान और कनिष्ठ प्रशासी ग्रेड और ऊपर के अधिकारी बोगी निरीक्षण यान के उपयोग करने के हकदार हैं। रेल अधिकारियों द्वारा

बोगी निरीक्षण यानों का उपयोग मुख्यतः निरीक्षण, जाँच-पड़ताल आदि जैसे कार्यों के लिये सीमित है ।

(ग) और (घ). इस बात की हिदायतें पहले से मौजूद हैं कि स्टेशनों, जहाँ विश्राम घर की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो, पर बैठकों या सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए, निरीक्षण यानों का सामान्यतः उपयोग न किया जाय और इस सुविधा का केवल तभी उपयोग किया जाय जब मार्ग में रेल-पथ, स्टेशन और स्टेशनों पर अन्य उपस्करों/संस्थापनाओं का निरीक्षण करना हो । अधिकांश डाक/एक्सप्रैस गाड़ियों में निरीक्षण यानों का लगाया जाना पहले से ही निषिद्ध/प्रतिबंधित है । आम जनता के स्थान की कीमत पर अपेक्षाकृत अमहत्वपूर्ण डाक/एक्सप्रैस गाड़ियों द्वारा भी निरीक्षण यानों के संचलन की अनुमति नहीं है ।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में इंजनों का निर्माण

212. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की इंजन निर्माण क्षमता (किस्मवार) कितनी है; और

(ख) 1968–69, 1969–70 और 1970–71 में वहाँ कितने-कितने इंजनों का निर्माण हुआ ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) रेल इंजनों के निर्माण के लिये चित्तरंजन रेल-इंजन कारखाने की वर्तमान क्षमता नीचे दी गयी है :

(1)	**भाप रेल इंजन**	
	(i) वाई० जी०	19
(2)	**बिजली रेल इंजन (सभी बड़ी लाइन)**	
	(i) ए० सी०/एम० टी०	40
	(ii) डी० सी०/एफ० टी०	10
(3)	**डीजल रेल इंजन**	
	(i) बड़ी लाइन के डीजल शंटर	40
	(ii) छोटी लाइन के डीजल रेल इंजन (जैड० डी० एम०–3)	5

(ख) 1968–69, 1969–70 और 1970–71 में जितने रेल इंजनों का निर्माण हुआ उनकी संख्या नीचे दी गई है :

	1968–69	1969–70	1970–71
(1) **भाप रेल इंजन**			
(i) बड़ी लाइन के डब्ल्यू० जी०	45	32	5
(ii) बड़ी लाइन के डब्ल्यू० एल०	23	—	—
(iii) मीटर लाइन के वाई० जी०	—	13	28
(2) **बिजली रेल इंजन**			
(i) बड़ी लाइन के ए० सी०/एफ० टी०	48	31	41
(ii) बड़ी लाइन के ए० सी०/एम० टी०	—	—	6
(iii) बड़ी लाइन के डी० सी०	—	—	3
(3) **डीजल रेल इंजन**			
(i) बड़ी लाइन के डीजल शंटर	17	22	35
(ii) छोटी लाइन के डीजल रेल इंजन (जेड० डी० एम० –3)	—	—	5

हावड़ा और सियालदह स्टेशनों पर टिकटों के विक्रय से आय

213. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हावड़ा स्टेशन (पूर्व रेलवे) (और दक्षिण-पूर्व रेलवे) सियालदह स्टेशन पर टिकटों की दैनिक बिक्री से रुपयों में कितनी औसत आय होती है; और

(ख) 13 अक्तूबर, 1971 को हावड़ा और सियालदह स्टेशनों पर टिकटों की बिक्री से कितनी आय हुई ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) हावड़ा और सियालदह स्टेशनों पर टिकटों की दैनिक औसत बिक्री इस प्रकार है :

स्टेशनों का नाम	**टिकटों की दैनिक औसत बिक्री** रु०
हावड़ा (पूर्व रेलवे)	1,93,853
हावड़ा (दक्षिण-पूर्व रेलवे)	97,515
सियालदह	55,000

(ख) 13 अक्तूबर, 1971 को हवड़ा और सियालदह स्टेशनों पर टिकटों की बिक्री से वास्तविक आय इस प्रकार हुई :

स्टेशन का नाम	टिकटों की बिक्री से हुई वास्तविक आय
हावड़ा (पूर्व रेलवे)	16,797
हावड़ा (दक्षिण पूर्व रेलवे)	2,586
सियालदह	2,984

Import of Cars

214. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI:
SHRI S. M. BANERJEE :

Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) the total number of cars imported during the last four months;

(b) the number of cars imported in the public and private sector separately ; and

(c) the price of each of the cars imported in the public sector and the names of the Central Ministries and officers for whom these have been imported ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI L. N. MISHRA) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Decline in Indo-U. A. R. Trade

215. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether Indo-U. A. R. trade is decreasing;

(b) If so, the reasons therefor; and

(c) the action proposed to be taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI L. N. MISHRA) : (a) No, Sir. The volume of trade between India and the Arab Republic of Egypt has been consistently increasing.

(b) & (c) : Does not arise.

Expenditure on Mid-Term Elections to Lok Sabha

216. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1567 on the 8th June, 1971 and state :

(a) whether information regarding the expenditure incurred on Mid-term elections to Lok Sabha held in 1971 has since been collected; and

(b) if so, the main particulars thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY) : (a) Yes, Sir.

(b) An expenditure of Rs. 9,56,20,417·68 was incurred in connection with the Mid-term elections to the Lok Sabha held in March, 1971. This information is based on the material furnished by the State/Union Territorry Governments which, according to the existing arrangements, initially incur the expenditure on behalf of the Central Government and later recover the same from that Government.

Blowing up of Trains in Assam by Pakistan Saboteurs

217. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI :
SHRI HARI SINGH :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether in August, 1971 two trains were blown up in Assam by the Pakistani saboteurs by lying mines;

(b) the amount of loss sustained by the Indian Railways and the number of persons killed in this accident; and

(c) the measures proposed to be taken by Government to prevent the recurrence of such activities in future ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) Yes, one was a goods train and the other an ambulance road van.

(b) The Railways suffered a loss of Rs. 49,000/-. No person was killed.

(c) The measures taken are :—

1. High level meeting with State Governments in order to intensify patrolling.
2. Security patrolling by Engineering gangmen;
3. Luggage checking in passenger trains in vulnerable sections;
4. Guarding of railway installations;
5. Patrolling of track by State Police and Village Patrol Parties;
6. Guarding of important bridges by armed police and home guards;
7. Arousing consciousness amongst villagers adjacent to railway track against acts of sabotage by Pak Agents;
8. Rewarding persons responsible for timely detection of sabotage activities.
9. Searchlight patrolling at night by Army on this setion;
10. Declaring 3 metre on either side of railway track as protected areas under Assam Maintenance of Public Order Act, 1947; and
11. Imposition of punitive fines on two villages nearby the railway track bordering Pakastani territory.

Increase in Working Expenses of Railways

218. SHRI JAGANNATH RAO JOSHI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to State :

(a) whether there has been a persistent increase in the working expenses of the Railways recently; and

(b) if so, the action which Government propose to take to economise these expenses ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) Yes.

(b) A statement is attached.

Statement

The increase in 'Working Expenses' has been mainly under 'Staff', 'Repairs & Maintenance' and 'Fuel'. With improving scales of pay and allowances, the wage bill has been going up. For example, as a result of grant of Interim Relief to Raiway staff, a monthly burden of about Rs. 3 crores has been added to the 'Working Expenses'. Besides, there have been increases in the rates of 'Travelling and Running Allowances' to staff accounting for a monthly increase of about a crore of rupees. Similarly, market price of stores has been going up. Nearly half a crore of rupees more are being spent monthly on account of increase in the 'Prices of Stores' used on repairs and maintenance of railway assets etc. Further, because of widespread floods and cyclones this year, the expenditure on special repairs on account thereof has also been substantial, the exact quantum of which is being assessed. The increase in expenditure on fuel has been due to increase in load of freight traffic and some increase in the originating tonnage.

2. Several measures initiated for achieving economy in 'Working Expenses' have been enforced. Some of the broad measures are briefly enumerated below :

Staff Matters :

(1) Work study methods and operational research to improve efficiency.

(2) Ban on filling up of posts for administrative offices with relaxation only in special cases.

(3) Restrictions on recruitment to vacant posts.

(4) Incentive bonus for Production Units and workshops which has increased productivity and yielded good results.

(5) Withdrawal of powers of General Managers for creation of gazetted posts.

Fuel Economy :

(1) It is a continuing process — special drive to keep locomotives in optimum efficiency — fixation of Trip Rations — Withdrawal of surplus locos — Special control by supervisory officers — Awards to engine drivers; steps taken to prevent theft of coal and diesel oil.

Improved Technology & Working Methods :

(1) Diesel/Electric traction.

(2) Use of BOX wagons, and their movement in whole rakes.

(3) Long welded rails, use of heavier rail sections and concrete sleepers.

(4) Improved signalling methods which increase line capacity.

(5) Reduction in maintenance expenditrure on track by concentrating on sections identified as requiring attention.

(6) Changeover from steam/diesel to electric pumps; taking electricity in bulk and closing railway electric generating units; use of fluorescent and HPMV lamps.

Miscellaneous Items :

(1) Restrictions on tours. General curtailment of expenditure on contingencies, entertainment, purchase of new furniture, telephone bills, printing and stationery.

(2) Reclamation of components and increased utilization of scrap, use of alternative material for non-ferrous components/fittings.

यू० के० द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाया गया नया शुल्क

219. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :
श्री मुख्तितार सिंह मलिक :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटिड किंगडम को निर्यात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर यूनाइटिड किंगडम सरकार ने हाल में नया शुल्क लगा दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इससे भारत के व्यापार पर किस हद तक प्रभाव पड़ा है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) ब्रिटेन द्वारा भारतीय माल पर अभी हाल में लगाये गये किसी शुल्क के विषय में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। हाँ, ब्रिटेन ने हमारे सूती वस्त्रों पर 1 जनवरी, 1972 से एक नया प्रशुल्क लगाने का विनिश्चय किया है।

(ख) हमारे वस्त्रों पर ब्रिटेन में लगाये जाने वाले प्रस्तावित सीमा-शुल्क का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका ठीक-ठीक अनुमान प्रशुल्क लागू हो जाने के बाद ही लगाया जा सकता है।

(ग) भारत सरकार महसूस करती है कि हमारे सूती वस्त्रों के विषय में ब्रिटेन द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही सर्वथा अनौचित्यपूर्ण है।

मताधिकार की आयु को कम करना

220. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :
श्री आर० वी० वड़े :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मताधिकार की आयु कम करने के संबंध में बहुत से स्थानों से कई संकल्प मिले हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हाँ; इस बारे में कुछ अध्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

(ख) मामले की जाँच की जा रही है ।

दीर्घावधि सप्लाई कार्यक्रम के बारे में दक्षिण कोरिया के साथ बातचीत

221. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री हरि किशोर सिंह :

क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण कोरिया सरकार के साथ दीर्घावधि सप्लाई कार्यक्रम के बारे में हाल में बातचीत की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में हुई बातचीत का स्वरूप क्या है; और

(ग) उससे क्या निष्कर्ष निकले ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Increase in Incidence of Wagon Breaking

222. DR. SANKATA PRASAD :
SHRI HARI KISHORE SINGH :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the incidents of wagon-breaking have been increasing in the Railways;

(b) the number of such incidents occurred during 1969-70 and 1970-71 on Eastern and North-East Frontier Railways;

(c) the number of persons apprehended each year in connection with these incidents and the number of Railway employees among them;

(d) whether Government propose to enforce new rules in this regard; and

(e) if so, the particulars thereof ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) Yes, to some extent.

(b) The number of incidents occurred during 1969-70 and 1970-71 on Eastern and North-East Frontier Railways are as under :

Railway	*1969-70*	*1970-71*
Eastern	449	691
North-East Frontier	315	409

(c) The number of persons apprehended are as follows :

Railway	*1969-70*	*1970-71*
Eastern—Total No.	180	242
Railway employees among them	10	5
North-East Frontier—Total No.	303	414
Railway employees among them	98	87

(d) No.

(e) Does not arise.

उत्तरी बंगाल में तापीय बिजलीघर लगाना

223. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी बंगाल के लिए प्रस्तावित तापीय बिजलीघर अब वहाँ नहीं लगाया जाएगा; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ करील): (क) और (ख). उन मामलों को छोड़कर जहाँ मामला एक से अधिक राज्यों से संबंधित हो और जहाँ क्षेत्रीय ग्रिड की आवश्यकताओं को पूरा करना हो, विद्युत केन्द्री का आयोजन तथा निर्माण आमतौर पर संबंधित

राज्यों की जिम्मेदारी होती है। ऐसे कुछ असाधारण मामलों में भारत सरकार को विद्युत केन्द्रों को केन्द्रीय सैक्टर में स्थापित करने पर विचार करना पड़ता है।

उत्तर बंगाल और उत्तर बिहार में इस प्रकार की स्थिति के लिए उत्तर बंगाल में चार वैकल्पिक स्थल विचाराधीन हैं तथा राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि इस विषय में आवश्यक निर्णय लेने के लिए आगे अन्वेषण किए जाएँ।

मार्टिन रेलवे के भूतपूर्व कर्मचारियों का भारतीय रेलों में खपाया जाना

224. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी :**
श्री मुल्कराज सैनी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज सहायता देकर मार्टिन बर्न लाइट रेलवे की (जो कि हाल में बंद हो गई थी) पुनः चालू करने का है;

(ख) यदि लाइट रेलवे को पुनः चालू नहीं किया जाता तो क्या मार्टिन बर्न लाइट रेलवे के कर्मचारियों को भारतीय रेलों में खपाया जायेगा; और

(ग) उन कर्मचारियों को काम देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमंतैया) : (क) इस समय कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) भूतपूर्व शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे के कर्मचारियों का चयन कर लिया गया है और उनमें से बड़ी संख्या को नियुक्ति प्रस्ताव भेज दिये गये हैं। भूतपूर्व हावड़ा-आमता और हावड़ा-शियाखला लाइट रेलों के कर्मचारियों का चयन हो रहा है और जो कर्मचारी ठीक पाये जायेंगे उन्हें नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जायेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा तथा वाणिज्य क्षेत्रों में नई घटनाओं के परिणामस्वरूप भारत के निर्यात व्यापार को कठिनाईयाँ

225. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा तथा वाणिज्य क्षेत्रों में नई घटनाओं के परिणामस्वरूप भारत के निर्यात व्यापार के सामने नई कठिनाइयां उपस्थित हो गई हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हाँ।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

हाल ही के मुद्रा संकट पर भारत सरकार ने यह स्टैण्ड लिया है कि वह विकसित राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई विभिन्न नीतियों के पारस्परिक प्रभाव के फलस्वरूप है। फिर भी इस संकट के धक्के को विकासशील देशों द्वारा वहन करना पड़ेगा भले ही इस संकट को पैदा करने में इन देशों का किसी भी प्रकार का योगदान नहीं है।

2. अमरीकी डालर को स्वर्ण से पृथक कर दिये जाने से और स्टर्लिंग को उर्धमुखी फ्लोट कर देने के ब्रिटिश सरकार के परिणामी विनिश्चय से हमारी अपनी नीति में भी परिवर्तन करना आवश्यक प्रतीत हुआ। भारत सरकार ने स्वर्ण तथा अमरीकी डालर के मुकाबले रुपये की वर्तमान आई० एम० एफ० पैरिटी बनाये रखने का विनिश्चय किया है। चूँकि स्टर्लिंग की दरों में सीमा रहित उर्धमुखी उतार-चढ़ाव आ सकता है अतः इसका यह अभिप्राय होगा कि स्टर्लिंग की बिक्री तथा खरीद की दरों में प्रतिदिन परिवर्तन हो सकता है। भारत के व्यापार के मुख्य साझियों ने, जिनमें पश्चिम जर्मनी तथा जापान भी शामिल है, भी अमरीकी डालर के मुकाबले उनकी मुद्राओं को फ्लोट कर देने का विनिश्चय किया है। इस प्रकार विनिमय की दरों में अनिश्चितता का तत्व आ गया है। हमारे निर्यातकों को इन अनिश्चितताओं से छुटकारा दिलाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने, अस्थायी आस्थगन के पश्चात्, 5·5556 पौंड प्रति 100 रुपये पर 28-8-1971 से 6 महीने तक की डिलीवरी के लिए स्टर्लिंग की वायदा खरीदारी शुरू करने का विनिश्चय किया है।

3. संयुक्त राज्य अमरीका ने उसके भुगतान संतुलन की समस्या हल करने के लिए ऐसे सभी आयातों पर 10% अधिभार लगा दिया है जिन पर शुल्क लगता है और जिनका अमरीका में आयात परिमाण संबंधी नियंत्रणों के अधीन नहीं है। इस अधिभार से भारत के प्रमुख गैर परम्परागत निर्यातों को क्षति पहुँचेगी और इस तथ्य की ओर अमरीकी सरकार का ध्यान दिलाया गया है। यह भी खतरा है कि वर्तमान संकट विकसित देशों में संरक्षणवाद को और भी सघन बना देगा। भारत सरकार उपरोक्त तर्कों के आधार पर "77 के समूह" और एशियाई मंत्री परिषद् जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस प्रकार के रुख के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय मत तैयार करने के प्रयत्न कर रहा है।

भारत और रूस के बीच माल डिब्बों संबंधी सौदा

226. **श्री पी० गंगादेव** :
श्री बी० के० दासचौधरी :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल डिब्बों संबंधी सौदे के बारे में भारत-रूस बातचीत जिसमें मूल्यों के प्रश्न पर गतिरोध उत्पन्न हो गया था; के पुनः शीघ्र शुरू होने की संभावना है;

(ख) क्या प्रधानमंत्री ने उस देश की अपनी यात्रा के दौरान इस मामले को उनके साथ उठाया था; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग). सितम्बर, 1971 में प्रधान मंत्री की सोवियत संघ की यात्रा के दौरान भारत से सोवियत संघ को रेल माल डिब्बों के निर्यात का प्रश्न भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ गये अधिकारियों द्वारा उठाया गया था । तथापि, इस पर हुई बातचीत अधूरी ही रही । उचित अवसर पर, जो सोवियत संघ की ओर से उत्तर मिलने पर निर्भर है, बातचीत पुनः आरम्भ होगी ।

बैंकाक में "ग्रुप आफ 77" के एशियाई सदस्यों की बैठक

227. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने 5 अक्तूबर, 1971 को बैंकाक में विकासशील देशों के "ग्रुप आफ 77" के एशियाई देशों की बैठक में भाग लिया था;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त बैठक में किन विषयों पर चर्चा हुई थी; और

(ग) दूसरी विकास दशाब्दी (एम० डी० डी०) की भावना के विरुद्ध जाने वाली बातों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी, हाँ ।

(ख) मंत्रियों ने विश्व की वर्तमान आर्थिक स्थिति के सन्दर्भ में विकासशील देशों की स्थिति की समीक्षा की और विश्व व्यापार तथा अर्थ-व्यवस्था, जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा संकट भी शामिल है, से संबंधित समस्याओं पर विचार-विमर्श किया । अंकटाड के कार्यक्षेत्र के भीतर कई विशिष्ट क्षेत्रों के विषय में एशियाई देशों का सामान्य दृष्टिकोण तैयार करने के लिये मंत्रियों ने एक संभावी कार्यवाही के कार्यक्रम पर भी विचार किया ।

(ग) सभा ने द्वितीय विकास दशाब्दि योजना की भावना का पूरा समर्थन किया ।

गंगा बेसिन बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना

228. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री पी० एम० मेहता :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बाढ़ की विभीषिका को कम करने की परियोजनाओं को समेकित और लागू करने के लिए गंगा बेसिन बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करने का है; और

(ख) उक्त बोर्ड की स्थापना कब की जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेंजनाथ कुरील) : (क) और (ख). मामले की जाँच हो रही है ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण

229. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में देश भर में कुल कितने गाँवों में बिजली पहुँचाई गई;

(ख) क्या अन्य राज्यों के मुकाबले में बिहार राज्य इस संबंध में काफी पीछे नहीं है; **और**

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत उप मंत्री (श्री बेंजनाथ कुरील) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना निम्नलिखित विवरण में दी गई है ।

	तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से अगस्त, 1971 के अन्त तक विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	अगस्त, 1971 तक विद्युतीकृत ग्रामों की कुल संख्या	विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत
	1	2	3	4
अखिल भारत	20,503	36,147	1,10,118	19·4
बिहार	1,439	1,498	7,848	11·6

बिहार ऐसे राज्यों में है जहाँ विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत अखिल भारतीय औसत से कम है । बिहार में ग्राम विद्युतीकरण में अपेक्षाकृत धीमी प्रगति का मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों को पारेषण और वितरण के जाल के विस्तार के लिए वित्तीय साधनों की कठिनाई है । ग्राम विद्युतीकरण निगम, जो राज्य की योजना के परिव्ययों के अलावा विद्युतीकरण स्कीमों के लिए धन देता है, बिहार जैसे उन राज्यों की, जहाँ ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी रही है, स्कीमों को मंजूरी देने में प्राथमिकता देता रहा है । अभी तक ग्राम विद्युतीकरण निगम ने बिहार की 12 स्कीमों की मंजूरी दी है, जिनमें 1,387 ग्राम के विद्युतीकरण और 19,542 पम्प सेटों को ऊर्जित करने के लिए 642·30 लाख रुपये का कुल परिव्यय परिकल्पित है । तीसरी योजना में 2·27 लाख रुपये के प्रावधान की तुलना में बिहार राज्य की चौथी योजना में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए 36 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।

संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा इजिप्शियन काटन के लिये लिया गया अधिक मूल्य

230. **श्री पी० के० देव** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 अगस्त, 1971 के इकॉनामिक टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि संयुक्त अरब गणराज्य इजिप्शियन काटन का भारत से अधिक मूल्य ले रहा था;

(ख) क्या सरकार ने इजिप्शियन काटन के मूल्यों की तुलना विभिन्न अन्य देशों से आने वाली रुई के मूल्यों से की है; और

(ग) यदि हाँ, तो मूल्यों में कितना अन्तर है और क्या सरकार का विचार इजिप्शियन काटन के मूल्यों को कम करके अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के समान लाने के लिये संयुक्त अरब गणराज्य के प्राधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करने का है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हाँ, किन्तु यह समाचार ठीक नहीं है। संयुक्त अरब गणराज्य में रुई की बिक्री इजिप्शियन काटन जनरल आर्गेनाइजेशन के माध्यम से ही की जाती है, जो कि एक सरकारी संगठन है। इजिप्शियन काटन जनरल आर्गेनाइजेशन द्वारा विभिन्न किस्मों की समय समय पर घोषित की गई कीमतों के आधार पर भारत सहित सभी देशों को बिक्री की जाती है।

(ख) विभिन्न देशों से आने वाली रुई की क्वालिटी में अन्तर होने के कारण कीमतों की तुलना करना व्यवहार्य नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में खुरदा से पुरी तक दोहरी रेलवे लाइन

231. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में खुरदा से पुरी तक दोहरी लाइन बनाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खड़गपुर-एडरा रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

232. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग ने खड़गपुर से एडरा तक रेलवे लाइन के विद्युतीकरण की कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर कब कार्य प्रारम्भ होगा और कब तक वह समाप्त हो जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मिदनापुर कस्बे में घटल सब-डिवीजन के लिये रेल सम्पर्क

233. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिदनापुर के घटल सब-डिवीजनल कस्बे को रेल से जोड़ा जाने वाला है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

स्वीडन के वाणिज्यिक एजेंटों द्वारा भारत से आयात बंद करने की धमकी

234. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीडन के वाणिज्यिक एजेटों ने भारत से आयात बन्द कर देने की धमकी दी है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). हाल में स्वीडन के कुछ आयातकों ने, इंजीनियरी मदों, हस्तशिल्प वस्तुओं, मूल रसायनों, सूती वस्त्रों तथा रेशमी बड़े रूमालों के कुछ भारतीय निर्यातकों के विरुद्ध स्टाकहाम में हमारे मिशन की शिकायतें की थीं । शिकायतें मुख्यत: निर्यात हुए माल का नमूनों के अनुरूप न होने, पूर्त्तियों में विलम्ब, मूल उद्गम के प्रमाणपत्र भेजने की औपचारिकता के पूरा न करने तथा अभिकरण कमीशन के तय करने में विलम्ब से संबंधित थीं । सरकार शिकायतों के संबंध में पूछताछ कर रही है ताकि विवादों की मैत्रीपूर्ण रूप से तय किया जा सके ।

केरल राज्य से रबड़ के संचित स्टाक का उठाया जाना

235. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री से अनुरोध किया था कि उस राज्य से रबड़ के संचित स्टाक को उठाए जाने का प्रबन्ध किया जाए और रबड़ का आरक्षित भंडार बनाया जाए; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी, हाँ ।

(ख) यह विषय अभी विचाराधीन है । फिर भी, केरल सरकार को, राज्य व्यापार निगम की खरीदारियों के अतिरिक्त, छोटे उपजकर्त्ताओं से रबड़ खरीदने के लिये 2·50 करोड़ रु० का ऋण देने का विनिश्चिय किया गया है । 50 लाख रु० की पहली किश्त के लिये पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है ।

उत्तर प्रदेश में टनकपुर से बागेश्वर तक रेलवे लाइन

236. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में टनकपुर से बागेश्वर तक की रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस लाइन की लम्बाई क्या है और उस पर कितना व्यय होगा; और

(ग) इस लाइन को बिछाने का कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमंतैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में हरिद्वार और बद्रीनाथ के बीच रेल संबंध

237. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिद्वार से बद्रीनाथ तक के तीर्थस्थान मार्ग को रेल से जोड़ने के लिये 1905 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित परिव्यय सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव को रद्द किये जाने का क्या कारण था; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त प्रस्ताव पर विचार करने का है अथवा उक्त क्षेत्र के आर्थिक विकास और धार्मिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए नये प्रस्ताव पर विचार करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमंतैया) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर 1920 में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक एक लाइन (174 कि० मी० छोटी लाइन) के लिए प्रारंभिक इंजीनियरिंग सर्वेक्षण किया गया था । 1927 में इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण फिर किये गये । चूंकि यह लाइन अलाभप्रद पायी गयी इसलिए परियोजना को त्याग दिया गया ।

(ग) जी नहीं। वित्तीय दृष्टि से इस लाइन के निर्माण का औचित्य होगा इसकी संभावना नहीं है और धन की कमी के कारण भी, इस समय इसके निर्माण के बारे में विचार नहीं किया जा सकता।

संयुक्त अरब गणराज्य के साथ व्यापार

239. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब गणराज्य के साथ हुए व्यापार समझौते का नवीकरण हो गया है और उस पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं;

(ख) समझौते की तारीख समाप्त होने के तुरन्त बाद उसे नवीकृत न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उस देश के साथ गत वित्तीय वर्ष में कितना व्यापार हुआ ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हाँ।

(ख) भारत और मिश्र के अरब गणराज्य के बीच लगभग 80 करोड़ रु० प्रति वर्ष का कुल व्यापार होने के कारण इस प्रकार के बड़े वाणिज्यिक लेन देन में कुछ कठिनाइयाँ तो उत्पन्न होती ही हैं। अतः सरकारी बातचीत द्वारा इन कठिनाइयों को हल किया जाता है। गत व्यापार योजना के समाप्त होने पर तत्काल नई व्यापार व्यवस्था करना सदा संभव नहीं है।

(ग) गत वित्तीय वर्ष 1970-71 में मिश्र के अरब गणराज्य के साथ हुए व्यापार का परिमाण 95·13 करोड़ रु० था जिनमें निर्यात 55·29 करोड़ रु० के और आयात 39·84 करोड़ रु० के थे।

पूर्वी क्षेत्र में पाकिस्तानी तोड़-फोड़ करने वालों की गतिविधियों के कारण हुए विस्फोट

240. **श्री शिवनारायण शास्त्री** :
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :
श्री रामसहाय पाण्डे :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 14 अगस्त, 1971 से अब तक असम में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर पाकिस्तानी तोड़-फोड़ करने वालों द्वारा कितने विस्फोट किये गये;

(ख) उनके कारण किस प्रकार की और कितनी क्षति हुई; और

(ग) रेलवे प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा क्या निवारक उपाय किये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) चार।

(ख) इन विस्फोटों से चल स्टाक और रेल-पथ को क्षति पहुँचती रही है और फलस्वरूप रेल कर्मचारी और यात्री भी हताहत होते रहे हैं। इनके कारण लगभग 88·161 रुपये की क्षति हुई है।

(ग) जो उपाय किये गये हैं वे इस प्रकार हैं :

1. इंजीनियरिंग गैंगमैनों द्वारा सुरक्षा गश्त लगना;
2. भेद्य खण्डों पर सवारी गाड़ियों में समान की जाँच करना;
3. रेलवे संस्थापनों पर पहरा बिठाना;
4. राज्य पुलिस और ग्राम रक्षा संगठनों द्वारा रेल-पथ पर गश्त लगाया जाना;
5. सशस्त्र पुलिस और होम गार्ड द्वारा महत्वपूर्ण पुलों पर पहरा देना;
6. पाकिस्तानी एजेन्टों द्वारा की जाने वाली तोड़-फोड़ की कार्रवाइयों के विरुद्ध रेल-पथ के निकटवर्ती क्षेत्रों के ग्रामीणों में जागृति पैदा करना; और
7. तोड़-फोड़ की गतिविधियों का समय पर पता लगाने वाले उत्तरदायी कर्मचारियों को पुरुस्कार देना।

बाँसपानी बड़जमदा से पारादीप पत्तन तक लौह-अयस्क का ले जाया जाना

241. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने यह वचन दिया है कि वह बाँसपानी बड़जमदा क्षेत्र से पारादीप पत्तन तक लौह अयस्क के निर्यात के लिये अपने अधिक व्यस्त समय में प्रतिदिन ढाई गाड़ियाँ और वर्ष में लगभग छः महीने के अपने कम व्यस्त समय में प्रतिदिन चार गाड़ियाँ तक चलायेगी;

(ख) यदि हाँ, तो चालू वर्ष की प्रति तिमाही में रेलवे का विचार बांसपानी बड़जमदा क्षेत्र से पारादीप पत्तन की ओर कुल कितना लौह अयस्क ढोने का है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रति तिमाही में कितनी कितनी मात्रा ढोई गयी; ओर

(घ) चालू वर्ष में अब तक प्रति तिमाही में कितना कितना लौह-अयस्क ढोया गया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी, नहीं। 1971-72 में बांसपानी-बड़जमदा क्षेत्र से पारादीप के लिए निर्यात अयस्क के संचलन का लक्ष्य वर्ष भर समान रूप से 1·5 लाख मीटरिक टन प्रति मास है। इससे 225 चौपहिये माल डिब्बों का दैनिक लदान होता है जो सम्पूर्ण वर्ष भर 2½ गाड़ी प्रति दिन के बराबर होता है।

(ख) रेलवे का यह कार्यक्रम है कि बांसपानी-बड़जमदा क्षेत्र से पारादीप को निर्यात के लिए चालू वर्ष की प्रत्येक तिमाही में 4·5 लाख मीटरिक टन लौह अयस्क का लदान किया जाये।

(ग) और (घ). चालू वर्ष के दौरान ढोये गये लौह-अयस्क की मात्रा तिमाही के अनुसार, पिछले तीन वर्षों की तिमाहियों की तुलना में इस प्रकार है :

(लाख मीटरिक टन में)

	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72
पहली तिमाही	3·03	2·05	3·37	2·90
दूसरी तिमाही	3·24	3·05	3·76	3·63
तीसरी तिमाही	2·69	3·37	3·99	
चौथी तिमाही	2·54	4·33	2·19	
	11·55	12·80	13·31	

ईराक में रेल लाइनें बिछाना

242. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने ईराक में "टर्न का" आधार पर 404 किलोमीटर लम्बी रेल लाइनें बिछाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या इस समझौते का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग). बगदाद से अब काबुल तक (404·4 कि० मी०) एक नयी रेलवे लाइन के लिए रेल विशेषज्ञों के भारतीय दल द्वारा व्यावहारिकता एवं लागत अध्ययन किया गया था और उसकी रिपोर्ट इराक सरकार को पेश कर दी गयी थी। परियोजना के निष्पादन में आगे भारत के भाग लेने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

विस्फोटों के कारण रेल गाड़ियों का पटरी से उतर जाना

243. **श्री बनमाली पटनायक :**
श्री हरी सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 अक्तूबर, 1971 को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के करीमगंज-धर्मनगर सैक्शन पर करीमगंज और नीलमबाजार के बीच एक विस्फोट होने के कारण एक मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतर गये थे;

(ख) क्या 18 अक्तूबर, 1971 को भी करीमगंज बदरपुर सैक्शन पर चारगोला के निकट एक मालगाड़ी के चार डिब्बे उड़ा दिये गये थे;

(ग) क्या यह पाकिस्तानी तोड़-फोड़ करने वालों का कृत्य समझा जाता है; और

(घ) क्या मामले की छान-बीन की गई है और यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम रहे ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी हां, लेकिन 17-10-71 को ।

(ग) ऐसा संदेह है कि यह तोड़-फोड़ करने वाले पाकिस्तानियों का काम है ।

(घ) इस मामले की जाँच की जा रही है । 21-10-71 की घटना के संबंध में कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी है । 17-10-71 की घटना के संबंध में पाँच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ।

कलकत्ता में भूमिगत रेलवे के बारे में महानगर परिवहन परियोजना का प्रतिवेदन

244. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :
श्री दिनेश जोरदर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड की महानगर परिवहन परियोजना के अनुसार भूमिगत रेलवे व्यवस्था के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है यदि कलकत्ता घूमना हो;

(ख) रेलवे बोर्ड ने सरकार को जो सात खंडों वाला प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उसके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब लिये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री श्री के० हनुमन्तैया : (क) भूमिगत रेलवे सबसे अधिक कारगर विकल्प है ।

(ख) यह रिपोर्ट अभी रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है ।

(ग) सरकार द्वारा परियोजना रिपोर्ट पर विचार कर लिये जाने के बाद ।

कलकत्ता रेल परियोजना के संबंध में रूसी परामर्शदात्री सेवा को समाप्त किया जाना

245. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को कलकत्ता की महानगर परिवहन परियोजना के संबंध में रूसी परामर्शदात्री सेवा को त्यागने और उसके स्थान पर जापानी विशेषज्ञों को बुलाने के प्रयत्न संबंधी उच्चस्तरीय खबरों के बारे में जाँच प्रारम्भ की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रद्दी रेलों की नीलामी में अनियमितताएँ

246. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रद्दी रेलों की जो नीलामी की गई थी क्या उसमें भारी अनियमितताएं पाई गई हैं जिनमें 25 करोड़ रुपये की राशि अन्तर्ग्रस्त है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अनियमितताओं के लिए कौन-कौन से व्यक्ति उत्तरदायी हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन के लिये वित्तीय सहायता

247. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन की प्रकीर्ण निधियों में से वित्तीय सहायता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन को कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हाँ, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग). अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन को प्रकीर्ण कोष से वित्तीय सहायता के लिए भारत ने निम्नलिखित चार योजनाएँ भेजी हैं :

(1) काफी उगाने वाले छोटे किसानों के कृषि संबंधी विकास संबंधी परियोजना ।

(2) भारत में काफी की झाड़ियों की गणना संबंधी परियोजना ।

(3) निर्यात करने वाले केन्द्रों पर नमी रोधक भांडागारों के निर्माण संबंधी परियोजना ।

(4) गवेषणात्मक प्रयोग तथा प्रशिक्षण संबंधी परियोजना ।

इन योजनाओं के लिए प्रकीर्ण कोष से माँगी गई वित्तीय सहायता की राशि इस कोष में भारत द्वारा दिये जाने वाले अंशदान की राशि के लगभग है जो 1972-73 के अन्त तक लगभग 65,00,000 रु० होती है—52,00,000 रु० भारतीय रुपये में और 13,00,000 रु० विदेशी मुद्रा में। परियोजनाओं की तकनीकी सम्भाव्यताओं पर रिपोर्ट देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन द्वारा नियुक्त तकनीकी मिशन सितम्बर, 1971 में भारत आया और ऊपर (1) से (3) मदों पर निर्दिष्ट परियोजनाओं का प्रारम्भिक मूल्यांकन किया और काफी उगाने वाले छोटे किसानों के लिए कृषि संबंधी विकास, काफी झाड़ियों की गणना, और निर्यात करने वाले केन्द्रों पर नमी-रोधक भांडागारों के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं के आर्थिक, वित्तीय तथा तकनीकी पहलुओं पर तथा विशेषत: काफी क्षेत्र और सामान्यत: कृषि क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए उनकी सुसंगति के विषय में संतोष प्रकट किया। गवेषणा, प्रयोग तथा प्रशिक्षण संबंधी परियोजना का मूल्यांकन अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन द्वारा अभी नहीं किया गया है।

Development of Patna City Station (Eastern Railway)

248. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government have chalked out any scheme for the development of Patna City Station on the Eastern Railway; and

(b) if so, the outlines of the scheme ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) No.

(b) Does not arise.

Demonstration by All India Station Masters' Association

249. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether on the 23rd August last, on the call of All India Station Masters' Association, demonstrations were organised by the Station Masters at all the Divisional Offices in the country;

(b) whether the demonstrators submitted memoranda to Divisional Superintendents;

(c) if so, the main points of the memoranda; and

(d) the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) The All India Station Masters' Association, by a resolution passed on 1-8-71, decided to stage demonstrations before the offices of the Divisional Superintendents of the Railways on 23-8-1971. Such demonstrations were held in front of some divisional offices on 23-8-71.

(b) Yes, in some cases.

(c) and (d). A statement giving the information is attached. [*Placed in Library. See* No. LT 981/71.]

Board of Arbitration to Consider the Grant of Project Allowance

250. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the Railway Administration had constituted an Arbitration Board to consider the advisability of granting Project Allowance to the Railway employees. If so, the terms of reference of the Board;

(b) whether the said Board has forwarded its report to Government; and

(c) if so, the salient features of the recommendations made therein and the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) to (c). Under the Scheme of Joint Consultative Machinery the dispute between the Organised Labour and the Ministry of Railways in regard to the payment of project allowance to Railway employees working in Koraput and Bastar Districts in Dandakarayna Project Area as well as in Farakka Barrage Project Area was referred to the Board of Arbitration. The Award was announced on 15-6-1971 and was accepted by the Government.

The Board of Arbitration have held that Project Allowance can only be granted to staff in other departments in terms of Ministry of Finance O. M. No. F. 7 (4)-EII (B) /60 dated 23-3-1960 as amended from time to time which *inter-alia* stipulates that this allowance is admissible only to the actual number of employees working in the Project area for the work of the Project and is mainly intended to compensate the staff for lack of amentities; such as housing, schools, markets, dispensaries etc.

So far as Farakka Barrage Project is concerned, sanction to the payment of Project Allowance already issued on 17-3-1971 was modified on 6th August, 1971 in accordance with the award and the payment for this allowance was given effect to from 1-4-1969.

The question of implementation of the award in the case of staff in Dandakaryana Project Area is under examination.

Grant of Project Allowance to Employees of Barauni Garhara Area

251. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether in the light of the recommendations of the Arbitration Board, Government propose to grant project allowance to the Railway employees working at Barauni, Garhara, Begusarai, Mokameh, Hathidah and Mokameh Ghat on the Eastern and North Eastern Railways: and

(b) if so, since when and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) and (b). The question of the grant of Project Allowance to the Railway staff working in Barauni Project area by the application of the basis provided by the Award of the Board of Arbitration is under examination.

अक्तूबर, 1971 की रेलवे समय-सारणी जारी करने में विलम्ब

252. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम :**
श्री रेणुपद दास :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सामान्य की भाँति 1 अक्तूबर, 1971 से रेलवे समय-सारणी का प्रकाशन न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : बाढ़ के कारण देश के पूर्वी भाग में गाड़ियों की अनिश्चित संचलन स्थिति और नवम्बर, 1971 से फरक्का बाँध के खुलने के परिणामस्वरूप रेल सेवाओं के स्वरूप में शीघ्र ही संभावित परिवर्तन को ध्यान में रखकर यह विनिश्चय किया गया कि शरदकालीन समय-सारणी का जारी करना एक महीने के लिए स्थगित कर दिया जाये। तदनुसार समय-सारणी जो सामान्यत: 1-10-71 को जारी होनी थी, वह 1-11-71 से लागू की गयी।

Termination of Indo-U. K. Trade Agreement of 1939

253. SHRI G. P. YADAV :
SARI R. V. BADE :

Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether the Indo-U. K. Trade Agreement of 1939 is going to be terminated from January next; and

(b) if so, its likely repercussions and the steps proposed to be taken in this regard ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI L. N. MISHRA) : (a) On 30th June 1971, Government of India received from the British Government a six months' notice o termination of the Indo-U. K. Trade Agreement of 1939.

(b) It appears that except in the case of cotton textiles, tariff preferences in the U. K. market for all our products may be continued even after the termination of the Indo-U. K. Trade Agreement, till they are phased out following U. K.'s accession to the European Economic Community. Various steps are being taken by us to overcome the new obstacle to trade in cotton textiles and to maintain and further improve its exports. In the context of U. K.'s accession to the Community also we are making efforts to safeguard our export interests in the British market in other items.

Wagons to carry Fodder in North Bihar

254. SHRI G. P. YADAV :
SHRI SHANKAR DAYAL :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether sufficient number of wagons were not made available for the supply of fodder in North Bihar;

(b) if so, the number of wagons demanded by the Government of Bihar and the actual number allotted; and

(c) the reasons for this cut and action being taken for the supply of fodder on meter gauge line ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) to (c). During the period August to October 1971, 4,392 broad gauge and 977 metre gauge wagons were loaded with fodder as against the demand of 6,454 broad gauge and 1,484 metre gauge wagons. On account of simultaneous pressing demands for movement of foodgrains, seeds for flood affected aeas and other essential commodities to Bihar, North Bengal and Assam areas and severe breaches on the metre gauge from 6-8-71 to 21-9-71 on account of which movement was severely crippled, fodder indents could not be met in full.

भारत द्वारा एमस्ट्रेडम (डेनमार्क) में हुई अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की बैठक में भाग लिया जाना

255. **श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने भी एमस्ट्रेडम (डेनमार्क) में हुई अन्तराष्ट्रीय विशेषज्ञों की बैठक में भाग लिया था;

(ख) यदि हाँ, तो वहाँ पर किन विषयों पर चर्चा हुई थी; और

(ग) क्या उन्होंने संयुक्त राष्ट्र जल-संसाधन विशेषज्ञों के छह-दिवसीय सम्मेलन में 30 अगस्त, 1971 को भाग लिया था ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री श्री बैजनाथ कुरील (क) से (ग). संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1971. में जल संसाधन विकास नीतियों के विशेषज्ञों के एक दल की स्थापना इस उद्देश्य से की थी कि उच्चतम सरकारी स्तर के विशेषज्ञ नीति-निर्माताओं और अकादमिक एवं व्यावसायिक जगत के सुविख्यात प्रतिनिधियों का एक अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तरशिक्षणात्मक मंच तैयार किया जा सके। ये लोग आपस में विचार-विमर्श करें और जल संभरण की नई और अत्यंत महत्वपूर्ण समस्याओं पर एक रिपोर्ट यथासमय तैयार करें। ऐसा करते समय, विकासशील देशों में परिस्थितियों एवं समस्याओं के विशेष संदर्भ में विभिन्न देशों में विभिन्न जल-वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशाओं का ध्यान रखा जाए। साथ ही वे उन प्रश्नों का भी हल खोजें जो जल-प्रबंध संबंधी समस्याओं पर नई प्रौद्योगिकीय तकनीकों को लागू करने से पैदा होते हैं। इस दल की पहली बैठक 8 जून से 13 जून, 1970 तक ब्युनोस आइरेस (अर्जेन्टाइना) में हुई थी और दूसरी बैठक 30 अगस्त से 4 सितम्बर, 1971 तक डेल्फ (नेदरलैंड्स) में हुई थी। दोनों दैठकों में केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री गये थे।

बहराइच जिले को कोयला सप्लाई करने के लिये वैगन की कमी

256. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कई महीनों के दौरान बहराइच जिले में कोयले की कम सप्लाई का कारण कृत्रिम रूप से उत्पन्न की गई डिब्बों की कमी है;

(ख) क्या रेल विभाग के कर्मचारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोयला ले जाने के लिये रेल डिब्बे देने के कार्य में भ्रष्टाचार में संलग्न है; और

(ग) कोयले के परिवहन में आने वाली इन बाधाओं को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) रेलें, ईंट पकाने के प्रयोजन के लिए साफ्ट कोक और स्लेक कोयले के परिवहन के लिए माल डिब्बों का आवंटन, राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित करने के आधार पर और उनके द्वारा सूचित प्राथमिकता के अनुसार करती हैं।

(ख) चालू वर्ष में साफ्ट कोक और स्लेक कोयले के लिए, उत्तर प्रदेश में जितने माल डिब्बों का आवंटन किया गया उनके आँकड़े नीचे दिये गये हैं। रेलें, ढुलाई के आँकड़े जिलेवार अलग-अलग नहीं रखतीं।

(आँकड़े चौपहियों के हिसाब से)

महीना	साफ्ट कोक	स्लेक कोयल
अप्रैल, 71	912	3467
मई	724	954
जून	1009	484
जुलाई	1783	1028
अगस्त	722	3903
सितम्बर	2269	1979
अक्तूबर	2024	3688

(ख) रेल कर्मचारियों में, कदाचार के संबंध में लगाये गये अस्पष्ट आरोपों पर कार्यवाही नहीं की जा सकती। अनियमितता अथवा कदाचार के जब भी विशिष्ट मामले मिलते हैं, उनकी जाँच की जाती है और भ्रष्टाचार के लिए दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाई की जाती है।

(ग) वर्तमान गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से कोयले के लदान में वृद्धि करने के लिए रेलों ने सभी संभव अभियान चला रखे हैं।

मद्रास-विजयवाडा तथा मद्रास-जलारपेट रेल लाइनों का विद्युतीकरण

257. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास-विजयवाडा तथा मद्रास-जलारपेट रेल लाइनों के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है और यह कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) मद्रास-जलारपेट खण्ड के बिजलीकरण का अभी कोई प्रस्ताव नहीं। लेकिन मद्रास-विजयवाडा खण्ड के बिजलीकरण की मंजूरी दे दी गयी है।

(ख) मद्रास-विजयवाडा खण्ड (433 मार्ग कि० मी०) के बिजलीकरण पर 1·03 करोड़ रुपये खर्च होंगे और यह काम अगले वर्ष में शुरू होगा।

रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने का डाक के आने जाने पर प्रभाव

258. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने से डाक के आने ज़ाने पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) इस संबंध में क्या अन्तिम निर्णय लिया जाने वाला है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) तेज रफ्तार वाली डाक/एक्सप्रैस गाड़ियों से डाक के डिब्बे हटाने का प्रस्ताव छोड़ दिया गया है।

राज्य व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम में क्रय और विक्रय अधिकारियों की नियुक्ति

259. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम में क्रय और विक्रय करने हेतु नियुक्त किये गये प्रत्येक अधिकारी के क्या अनुभव हैं; और

(ख) इन निगमों में क्रय और विक्रय करने हेतु इस समय कितने अधिकारी कार्य कर रहे हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम में क्रय तथा विक्रय के लिये नियुक्त अधिकारी सामान्यतः व्यापार का अनुभव रखते हैं। निगम विशेष रूप के पाठ्यक्रमों तथा सेमिनारों के माध्यम से प्रशिक्षण देकर उनकी दक्षता को बढ़ाने के लिये भी कदम उठा रहे हैं।

(ख) दोनों निगमों के विक्रय तथा क्रय कार्य में 246 अधिकारी काम कर रहे हैं।

Memorandum by Western Railway Employees' Council about difficulties of Employees of Ratlam Division

260. DR. LAXMINARAIN PANDEY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the Western Railway Employees' Council submitted a Memorandum to the General Manager, Western Railway, Bombay in August, 1971 in connection with the difficulties of the employees of Ratlam Division (Western Railway); and

(b) if so, the action taken thereon ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) No.

(b) Does not arise.

वर्ष 1972 में राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन

261. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन राज्यों में, जिन राज्यों की विधान सभाओं की अवधि वर्ष 1972 में समाप्त होने जा रही है और जिन राज्यों में इस समय राष्ट्रपति का शासन है, फरवरी, 1972 में एक साथ निर्वाचन होंगे; और

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन राज्यों में वर्ष 1972 में ऐसे निर्वाचन होंगे ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). यदि कोई अप्रत्याशित आकस्मिकता न हो जिससे निर्वाचनों को स्थगित करना आवश्यक हो जाए तो प्रश्न में उल्लिखित राज्यों में निर्वाचन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे।

ऐसी परिस्थिति में इस बात की सम्भावना है कि पश्चिमी बंगाल राज्य के सिवाय जिन अन्य राज्यों पर राष्ट्रपति का शासन है, उनमें भी निर्वाचन उसी समय होंगे। पश्चिमी बंगाल राज्य के बारे में सरकार ने अभी कोई निश्चय नहीं किया है।

इदिक्की जल विद्युत परियोजना का पूरा किया जाना

262. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इदिक्की जल विद्युत परियोजना के जो कि निश्चित कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 1971 में पूरी की जानी थी, वर्ष 1973 के अन्त तक भी पूरी होने की सम्भावना नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना को शीघ्रतापूर्वक पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) इदिक्की जल-विद्युत

परियोजना, जिसके 1970 के उत्तरार्ध में चालू होने की सम्भावना थी, के प्रचालन में देरी हो गई है और वर्तमान संकेतों के अनुसार प्रथम उत्पादन यूनिट 1974 में चालू होगा ।

(ख) यह विलम्ब निम्नलिखित कारणों से हुआ है :

(1) शुरू-शुरू में भूमि को अर्जित करने, भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वालों को वहाँ से हटाने और विदेशों से निर्माण मशीनरी प्राप्त करने में देरी हो गई थी ।

(2) श्रम-विवाद, जिसके परिणामस्वरूप बार-बार हड़तालें हुईं और कार्य बन्द हो गया ।

(3) स्थल पर दुर्घटना हो जाने से एक ठेकेदार की मृत्यु और इसके परिणामस्वरूप वैकल्पिक प्रबंध करने में देरी ।

(4) एक ठेकेदार का काम को न कर सकना ।

(5) ठेकेदार की और मजदूर भरती करने में अनिच्छा ।

(ग) संशोधित अनुसूची के अनुसार इदिक्की के प्रथम यूनिट के प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए केरल सरकार ने निम्नलिखित पग उठाए हैं :

(1) श्रमिकों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिदिन की मजदूरी को 3·50 रुपये से बढ़ा कर 5·20 रुपये कर दिया गया ।

(2) परियोजना के आयोजन और कार्यान्वयन का पुनरावलोकन करने के लिए तथा समय-समय पर अनुभूत कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए उपचारी कार्यवाही का सुझाव देने के लिए केरल राज्य के विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बोर्ड स्थापित कर दिया गया है ।

(3) श्रम विवादों को तुरन्त निपटाने के लिए एक उद्योग संबंध समिति स्थापित की गई है ।

(4) अतिरिक्त निर्माण मशीनरी का प्रबंध किया जा रहा है ।

(5) इदिक्की परियोजना में संबंधित सभी सेवाएँ अनिवार्य सेवाएँ घोषित कर दी गई हैं । स्थिति के अनुसार हड़तालें और कार्य बन्द करना वर्जित कर दिया जाएगा ।

(6) विशेष जिलाधीश और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (कार्यकारी)-मय-परियोजना समन्वयकर्त्ता के पद का सृजन किया गया है जिसकी सहायता के लिए एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और केरल राज्य विद्युत बोर्ड का मुख्य सतर्कता अधिकारी होगा, विशेष जिलाधीश सरकार के नीति संबंधी फैसलों को कार्यान्वित करेगा और इदिक्की परियोजना पर लगे विभिन्न अभिकरणों से सम्पर्क स्थापित रखकर उनके क्रिया-कलापों में समन्वय रखेगा ।

'गोल्डन राक वैगन बिल्डिंग फैक्टरी' (दक्षिण रेलवे) के श्रमिकों को छँटनी की धमकी

263. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल वैगनों के निर्माण कार्य को बन्द करके गोल्डन राक वैगन बिल्डिंग फैक्टरी (दक्षिण रेलवे) के अनेक श्रमिकों की छँटनी अथवा जबरन छुट्टी की धमकी दी गई है ।

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) वहाँ पर वैगन निर्माण कार्य के बन्द किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) संभावित श्रमिकों को अन्यत्र नौकरी देने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) गोल्डन राक कारखाने में माल-डिब्बों के उत्पादन का काम बन्द नहीं किया गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

रबड़ उद्योग के सम्मुख संकट

264. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने रबड़ उद्योग के संकट के बारे में अधिकारियों, केरल के मंत्रियों और रबड़ बोर्ड की एक उच्च-स्तरीय बैठक आयोजित की थी; और

(ख) यदि हाँ, तो उस बैठक में क्या निर्णय लिये गये थे ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हाँ ।

(ख) केरल सरकार को छोटे उपजकर्त्ताओं से रबड़ खरीदने के लिये 2·50 करोड़ रु० का ऋण देने का विनिश्चय किया गया है । 50 लाख रु० की पहली किश्त के लिये पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है ।

तेल्लिचेरी मैसूर रेलवे लाइन का सर्वेक्षण

265. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल्लिचेरी मैसूर रेलवे के बारे में सर्वेक्षण प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया;

(ख) सर्वेक्षण प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). 1960 में । सर्वेक्षण रिपोर्टों से पता चला है कि यदि दूरी बढ़ाकर भी प्रभार लिया जाय तो भी वित्तीय दृष्टि से प्रस्तावित रेलवे लाइन का औचित्य नहीं है अतः यह परियोजना आस्थगित कर दी गयी ।

वस्तु विनिमय करार के अन्तर्गत रूसी रुई का आयात

266. **श्री पीलू मोदी :**
श्री एच० एम० पटेल :

क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 सितम्बर, 1971 के 'इकानामिक टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि बम्बई के रुई के व्यापारी यह महसूस करते हैं कि वस्तु विनिमय के आधार पर रूस से आयात की जा रही रुई न केवल अपरिपक्व और घटिया किस्म की होती है अपितु अच्छी किस्म की भारतीय रुई या पूर्वी अफ्रीका से आयातित रुई की तुलना में उसका मूल्य भी अधिक लिया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) रूसी रुई के लिए हमें कितना मूल्य देना पड़ेगा और भारतीय रुई और पूर्वी अफ्रीकी रुई के तुलनात्मक मूल्य क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी, हाँ ।

(ख) तथा (ग). 1972 से 4 वर्ष की अवधि तक के लिए भारत तथा सोवियत संघ के बीच हुए करार के अन्तर्गत भारत लगभग 20,000 मे० टन रूसी रुई प्रत्येक वर्ष प्राप्त करेगा और उससे वस्त्र तथा अन्य वस्तुएँ बना कर पुनः सोवियत संघ को सप्लाई करेगा । रुई को वस्त्र आदि में परिवर्तित करने के निमित्त भारत को उसका मूल्य प्राप्त होगा। रुई के प्रकार तथा सोवियत रूस को पुनः भेजे जाने के लिए वस्त्रों और अन्य वस्तुओं के प्रकार तथा परिवर्तन-मूल्य प्रत्येक वर्ष परस्पर रूप से निश्चित किये जायेंगे। रुई के लिए कोई मूल्य नहीं दिया जायेगा, अतः उसके कीमत स्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1972 के दौरान सप्लाई की जाने वाली रूसी रुई के नमूनों के विषय में दी गई परीक्षण-रिपोर्ट के अनुसार रुई की क्वालिटी को लम्बे रेशे तथा बढ़िया लम्बे रेशे के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और इस रुई में संतोषजनक पक्कापन, रेशे की अच्छी समरूपता तथा प्रभावशाली रूप से मजबूती पाई गई है ।

तीसरी श्रेणी के रेल डिब्बों में पंखों का कम किया जाना

267. **श्री भान सिंह भौंरा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मितव्ययता आन्दोलन के परिणामस्वरूप तीसरी श्रेणी के रेल डिब्बों में पंखों की संख्या कम कर दी गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसमें कितनी प्रतिशत कमी की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एडवर्ड काटन मिल्स, ब्यावर का पुनः खोला जाना

268. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में ब्यावर स्थित एडवर्ड काटन मिल्स को पुनः खुलवाने के लिये सत्याग्रह सहित बड़ा आन्दोलन हुआ जिसके परिणामस्वरूप गिरफ्तारियाँ आदि हुई;

(ख) क्या उपरोक्त मिल के कार्यों की जाँच करने वाली समिति के प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम कोसी नहर परियोजना को नेपाल की मंजूरी

269. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या पश्चिम कोसी नहर परियोजना की मंजूरी के बारे में नेपाल सरकार से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है अथवा यह मामला फिर से उनके साथ उठाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या पश्चिम कोसी नहर परियोजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के लिए कोई वैकल्पिक योजना प्रारम्भ की जा रही है और यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). मामला नेपाल सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर उठाया गया था और अक्तूबर, 1971 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने नेपाल सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ इस पर विचार-विमर्श भी किया था। नेपाल सरकार यथाशीघ्र और हर हालत में 22 फरवरी, 1972 से पहले नहर निर्माण के लिये भूमि उपलब्ध कराना शुरू करने के लिए सहमत हो गई है।

दुर्गापुर के निकट बाँधों के पूरा किये जाने संबंधी योजना

270. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दार** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर के निकट बाँधों को पूरा करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 14 करोड़ रुपये की लागत की योजना बनाई गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) 1970 में पश्चिम बंगाल सरकार ने निम्न दामोदर क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण और जल निस्सार में सुधार लाने के लिये एक व्यापक स्कीम तैयार की थी जिसकी अनुमानित लागत 14 करोड़ रुपये थी । इस स्कीम में दुर्गापुर की अनुप्रवाह दिशा में मुंडेश्वरी नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण सम्मिलित था । 6·8 करोड़ रुपये की लागत के परियोजना के चरण-I की विस्तृत योजना आयोग द्वारा अप्रैल, 1971 में कार्यान्वयनार्थ स्वीकार हुई थी और इसमें ये कार्य शामिल हैं : (1) आमता चैनल (निम्न दामोदर) का री-सेक्सनिंग, (2) आमता चैनल पर आउट फाल कपाट का निर्माण, और (3) जल-निकास नालियों की खुदाई । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि व्यापक योजना के शेष भागों के लिए विस्तृत स्कीमें, जिनमें दुर्गापुर की अनुप्रवाह दिशा में तटबंधों का निर्माण और रूपनारायण का तलकर्षण करके इसकी वाहक क्षमता में सुधार करना शामिल है, तैयार हो चुकी है और यह केन्द्र को जाँच के लिये शीघ्र ही भेज दी जायेगी ।

(ख) स्कीम के चरण-I में सम्मिलित कार्य 1970-71 में आरम्भ किये गये थे । व्यापक स्कीम के शेष भाग पर कार्य योजना आयोग द्वारा विस्तृत स्कीम के स्वीकृत होने के बाद आरंभ किया जायेगा ।

राज्य व्यापार निगम के कार्यों की समीक्षा

271. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार राज्य व्यापार निगम के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सहित उसके कार्यों की समीक्षा सभा पटल पर कब रखेगी; और

(ख) 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों के दौरान अधिकृत पूँजी कुल व्यापार कर लगने से पहले के लाभ और कर लगने से बाद के लाभ के तुलनात्मक आँकड़े क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) यथासंभव शीघ्र ।

(ख) अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :

(करोड़ रु० में)

	1968-69	1969-70	1970-71
प्राधिकृत पूंजी	5·0	5·0	15·0
पुरोधृत तथा अभिदायित पूंजी	2·0	5·0	7·0
कुल व्यापार			
निर्यात	48·5	55·1	70·6
आयात	114·1	150·2	141·9
घरेलू	4·6	5·4	5·4
	167·2	210·7	217·9
कर पूर्व लाभ	12·1	12·7	6·4
कर बाद लाभ	4·0	5·2	1·7

राज्य व्यापार निगम का तुलन-पत्र

272. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने वर्ष 1970-71 के अस्थायी परिणामों की घोषणा इस वर्ष के अप्रैल महीने तक कर दी थी;

(ख) उक्त उपक्रम का वर्ष 1970-71 का औपचारिक तुलना-पत्र कब प्रकाशित किया गया था; और

(ग) अस्थायी तथा वास्तविक तुलना-पत्रों के तुलनात्मक आँकड़े क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी, हाँ । 1 अप्रैल, 1971 को अंतिम लेखाओं का एलान किया गया था ।

(ख) इन लेखाओं का औपचारिक एलान 24 सितम्बर, 1971 को हुई निगम की साधारण वार्षिक सभा में किया गया था ।

(ग) अन्तिम तथा वास्तविक तुलना-पत्र में दिये गये तुलनात्मक आँकड़े निम्नलिखित हैं :

(करोड़ रु०)

निगम की बिक्री	**अनन्तिम आंकड़े**	**अन्तिम आंकड़े**
निर्यात	70·00	70·60
आयात	140·00	141·90
देश में बिक्री	5·00	5·40
	215·00	217·90
कुल लागत*	5·10	5·30
कर लगने से पूर्व लाभ	5·94	6·40

*इनमें व्यवस्थाओं तथा बट्टे खाते की राशि शामिल नहीं है ।

हल्दिया पत्तन इंजीनियरी वस्तुओं के लिए निर्बाध व्यापार क्षेत्र की स्थापना

273. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हल्दिया पत्तन क्षेत्र में हल्की इंजीनियरी की वस्तुओं तथा अन्य वस्तुओं के बंधक निर्माण (बांडेड मैन्यूफैक्चर) के लिए निर्बाध व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) क्या इस प्रस्ताव की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए किसी समिति का गठन करने का सरकार का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख). विभिन्नि पत्तनों पर, जिसमें हल्दिया भी शामिल है, निर्बाध व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के लिए सरकार को सुझाव प्राप्त हुए हैं तथापि सरकार का यह विचार है कि देश में अन्य निर्बाध व्यापार क्षेत्रों की स्थापना के सुझावों पर विचार करने से पूर्व कांडला के निर्बाध व्यापार क्षेत्र की प्रगति को कुंछ समय तक और देखना लाभप्रद हो सकता है ।

सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति

275. **श्री शशि भूषण** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है;

(ख) क्या भारत में न्यायपालिका का कोई विशेष काडर है, यदि नहीं, तो क्या ऐसा काडर बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) न्यायाधीश नियुक्त किये जाने से पूर्व इस बात का सत्यापन करने की प्रक्रिया क्या है कि उनका लगाव किस राजनीतिक दल से है; और

(घ) क्या कुछ व्यक्ति, जो न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले एकाधिकारवादी व्यापार गृहों में काम करते रहे हैं, सेवा निवृत्ति के पश्चात् उन्हीं व्यापार गृहों में पुनः नियुक्त हो गये हैं ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नियुक्ति का ढंग संविधान के क्रमश: अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 में अधि-कथित है । सांविधानिक उपबंधों के अनुसार एक प्रक्रिया विहित की गई है जिसके अधीन मुख्य न्यायाधिपति के सिवाय उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा किए जाते हैं । उच्च न्यायालयों की दशा में, प्रस्ताव उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किए जाते हैं और मुख्य मंत्री को भेजे जाते हैं जो राज्यपाल के परामर्श से अपनी सिफारिशें भारत भरकार को भेजता है ।

(ख) भारत में न्यायिक सेवा का कोई अखिल भारतीय काडर नहीं है। इस प्रकार की सेवा के प्रस्ताव पर एक बार विचार किया गया था किन्तु वह विचार छोड़ देना पड़ा क्योंकि बहुत सी राज्य सरकारें ऐसी सेवा के पक्ष में नहीं थीं।

(ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए व्यक्तियों के पूर्ववृत्तों का सत्यापन करने के लिए कोई प्रक्रिया विहित नहीं की गई है। यह बात संबंधित प्राधिकारियों पर है कि वे अपना समाधान कर लें कि व्यक्ति सब प्रकार से उपयुक्त हैं।

(घ) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

दिल्ली के न्यायालयों में लम्बित मुकदमे

276. **श्री शशि भूषण** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायपालिका के कार्यपालिका से अलग होने के समय दिल्ली के विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मुकदमों की संख्या कितनी थी;

(ख) विभिन्न न्यायिक न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लम्बित मुकदमों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ग) क्या लम्बित मुकदमों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इन लम्बित मुकदमों को निपटाने के लिए सरकार कौन से उपायों पर विचार कर रही है ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) :

	न्यायिक न्यायालय (न्यायिक मजिस्ट्रेट)	जिला न्यायालय (सिविल और सैशन न्यायालय)
(क)	30515	41846
(ख)	159559	44445

(ग) और (घ). लम्बित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि न्यायिक अधिकारियों की कमी के कारण हुई है। दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा तथा दिल्ली न्यायिक सेवा हाल ही में बना ली गई हैं और आशा की जाती है कि दिल्ली न्यायिक सेवा के गठन के समय विभिन्न राज्यों से चुने गए अधिकारी निकट भविष्य में कार्य भार संभाल लेंगे। दिल्ली न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निकट भविष्य में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा रही है और आशा की जाती है कि उपर्युक्त दोनों सेवाओं में सब पदों के भर जाने पर लम्बित मामलों की संख्या काफी कम हो जाएगी।

रेल दुर्घटनायें

277. **श्री शाश भूषण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अप्रैल से अक्तूबर, 1971 तक प्रति मास और क्षेत्र-वार कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई और इनके मुख्य कारण क्या हैं;

(ख) पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान हुई दुर्घटनाओं की तुलना में ये कितनी अधिक या कम हैं;

(ग) इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप कितने लोगों की मृत्यु हुई तथा कितने लोग घायल हुए और मरे तथा घायल हुए लोगों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया; और

(घ) इन दुर्घटनाओं से रेलवे को सम्पत्ति की कितनी क्षति हुई ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) अप्रैल, 1970 से अक्तूबर, 1970 के बीच 532 गाड़ी दुर्घटनाएँ हुई थीं जबकि अप्रैल, 1971 से अक्तूबर, 1971 के दौरान 566 रेल दुर्घटनाएँ हुई ।

(ग) अप्रैल, 71 से अक्तूबर, 71 तक की अवधि में जितनी दुर्घटनाएँ हुई उनमें 111 व्यक्ति मरे और 327 घायल हुए । जिन यात्रियों की मृत्यु हो गयी और जो यात्री घायल हो गये उनके परिवार को अभी तक कोई मुआवज़ा नहीं दिया गया है ।

(घ) इन दुर्घटनाओं में रेल सम्पत्ति को जो क्षति हुई उसकी लागत का लगभग 57,67,544 रुपया का अनुमान है ।

विवरण

भारतीय रेलों पर अप्रैल, 71 से अक्तूबर, 71 तक की अवधि में टक्कर होने, पटरी से उतरने, समपार की दुर्घटनाओं, गाड़ियों में आग लगने की कोटि में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या इस प्रकार है—

रेलवे	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	जोड़
मध्य	6	5	4	3	7	9	3	37
पूर्व	5	6	3	8	2	6	3	33
उत्तर	16	13	14	11	9	13	10	86
पूर्वोत्तर	3	7	8	4	10	6	10	48
पूर्वोत्तर सीमा	9	10	13	17	15	9	19	92
दक्षिण	10	9	12	7	12	13	9	72
दक्षिण-मध्य	13	14	7	6	13	7	10	70
दक्षिण-पूर्व	10	7	9	7	9	7	8	57
पश्चिम	11	7	12	11	13	10	7	71
जोड़	83	78	82	74	90	80	79	566

इन सभी दुर्घटनाओं की जाँच की गयी है ताकि उनके कारणों का निर्धारण किया जा सके । 537 दुर्घटनाओं के कारणों का निर्धारण किया जा चुका है, जो नीचे दिये गये हैं :

कारण	दुर्घटनाओं की संख्या
(i) रेल कर्मचारियों की गलती	324
(ii) रेल कर्मचारियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों की गलती	79
(iii) रेल उपस्करों की खराबी	70
(iv) आकस्मिक	48
(v) तोड़-फोड़	8
(vi) उन मामलों की संख्या जिनमें कारण ठीक-ठीक निर्धारित नहीं किये जा सके	8

मेल रेल गाड़ियों से रेलवे डाक सेवा वाले डिब्बों का हटाया जाना

278. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ मेल रेल गाड़ियों से रेलवे डाक सेवा वाले डिब्बों के हटाये जाने का विचार छोड़ दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो वर्तमान प्रथा को समाप्त करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे डाक सेवा वाले डिब्बे हटाने के सरकारी निर्णय का बहुत से मजदूर संघों ने तथा जनता ने गम्भीर विरोध किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हाँ, कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(घ) तेज रफ्तार वाली मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों से डाक के डिब्बे हटानेका प्रस्ताव छोड़ दिया गया है ।

न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर के कर्मचारियों को उपदान का भुगतान करने के लिये उत्तर प्रदेश के राज्य वस्त्र निगम द्वारा वित्तीय सहायता की मांग

279. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू विक्टोरिया मिल्स लिमिटेड कानपुर के कर्मचारियों को उपदान आदि के भुगतान हेतु उत्तर प्रदेश के राज्य वस्त्र निगम ने वित्तीय सहायता माँगी है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके लिये कितनी धन राशि की आवश्यकता है; और

(ग) क्या यह राशि स्वीकृत कर दी गयी है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख) . उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम से कोई ऐसा अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था । तथापि कुछ समय पूर्व न्यू विक्टोरिया मिल्स लि०, कानपुर से श्रम के सुव्यवस्थीकरण के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम की योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए, एक अनुरोध प्राप्त हुआ था ।

(ग) जी नहीं ।

लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर को अधिकार में लेना

280. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कानपुर की लक्ष्मी रतन काटन मिल्स को अभी तक अपने अधिकार में नहीं लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हाँ ।

(ख) तथा (ग) . इस उपक्रम के कार्यों की जाँच करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत एक जाँच समिति नियुक्त की गई है । तथापि, कम्पनी द्वारा रिट याचिका दायर करने पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आदेश द्वारा आगामी आदेश जारी होने तक के लिए, सरकार को इस जाँच आदेश पर कार्यवाही करने से रोक दिया है ।

Underground Railway for Delhi

281. SHRI HARI SINGH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government have any Scheme for running underground Railway in Delhi;

(b) if so, the time by which that scheme would be finalised; and

(c) the names of the areas in Delhi where underground railway would be run under the aforesaid scheme ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

रुई तथा रुई से बनी वस्तुओं के समूचे निर्यात को सरकारी अधिकार में लेना

282. **श्री हरी सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रुई तथा रुई से बनी वस्तुओं के समूचे निर्यात को अपने अधिकार में लेने का निश्चय कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो कब से; और

(ग) उक्त विदेश व्यापार को चलाने के लिये किस प्रकार के प्रशासन तंत्र और प्रबंध की व्यवस्था की जायेगी ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग). पूरा प्रश्न विचाराधीन है ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के मुख्यालय को कलकत्ता से भुवनेश्वर स्थानान्तरित करना

283. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे मुख्यालय को कलकत्ता से भुवनेश्वर (उड़ीसा) स्थानान्तरित करने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है; और

(ख) सरकार का इसे कब तक स्थानान्तरित करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के मुख्यालय को कलकत्ता से किसी और जगह स्थानान्तरित करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

खुर्द डिवीजन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) में सेवारत उड़िया तथा गैर-उड़िया निवासी

284. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे की खुर्द डिवीजन में चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम श्रणी में सेवारत उड़िया तथा गैर-उड़िया कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है; और

(ख) इस डिवीजन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व क्या है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) रेल कर्मचारियों के संबंध में सूचना राज्यवार नहीं रखी जाती ।

(ख) खोरधा रोड मंडल में, तीसरी और चौथी श्रेणी की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत इस प्रकार है :

	तीसरी श्रेणी	चौथी श्रेणी
अनुसूचित जातियाँ	4%	17·2%
अनुसूचित जनजातियाँ	0·14%	1·0%

तीसरी श्रेणी के पदों पर, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण, भर्ती करते समय रेलवे को एक मान कर किया जाता है, लेकिन मंडलों में कर्मचारियों की नियुक्तियाँ इस आरक्षण के अनुसार नहीं की जातीं।

खुर्द डिवीजन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) में सामान्य-नियंत्रण रेलवे टेलीफोन लाइन का असन्तोषप्रद कार्यकरण

285. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे की खुर्द डिवीजन में सामान्य-नियंत्रण-टेलीफोन लाइन सदैव ही खराब रहती है और चलती हुई रेलगाड़ियों में यात्रियों को खान-पान संबंधी सेवाएँ उपलब्ध होने में कठिनाई होती है क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना भेजना संभव नहीं होता है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस गड़बड़ी के क्या कारण हैं और सरकार ने इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये कौन से कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) कंट्रोल सर्किट में अक्सर खराबी आ जाती है। लेकिन यात्रियों को कोई कठिनाई महसूस नहीं होती क्योंकि खान-पान संबंधी सेवा के संदेश अग्रता के आधार पर मोर्स तार के वैकल्पिक सर्किट के जरिये भेज दिये जाते हैं।

(ख) कंट्रोल सर्किट में अकसर व्यवधान ताँबे के तार की चोरियों के कारण होता है। इस बुराई को दूर करने तथा व्यवधान की अवधि को कम करने के उद्देश्य से डाक-तार तथा राज्य पुलिस विभागों से निरंतर समन्वय रखा जाता है। चोरियों की रोक थाम के लिये दीर्घ-कालीन उपाय के रूप में क्रमबद्ध आधार पर ताँबे के तारों की जगह ए० सी० एस० आर० (अलूमीनियम संवाहक इस्पात प्रतिवलित) तारों की व्यवस्था करने की भी योजना बनायी गयी है।

उड़ीसा में भीम कुंड बाँध परियोजना की कार्यान्विति

286. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी योजना की अवधि में क्योंझर जिला (उड़ीसा) में स्थित भीम कुंड बाँध परियोजना के निर्माण के लिये स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बाँध के पूरा होने में कितना समय लगेगा और कितना रुपया खर्च होगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). उड़ीसा सरकार को एक सुझाव दिया गया है कि बैतरणी नदी में बाढ़ों को नियंत्रित करने के लिए इस नदी पर भीम कुंड परियोजना का अन्वेषण किया जाए। उड़ीसा सरकार द्वारा आवश्यक अन्वेषण पूर्ण कर लेने और केन्द्रीय सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और प्राक्कलन भेज देने के पश्चात् इस परियोजना की स्वीकृति के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

अखिल भारतीय गार्ड परिषद् की माँग

287. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय गार्ड परिषद् ने रेलवे गार्डों के वेतनमानों का पुनरीक्षण करने की माँग की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) रेल कर्मचारियों की विभिन्न कोटियों के वेतनमान और सेवा की शर्तों में सुधार के प्रश्न पर वेतन आयोग द्वारा पहले ही विचार किया जा रहा है।

सरकार द्वारा संकटग्रस्त और बन्द कपड़ा मिलों का अधिग्रहण

288. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कुल कितनी मिलें संकटग्रस्त हैं और कितनी बन्द पड़ी हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम का विचार कुछ और संकटग्रस्त मिलों को अपने हाथ में लेने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो चालू वर्ष में किन-किन मिलों को हाथ में लेने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) सितम्बर, 1971 के अंत तक, देश में समाप्त करने योग्य समझी गई मिलों को छोड़कर, 59 सूती वस्त्र मिलें बंद पड़ी थीं। संकटग्रस्त सूती वस्त्र मिलों की संख्या का कोई आकलन नहीं किया गया है।

(ख) तथा (ग). चालू वर्ष में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत कुछ और मिलों का प्रबन्ध अपने नियंत्रण में लिए जाने की संभावना है। तथापि, इस समय ऐसे मिलों की संख्या तथा नाम बताना कठिन है।

ईराक से व्यापार प्रतिनिधिमंडल

289. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ईराकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल दोनों देशों के औद्योगिक विकास के संबंध में बातचीत करने के लिए हाल ही में भारत आया था;

(ख) क्या भारत सरकार ने ईराक को विशेष जानकारी और लौह अयस्क की पेशकश की है; और

(ग) इस बातचीत के परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच व्यापार में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख). एक नया व्यापार करार तथा वर्ष 1971-72 के लिए एक व्यापार योजना बनाने के उद्देश्य से सितम्बर, 1971 के उत्तरार्ध में एक ईराकी व्यापार प्रतिनिधिमण्डल भारत आया था। 24 सितम्बर, 1971 को एक नया व्यापार करार किया गया और उसी तारीख को 1-9-71 से 31-3-73 तक की अवधि के लिए एक व्यापार योजना भी बनाई गई। यह करार अनुसमर्थन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा। दोनों प्रतिनिधिमण्डलों ने इस बात पर अपनी सहमति प्रकट की कि एक भारतीय प्रतिनिधिमण्डल यथासंभव शीघ्र ही ईराक जायेगा जोकि ईराकी अशोधित तेल पर आधारित भारत में एक तेल-शोधन कारखाना और भारतीय लौह अयस्क पर आधारित ईराक में एक इस्पात मिल जैसे संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के सहित, आर्थिक सहयोग की संभावनाओं पर सविस्तार बातचीत करेगा। यह भी पाया गया कि परस्पर आर्थिक सहयोग और भारत द्वारा ईराक में सीमेंट संयंत्र तथा रेल संचार व्यवस्था जैसी 'टर्नकी' परियोजनाएँ बनाने की भी संभावनाएं हैं।

(ग) नयी व्यापार योजना के अन्तर्गत, पूर्व योजना के 1,206 लाख रु० के व्यापार विनिमय की तुलना में 1-9-71 से 31-3-73 की अवधि के लिए 4,140 लाख रु० के व्यापार विनिमय की परिकल्पना की गई।

Railway Line from Dohad to Indore

290. SHRI BHAGIRATH BHANWAR : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the reasons for not starting work on the Dohad (Gujarat)—Indore (Madhya Pradesh) Railway line via Jhabua, Dhar (Madhya Pradesh), though surveys in this regard had been conducted several times;

(b) whether the Municipalities, Gram Panchayats and various political parties of Dhar, Jhabua, Rajgarh, Sardarpur, Alirajpur (Madhya Pradesh) and Dohad (Gujarat) have requested the Central Government to start work on the said line; and

(c) the action so far taken and being taken in this regard ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) Preliminary Engineering and Traffic Surveys carried out in 1953-55 for Indore-Dohad B. G./M. G. rail link via Dhar and Jhabua, revealed that the line would be heavily unremunerative. The proposal for the construction of this line was therefore dropped.

(b) Yes.

(c) On account of its unremunerative character and also due to paucity of funds, the proposed rail link will not merit priority for consideration during the Fourth Plan.

खानों के मुहाने पर कोयले का इकट्ठा होना

291. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग खानों के मुहानों पर इकट्ठा हुए कोयले को उठाने में कुछ सफल हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो अब तक कोयला किस सीमा तक उठाया जा सका है और शेष बचे कोयले को कब तक उठा लिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल-बिहार क्षेत्रों को छोड़ कर, अन्य क्षेत्रों में खानों पर कोयले के स्टाक सामान्य हैं क्योंकि बहिर्वर्ती क्षेत्रों से भेजा जाने वाला यातायात लगातार बढ़ता जा रहा है।

पश्चिम बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों की खानों पर स्टाक की निकासी के लिये अगस्त, 1971 में एक अभियान चलाया गया था। इस अभियान के परिणामस्वरूप, उस क्षेत्र में गाड़ी परिचालन में निरन्तर होने वाली कठिनाइयों के बावजूद, जुलाई, 71 की तुलना में अगस्त, 71 में लदान में लगभग 660 माल डिब्बे प्रतिदिन की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल-बिहार क्षेत्रों की कोयला खानों पर कोयले का स्टाक भी अगस्त, 71 के अन्त में घटकर 73·8 लाख टन रह गया, जबकि जुलाई, 71 के अन्त में यह स्टाक 78·8 लाख टन था।

यद्यपि सितम्बर और अक्तूबर, 71 में हुए कोयले के लदान का स्तर अभूतपूर्व वर्षा, बाढ़ों और टूट-फूट के कारण अगस्त के स्तर पर कायम नहीं रखा जा सका, फिर भी यह स्तर सितम्बर और अक्तूबर, 1970 से क्रमश: लगभग 759 और 250 माल डिब्बे अधिक था। फलस्वरूप कोयले का स्टाक खानों में किस सीमा तक कम हुआ है, इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि सरकारी आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

कोयले के परिवहन में और अधिक सुधार लाने के उद्देश्य से, पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलों पर 11-11-71 से 10 दिन के लिये एक विशेष अभियान फिर से चलाया गया है।

भारतीय रेलवे द्वारा चलते फिरते टिकट घर बनाने की योजना

292. **श्री विजय मोदक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भारतीय रेलवे द्वारा चलते फिरते टिकट घर बनाने की कोई योजना है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 22 सितम्बर, 1971 को मदुरै में दक्षिणी रेलवे के जनरल मैनेजर द्वारा इन योजनाओं के संबंध में दी गई टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं, और सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : जी नहीं ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) मदुरै जंकशन स्टेशन के निरीक्षण के दौरान दक्षिण रेलवे के महा प्रबंधक ने यह विचार व्यक्त किया था कि बड़े नगरों में चल डाक घरों की व्यवस्था की तरह यात्रियों के लिए चल बुकिंग घरों की व्यवस्था करना उपयोगी हो सकता है । कोई निश्चित योजना तैयार करने से पहले इस संबंधी विस्तृत जाँच अपेक्षित है ।

फरक्का बाँध परियोजना का पूर्ण होना

293. **डा० रानेन सेन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बाँध परियोजना को 1971 के मध्य तक पूरा हो जाने की आशा थी;

(ख) इस बाँध के पूरा हो जाने में और कितना समय लगेगा; और

(ग) इस देरी के कारण क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). फरक्का बराज जून, 1971 में पूर्ण हो गया था । रेलवे पुल नवम्बर में पूर्ण हो गया था और सड़क पुल यातायात के लिये एक और सप्ताह में तैयार हो जायेगा ।

(ग) रेलवे और सड़क पुलों के पूर्ण होने में थोड़ी देरी इस वर्ष भारी वर्षा और गंगा के बहाव के कारण है ।

भारत और रूस के मध्य आर्थिक सहयोग में प्रोत्साहन देने के बारे में रूसी विशेषज्ञ दल का दौरा

294. **डा० रानेन सेन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग की वृद्धि के संबंध में विस्तार से बातचीत करने के लिये एक रूसी विशेषज्ञ दल हाल ही में भारत आया था; और

(ख) यदि हाँ, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग

में वृद्धि करने के संबंध में ब्यौरे तय करने के लिए कोई सोवियत विशेषज्ञ दल हाल ही में भारत नहीं आया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पट्टाम्बी रेलवे स्टेशन (दक्षिणी रेलवे) पर उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय के लिए अभ्यावेदन

295. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पट्टाम्बी पंचायत, केरल, से सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है, जिसमें उसने दक्षिण रेलवे के पट्टाम्बी स्टेशन पर उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय की व्यवस्था करने और वर्तमान प्रतीक्षालय में और अधिक सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) इन सुझावों की जाँच की गयी है और यह मालूम हुआ है कि पट्टाम्बी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को दी जाने वाली वर्तमान सुविधाएँ वहाँ से होने वाले यातायात के लिए पर्याप्त हैं और इस स्टेशन पर ऊँचे दर्जे के प्रतीक्षालय की व्यवस्था के लिए कोई औचित्य नहीं है।

केरल में अलवाय रेलवे स्टेशन पर उपरि पैदल पुल

296. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलवाय (केरल) रेलवे स्टेशन पर एक उपरि पैदल पुल बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या अलवाय नगरपालिका परिषद् ने उसके व्यय का भार अपने ऊपर लेने का वचन दिया है, और यदि हाँ, तो किन शर्तों पर; और

(ग) इसका निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). जी हाँ । अलवाय रेलवे स्टेशन के पास 87/12 कि० मी० पर ऊपरी पैदल पुल बनाने के लिए नगरपालिका प्राधिकारियों से अनुरोध प्राप्त हुआ था । नगरपालिका प्राधिकारियों ने ऊपरी पैदल पुल निर्माण के लिए पाँच किश्तों में भुगतान करने की अनुमति माँगी थी जिसके अनुसार 15,000 रु० तत्काल अदा किये जाने थे और बाद की किश्तों का भुगतान 31-3-72, 31-3-73, 31-3-74 और 31-3-75 को किया जाना था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि किश्तों में भुगतान करने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया ।

कच्ची, गीली नारियल की भूसी संबंधी आदेश

297. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने लगभग धान नियंत्रण आदेश की तरह कोई व्यापक आदेश तैयार किया है तथा उसे केन्द्र की अनुमति के लिए भेजा है जिससे कच्ची, गीली नारियल की भूसी तथा नारियल जटा के रेशों के परिवहन, लाने-लेजाने तथा उनके व्यापार पर पूरा नियंत्रण रखा जा सके; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हाँ ।

(ख) केन्द्रीय सरकार तथा केरल सरकार के प्रतिनिधियों की 9 जुलाई, 1971 को नई दिल्ली में हुई बैठक में यह विनिश्चिय किया गया था कि केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ राज्य सरकार एक परिशोधित प्रस्थापना भेजेगी । परिशोधित प्रस्थापना अभी प्रतीक्षित है ।

समुद्रीय उत्पादों के निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना

298. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित समुद्रीय उत्पादन विकास प्राधिकरण की स्थापना करने के संबंध में अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) क्या सरकार ने मुख्यालय के स्थान के संबंध में भी निर्णय ले लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख). जी हाँ ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत द्वारा राष्ट्रमण्डलीय देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक बुलाने का सुझाव

299. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने राष्ट्रपति निक्सन द्वारा अमरीका को होने वाले आयात पर अधिभार लगाने के प्रभाव और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा संकट से संबंधित उनकी नीतियों पर विचार करने के लिये समस्त राष्ट्रमण्डलीय देशों की एक बैठक बुलाने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्रिटेन की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हाँ । जब गत सितम्बर में विदेश

व्यापार णँत्री लंदन में थे, तब उन्होंने राष्ट्रमण्डलीय व्यापार मंत्रियों की एक बैठक बुलाने के लिए राष्ट्र मंडल-सचिवालय के महासचिव के समक्ष एक सुझाव रखा था, जिसमें तात्कालिक हिता के मामलों पर विचार किया जाय, जैसे कि (1) संरक्षणवाद की बढ़ती हुई आशंका, (2) यूरोपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन के प्रवेश से उत्पन्न होने वाली समस्याएँ, और (3) सं० रा० अमरीका द्वारा अगस्त, 1971 में आरम्भ की गई आर्थिक कार्यवाही की विवक्षा ।

(ख) ब्रिटिश सरकार ने इस सुझाव पर अपनी प्रतिक्रिया के विषय में कोई संकेत नहीं दिया है ।

अतिरिक्त रबड़ को खरीदने के लिए केरल को ऋण देना

300. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र से अपने राज्य के लिये 5 करोड़ रुपये ऋण देने के लिए अनुरोध किया है ताकि वह छोटे उत्पादकों के पास पड़े हुए अतिरिक्त रबड़ को खरीद सके; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख). केरल सरकार को छोटे उपजकर्त्ताओं से रबड़ खरीदने के लिए 2·50 करोड़ रु० का ऋण देने का विनिश्चय किया गया है । 50 लाख रु० की पहली किश्त के लिए पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है ।

विदेशों में संयुक्त उपक्रमों के स्थापित करने में कठिनाइयाँ

302. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री के० लकप्पा :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उद्योगपतियों द्वारा विदेशों में स्थापित संयुक्त उपक्रमों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय उद्योगपतियों ने ऐसे संयुक्त उपक्रमों के संवर्धन एवं प्रसार में आने वाली किन्हीं बाधाओं की शिकायत की है;

(ग) क्या विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण भारतीय उद्योगपतियों को विषम स्थिति का सामना करना पड़ता है; और

(घ) क्या सरकार ने संयुक्त उपक्रमों के कार्य की समीक्षा की है और उनके नकद पैसा भेजने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के बारे में कोई अध्ययन किया है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ). विदेशों में हमारे औद्योगिक संयुक्त उपक्रमों के निष्पादन का मूल्यांकन करने और विदेशों में परियोजनाओं के क्रियान्वित किये जाने में भारतीय उद्यमियों को होने वाली कठिनाइयों का पता लगाने के लिए उन उपक्रमों के कार्यचालन का सरकार द्वारा आवधिक पुनरीक्षण किया जाता है।

विदेशों के संयुक्त उपक्रमों में भारतीय भागीदारी के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता ईक्विटी भागीदारी के रूप में निवेश के लिए अदायगियों और अन्य प्रबंधात्मक प्रासंगिक व्ययों के लिए होती है। ईक्विटी भागीदारी के प्रयोजन हेतु सरकार संयंत्र और मशीनरी के निर्यात पर होने वाली निर्यात आय के पंजीकरण का अनुमोदन करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान अवस्था में नकद भागीदारी संभव नहीं है। तथापि, प्रारंभिक तथा प्रासंगिक व्ययों के संबंध में हमारे कुछ उद्यमियों ने आवश्यक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों को बताया है। इस कठिनाई को दूर करने की दृष्टि से, विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं के लिए भारतीय भागीदारों से प्राप्त प्रार्थनाओं पर विचार किया जाता है और गुणावगुण के आधार पर विदेशी मुद्रा की अनुमति दी जाती है।

विवरण

देश का नाम	सहयोग का क्षेत्र	भारतीय सहयोगी
इथोपिया	(1) वस्त्र मिल	मैसर्स बिड़ला ब्रदर्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता।
	(2) साबुन फैक्टरी	मैसर्स बाम्बे सोप फैक्टरी, बम्बई।
	(3) ऊनी वस्त्र मिल	मैसर्स डंकन ब्रदर्स एण्ड कं० लि०, कलकत्ता।
कीनिया	(1) वस्त्र मिल	श्री आर० एम० गोकुलदास, बम्बई।
	(2) ग्राइप वाटर संयंत्र	मैसर्स के० टी० डांगरे एण्ड कं० (प्रा०) लि०, बम्बई।
	(3) ऊनी वस्त्र मिल	मैसर्स रेमांड वूलन मिल्स लि०, बम्बई।
	(4) हलका इंजीनियरी कम्प्लैक्स	मैसर्स एच० एल० मल्होत्रा एण्ड संस (प्रा०) लि०, कलकत्ता।
	(5) कार्क फैक्टरी	मैसर्स इंडियन कार्क मिल्स, बम्बई।
लीबिया	(1) पाइप विनिर्माता एकक	मैसर्स इंडियन ह्यूम पाइप कं० लि०, बम्बई।
मारिशस	(1) मोसाइक टाइल तथा रोलिंग शटर्स विनिर्माता एकक	मैसर्स सिद्धार्थ जस्सूभाई, अहमदाबाद।

देश का नाम	सहयोग का क्षेत्र	भारतीय सहयोगी
नाइजीरिया	(1) इंजीनियरी माल	मैसर्स बिड़ला ब्रदर्स (प्रा०) लि, कलकत्ता ।
	(2) विलायक निस्सारण संयंत्र	,, ,, ,,
	(3) रंजक ब्लेड फैक्टरी	मैसर्स एच० एल० मल्होत्रा एण्ड सन्स, कलकत्ता ।
युगांडा	(1) पटसन मिल	मैसर्स बिड़ला ब्रदर्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता ।
श्रीलंका	(1) सिलाई मशीनें	मैसर्स जय इंज० वर्क्स, कलकत्ता ।
	(2) ग्लास फैक्टरी	मैसर्स स्वास्तिक ग्लास वर्क्स, चन्द्रपुर ।
	(3) पी० वी० सी० चर्म वस्त्र विनिर्माता	मैसर्स भोर इंडस्ट्रीज (प्रा०) लि०, बम्बई ।
ईरान	(1) फालतू पुर्जों व स्वचालित उपस्करों का विनिर्माण	मैसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि०, बम्बई ।
मलयेशिया	(1) स्टील फर्नीचर विनिर्माण	मैसर्स गोदरेज एण्ड वायर्स मैन्यु० कं०, बम्बई ।
	(2) मिठाई एकक	मैसर्स पैरीज कन्फैक्शनरीज़ लि०, मद्रास ।
	(3) सूक्ष्म औजार व लाइन विनिर्माता एकक	मैसर्स गुप्ता मशीन टूल्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता ।
सिंगापुर	(1) मोटरगाड़ी सहसाधन	मैसर्स टेकसन्स (प्रा०) लि०, बम्बई ।
थाइलैंड	(1) संश्लिष्ट रेशा कताई संयंत्र	मैसर्स बिड़ला ब्रदर्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता ।
आयरलैंड	(1) रोंयेदार कालीन यार्न विनिर्माता	मैसर्स मफतलाल गागलभाई, बम्बई ।
ब्रिटेन	(1) एस्बेस्टस सीमेंट उत्पाद संयंत्र	मैसर्स बिड़ला ब्रदर्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता ।
कनाडा	(1) हार्डबोर्ड फैक्टरी	मैसर्स अनिल हार्डबोर्ड्स लि०, बम्बई ।
पश्चिमी जर्मनी	(1) आयल इंजन्स, राइस मिलिंग मशीन आदि के विनिर्माता	मैसर्स किर्लोस्कर आयल इंजन्स, पूना ।
	(2) होस - क्लिपों के विनिर्माता	श्री एन० कृष्णन, बंगलौर ।

कश्मीर मेल से दिल्ली मेन स्टेशन पर बरामद हुए विस्फोटक पदार्थ

303. **श्री अमर नाथ चावला :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 अक्तूबर, 1971 को दिल्ली मेन स्टेशन पर कश्मीर मेल से विस्फोटक सामग्री से भरी 4 बोरियाँ मिली थीं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस मामले की कोई जाँच की गई है; और

(ग) क्या इस संबंध में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं। केवल चार पटाखे पाये गये।

(ख) दिल्ली की खुफिया पुलिस की अपराध शाखा द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

विद्युत उत्पादन तथा उसके उपयोग के संबंध में क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करने संबंधी योजना

304. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्युत उत्पादन तथा उसके उपयोग में क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करने के लिए क्या कोई योजना बनाई गयी है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी हाँ। देश के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय असंतुलन को हटाने के ख्याल से एक विद्युत विकास योजना तैयार की गई है जिसमें 1970-81 तक की दशाब्दी आती है।

(ख) योजना में 1980-81 तक देश में 520 लाख किलोवाट की कुल अतिरिक्त विद्युत-उत्पादन क्षमता की व्यवस्था है और इसे क्षेत्रीय आधार पर तैयार किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में स्कीमों का चुनाव मिले-जुले आधार पर नियंत्रित किया गया है जिससे विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन का किफायती तरीका सुनिश्चित होगा। बृहत् स्कीमों के स्थल निर्धारित कर दिए गए हैं ताकि उनके संबंध में शीघ्र कार्यवाही को सुनिश्चित किया जा सके। विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त विद्युत-उत्पादन क्षमता की व्यवस्था की गई है ताकि राष्ट्रीय औसत की तुलना में क्षेत्रों में प्रति

व्यक्ति खपत के बीच वर्तमान भारी अन्तर को दूर किया जा सके और 1980-81 तक उनको राष्ट्रीय औसत के और निकट लाया जा सके ।

Grant of Interim Relief and Early Submission of Third Pay Commission Report

305. SHRI PHOOL CHAND VERMA :
SHRI R. V. BADE :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the Railway employees have demanded early grant of interim relief and an early submission of report by the Third Pay Commission; and

(b) the reaction of his Ministry thereto ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) Yes.

(b) In terms of the Interim Report of the Third Pay Commission, which has been accepted by Government, the question of further grant of interim relief is to be reviewed when the 12-monthly average of the cost of living index reaches 228.

In terms of Government of India, Ministry of Finance Resolution of 23-4-1970, notifying the constitution of the Third Pay Commission, the Commission is expected to submit its report as early as possible. On receipt of its report, appropriate action will be taken by Government.

कलकत्ता भूमिगत रेलवे के लिए सोवियत तकनीशियन

306. **श्री राज राज सिंह देव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में भूमिगत रेलवे परियोजना की कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या सरकार ने रेलवे बोर्ड को इस बारे में सलाह देने के लिये, सोवियत तकनीशियनों को आमंत्रित किया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) दमदम से टालीगंज तक प्रस्तावित भूगत रेलवे की परियोजना रिपोर्ट कलकत्ता स्थित महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) संगठन द्वारा तैयार की गयी है । यह रिपोर्ट रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है ।

(ख) जी हाँ ।

अधिक मूल्य वाली रूसी वस्तुएँ खरीदने के लिए रूस द्वारा भारत पर दबाव डाला जाना

307. **श्री राज सिंह देव :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 सितम्बर, 1971 के मदरलैंड नामक पत्रिका में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय रुपयों की बढ़ती हुई जमाराशि का हिसाब-किताब पूरा करने के लिये रूस द्वारा अधिक मूल्य वाली रूसी वस्तुयें खरीदने के लिये भारत पर दबाव डाला जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस समय भारत तथा रूस के बीच व्यापारिक संतुलन से संबंधित आँकड़े क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख). सोवियत सरकार की ओर से, उनकी अधिक मूल्य की वस्तुएं खरीदने के लिए कोई दबाव नहीं डाला गया है ।

(ग) गत 3 वर्षों में भारत तथा सोवियत संघ के बीच व्यापार संतुलन निम्नोक्त था :

(10 लाख रु० में)

	आयात	निर्यात	व्यापार संतुलन	
1968-89	1855·10	1483·10	(—)	372·00
1969-70	1713·29	1762·41	(+)	49·12
1970-71	1046·81	2098·48	(+)	1051·67

केरल के तट पर समुद्र से कटाव के संबंध में डा० मनोहरन का प्रतिवेदन

308. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डा० मनोहरन का कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिन्हें सरकार ने केरल के तट पर समुद्र से कटाव का मौके पर अध्ययन करने के लिये विशेष रूप से नियुक्त किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उन्होंने क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी हाँ ।

(ख) डा० मनोहरन द्वारा दिये गये मुख्य सुझाव निम्नलिखित हैं :

(1) 80 किलोमीटर की लम्बाई में पहले से किये गये समुद्र कटावरोधी कार्यों को उनके द्वारा सुझाए गये अभिकल्पों के आधार पर मजबूत किया जाये ।

(2) मुनमबम, पुट्टमपादम, चेरियाकदावू, कन्नामली, चेल्लानम, अल्लेप्पी, वडाक्कल और पुन्नाप्रा में तटीय क्षेत्र अत्यधिक असुरक्षित हैं और इनकी तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता है ।

(3) करूर और पुरावकड में जो कि राष्ट्रीय राजपथ के बिल्कुल निकट हैं, तत्काल सुरक्षा की जरूरत है ।

(4) तटीय सुरक्षा कार्यों के उचित रख-रखाव की आवश्यकता है ।

एर्नाकुलम-क्विलोन-त्रिवेन्द्रम लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

309. **श्री ए० के० गोपालन :**
श्री वयालार रवि :
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एर्नाकुलम-क्विलोन-त्रिवेन्द्रम मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च आयेगी; और

(ग) इस कार्य को कब से प्रारम्भ किया जायेगा और कब पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) आमान परिवर्तन के इस काम पर कुल मिलाकर 13·60 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

(ग) इस प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । आशा है, शीघ्र ही इस आमान परिवर्तन के संबंध में विनिश्चय कर लिया जायेगा ।

तिरूनेलवली-केप कामोरिन त्रिवेन्द्रम रेलवे लाइन के लिए सर्वेक्षण

310. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिरूनेलवली-केप कामोरिन त्रिवेन्द्रम रेलवे लाइन का सर्वेक्षण कब पूरा हुआ था;

(ख) इस पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ग) इस पर कब से कार्य प्रारम्भ किया जायेगा और कार्य कब पूरा होगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) अगस्त, 1970 में ।

(ख) अनुमानित लागत बड़ी लाइन के लिए 14·53 करोड़ रुपये और मीटर लाइन के लिए 12·99 करोड़ रुपये हैं ।

(ग) परियोजना वित्तीय दृष्टि से लाभप्रद नहीं है । फिर भी, सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

मैसूर में हुबली से करवार तक नई रेल लाइन

311. **श्री धर्मराव अफजलपुरकार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर में हुबली से करवार तक एक नयी रेल लाइन बनाने के संबंध में सर्वेक्षण करने हेतु क्या कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस परियोजना का कार्य कब तक आरम्भ होने की आशा है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) सर्वेक्षण अभी पूरे नहीं हुए हैं । सभी पहलुओं से सर्वेक्षण रिपोर्ट की जाँच कर लिये जाने के बाद ही इस परियोजना के संबंध में कोई विनिश्चय किया जायेगा । इसलिए अभी यह बताना संभव नहीं है कि इस परियोजना पर काम शुरू किया जायेगा या नहीं और यदि शुरू किया जायेगा तो कब ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के उत्पादों के लिए अमरीका से क्रयादेश

312. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड को उसके उत्पादों के लिये अमरीका से क्रयादेश प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो कितनी मात्रा के तथा कितने मूल्य के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख). हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० को 30 लाख रु० मूल्य के 80 मशीनी औजारों के लिए पुख्ता क्रयादेश प्राप्त हुए हैं ।

राज्यों को बाढ़ से रक्षा के लिए सहायता

313. **श्री श्याम नन्दन मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य ने इस वर्ष बाढ़ से रक्षा के लिए कितनी-कितनी धनराशि की माँग की है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने अब तक कितनी धनराशि मंजूर की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावित केन्द्रीय सहायता की क्रियाविधि के अन्तर्गत बाढ़-नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित केन्द्रीय सहायता का प्रावधान नहीं किया जाता। केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को उनकी बाढ़ नियंत्रण सहित योजनागत विविध विकासात्मक स्कीमों के लिए बिना किसी विशेष परियोजना या विकास-शीर्ष से आबद्ध किये एकमुश्त ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है ।

रेलवे सामग्री की नीलामी से संबंधित विवाद

314. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे सामग्री की नीलामी से संबंधित विवादों के कितने मामलों को न्यायालय में ले जाया गया; और

(ख) इनमें से कितने मामलों को रेलवे खरीदारों ने जीता ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) 17 (सत्रह)।

(ख) 2 (दो)।

रेलवे प्रशासन और नीलामी में बोली देने वालों के बीच नीलामों अथवा निविदाओं से उत्पन्न होने वाले झगड़े

315. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे प्रशासन और नीलाम में बोली देने वालों के बीच रेलवे के माल की बिक्री के लिए की गई नीलामी अथवा माँगी गई निविदाओं से उत्पन्न होने वाले झगड़ों के मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक जोनल रेलवे में कितने-कितने मामले अनिर्णीत हैं;

(ग) कितने मामले न्यायालयों में तथा मध्यस्थ के समक्ष हैं, और ये मामले कब से अनिर्णीत हैं; और

(घ) ऐसे कितने मामले हैं जो न न्यायालयों में हैं और न ही मध्यस्थ के समक्ष ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) 49 (उन्चास)।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) 29 (उन्तीस)।

1967	से	2	मामले
1968	से	1	मामला
1969	से	7	मामले
1970	से	6	मामले
1971	के	13	मामले

(घ) 13 (तेरह)।

विवरण

रेलवे/उत्पादन यूनिट	विचाराधीन मामलों की संख्या
मध्य	10
पूर्व	2
उत्तर	3
पूर्वोत्तर	10
पूर्वोत्तर सीमा	3
दक्षिण	2
दक्षिण मध्य	कोई नहीं
दक्षिण पूर्व	1
पश्चिम	8
चित्तरंजन रेल-इंजन कारखाना	2
डीजल रेल-इंजन कारखाना	कोई नहीं
सवारी डिब्बा कारखाना	कोई नहीं
अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन	कोई नहीं
रेलवे बोर्ड	1
	42

नीलामी के समय बोली दाताओं को सुविधाएँ देना

316. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सामग्रियों की नीलामी के नोटिस में ऐसी शर्तें होती हैं जिनको वस्तुतः व्यवहार में नहीं लाया जा सकता है, उदाहरण के लिए सामग्रियों की भारी मात्रा अथवा भार का तौल रेलवे द्वारा इस संबंध में उसी स्थान पर सुविधाओं के अभाव में उसकी पुष्टि करना; और

(ख) रेलवे द्वारा नीलामी नोटिस में क्या सामान्य शर्तें रखी जाती हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं। प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के अनुसार नीलामी द्वारा बिक्री की सामान्य शर्तों की धारा 13 के अन्तर्गत वजन का सत्यापन किया जाता है। वजन के आधार पर बेचे गये इस प्रकार के ढेरों के बारे में बोली इकाई के वजन के आधार पर बोली जाती है और वास्तविक तौल के बाद ही सुपुर्दगी की जाती है।

(ख) सामान्य शर्तों की एक प्रति संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—982/71.**] इन शर्तों में स्थानीय तौर पर मामूली हेर-फेर किये जा सकते हैं।

लघु-उद्योगों को दिए गये आयात लाइसेंस

317. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1970-71 के दौरान राज्य-वार लघु उद्योगों को कितने और कितने मूल्य के आयात लाइसेंस दिये गये ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है, जिसमें 1970-71 में लघु-उद्योगों को राज्यवार जारी किए गये आयात लाइसेंसों की संख्या तथा मूल्य दिखाया गया है ।

विवरण

1970-71 में लघु उद्योगों को जारी किये गये आयात लाइसेंसों की संख्या तथा मूल्य का राज्य-वार वितरण ।

(संख्या 'वास्तविक')

(मूल्य लाख रु० में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	संख्या	मूल्य
	(क) राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	6,397	692·40
2.	असम	304	49·26
3.	बिहार	771	156·06
4.	गुजरात	3,832	586·29
5.	हरियाणा	1,536	307·04
6.	हिमाचल प्रदेश	112	13·50
7.	जम्मू तथा कश्मीर	101	13·95
8.	केरल	463	69·34
9.	मध्य प्रदेश	1,584	243·96
10.	मैसूर	4,052	388·81
11.	महाराष्ट्र	9,413	2229·06
12.	नागालैंड	1	0·09
13.	उड़ीसा	330	84·36
14.	पंजाब	3,694	398·14
15.	राजस्थान	1,291	178 75
16.	तमिलनाडु	5,148	573·30
17.	उत्तर प्रदेश	7,447	1190·28
18.	पं० बंगाल	2,772	700·31

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	संख्या	मूल्य
	(ख) संघ शासित क्षेत्र		
1.	चन्डीगढ़	271	32·91
2.	दादर तथा नगर हवेली	4	0·16
3.	दिल्ली	2,745	363·92
4.	गोआ, दमन तथा दीव	113	18·06
5.	मनीपुर	1	0·95
6.	पाण्डीचेरी	257	33·37
7.	त्रिपुरा	10	2·26
	महायोग :	52,649	8325·63

मोटे तथा मध्यम किस्म के कपड़े के उत्पादन में कमी

318. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटे तथा मध्यम किस्म के कपड़े के उत्पादन में कमी हुई है; और

(ख) क्या उक्त किस्म के कपड़े का उत्पादन बढ़ाने के लिए कपड़ा मिलों ने कोई कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) कपड़े की नियंत्रित किस्मों सहित मोटे तथा मध्यम किस्म के कपड़े के उत्पादन में 1970-71 के दौरान गिरावट आई थी।

(ख) अप्रैल, 1971 में सूती वस्त्र उद्योग के परामर्श से नियंत्रित कपड़े की स्थिति की ब्यौरेवार जाँच की गई थी और फरवरी-अप्रैल, 1971 के दौरान नियंत्रित कपड़े के 914 लाख वर्ग मीटर के उत्पादन को 1 जून, 1971 के आगे के तीन महीनों की अवधि के दौरान बढ़ाकर 1000 लाख वर्ग मीटर करने की एक योजना तैयार की गई। यह योजना 1 सितम्बर, 1971 से नवम्बर, 1971 तक लागू रही है।

सरकार द्वारा काजू के निर्यात व्यापार को अपने हाथ में लिया जाना

319. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार काजू के निर्यात व्यापार को अपने हाथ में लेने का है और यदि हाँ, तो कब ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : काजू की गिरियों के निर्यात व्यापार का तुरन्त ही राष्ट्रीयकरण करने की कोई प्रस्थापना नहीं है। लेकिन, भारतीय काजू निगम के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य काजू तथा काजू की गिरियों दोनों के आयात तथा निर्यात व्यापार को क्रमिक रूप से अपने हाथ में लेना है।

वर्ष 1970-71 के दौरान रुई का आयात

320. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 के दौरान कितनी मात्रा में रुई का आयात किया गया; और

(ख) कितनी मात्रा में रुई गुजरात राज्य को आवंटित की गई ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) लगभग 8·35 लाख गाँठें ।

(ख) 1,76,116 गाँठें ।

भोपाल में स्विच-गियर टैस्टिंग और डेवलपमेंट स्टेशन

321. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल में स्विच-गियर टैस्टिंग और डेवलपमेंट स्टेशन पूरा बन गया है तथा उसे चालू कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना से देश को क्या तकनीकी और वित्तीय लाभ होंगे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) भोपाल में स्विच-गियर टैस्टिंग और डेवलपमेंट स्टेशन 14 अक्तूबर, 1971 को चालू कर दिया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अब तक स्विच-गियर के प्रमाणीकरण के लिए अपेक्षित टाइप-टैस्टिंग उन्नतिशील विदेशों के परीक्षण केन्द्रों में किया गया है । इस केन्द्र के चालू होने के साथ, जोकि हाई पावर सर्किट ब्रैकर्स के प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रीय परीक्षण केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए आयोजित किया गया है, अब यह संभव हो जाएगा कि स्विच-गियर के प्रमाणीकरण के लिए अपेक्षित टाइप-टैस्टिंग भारत में किया जा सके । विदेशों में परीक्षण के लिए ऐसे उपस्कर को भेजने में लगने वाले समय की बचत के अतिरिक्त इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी । देश में स्विच-गियर टैस्टिंग सुविधाएँ उपलब्ध हो जाने से देशी डिजाइनों और कलपुर्जों से स्विच-गियर तैयार करने के काम में भी तेजी आएगी ।

मिस्र के साथ व्यापार करार

322. **श्री एच० के० एल० भगत :**
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री राम सहाय पांडे :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में वस्तुओं के आदान-प्रदान के लिए भारत और मिस्र के बीच हाल ही में कोई व्यापार करार हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो कब और करार की क्या शर्तें हैं और कौन सी वस्तुएँ इस करार के अन्तर्गत आती हैं; और

(ग) गत करार के आधार पर मिश्र की ओर भारत का कितना धन बकाया है और इस धन के कब तक और कैसे भुगतान किये जाने की संभावना है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हाँ ।

(ख) नये व्यापार प्रबंध पर 16 अक्तूबर, 1971 को हस्ताक्षर किये गये और यह करार जुलाई, 1971 से सितम्बर, 1972 तक लागू रहेगा । इस योजना के अन्तर्गत भारत मिस्र से 35 करोड़ रुपये मूल्य की रुई और 1·5 करोड़ रुपये मूल्य की डिस्टिल्ड ग्लीसरीन, काओलिन तथा चावल का आयात करेगा । इसके बदले में भारत मिस्र को इतनी ही धनराशि अर्थात 36·5 करोड़ रुपये मूल्य के इंजीनियरी माल, पटसन से निर्मित माल, चाय, इस्पात की वस्तुएँ, सूत, रासायनिक पदार्थ, तम्बाकू, टायर तथा ट्यूब, रंजक पदार्थ तथा औषध तथा भेषजों आदि जैसे माल का निर्यात करेगा ।

(ग) अन्य देशों के समान मिस्र के साथ भी भारत का व्यापार एक अनवरत क्रिया है जिसमें दोनों पक्ष संतुलन व्यापार के इच्छुक होते हैं । 30 जून, 1971 को पहली योजना की अवधि समाप्त होने पर मिस्र का लगभग 4·5 करोड़ रुपये का अनुकूल व्यापार संतुलन था । निलंबित भुगतान की शर्तों वाली संविदाओं को छोड़कर, जिनकी किश्तों का भुगतान 1971-72 के वर्ष में देय है, और जिनके लिये चालू व्यापार योजना में व्यवस्था कर दी गई है, पुरानी संविदाओं के अन्तर्गत सप्लाई किये गये माल के निमित्त मिस्र को कोई और धन नहीं चुकाना है ।

सिगरेटों का निर्यात

323. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में और 1 अप्रैल, 1971 से 1 अक्तूबर, 1971 तक भारत ने कितनी सिगरेटों का निर्यात किया;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) सिगरेटों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख). वर्ष 1970-71 में तथा अप्रैल, 1971 से सितम्बर, 1971 की अवधि में क्रमशः 29·90 लाख रुपये मूल्य की 186 हजार किग्रा० तथा 185 लाख रुपये मूल्य की 1323 हजार किग्रा० सिगरेटों का निर्यात हुआ ।

(ग) भारत सरकार द्वारा आयोजित तम्बाकू निर्यात संवर्धन परिषद, मद्रास निरन्तर अनेक उपाय कर रही है, जैसे कि भारत में निर्यातकों तथा विदेशों में आयातकों के साथ संपर्क

रखना, बाजार जानकारी का प्रसारण, बाजार सर्वेक्षण करना तथा प्रदर्शनियों, मेलों द्वारा, और विदेशों में व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजकर तथा प्रचार फोल्डर का वितरण करके विदेशों में प्रचार इत्यादि । अपेक्षित आयातित अंतर्निवेश साधनों को उपलब्ध कराने के लिए प्रतिपूर्ति लाइसेंस की एक योजना चलाई जा रही है, जिसके अन्तर्गत जहाज पर मूल्य के 10% तक के आयात लाइसेंसों की अनुमति दी जाती है ।

निर्यात संवर्धन परिषदों को जारी रखने की वांछनीयता पर विचार करने के लिए नियुक्त किये गये पैनल का प्रतिवेदन

324. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात संवर्धन परिषदों को जारी रखने की वांछनीयता पर विचार करने के लिए नियुक्त पनल ने इस बीच अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो पैनल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) सरकार ने प्रतिवेदन पर क्या निर्णय किया है; और

(घ) क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग). सरकार ने निर्यात संवर्धन परिषदों को जारी रखने की वांछनीयता की जाँच करने के लिए कोई पैनल नियुक्त नहीं किया है। किन्तु, इस वर्ष के आरम्भ में इन परिषदों के कार्य की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा एक समिति गठित की गई थी । समिति का यह विचार है कि देश में इन परिषदों ने निर्यात जागरूकता पैदा करने और भारत को ऐसे देश के रूप में, जो क्वालिटी माल को प्रतियोगी कीमतों पर दे सकता है, प्रसिद्ध करने की आवश्यकता को पूरा कर लिया है । समिति ने इन समितियों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए कतिपय सुझाव दिये हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है।

निर्यात प्रक्रिया और दस्तावेजों के सरलीकरण के बारे में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का प्रतिवेदन

325. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात प्रक्रिया के सरलीकरण ओर दस्तावेजों के बारे में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख). निर्यात कार्यविधि तथा प्रलेखों के सरलीकरण के विषय में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की रिपोर्ट में दी गई 22 प्रमुख सिफारिशों में से 19 क्रियान्वित/सिद्धान्त: स्वीकृत की जा चुकी हैं । शेष 3 सिफारिशें प्रशासनिक कारणों से स्वीकार नहीं की गईं ।

निर्यातित प्रमुख वस्तुओं की मात्रा तथा मूल्य

326. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 और वर्ष 1971-72 में अब तक निर्यात की गई मुख्य वस्तुओं की मात्रा कितनी है तथा उनका मूल्य कितना है;

(ख) कुल निर्यात की वस्तुवार प्रतिशतता क्या है और गत वर्ष की तुलना में प्रतिशतता में कितनी वृद्धि अथवा कमी हुई है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख). विवरण (i) तथा (ii) संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—983/71.]**

आंध्र प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए बड़ी योजना को अंतिम रूप देना

327. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण की बड़ी योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त योजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). चौथी योजना की अवधि में कूपों/नलकूपों के समूहों को उर्जित करने पर ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों में जोर दिया जाना जारी है । राज्य की योजनाओं के परिव्ययों के अतिरिक्त ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए धन का प्रावधान करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में ग्राम विद्युतीकरण निगम का गठन किया गया है । भारत सरकार ने निगम को यह निदेश दिया है कि वे उन ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों को धन दें, जहाँ आमतौर पर किसी परियोजनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया हो ताकि अन्य निवेशों के साथ-साथ विद्युत के विस्तार कार्य के परिणामस्वरूप कृषि संबंधी उत्पादन में वृद्धि हो और खेती पर किये गये निवेशों से उपयुक्त लाभ हो । आर्थिक व्यवहार्यता की शर्त आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के मामलों में प्रारम्भ में कुछ समय के लिये, जो पाँच वर्षों से अधिक नहीं होता, छोड़ दी जाती है ।

आंध्र प्रदेश राज्य की योजना में, ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए चौथी योजना में 1,500 लाख रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है । आंध्र प्रदेश में, चौथी योजना के आरम्भ से 2,900 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है और 72,815 पम्प सेटों को उर्जित किया गया है; सितम्बर, 1971 के अन्त तक विद्युतीकृत ग्रामों की कुल संख्या 8,435 है और उर्जित पम्प सेटों की कुल संख्या 1,97,225 है । ग्राम विद्युतीकरण निगम ने आंध्र प्रदेश के लिये अब तक

11 स्कीमों की मंजूरी दी है। जिनसे 627 ग्रामों के विद्युतीकरण और 18,028 पम्प सेटों के उर्जन के लिये कुल 701·46 लाख रुपये की ऋण सहायता की अभिकल्पना की गई है। इसके अलावा, निगम ने आंध्र प्रदेश में एक प्रारम्भिक ग्राम विद्युत सहकारिता की परियोजना की मंजूरी दी है जिससे 127 ग्रामों के विद्युतीकरण और 8,000 पम्प सेटों के उर्जन के लिये कुल 296 लाख रुपये के परिव्यय की अभिकल्पना की गई है।

बेल्जियम के साथ व्यापार करार

328. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेल्जियम के साथ व्यापार तथा आर्थिक सहयोग के लिये अक्तूबर, 1971 में कोई करार किया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख). भारत बेल्जियम संयुक्त आयोग की प्रथम औपचारिक बैठक समाप्त होने पर, बैठक के सम्मत कार्यवृत पर ब्रसेल्ज़ में 1-10-71 को हस्ताक्षर किये गये।

सम्मत कार्यवृत की मुख्य-मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

1 अक्तूबर, 1971 को ब्रसेल्ज़ में भारत-बेल्जियम संयुक्त आयोग की प्रथम औपचारिक बैठक समाप्त होने पर ब्रसेल्ज़ में हस्ताक्षर किये गये संलेख की मुख्य-मुख्य बातें।

(क) सामान्यत: भारत-बेल्जियम व्यापार का और विशेषत: भारत से बेल्जियम को किये जाने वाले निर्यातों का विस्तार करने के उद्देश्य से बेल्जियम सरकार, एक भारत-बेल्जियम वाणिज्यिक विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में सहायता देने के लिये सहमत हो गई है। वित्त व्यवस्था करने के दृष्टिकोण से कार्यक्रम पर उनके द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ख) बेल्जियम सरकार भारत को अपने उत्पादकों का बेल्जियम के बाजारों में विपणन करने के निमित्त प्रत्येक संभव सहायता उपलब्ध करने पर सहमत हो गई है।

(ग) बेल्जियम सरकार, भारत में भारत-बेल्जियम संयुक्त उपक्रमों के निर्यात निष्पादन को बढ़ाने के लिए प्रत्येक संभव कार्य करने को सहमत हो गई है।

(घ) बेल्जियम सरकार परस्पर हित के क्षेत्रों में, विशेषत: जो निर्यात अभिमुख प्रकार के हों, भारत के औद्योगिक विकास में सहायता देने के लिये सहमत हो गई है।

(ड़) बेल्जियम सरकार, बेल्जियम व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में हमारे भाग लेने में

तकनीकी सहायता देने के लिये तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध करने के प्रश्न पर और आगे विचार करने के लिये सहमत हो गई है ।

(च) बेल्जियम सरकार इस बात पर भी सहमत हो गई है कि वह अन्य देशों में भारत बेल्जियम सहयोग को प्रोत्साहन देने के निमित्त जिसमें, संयुक्त उद्यम स्थापित करना भी शामिल है, अपने कतिपय बेल्जियम संगठनों के साथ अपने प्रभाव का प्रयोग करेगी ।

बिहार की मुख्य सिंचाई परियोजना को केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति

329. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की तीन मुख्य सिंचाई परियोजनाओं को अभी तक केन्द्र सरकार की स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) तथा (ख). बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित नई सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति नीचे दी गई है—

अजय नदी पर सिकतिया बराज परियोजना को राज्य के साधनों की स्थिति को देखते हुए योजना आयोग ने अभी तक स्वीकृति नहीं दी है ।

दामोदर घाटी निगम के वर्तमान तिलैया और कोनार जलाशयों से जल के व्यपवर्तन के लिये बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित दो परियोजनाएँ निगम द्वारा स्थापित एक तकनीकी समिति के विचाराधीन हैं ।

बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित उत्तरी कोयला परियोजना सोन बेसिन में है और उसके जल के बारे में मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच विचार-विमर्श चल रहा है ।

राज्य द्वारा प्रस्तावित दुर्गावती और बरनार जलाशय परियोजनाएँ केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के परीक्षाधीन हैं ।

चैकोस्लोवाकिया से व्यापार करार

330. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चैकोस्लोवाकिया के मध्य अक्तूबर, 1971 में किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये थे; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख). भारत और चैकोस्लोवाकिया के बीच वर्ष 1972 के दौरान पाल के आदान-प्रदान के संबंध में अक्तूबर, 1971 में प्राग

में एक व्यापार संलेख पर हस्ताक्षर हुए थे। संलेख में आगामी वर्ष के दौरान दोनों देशों के बीच 96·4 करोड़ रुपये से अधिक के कुल व्यापार की व्यवस्था की गई है। इसमें चैकोस्लोवाकिया को भारत से अपरम्परागत वस्तुओं के निर्यातों में उल्लेखनीय वृद्धि करने की व्यवस्था भी है।

अधिक दूरी तक जाने वाली श्रेणी रहित रेल गाड़ियों का चलाया जाना

331. **श्री बालतन्डायुतम** :
श्री राम सहाय पांडे :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक दूरी तक जाने वाली श्रेणी रहित रेलगाड़ियाँ चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उन्हें कब तक चलाया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं। केवल जनता एक्सप्रेस गाड़ियां चलायी जा रही हैं, जिनमें केवल तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए स्थान की व्यवस्था होती है। इन गाड़ियों का क्रमशः विभिन्न मार्ग पर विस्तार किया जा रहा है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

श्री लंका द्वारा तमिल दैनिक समाचार-पत्रों पर प्रतिबंध लगाया जाना

332. **श्री बालतन्डायुतम** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका ने कुछ तमिल दैनिक समाचार-पत्रों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है; और

(ख) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हाँ।

(ख) श्रीलंका सरकार के साथ कोलम्बो में हमारे उच्चायोग द्वारा मामला उठाया गया था और श्रीलंका के प्राधिकारियों के साथ और आगे बातचीत करने का विचार है।

डाक गाड़ियों की गति का बढ़ाया जाना

333. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डाक गाड़ियों से डाक के डिब्बे अलग किये बिना ही उनकी गति तेज करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : तेज रफ्तार से चलाने के लिए डाक के डिब्बों में उपयुक्त सुधार कर दिये गये हैं और उन्हें उन डाक गाड़ियों से नहीं हटाया गया है जिनकी रफ्तार 1-11-71 से बढ़ायी गयी है ।

सियालदह डिवीजन (पूर्वी रेलवे) में रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना

334. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत जुलाई से पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन में प्रतिदिन कितनी रेलगाड़ियों को रद्द किया गया और उनके रद्द किये जाने के कारण क्या थे;

(ख) गत जुलाई से सियालदह डिवीजन में खम्बों पर लगी ताम्बे की तार की चोरी की कितनी घटनाएँ हुई हैं; इससे रेल सेवा में अस्त-व्यस्तता की कितनी घटनाएँ हुई हैं और इससे रेलवे को कितनी हानि हुई है; और

(ग) इस अवधि में चीतपुर यार्ड में चोरी की कितनी घटनाएँ हुई हैं और इनसे कितनी हानि हुई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) सियालदह मण्डल में प्रतिदिन जितनी गाड़ियाँ रद्द की गयीं उनकी औसत संख्या जुलाई में 38, अगस्त में 48 और सितम्बर तथा अक्तूबर, प्रत्येक माह में 37 थी ।

(ख) जुलाई 71 से अक्तूबर, 71 तक की अवधि के दौरान चोरी के कुल मामलों की संख्या 111 थी । इसी अवधि में गाड़ियों के अस्त-व्यस्त होने की संख्या 1180 थी । इसी कारण लगभग 60,000 रुपये की हानि हुई ।

(ग) जुलाई-अक्तूबर, 71 के दौरान चोरी के मामलों की संख्या		10
कुल हानि	...	22,911 रुपये
वसूली		6,011 रुपये
शुद्ध हानि	...	16,900 रुपये

बिहार में बाढ़ के कारण रेलों को हानि

335. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में हाल की भारी बाढ़ के कारण रेलवे की कुल कितनी हानि हुई; और

(ख) बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त रेलवे लाइनों की मरम्मत के लिये कौन से उपाय किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमंतैया) : (क) लगभग 1,03,04,556 रुपये ।

(ख) बिहार में हाल में आयी बाढ़ से रेल-पथ में जिन स्थानों पर टूट-फूट हुई थी, उन सबकी मरम्मत कर दी गयी है। केवल साहेबपुर कमाल से मुंगेर घाट तक की रेल लाइन की मरम्मत नहीं हुई है जिसके लिए जाँच-पड़ताल की जा रही है।

भारतीय दस्तकारी वस्तुओं के लिए यूरोप में मंडियों का पता लगाने के बारे में कार्यवाही

336. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यूरोप की मंडियों में डिब्बे में बंद सरसों के साग, चम्बा में बने रूमाल, गलीचे, चम्बा में बने जूते और चप्पल, धातु से बनी मूर्तियाँ, डिब्बे में बंद और ताजे फल, मशाल, चाँदी से बने जेवरों के बारे में भारी माँग की जानकारी है; और

(ख) विदेशों में उपर्युक्त दस्तकारी वस्तुओं की मंडियों का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हाँ।

(ख) हस्तशिल्प की वस्तुओं तथा कालीनों को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय बाजारों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(1) मार्च-अप्रैल, 1970 के दौरान एक बिक्री-सह-अध्ययन प्रतिनिधिमंडल यूरोपीय साझा बाजार के देशों, ब्रिटेन और स्वीडन भेजा गया था।

(2) मई-जुलाई, 1970 में कश्मीरी हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यातकों का एक बिक्री-सह-अध्ययन-दल 15 देशों, जिनमें यूरोप के बाजार भी शामिल हैं, के लिए प्रायोजित किया गया था।

(3) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने जून, 1971 में हस्तशिल्प के चुने हुए व्यवसाय कार्यकारी-अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल यूरोपीय देशों के लिए प्रायोजित किया।

(4) विनिर्दिष्ट हस्तशिल्प वस्तुओं के आयात हेतु यूरोपीय आर्थिक समुदाय से 1 सितम्बर, 1969 से 50 लाख डालर का शुल्क रहित कोटा प्राप्त किया गया है 1 फिलहाल यह रियायत दिसम्बर, 1971 के अंत तक वैध है और इसकी अवधि और आगे बढ़ाये जाने की संभावना है।

(5) यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने व्यापक अधिमान योजना के अंतर्गत, जो 1 जुलाई, 1971 से लागू की गई है, हस्तशिल्प की सभी मदों की अधिकतम निर्धारित सीमा

तक शुल्क रहित प्रवेश की सुविधा भी प्रदान की है। इस समय यह रियायत 31 दिसम्बर, 1971 तक वैध है परन्तु इसकी अवधि बढ़ाये जाने की संभावना है।

(6) हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात बढ़ाने के लिए पंजीयति निर्यातकों को उनके हस्तशिल्प की वस्तुओं और हस्त-ग्रंथित ऊनी कालीनों के निर्यातों के बदले कच्चे माल हेतु आयात लाइसेंस देने की नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(7) हैम्बर्ग में 1965 में एक कालीन भांडागार डिपो स्थापित किया गया था जिसके फलस्वरूप पश्चिम जर्मनी को कालीनों तथा हस्तशिल्प वस्तुओं के हमारे निर्यातों में भारी वृद्धि हुई है।

(8) 1967 से ही भारत यूरोपीय देशों में विभिन्न स्थानों पर आयोजित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग ले रहा है।

(9) वर्ष 1968 में तैयार चमड़ा तथा चमड़े से निर्मित वस्तुओं की निर्यात संवर्धन परिषद कानपुर ने चम्बा के जूतों और चप्पलों के निर्यात की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए एक जूता तकनीशियन चम्बा भेजा। परिषद द्वारा लाये गये जूतों और चप्पलों के कुछ नमूने विभिन्न व्यापारियों/निर्यातकों तथा विदेशी खरीदारों को दिखाये गये हैं।

(10) डिब्बा बंद फलों तथा सब्जियों के निर्यात बढ़ाने के लिए अध्ययन-सह-बिक्री दल, बाजार अधिमुख दौरे (अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण की सहायता से) आयोजित किये गये हैं। कतिपय निर्यात संवर्धन परिषदों का एक संयुक्त विदेश कार्यालय ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में है जिसे डिब्बा बंद फलों और सब्जियों के निर्यात बढ़ाने तथा उनके लिये नये बाजारों का पता लगाने का काम भी सौंपा गया है।

(11) यूरोपीय देशों को फलों के निर्यातों के संवर्धन के लिए विमान भाड़े में 50% की नकद सहायता भी दी जाती है जो इस प्रकार के निर्यातों के विमान पर्यन्त मूल्य के 20% की समग्रत: अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होती।

(12) चाँदी के आभूषणों के निर्यात को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है।

दिल्ली से मंगलौर (दक्षिण रेलवे) को सीधी रेल सेवा आरम्भ करना

337. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पश्चिम तट तथा दिल्ली के बीच बड़ी संख्या में यात्रा करने वाले यात्रियों को सहायता देने के उद्देश्य से दिल्ली-मंगलौर के बीच सीधी रेल सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय के विचाराधीन है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : जी नहीं, इस मार्ग पर क्षमता की कमी के कारण कोई नयी गाड़ी चलाना संभव नहीं है।

कलकत्ता ट्यूब रेलवे के लिए भारत सरकार और सोवियत संरकार के मध्य समझौता

338. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्री सोमनाथ चटर्जी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में ट्यूब रेलवे के निर्माण की योजना की क्रियान्विति में रूस सरकार ने एक बार फिर इसमें शामिल होने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है;

(ख) क्या इस संबंध में रूस से कोई समझौता किया गया है और यदि हाँ, तो उस समझौते की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस समझौते से पूर्व इस संबंध में अन्य देशों से सहायता के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और यदि हाँ, तो सरकार ने रूस का प्रस्ताव किन कारणों से स्वीकार किया है; और

(घ) यह परियोजना कब आरम्भ की जाएगी और कब पूरी होगी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). कलकत्ता में महानगर परिवहन परियोजना के बारे में और तकनीकी सलाह देने के उद्देश्य से भारत में रूसी विशेषज्ञों के एक दल की प्रतिनियुक्ति के लिए 11-8-71 को मास्को 'टेक्नोएक्सपोर्ट' के साथ 16-9-70 की संविदा सं० 78077 के पूरक सं० 2 पर हस्ताक्षर किया गया था। करार की मुख्य बातें हैं :

(i) माँग करने वाले (भारत सरकार, रेल मंत्रालय) के अनुरोध पर 'टेक्नोएक्सपोर्ट' खरीदकर्ता के देश में कलकत्ता में महानगर रेल परिवहन की विकास संबंधी समस्याओं पर परामर्श देने के उद्देश्य से 3 महीने की अवधि के लिए अपने परामर्शदाताओं और एक तकनीकी सचिव की प्रतिनियुक्ति करेगा।

(ii) वर्तमान करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 3 महीने के अन्दर विशेषज्ञों की नियुक्ति की जायेगी।

(iii) भारत में रूसी विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित खर्चों की अदायगी भारतीय रुपये में की जायेगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) कलकत्ता में एक भूमिगत रेलवे के लिए कलकत्ता के महानगर परिवहन परियोजना (रेलें) संगठन ने एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है और अभी इस परियोजना की स्वीकृति सरकार द्वारा होनी है।

गाड़ियों का दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशन से देर से छूटना और वहाँ पर देर से पहुँचना

339. **श्री राम कंवर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार मास में दिल्ली और नई दिल्ली से देर से छूटने वाली और वहाँ देर से पहुँचने वाली रेलगाड़ियों के आँकड़े क्या हैं; और

(ख) क्या रेलवे में समय पालन की प्रवृत्ति में सुधार हुआ है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें गत चार महीनों के दौरान दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशनों पर गाड़ियों के ठीक समय पर आने और वहाँ से ठीक समय पर छूटने का प्रतिशत दिखाया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—984/71.**]

(ख) जी हाँ।

यूरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन के प्रवेश के परिणामस्वरूप यूरोप में भारत के निर्यात का बढ़ाया जाना

340. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** :
श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :
श्री वरके जार्ज :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन का प्रवेश हो जाने के परिणामस्वरूप भारत ने दोनों पश्चिमी और पूर्वी यूरोप में अपना निर्यात बढ़ाने का अभियान शुरू कर दिया है; और

(ख) इसका अब तक क्या प्रभाव पड़ा है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन के सन्निकट प्रवेश को देखते हुए पश्चिम यूरोप और पूर्व यूरोप दोनों को हमारे निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किये गये उपाय संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) वर्ष 1969-70 की तुलना में यूरोप (पूर्व व पश्चिम दोनों) को हमारे निर्यातों में 1970-71 के दौरान वृद्धि हुई है। जबकि पश्चिम यूरोप को होने वाले निर्यात 1969-70 में 295·22 करोड़ रुपये से बढ़कर 1970-71 में 300·3 करोड़ रुपये के हुए, पूर्व यूरोप को 1969-70 में 327·8 करोड़ रुपये के निर्यातों की तुलना में 1970-71 के दौरान 361·7 करोड़ रुपये के निर्यात हुए।

विवरण

यूरोपीय देशों (पूर्व व पश्चिम दोनों) को हमारे निर्यातों का विस्तार व वृद्धि करने के लिए विभिन्न उपायों व युक्तियों की रूपरेखा निर्यात नीति संकल्प में दी गई है। जहाँ तक पश्चिम यूरोपीय देशों का संबंध है, उनके साथ आवश्यक वाणिज्यिक संपर्क बढ़ाने और पश्चिमी दुनिया को, वाणिज्यिक प्रतिस्पर्द्धा के आधार पर निर्यात हेतु उपलब्ध भारतीय उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित करने की दृष्टि से विपणन जानकारी के एकत्र किये जाने, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों के दौरों/आदान-प्रदान, मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी, सीधे व्यापार संपर्क स्थापित किये जाने आदि को विशेष महत्व दिया जाता है। तथापि, भारत में विदेशी मुद्रा का अभाव सुनियोजित ढंग से इन कार्यकलापों के आयोजन में एक बड़ा ही अवरोधक कारण है। इसलिए, इन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए अधिकतम संभव सीमा तक पश्चिम यूरोपीय सरकारों की सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। फ्रांस, इटली, जर्मन संघीय गणराज्य, आस्ट्रिया, स्विटजरलैंड, बेल्जियम में से कुछ सरकारों के साथ भारत तथा इन देशों के बीच हुए करारों/प्रबन्धों के अंतर्गत इस विषय पर और व्यापार के संबंध में वार्ताएँ अधिकारिक स्तर पर प्रतिवर्ष आयोजित की जाती हैं। नीदरलैंड, स्पेन, टर्की, डेनमार्क और नार्वे के साथ इसी प्रकार के करार करने के लिए विचार-विमर्श करने के प्रबंध विद्यमान हैं। विद्यमान करारों की रूपरेखा के अंतर्गत ही स्वीडन, फिनलैंड और यूनान की सरकारों के साथ आवधिक परामर्श करने के लिए भी उपाय किये जा रहे हैं। इसके अलावा, पश्चिम यूरोपीय देशों में से किसी सरकार की सहायता से एक उत्पाद-वार विकास कार्यक्रम तैयार करने के लिए कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। जर्मन संघीय गणराज्य और फ्रांस की प्रारंभिक प्रतिक्रिया उत्साह-जनक रही है। पश्चिम यूरोपीय देशों को भारत की औद्योगिक प्रगति और विभिन्न उत्पादों की पूर्ति क्षमता और औद्योगिक/वाणिज्यिक सहयोग की गुंजाइश, जो विशेषतः निर्यात अभिमुख परियोजनाओं के संबंध में अभी भी विद्यमान है, के बारे में परिचित कराने के उपाय भी किये गये हैं। पश्चिम जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम से उच्च-स्तरीय आर्थिक मिशन भारत का दौरा कर चुके हैं और पश्चिम यूरोप के अन्य विकसित देशों से इसी प्रकार के मिशन आमंत्रित किये जाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। पश्चिम यूरोप के कतिपय देश जैसे कि स्पेन, टर्की और यूनान औद्योगिक क्षेत्र में, भारत की तुलना में कहीं कम-विकसित हैं। भारत तथा इन देशों के बीच अधिकाधिक वाणिज्यिक और औद्योगिक सहयोग की संभाव्यता का पता लगाने के दृष्टिकोण से उनके साथ आर्थिक प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान के लिए भी कार्यवाही की जा रही है। टर्की से एक मिशन भारत की यात्रा पहले ही कर चुका है और जहाँ भारतीय प्रतिनिधिमंडल के इसके बदले में यथासंभव शीघ्र यात्रा करने की आशा है, यूनान तथा स्पेन से भी ऐसे ही मिशन आमंत्रित करने की प्रस्थापना है।

पूर्व यूरोप के साथ हमारे कुल व्यापार में पर्याप्त वृद्धि हुई है और 1960 में 136 करोड़ रुपये की अपेक्षा 1969 में 613 करोड़ रुपये का और 1970 में 587 करोड़ रुपये का व्यापार हुआ है। हमारे आयातों में काफी कमी आ गई है अर्थात 1969 में 320 रुपये मूल्य के आयातों की अपेक्षा 1970 में 240 करोड़ रुपये के हुए। वार्षिक व्यापार वार्ताओं के दौरान हम समाजवादी सरकारों पर व्यापार परिमाण में कम से कम 10% की वृद्धि के लिए दबाव डालते हैं। इसके

अतिरिक्त, इन देशों से भारत की यात्रा पर आने वाले प्रतिनिधिमंडलों को औद्योगिक क्षेत्र में भारत द्वारा की गई प्रगति की जानकारी दी जाती है।

नदी प्रणाली का अध्ययन और बाढ़ नियंत्रण करने के बारे में गंगा आयोग की स्थापना

341. **श्री सतपाल कपूर** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नदी प्रणाली का अध्ययन करने और गंगा बेसिन में बाढ़ों पर नियंत्रण करने के लिए एक गंगा आयोग की स्थापना की है; और

(ख) यदि हाँ, तो आयोग के गठन और कृत्यों का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). मामले की जाँच की जा रही है।

रूस के साथ रुई व्यापार करार

342. **श्री बीरेन दत्त** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस के बीच भारत को परिष्कृत करने के लिए कपास सप्लाई करने के बारे में कोई करार हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो करार का ब्यौरा क्या है और उसकी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) उक्त करार को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हाँ।

(ख) करार की शर्तों के अनुसार, जो कि 1972 से चार वर्ष की अवधि के लिए है, भारत प्रतिवर्ष लगभग 20,000 मे० टन रूसी रुई सूती वस्त्रों और अन्य उत्पादों के रूप में बदलने और उन्हें पुनः सोवियत संघ को निर्यात करने हेतु प्राप्त करेगा। भारत परिवर्तन प्रभार प्राप्त करेगा जो प्रतिवर्ष परस्पर निर्धारित किये जाएँगे।

(ग) करार के विभिन्न ब्यौरे देने वाले एक संलेख पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किये जायेंगे।

दक्षिण रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया जाना

343. **श्री दशरथ देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे कर्मचारी संघ ने डिवीजनल पर्सनल मैनेजर, दक्षिण रेलवे, मद्रास को 18 सितम्बर, 1971 को कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हाँ, तो ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) ज्ञापन में उल्लिखित कठिनाइयों के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) ज्ञापन में उठाये गये प्रमुख मुद्दे वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब, मंहगाई भत्ते में वृद्धि, 55 वर्ष की आयु पर समीक्षा किये बिना 58 वर्ष की आयु तक कर्मचारियों को सेवा में जारी रखना, मितव्ययता के उपायों के कारण कर्मचारियों की छँटनी और रेल कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित कुछ अन्य बातों के संबंध में थे ।

(ग) इस प्रकार के मुद्दे मान्यता-प्राप्त श्रम संगठनों द्वारा समय-समय पर उठाये जाते हैं और विभिन्न स्तरों पर वार्ता-तंत्र की बैठकों में विचार-विमर्श के द्वारा सामान्यतया तय कर लिये जाते हैं ।

Closure of S. S. Light Railway

344. SHRI MULKI RAJ SAINI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the date on which S. S. Light Railway was closed by M/s. Martin and Burn Company;

(b) the income and expenditure of the Company for five years before the closure of the said Railway;

(c) the number of employees, gradewise employed on the said Railway and the number of employees absorbed thereafter; and

(d) the amount of expenditure of Company's Calcutta Headquarters that was being borne by S. S. Light Railway ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) The S. S. Light Railway was closed on 1-9-70.

(b) The information is as under :

Year	*Income in lacs of Rs.*	*Expenditure in lacs of Rs.*
1965-66	42·96	45·56
1966-67	48·44	51·19
1967-68	51·72	51·41
1968-69	44·78	50·44
1969-70	49·81	57·26

(c) The information is given in the statement laid on the table of the House. [*Placed in the library. See* No. LT 985/71.]

(d) It is understood that the following amount of expenditure of Company's Calcutta Headquarters was being borne by S. S. Light Railway :

Year	*Amount*
1965-66	Rs. 5,28,000
1966-67	Rs. 5,45,000
1967-68	Rs. 6,25,000
1968-69	Rs. 6,71,000
1969-70	Rs. 6,85,000

Coal Supplied to M/s. Martin and Burn Company

345. SHRI MULKI RAJ SAINI : Will the Minister of RAILWAY be pleased to state the price of coal supplied to M/s. Martin and Burn Company as also the price at which Government procured the coal ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : Railways have made no supply of coal to M/s. Martin and Burn Company. Coal is procured by the Railways for their use in different years at different prices for each grade. Currently the maximum prices paid for different grades of coal are indicated below :

Coalfield	*Grade of coal*	*Type of coal*	*Rate per tonne in Rs.*
Bengal & Bihar	Selected 'A'	Steam	39·09
	Selected 'B'	Steam	37·62
	Grade–I	Steam	34·26
	Grade–II	Steam	29·55
Madhya Pradesh and Maharashtra	Selected	Steam	38·35
	Grade–I	Steam	34·96
	Grade–II	Steam	32·87
Orissa	Selected	Steam	42·52
Singareni	Ungraded	Round	40·72
Assam	Ungraded	R. O. M.	37·63

Steps to safeguard India's Textile Export Trade Against British Import Duty

346. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state the steps being taken to provide safeguards to the Indian textile export trade worth about Rs. 110 crores against the adverse effect of British import duty ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI L. N. MISHRA) : Apart from the strengthening of the normal measures of export assistance, a selective assortment of qualities of textiles that can be supplied to UK market at competitive prices has been undertaken so that export efforts are concentrated on these qualities.

Progress Made by Yamuna Committee

347. SHRI RAM CHANDRA VIKAL : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) the date when Yamuna Committee was constituted as also the names of members thereof at present;

(b) the number of dams constructed over Yamuna river in Haryana and Delhi areas during the last five years and the number of those for which sanction of the said Committee was obtained and the number of those for which sanction was not obtained; and

(c) the estimated amount of damage caused in the districts of Saharanpur, Muzaffarnagar, Meerut, Bulandshahr and Aligarh in Uttar Pradesh due to the construction of dams over Yamuna in the aforesaid areas and the action proposed to be taken in future to save these areas from such damage ?

THE DEPUTY MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (SHRI BAIJ NATH KUREEL) : (a) The Yamuna Committee was constituted in 1955 as a Standing Committee of the Ganga River Commission for the co-ordinated implementation of flood protection measures on the Yamuna between Tajewala and Okhla with a view to obviate any adverse effect resulting from such works.

The Committee consists of the following :

Member, Foold & Soil Conservation, Central Water and Power Commission	Chairman
Chief Engineer, Irrigation, Uttar Pradesh	Member
Chief Engineer, Haryana	Member
Chief Engineer, Northern Railway	Member
Director-General (Roads Wing) Ministry of Transport	Member
Chief Engineer, Floods, Delhi Administration	Member
Director, Hydrology, Central Water and Power Commission	Member
Director, Flood Control & Drainage, C. W. & P. C.	Member-Secretary

(b) No dam has been constructed on the Yamuna either in Haryana or Delhi territories. However, two embankment schemes with a total length of 13·5 kms in Haryana and two embankments with total length of 9 km in Delhi territory have been constructed in the last five years with the approval of the Yamuna Committee. Construction of embankments either in Haryana or in Delhi territory without the approval of Yamuna Committee has not been brought to the notice of the Committee.

(c) The magnitude of the floods and the nature or erosion along a river depends upon a number of factors and as such it is not feasible to estimate the amount of damage caused specifically by the execution of certain works. The Yamuna Committee reviews from time to time the damage caused by floods and erosion and the measures proposed by the States for protection and approves such measures as are considered necessary. At the last meeting of the Yamuna Committee held in May, 1971, the following works proposed by Uttar Pradesh Government have been approved :

S. No.	Name of Scheme	District	Estimated cost (Rs. lakhs)
1	2	3	4
1.	Construction of protection works near villages Ramra, Haiderpur and Mandwar.	Muzaffarnagar	9·9
2.	Construction of 2·6 km long embankment protected by studs, near village Barhi Mustafabad	—do—	25·0
3.	Construction of spurs and ring bund near village Fatehpur	—do—	9·0
4.	Construction of studs near village Tanda	Meerut	4·5

माल्दा जिले में फरक्का बाँध परियोजना के भाग के रूप में उभार बाँध का निर्माण

348. **श्री दिनेश जोरदार** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने माल्दा जिले में फरक्का बाँध परियोजना के भाग के रूप में एक उभार बाँध का निर्माण करने हेतु धन देने का कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). बराज के किनारों के ऊपर से पानी के बहाव को रोकने में और भी सावधानी बरतने के रूप में कालिन्दी रेगुलेटर से फरक्का बराज के मौजूदा बायें एफ्लक्स बंध तक गंगा के बायें किनारे के साथ एक सहायक एफ्लक्स बंध के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

बाढ़ लाने वाली दामोदर, मयूराक्षी, कांगसाबाती और तीस्ता नदियों पर नियंत्रण

349. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को देखते हुए कि पश्चिम बंगाल में प्रतिवर्ष बाढ़ का आना एक सामान्य बात हो गई है, राज्य में बाढ़ आने वाली दामोदर, मयूराक्षी, कांगसाबाती और तीस्ता जैसी मुख्य नदियों पर नियंत्रण करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भविष्य में उक्त नदियों पर नियंत्रण करने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). विगत 27 वर्षों के दौरान, बाढ़ों और जल-निस्सार संकुलन के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिये पश्चिम बंगाल राज्य के विभिन्न भागों में उपलब्ध निधि से बाढ़-नियंत्रण और जल-निस्सार सुधार कार्य कार्यान्वित किये गये हैं । मार्च, 1971 के अन्त तक 14·4 करोड़ रुपये के परिव्यय से जो निर्माण-कार्य किये गये, उनमें 321 किलोमीटर के तटबंध, 278 किलोमीटर जल-निस्सार-सरणियाँ और 23 नगर बचाव-स्कीमें सम्मिलित हैं । इससे 6·3 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को लाभ पहुँचा है । मयूराक्षी और कांगसाबाती नदियों पर सिंचाई के लिये संचय-जलाशयों का निर्माण किया गया है जिनसे बाढ़ों के संतुलन में सहायता हो रही है और उनके परिणामस्वरूप, फिलहाल इन नदियों से किसी गंभीर बाढ़ समस्या की आशंका नहीं है । दामोदर नदी पर,

दामोदर घाटी निगम ने बाढ़-संतुलन जलाशयों का निर्माण किया है और 1970-71 के दौरान निम्न दामोदर बाढ़-नियंत्रण और जल-निस्सार स्कीम हाथ में ले ली गई हैं।

(ग) और (घ). राज्य सरकार से यह निवेदन किया गया है कि वह हाल के वर्षों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए बाढ़ और जल-निस्सार की समस्या की विस्तृत जाँच करे और प्राथमिकता वाले निर्माण-कार्यों का संकेत देते हुए, जिनसे 1981 तक बाढ़ से ग्रस्त होने वाले कम से कम 50 प्रतिशत क्षेत्र के बचाव की व्यवस्था की जा सकेगी। 1972 के अन्त तक बचाव की व्यापक योजना तैयार करे। तीस्ता, तोरसा और जलढाका जैसी उत्तर बंगाल की नदियों पर बाढ़ नियंत्रण के उपायों के संबंध में अन्वेषण करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उत्तर बंगाल बाढ़-नियंत्रण आयोग की स्थापना की गई है। जब तक व्यापक योजनाओं के संबंध में निर्णय नहीं हो जाता, तब तक उन स्कीमों को, जो इन्हीं योजनाओं की अंग हैं, यथाशीघ्र कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इनमें माल्दा जिले के क्षेत्रों को लाभ पहुँचाने के लिए 376 लाख रुपये की अनुमानित लागत से महानंदा पर तटबंधों का और जलपाईगुड़ी नगर के क्षेत्रों की रक्षा के लिए कराला व्यपवर्तन स्कीम का निर्माण सम्मिलित है।

नंगल स्थित ब्यास डिजाइन संगठन के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान

350. **श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल स्थित ब्यास डिजाइन संगठन में कार्य कर रहे कई अधिकारियों को गत छः महीनों से वेतन नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनको बकाया धनराशि का शीघ्र भुगतान करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). ऐसा कोई भी मामला नहीं आया है, जिसमें ब्यास डिजाइन संगठन के कर्मचारियों के वेतन की अदायगी न की गई हो।

Sale of Tickets at Pali-Marwar Railway Station

351. SHRI M. C. DAGA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state the total number of first class and third class tickets sold for 2-Up and 3-Down and 209 Up and 210-Down trains at Pali-Marwar Railway Station on Northern Railway during the last three years ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : No train numbered as 2 Up and 3 Down passes through Pali-Marwar railway station.

The total number of first and third class tickets sold for 209 Up and 210 Dn Marwar-

Rewari Passenger trains at Pali-Marwar railway station during the last three years is as under :

Period	*First Class*		*Third Class*	
	209 Up	210 Dn	209 Up	210 Dn
July '68 to June '69	125	68	60,901	26,653
July '69 to June '70	141	48	59,587	22,178
July '70 to June '71	152	65	68,557	38,230

Exploitation of Small Mica Traders

352. SHRI S. D. SINGH :
SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE :

Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether Government have received any complaint to the effect that small mica-traders are being exploited by big mica-traders; and

(b) if so, the steps taken by Government to check such exploitation ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI L. N. MISHRA) : (a) Representrtions have been received that small mica-traders are not at times able to secure export orders.

(b) The question of assisting the small mica traders in exporting mica is under active consideration.

Nationalisation of Mica Export Trade

353. SHRI S. D. SINGH : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether Government propose to increase mica export by nationalising the export trade of mica;

(b) if so, by what time; and

(c) the steps taken by Government for its nationalisation ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI L. N. MISHRA) : (a) to (c). Government is taking various measures for promoting export of mica. It is proposed to canalise the export of mica through a State agency shortly. To make indigenous purchase of mica through a State agency is also under active consideration of the Government. This is being done with a view to avoid exploitation of small mica producing people and also that of workers working in mica mines.

पंडानल रेलवे स्टेशन से लौहट (पूर्वोत्तर रेलवे) तक यात्री गाड़ी का चलाया जाना

354. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के दरभंगा जिले में लोहाट नामक स्थान पर चीनी का एक बड़ा कारखाना है;

(ख) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के सरकारी-जयनगर सैक्शन में पंडानल से लोहाट तक माल गाड़ी सेवा उपलब्ध है;

(ग) क्या पंडानल रेलवे स्टेशन से लोहाट तक यात्री गाड़ी सेवा चालू करने के लिये जनता माँग कर रही है; और

(घ) इस माँग के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) जी हाँ ।

(घ) यह माँग न तो यातायात की दृष्टि से औचित्यपूर्ण है और न ही लोहाट स्टेशन पर आवश्यक सुविधाओं के अभाव में परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक है ।

रिवाड़ी जंक्शन (उत्तर रेलवे) से अहमदाबाद (पश्चिम रेलवे) तक दुहरी रेलवे लाइन

355. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के रिवाड़ी जंक्शन से पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद तक बड़ी रेलवे लाइन को दुहरा करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस पर कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग). दिल्ली-अहमदाबाद (मीटर आमान) लाइन पर लाइन क्षमता संबंधी आवश्यकताओं का पता लगाने के लिये एक यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है । इस लाइन के किसी भाग पर यदि दुहरी लाइन बिछाने की आवश्यकता है, तो किस भाग पर, इसका निर्णय उक्त सर्वेक्षण की रिपोर्ट मिलने और उसकी जाँच-पड़ताल कर लेने के बाद ही किया जायेगा ।

महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का वातानुकूलित किया जाना

356. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों को वातानुकूलित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो कौन-कौन सी रेलगाड़ियाँ वातानुकूलित हैं;

(ग) पूर्ण निर्माण के पश्चात् प्रत्येक वातानुकूलित डिब्बे की अनुमानित लागत क्या होगी; और

(घ) रेलगाड़ियों की वर्तमान गति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) देश की मुख्य गाड़ियों को वातानुकूलित करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

विधि आयोग का पुनर्गठन

357. **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री विश्वनारायण शास्त्री :
श्री जार्ज बरके :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विधि आयोग का पुनर्गठन किया है;

(ख) पुनर्गठित आयोग का कार्य क्षेत्र और कृत्य क्या होंगे; और

(ग) आयोग के पुनर्गठन के क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हाँ । विधि आयोग 1 सितम्बर, 1971 से तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठित किया गया है ।

(ख) विधि आयोग के निर्देश-पदों को दर्शाने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(ग) प्रारंभ में विधि आयोग 1955 में स्थापित किया गया था और तब से एक समय पर तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठित किया जाता रहा है । विशेषज्ञों के एक निकाय के रूप में आयोग ने देश की विधि-प्रणाली और विधियों के विकास और पुनरीक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान किया है । यदि विधियों को देश की प्रगति और विकास के अनुकूल रखना है तो इस प्रक्रिया को जारी रखना होगा । वस्तुतः, हितकारी राज्य की अपेक्षाओं के संदर्भ में कुछ और भी अधिक करने की आवश्यकता है, उदाहरणार्थ, संविधान के निदेशक तत्वों की पृष्ठभूमि में विद्यमान विधियों का परीक्षण, संविधान के कार्यकरण का पुनरीक्षण आदि । उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए आयोग का विस्तृत निर्देश-पदों के साथ 1-9-1971 से पुनर्गठन किया गया है ।

विवरण

1 सितम्बर, 1971 से पुनर्गठित विधि आयोग के निर्देश-पद मोटे तौर पर निम्न-लिखित हैं :

(i) विधियों को, सामान्य तौर पर और विशिष्ट रूप में प्रक्रिया संबंधी विधियों को, सरल बनाना;

(ii) यह पता लगाना कि क्या कोई उपबंध संविधान से असंगत है और उनमें आवश्यक परिवर्तन और लोप सुझाना;

(iii) उच्च न्यायालयों में दिए गए परस्पर विरोधी विनिश्चयों द्वारा या अन्यथा प्रकट विषमताओं और संदिग्धताओं को दूर करना;

(iv) राज्य विधान मंडलों द्वारा समवर्ती-क्षेत्र में किए गए स्थानीय परिवर्तनों पर एकरूपता लाने और बनाये रखने की दृष्टि से विचार करना;

(v) एक ही विषय से संबंधित अधिनियमों को ऐसे तकनीकी पुनरीक्षण के साथ समेकित करना जैसा आवश्यक हो;

(vi) संविधान के भाग IV में अन्तर्विष्ट राज्य की नीति के निदेशक तत्वों की पृष्ठभूमि में विद्यमान विधियों की परीक्षा करना और उस सीमा तक संशोधनों के लिए सुझाव देना जहाँ तक ये विधियाँ इन तत्वों से असंगत हैं;

(vii) विधियों के पुनरीक्षण में सामान्य नीति का सुझाव देना;

(viii) निदेशक तत्वों को प्रभावशील बनाने के लिए किसी नये विधान की उपयोगिता या आवश्यकता के बारे में विचार करना;

(ix) संविधान के कार्यकरण का पुनरीक्षण करना और इस उद्देश्य से संशोधनों का सुझाव देना कि संविधान के अधीन विभिन्न प्राधिकारी निदेशक-तत्वों का क्रियान्वयन अधिक प्रभाव-पूर्ण ढंग से कर सकें ।

एफ्रो-एशियाई देशों में तकनीकी संस्थानों की स्थापना

358. **श्री सरजू पांडे** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की एक फर्म, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने विदेशी सहयोग से कुछ एफ्रो-एशियाई देशों में कुछ तकनीकी संस्थानों की स्थापना की है;

(ख) यदि हाँ, तो उन देशों के नाम क्या हैं;

(ग) सरकारी उपक्रमों द्वारा उन देशों में क्या कार्य प्रारंभ किया जायेगा;

(घ) इससे भारत कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकेगा; और

(ड़) अन्य विकसित देशों के मुकाबले भारतीय माल को कितनी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना होगा ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ड़). इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, जो कि एक सरकारी उपक्रम है, का मुख्य कार्य पारिश्रमिक आधार पर अन्य देशों में हाथ में ली गई परियोजनाओं को तकनीकी परामर्शी सेवाएँ प्रदान करना है। उन्होंने अब तक जो विदेशी दायित्व संभाला है वह है ईरान में शिराज रिफाइनरी। इस मामले में उन्होंने मैसर्ज प्रोगैट्टी आफ इटली के उप-संविदाकार के रूप में इंजीनियरी व अधिप्राप्ति सेवाओं का निष्पादन किया है।

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने 5·5 लाख रुपये इन सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के रूप में अर्जित किये हैं। इसके अलावा, ईरान को परियोजना हेतु इस देश से 57 लाख रुपये मूल्य के उपस्करों का निर्यात भी किया गया है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड अन्य देशों में इसी प्रकार के उपक्रम प्राप्त करने के प्रयत्न कर रहा है।

चमड़े के वस्त्रों का उत्पादन

359. **श्री वी० मायावन** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोप के खरीदार चमड़े की अपेक्षा चमड़े से बने वस्त्रों को खरीदना चाहते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने चमड़े के वस्त्रों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हाँ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें इस संबंध में किये गये महत्व-पूर्ण उपाय दिखाए गये हैं।

विवरण

सरकार ने चमड़ा परिधानों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं :

(1) सरकार ने तैयार चमड़े तथा चमड़े की वस्तुओं के लिए निर्यात संवर्धन परिषद, कानपुर की स्थापना की है जो निर्यात उत्पादन को बढ़ाने के लिए समय-समय पर चमड़े के परिधानों के नमूनों का आयात करती है। इन नमूनों को, इन वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग किये जाने वाले चमड़े की किस्म, और अस्तर की किस्म, फैशन और उनकी सिलाई के संबंध में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, परिषद की सहायक संस्थाओं को दिखाया जाता है।

(2) परिधान बनाने के चमड़े तथा चमड़े के परिधानों के उत्पादन के लिए अपेक्षित मशीनों का आयात पूंजीगत माल योजना के अन्तर्गत करने की अनुमति है।

(3) सरकार ने हाल में व्यापार विकास प्राधिकरण की स्थापना की है जिसने लघु स्तर पर अपने ग्राहकों के लिए चमड़े के परिधानों के उत्पादन तथा निर्यात में वृद्धि करने के कार्य को अपने कार्यक्षेत्र में ले लिया है।

(4) अधिक निर्यात क्षमता वाले औद्योगिक एकक, अनुज्ञप्त क्षमता के संबंध में वरीयता, किस्म सुधारने के लिए तकनीकी तथा प्रबंधकीय सहायता, पूर्ति के पसंद के स्रोतों से अनुरक्षण सामग्री, कच्चे माल संघटकों तथा उपभोक्ता भंडारों के आयात की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने क पात्र हैं।

(5) चमड़े के परिधानों के निर्यात पर 15% की आयात प्रतिपूर्ति।

कयर उत्पादन क्षमता के अनुसंधान के लिए योजना

360. **श्री वी० मायावन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न केवल कयर की किस्म में सुधार करने और उसकी लागत में कमी करने के लिए वरन् उसकी नई उत्पादन क्षमता का पता लगाने के लिए लाभप्रद अनुसंधान कराने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी है;

(ख) क्या भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने इस प्रयोजन के लिए 33 लाख रुपयों की लागत की एक योजना की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हाँ, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हाँ। कयर बोर्ड के अन्तर्गत एक पूरा अनुसंधान संस्थान कार्य कर रहा है और कयर पर अनुसंधान कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार हाल में एक व्यापक योजना पर विचार कर रही है।

(ख) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा कयर उद्योग पर किए गए सर्वेक्षण की अंतिम रिपोर्ट सरकार को अभी प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जूट के उत्पादन में कमी

361. **श्री पी० ए० सामिनाथन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लगभग 88 करोड़ रुपये की कीमत के लगभग 2, 95,000 टन जूट के कम उत्पादन के क्या कारण हैं;

(ख) भविष्य में इस प्रकार की भारी उत्पादन क्षति से बचने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं; और

(ग) जबरन छुट्टी देने के लिए क्षतिपूर्त्ति की अदायगी के लिए उक्त उद्योग को किस प्रकार की सहायता दी जा रही है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जनवरी-सितम्बर, 1971 में बिजली के फेल हो जाने के कारण, लगभग 6·48 करोड़ रु० मूल्य के लगभग 18,500 मे० टन के पटसन के माल की उत्पादन हानि होने के अलावा किसी अन्य प्रकार के उत्पादन की हानि की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस समस्या की सतत् समीक्षा करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति की स्थापना की है । भारी काम-काज के घंटों में बिजली की खपत भी विनियमित की जाती है । इससे बिजली का सामान तथा निरन्तर वितरण सुनिश्चित हो जाना चाहिये ।

(ग) इसके लिए सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी जा रही है ।

काली मिर्च के निर्यात में कमी

362. **श्री पी० ए० सामिनाथन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में काली मिर्च के निर्यात के 19,800 टन से घटकर वर्ष 1970-71 में 17,000 टन ही रह जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) काली मिर्च के निर्यात में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) 1969-70 में इण्डोनेशिया की फसल बहुत कम थी तथा आकर्षक कीमतों और अच्छी माँग के परिणामस्वरूप वर्ष 1970-71 की तुलना में अपेक्षतया अधिक निर्यात हुआ था । 1970-71 में तो देश का उत्पादन गिर गया था और पूर्वाविशिष्ट स्टाक कम था और घरेलू माँग बढ़ने के कारण निर्यात योग्य बेशी माल कम था ।

(ख) कृषि मंत्रालय उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कार्यवाही कर रहा है ।

पी० एल० 480 कपास का पोत लदान

363. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० एल० 480 कपास की बकाया मात्रा के पोत लदान के बारे में हाल ही में भारत का दौरा करने वाले अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा दिये गए आश्वासन को अमरीकी प्राधिकारी पूरा कर रहे हैं; और

(ख) क्या अमरीका ने भारत सरकार की इस बात को मान लिया है कि वह पी० एल० 480 कपास की बकाया मात्रा के परिवहन-व्यय के भुगतान की जिम्मेदारी अपने पर नहीं लेगी ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हाँ ।

(ख) प्रतिनिधि-मण्डल शिपर्स एसोसियेशन के सदस्यों को यह सलाह देने के लिए सहमत हो गया है कि वे परिवहन व्यय के भुगतान के दावों पर जोर न दें ।

कपास संबंधी निर्यात नीति का पुनरीक्षण

364. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपास संबंधी निर्यात नीति के पुनरीक्षण के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस पुनरीक्षण से कपास के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) कपास संबंधी, पुनरीक्षित निर्यात नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग). चालू वर्ष में कच्ची रुई, मुख्यतः बंगाल देशी की 2 लाख गाँठों तक निर्यात करने की अनुमति दी गई है । यह अधिकतम सीमा, भारत से गत पाँच-छः वर्षों में हुए, औसतन वार्षिक निर्यात के बराबर है ।

परिमाणात्मक सीमा निर्धारित करने से निर्यात प्रवृत्ति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है परन्तु उसमें निर्यातों के लिए पर्याप्त मात्रा की व्यवस्था है और देश में इन किस्मों की रुई की अधिक खपत के लिए भी मात्रा शेष बच जाती है ।

चर्म उद्योग के लिए आयात लाइसेंस

365. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चर्म उद्योग के लिए मशीनें आयात करने हेतु कितने लाइसेंस विचाराधीन हैं;

(ख) लाइसेंसों के लिए तमिलनाडु से कितने आवेदन-पत्र आये हैं और कितने अभी तक सरकार के पास विचाराधीन पड़े हैं;

(ग) चर्म निर्यात में वृद्धि करने के रास्ते में कौन से कर बाधक हैं; और

(घ) क्या मशीनों के लिए लाइसेंस देने में विलम्ब करना निर्यात में बाधक हुआ है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) 28.

(ख) तमिलनाडु से प्राप्त अनिर्णीत आवेदन-पत्रों की संख्या ग्यारह है ।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) जी नहीं ।

भारतीय ऊनी वस्त्रों को लीबिया में बेचे जाने की संभावनाएँ

366. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने लीबिया के विभिन्न प्रकार के ऊनी वस्त्रों का निर्यात करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ख) क्या भारत में निर्मित ऊनी कम्बल और सूटिंग कपड़े को लीबिया में बेचे जाने की संभावनाओं का पता लगाया गया है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क)तथा (ख) .,1966 में भारतीय विदेश व्यापार संस्था तथा 1969 में व्यवहारिक आर्थिक गवेषणा की राष्ट्रीय परिषद द्वारा लीबिया के विषय में बाजार सर्वेक्षण किये गये थे जिनमें वस्त्र, हौजरी तथा कम्बल शामिल थे । इसके अतिरिक्त, 1969 में ऊन तथा ऊनी निर्यात संवर्धन परिषद से एक प्रतिनिधि मंडल ने लीबिया का दौरा किया । हौजरी लीबिया को निर्यात की एक प्रमुख मद रही है और 1969-70 तथा 1970-71 में लीबिया को ऊनी हौजरी, के कुल निर्यात क्रमश: 48·49 लाख रु० तथा 61·55 लाख रु० मूल्य के रहे । लीबिया में सिलाई की कठिनाइयों के कारण वस्त्रों के लिये वहाँ पर बहुत ही सीमित बाजार है और कम्बलों को पूर्वी यूरोप के देशों से कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है परन्तु इसके बावजूद भी हमारे निर्यातों के संवर्धन के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।

भारतीय काफी बाजार सर्वेक्षण प्रतिनिधिमंडल का प्रतिवेदन

367. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय काफी बाजार सर्वेक्षण प्रतिनिधिमण्डल ने, जिसने कुछ यूरोपीय देशों का दौरा किया था, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) प्रतिनिधि मण्डल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए काफी के सीधे निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) . प्रश्न नहीं उठता ।

New Possibilities of Trade Between India and Japan

368. SHRI K. M. MADHUKAR : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether the tension between U. S. A. and Japan resulting from dollar crisis created by the unilateral acts of U. S. A., opens any new possibilities of trade between India and Japan; and

(b) if so, the steps, if any, taken by India in this regard ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI L. N. MISHRA) : (a) and (b). No long-term possibilities in the field of trade as such can be visualised on the basis of the present trends. However, the situation is being watched. Irrespective of the present monetary crisis, continuous efforts are being made to increase India's exports of non-traditional products to Japan. India's export to Japan as well as the share of non-tradional products therein have been continuously on the increase.

भारत द्वारा 1971 में अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना

369. **श्री वयालार रवि** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने वर्ष 1971 में कितने अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लिया;

(ख) उक्त मेलों में भाग लेने के लिये कितने अधिकारियों को विदेशों में भेजा गया; और

(ग) अधिकारियों के विदेशों में जाने पर कुल कितनी धन राशि खर्च हुई ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग) . भारत ने 22 अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लिया और विदेशों में दो अनन्य भारतीय प्रदर्शनियाँ लगाईं। ब्यौरेवार विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—986/71.]**

भारत और यूगोस्लाविया में व्यापार करार

370. **श्री विश्व नारायण शास्त्री** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूगोस्लाविया के साथ व्यापार में वृद्धि करने के लिए उपाय करने हेतु यूगोस्लाविया के साथ एक करार किया गया था; और

(ख) क्या भारत-यूगोस्लाव आयोग ने करार के दायरे में वृद्धि करने और व्यापार की संभावनाओं को बढ़ाने में कोई योगदान दिया है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल०एन मिश्र) : (क) तथा (ख). व्यापार परिमाण बढ़ाने के लिए भारत तथा यूगोस्लाविया के बीच हाल में किसी नये व्यापार करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं। भारत-यूगोस्लाव संयुक्त आयोग की जुलाई, 1971 को व्यापार वार्ता में यह तय हुआ था कि वर्तमान रुपया व्यापार तथा भुगतान करार को 31 दिसम्बर, 1972 तक बढ़ाया जायेगा और उसके बाद दोनों देशों के बीच सभी भुगतान परिवर्तनीय मुद्राओं में किये जायेंगे।

उपर्युक्त करार के आधार पर दोनों सरकारों द्वारा यह मत प्रकट किया गया है कि भविष्य में व्यापार और भी स्वस्थ आधार पर हो सकेगा।

मेरठ सिटी स्टेशन पर काम कर रहे पार्सल कुलियों द्वारा शिकायत

371. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेरठ सिटी स्टेशन पर कार्य कर रहे पार्सल कुलियों ने पार्सल कार्यालय के पर्यवेक्षी कर्मचारियों द्वारा अपने प्रति किये जाने वाले अवांछित दुर्व्यवहार की प्रशासन से हाल में शिकायत की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनके आरोपों के बारे प्रशासन ने कोई जाँच की है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ । मेरठ सिटी स्टेशन के कुछ सामान-भारिकों ने मुख्य पार्सल क्लर्क के विरुद्ध शिकायत की थी ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) मुख्य पार्सल क्लर्क के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हो पाये हैं ।

पूर्वोत्तर रेलवे की कार्यकुशलता

372. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 12 अक्तूबर, 1971 के "टाइम्स आफ इंडिया" में पूर्वोत्तर रेलवे की कार्यकुशलता में कमी के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो कार्यकुशलता में सुधार करने और रेलवे में यात्रियों को होने वाली विभिन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें उक्त समाचार में उठाये गये प्रश्नों के संबंध में वास्तविक स्थिति बतायी गयी है और इस संबंध में की गयी प्रस्तावित उपचारात्मक कार्यवाहियों का ब्यौरा दिया गया है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—987/71.**]

निर्यात लक्ष्य में कमी

373. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन वस्तुओं के नाम क्या हैं जिनके निर्यात लक्ष्य चालू वर्ष में पूरे नहीं किये जा सके; और

(ख) लक्ष्य पूरा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) (क) और (ख). चूंकि वित्तीय वर्ष 1971-72 अभी तक समाप्त नहीं हुआ है अत: ऐसा अनुमान किया जाता है कि अधुनातन समाप्त वित्तीय वर्ष अर्थात् 1970-71 के संबंध में जानकारी माँगी गई है।

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के शुरू होने पर विदेश व्यापार मंत्रालय ने चौथी योजना की अवधि के लिए कतिपय चुनी हुई निर्यात योग्य वस्तुओं के संबंध में अस्थायी लक्ष्य तैयार किये हैं। वर्ष 1970-71 से संबंधित इन लक्ष्यों की उसी वर्ष के वास्तविक निर्यातों से तुलना करने से यह प्रकट हुआ है कि मुख्यत: पटसन निर्मित माल, इंजीनियरी सामान लोहे तथा इस्पात, रत्न तथा आभूषण, चमड़े तथा चमड़े से निर्मित वस्तुओं (जिनमें जूते भी शामिल हैं), काजू की गिरियों, चाय और कयर निर्मित माल जैसी मदों के निर्यात अस्थायी लक्ष्य के स्तर से नीचे रहे हैं।

(ख) **कारण :** वर्ष 1970-71 में **पटसन निर्मित माल** के निर्यातों में मुख्यत: निम्नलिखित विभिन्न प्रतिकूल कारणों से गिरावट रही : (1) संयुक्त राज्य अमरीका में मंदी के कारण गृह निर्माण संबंधी कार्यकलाप धीमे हो जाने से कालीन अस्तर के निर्यात में भारी गिरावट, (2) संश्लिष्ट माल का अधिक प्रयोग, (3) पाकिस्तान के पटसन माल से तीव्र प्रतियोगिता, (4) कलकत्ता पत्तन पर लम्बी हड़ताल तथा पटसन मिलों में औद्योगिक अशांति। फिर भी ऐसा विचार है कि 1971-72 में निर्यातों के लिए अच्छी संभावनाएँ हैं।

इंजीनियरी माल के वर्ष 1970-71 में हुए निर्यात यद्यपि गत वर्ष की अपेक्षा अधिक थे तथापि इस्पात कतिपय अलौह धातुओं की कमी, जहाजों में माल लादने के लिए पर्याप्त स्थान के अभाव और ऊँची भाड़ा दरों के कारण ये निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कम रहे। इसी प्रकार **लोहे तथा इस्पात** के निर्यातों पर उत्पादन में गिरावट तथा निर्यात हेतु कम माल फी प्राप्यता के कारण कुप्रभाव पड़ा। रत्न तथा आभूषणों के निर्यात में गिरावट मुख्यत: विदेशों में प्रतिकूल बाजार स्थिति, विशेषत: संयुक्त राज्य अमरीका में मंदी के फलस्वरूप रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में **चमड़ा तथा चमड़े से निर्मित माल** के व्यापार की स्थिति शोचनीय रही जो अंशत: यूरोप की अनिश्चित मुद्रा-स्थिति और संयुक्त राज्य अमरीका में मंदी के कारण और आंशिक रूप में फैशन बदलते रहने के कारण है। **काजू गिरियों** के संबंध में अफ्रीकी देशों के काजू प्रसंस्करण एककों से बढ़ती हुई प्रतियोगिता, अप्रतियोगी कीमतें और अफ्रीकी देशों से कच्चे काजू की नियमित पूर्ति अनिश्चित होना ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जिनसे भारत से काजू की गिरियों के निर्यात में गिरावट आई है। वर्ष 1970-71 में सोवियत संघ द्वारा की जाने वाली खरीद में हुई भारी गिरावट का भी इसमें योगदान है। **कयर निर्मित माल** में गिरावट का रुख इन उत्पादों के संबंध में विश्व माँग के निष्क्रिय प्रकृति के फलस्वरूप है। पश्चिम यूरोपीय देशों द्वारा कयर धागे की खपत में भी कमी रही है। हालाँकि चाय के निर्यात लक्ष्य की अपेक्षा कुछ कम रहे तथापि वर्ष 1969-70 के मंदे व्यापार की तुलना में 1970-71 में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद् द्वारा तैयार किया गया निर्यात का जोरदार कार्यक्रम

374. **श्री सी० चित्तिबाबू :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद ने निर्यात का एक जोरदार कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं और उसके संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख). इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद ने निर्यात निष्पादन का मध्यावधि पुनरीक्षण किया और एक द्रुत प्रभावी कार्यक्रम आरम्भ किया जिसके अन्तर्गत परिषद का विचार 1971-72 के उत्तरार्द्ध में इंजीनियरी माल के निर्यातों को 110 करोड़ रु० तक बढ़ाने का है। इस कार्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये परिषद द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(1) निर्यातकों द्वारा अपेक्षित सहायता उन्हें प्रदान करके मौजूदा निर्यात आदेशों को शीघ्रतापूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है;

(2) उन एककों का पता लगाने, लगाने जिनके पास निर्यात आदेश मौजूद हैं और ऐसे आदेशों और उन अतिरिक्त आदेशों, जो अल्पकालिक आधार पर प्राप्त किये जा सकते हैं, को पूरा करने के लिये आवश्यक समझे जाने वाले अन्तर्निविष्ट साधनों के प्रदान किये जाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं;

(3) निर्यातकों को अधिमान्य आधार पर सहायता प्रदान करने के लिये विभिन्न सरकारी अभिकरणों द्वारा भी प्रयत्न किये जा रहे हैं;

(4) तुरन्त समाधान निकालने की दृष्टि से निर्यातकों के साथ समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिये बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(5) संभावित गत्यावरोध को दूर करने के लिये यह परिषद निर्यातों से संबंधित सरकारी प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क रखती है।

(6) परिषद के एक वरिष्ठ अधिकारी को द्रुत प्रभावी निर्यात कार्यक्रम की देखभाल करने और समन्वय करने के लिये नियुक्त किया गया है।

परिषद द्वारा शुरू किये गये द्रुत प्रभावी कार्यक्रम का सरकार पूर्णरूपेण समर्थन करती है।

असम के पटसन व्यापारियों के लिये माल गाड़ी डिब्बे

375. **श्री निहार लास्कर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि असम में मालगाड़ी डिब्बे उपलब्ध न होने के कारण वहाँ के पटसन के व्यापारियों को अत्यधिक कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या सरकार को पटसन व्यापारियों के संघ की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) जनवरी से जुलाई, 1971 तक पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर जूट के लदान का उच्च स्तर बना रहा जो मीटर लाइन के 23,234 और बड़ी लाइन के 8,652 माल डिब्बों का था जबकि 1970 की इसी अवधि में यह स्तर केवल मीटर लाइन के 18,590 और बड़ी लाइन के 5,550 माल डिब्बों का था । भारी बाढ़ और लाइन की टूट-फूट के कारण, जिसके फलस्वरूप गड़हरा और फरक्का के मार्गों के रास्ते होने वाले सीधे संचार पर कुप्रभाव पड़ा था, अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, 1971 के महीनों में जूट के लदान में काफी गिरावट आयी । सीधी संचार व्यवस्था फिर से चालू हो जाने के फलस्वरूप लदान में उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है ।

नई रेल भाड़ा सूची

376. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान रेल भाड़े में 15 नवम्बर, 1971 से की जाने वाली 5 प्रतिशत की वृद्धि के फलस्वरूप नई रेल भाड़ा सूची प्रकाशित करनी पड़ेगी;

(ख) क्या यह नई रेल भाड़ा सूची नवम्बर मास में तैयार हो जायेगी; और

(ग) नई रेल भाड़ा सूची प्रकाशित कराने में कितनी लागत आयेगी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) 15-11-1971 से लागू किराये की नई सूची को छपवाने पर वास्तविक लागत का पता तभी चलेगा जब छपाई का काम पूरा हो जाये । फिर भी छपाई की अनुमानित लागत 20,000 रुपये है ।

स्थानीय रेल गाड़ियों की समय पालन तालिका

377. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनेक भागों पर चलने वाली विभिन्न स्थानीय रेल गाड़ियों के चलने के समय को बढ़ाकर उनकी समय पालन तालिका को सही रखा जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इससे विभिन्न मेल गाड़ियों और तेज चलने वाली रेल गाड़ियों को पकड़ने के इच्छुक स्थानीय रेल गाड़ियों के यात्रियों को कठिनाई नहीं होगी; और

(ग) क्या अपेक्षाकृत अधिक चलन-समय दिये बिना समय पालन तालिका सही नहीं रखी जा सकती ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग). जी नहीं; संचलन समय का निर्धारण गाड़ियों की रफ्तार, यातायात और परिचालन दोनों ही अपेक्षाओं के लिये हाल्ट टर्मिनलों पर सुविधाएँ और इंजीनियरी निर्माण कार्यों के कारण रफ्तार पर लगाये गये प्रतिबन्धों के आधार पर किया जाता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राजधानी एक्सप्रैस तथा अन्य डीलक्स गाड़ियों की गति बढ़ाना

378. **श्री समर गुह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परीक्षण के तौर पर चलाने के पश्चात राजधानी एक्सप्रैस तथा अन्य डीलक्स गाड़ियों द्वारा लिये जाने वाले समय को कम करने हेतु कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो रेलवे बोर्ड के उक्त गाड़ियों को तेज गति से चलाने के बारे में दिये गये निर्णय को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त गाड़ियों को तेज गति से चलाने के कारण अन्य गाड़ियों एवं माल गाड़ियों की गति में सुधार करने में आसानी हो सकती थी; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) राजधानी एक्सप्रैस का यात्रा समय कम करने के लिये कदम उठाये गये हैं, अन्य डीलक्स गाड़ियों के यात्रा समय में नहीं । लेकिन 15/16 मद्रास नयी दिल्ली वातानुकूल एक्सप्रैस, जिसके यात्रा समय में प्रत्येक ओर से 2 घंटा 45 मिनट की कमी की गई है, 1-11-71 से राजधानी एक्सप्रैस पहले के $17\frac{1}{2}$ घंटे की तुलना में 17 घंटे से भी कम समय लेती है । अभी तक अन्य डीलक्स गाड़ियों के रेक अधिक रफ्तार से चलाने के लिये उपयुक्त नहीं हैं ।

(ख) रेलवे बोर्ड के निर्णयों को पूर्णतः लागू किया गया है ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

बड़ी लाइन का समस्तीपुर से रक्सोल तक बढ़ाया जाना

379. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी लाइन को समस्तीपुर से रक्सोल तक बढ़ाने के लिए किए गये सर्वेक्षण की रिपोर्ट अब तैयार हो गयी है ?

(ख) यदि हाँ, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं और उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

(ग) क्या सर्वेक्षण करते समय दरभंगा जंक्शन के निकट सैनिक हवाई अड्डे की स्थिति की, और दरभंगा से नेपाली सीमा, अर्थात् निरमाली, जयनगर और रक्सोल तक जाने वाली तीन रेल लाइनों और दरभंगा के एक अधिक जनसंख्या वाला जिला होने की बात को ध्यान में रखा गया है; और

(घ) क्या समस्तीपुर को बारास्ता दरभंगा रक्सोल बड़ी लाइन से मिलाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है और इस संबंधी रिपोर्टों की जाँच की जा रही है। मुजफ्फरपुर (189 कि० मी०) के रास्ते और दरभंगा (188 कि० मी०) के रास्ते अनुमानित लागत क्रमश: 10·91 करोड़ और 14·06 करोड़ आयेगी जिससे 3·95 प्रतिशत और 0·5 प्रतिशत का प्रति लाभ होगा।

(ग) जी हाँ।

(घ) सर्वेक्षण रिपोर्ट की जाँच पूरी हो जाने के बाद ही इसके संबंध में निर्णय किया जायेगा।

केलो बाँध का निर्माण करने हेतु केलो नदी का सर्वेक्षण

380. **श्री उमेद सिंह राठिया** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में उरदाना गाँव के निकट केलो नदी पर केलो बाँध परियोजना का निर्माण करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो यह सर्वेक्षण कब किया गया था और इस पर कितना अनुमानित खर्च हुआ;

(ग) इस परियोजना के पूर्ण होने पर कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और इससे कितना क्षेत्र तथा कितने गाँव जलमग्न होंगे; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन किसानों की भूमि का मूल्य अदा कर दिया है जिनकी भूमि जलमग्न हो जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (घ). केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग को मध्य प्रदेश सरकार से अभी तक ऐसी किसी स्कीम के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

Construction of Dam on Sarlya Nullah in Raigarh

381. SHRI UMED SINGH RATHIA : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether the State Government had conducted a survey for constructing a dam on Sariya Nullah in Tehsil Dharamjaygarh in Raigarh, Madhya Pradesh and if so, when the survey was made;

(b) the estimated expenditure likely to be incurred on this project;

(c) whether Government are aware that refugees have been settled and allotted land for cultivation in Dharamjaygarh colony, Vaisi colony, Durgapur colony in Dharmajaygarh and that the Central Government had assured them that Sariya Nullah dam would be constructed and their lot would be improved by converting the land allotted to them into double crop land and thus harvesting Kharif and Rabi crops; and

(d) whether the construction work would be completed during the Fourth Five Year Plan period ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI BAIJ NATH KUREEL) : (a) to (d). No proposal for any such scheme has been received so far by the Central Water and Power Commission from the Government of Madhya Pradesh.

मध्य प्रदेश में दाहोद से खण्डवा तक नई रेलवे लाइन

382. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश में दाहोद से खण्डवा तक नई रेलवे लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त प्रस्ताव अब तक क्रियान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) खारगोन (वन्य उत्पादनों) के औद्योगिक महत्व को दृष्टि में रखते हुऐ सरकार का विचार उक्त रेलवे लाइन का निर्माण कब तक कर लेने का है; और

(घ) यदि उक्त प्रस्ताव त्याग दिया गया है तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

भुसावल और इटारसी (मध्य रेलवे) के बीच रेल सेवाएं रद्द करना

383. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मध्य रेलवे जोन विशेषकर भुसावल और इटारसी के मध्य हाल ही में स्थानीय यात्री रेल सेवाओं के बार बार रद्द किए जाने की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो रेल सेवाएं रद्द करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भुसावल और इटारसी के मध्य स्थानीय यात्री गाड़ियाँ चलाने का है; और

(घ) यदि, हाँ तो यात्री रेल सेवा कब तक आरम्भ की जायेगी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). मध्य रेलवे पर स्थानीय गाड़ियाँ बार बार रद्द नहीं की गयी हैं। लेकिन भुसावल और इटारसी के बीच चलने वाली एक जोड़ी गाड़ियों, अर्थात् 349 डाउन/350 अप को अगस्त 1968 में रद्द किया गया था। दिल्ली-बम्बई (पश्चिम रेलवे) मार्ग पर बाढ़ों/लाइनों की टूटफूट के कारण पश्चिम रेलवे की गाड़ियों के मार्ग-परिवर्तन के सिलसिले में इस खण्ड की सीमित क्षमता पर पड़ने वाले दबाव के कारण शुरू में इस सेवा को रद्द करना पड़ा। यातायात की दृष्टि से पर्याप्त औचित्य न होने के कारण यह सेवा अभी भी रद्द रखी गयी है। रद्द की गयी 349 डाउन/350 अप सवारी गाड़ियों से जो यात्री पहले यात्रा करते थे उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाये गये हैं। इसके लिए इस खण्ड पर गाड़ियों के समय में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिये गये हैं तथा भुसावल-इटारसी खण्ड के अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण स्टेशनों पर एक्सप्रैस गाड़ियों के ठहरावों की व्यवस्था कर दी गयी है।

(ग) और (घ). जैसाकि बताया जा चुका है, भुसावल-इटारसी खण्ड पर व्यावहारिक सीमा तक सन्तोषप्रद रेल यात्रा की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाये गये हैं। इस खण्ड पर होने वाले यातायात के रूट पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और स्थिति को देखते हुए जब और जैसे आवश्यक होगा, भुसावल-इटारसी खण्ड पर एक अतिरिक्त सवारी गाड़ी चलाने के बारे में समुचित विचार किया जायेगा।

भुसावल डिवीजन (मध्य रेलवे) में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि

384. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के भुसावल डिवीजन में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) अपराध करने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष अपराध की घटनाओं में मामूली वृद्धि हुई है।

(ख) मानसून की विफलता और उसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में बेरोजगारी और भारी अभाव की स्थिति।

(ग) अपराधों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :

(i) प्रभावित खंडों में माल गाड़ियाँ रेलवे सुरक्षा दल के आरक्षियों के संरक्षण में चलायी जाती हैं।

(ii) रात की महत्वपूर्ण सवारी गाड़ियों पर रेलवे सुरक्षा दल के आरक्षी तैनात किये जाते हैं और महत्वपूर्ण स्टेशनों पर सशस्त्र पुलिस दल तैनात किये जाते हैं।

(iii) अपराधियों पर निगरानी रखी जा रही है ।

(iv) प्रभावित यार्डों और खंडों पर रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कर्मचारी तैनात किये जाते हैं ।

मध्य रेलवे जोन में मीटर गेज लाइन का बड़ी लाइन में बदला जाना

385. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे जोन में मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिए रेल मंत्रालय ने भविष्य के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) उक्त योजना की अनुमानित लागत क्या है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा तैयार की गयी संदर्शी योजना में शामिल किया गया कोई खण्ड मध्य रेलवे में नहीं पड़ता

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

असम, मेघालय, नागालैण्ड तथा नेफा के लिए कपड़े की नियंत्रित किस्में

386. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम, मेघालय, नागालैण्ड तथा नेफा में कपड़े की नियंत्रित किस्मों के लिए एजेंटों के नाम क्या हैं;

(ख) वर्ष 1971 में ऐसे प्रत्येक एजेंट को कपड़े की नियंत्रित किस्मों की कितनी मात्रा आबंटित की गई; और

(ग) इस अवधि के दौरान असम के प्रत्येक एजेंट द्वारा असम में कुल कितनी मात्रा में कपड़ा ले जाया गया ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) चूंकि कपड़े के वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है, अतः मिलें अपनी पसन्द के विक्रेताओं/अभिकर्ताओं को कपड़ा बेचने के लिए स्वतन्त्र हैं और उनके नाम सरकार को मालूम नहीं हैं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

रबड़ का न्यूनतम मूल्य

387. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूनतम मूल्य की घोषणा किये जाने के पश्चात् रबड़ के मूल्यों का मासिक औसत स्तर क्या रहा है; और

(ख) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम को रबड़ के न्यूनतम मूल्य में कमी न होने देने के लिए अधिक रबड़ खरीदने का सुझाव दिया है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) अक्तूबर, 1970 में राज्य व्यापार निगम को 2,000 मे० टन रबड़ खरीदने का निदेश दिया गया था । कीमतें बनाए रखने के लिये अब इसे 8,000 मे० टन तक बढ़ा दिया गया है । हाल ही में, राज्य व्यापार निगम द्वारा की जाने वाली खरीदारियों के अलावा केरल के छोटे उत्पादकों से रबड़ की खरीदारी करने के लिए केरल सरकार को 2·50 करोड़ रु० के ऋण मंजूर किये जा चुके हैं ।

विवरण

(क) विपुल परिमाण में रबड़ की, जिसमें आर० एम० ए० 3, 4 तथा 5 शामिल हैं, औसत मासिक कीमत इस प्रकार है :

महीना	प्रति क्विंटल औसत कीमत
12 से 30 सितम्बर, 1970	रु० 472·00
अक्तूबर, 1970	470·00
नवम्बर, 1970	482·00
दिसम्बर, 1970	473·00
जनवरी, 1971	477·00
फरवरी, 1971	468·00
मार्च, 1971	463·00
अप्रैल, 1971	453·00
मई, 1971	445·00
जून, 1971	436·00
जुलाई, 1971	435·00
अगस्त, 1971	414·00
सितम्बर, 1971	384·00
अक्तूबर, 1971	401·00
नवम्बर, (12-11-1971 तक)	400·00

विजय मोहनी मिल्स लि०, त्रिवेन्द्रम और पार्वती मिल्स लि०, क्विलन का अधिकार में लिया जाना

388. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार की ओर से केन्द्रीय सरकार को विजय मोहिनी मिल्स लि०, त्रिवन्द्रम और पार्वती मिल्स लि०, क्विलन को अपने अधिकार में लेने तथा उन्हें पुन: चालू करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इन दो मिलों को अपने अधिकार में लेने तथा उन्हें पुनः चालू करने के लिये क्या ठीक कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख) : केरल सरकार ने, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन इन दो मिलों के मामलों की जाँच का सुझाव दिया था। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यदि जाँच समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचे तो उपर्युक्त अधिनियम के अधीन, इन दोनों मिलों के प्रबन्ध को सरकार अपने हाथ में ले ले।

(ग) उपरोक्त अधिनियम के अधीन, एक जाँच समिति दोनों मिलों के मामलों की जाँच करने के लिए पहले ही नियुक्त की जा चुकी है। समिति की रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है। लेकिन ऐसी सूचना मिली है कि दोनों उपक्रम इस समय चालू हैं।

पंजाब में बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत फसलों के लिए जल की उपलब्धता

389. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब में हाल में किये गये अध्ययन के इस निष्कर्ष का पता है कि बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत नहर-मुहाने पर छोड़े गये कुल पानी में से 40 प्रतिशत से कम पानी ही फसलों के लिये उपलब्ध हो पाता है और शेष पानी व्यर्थ चला जाता है; और

(ख) इस स्थिति में सुधार करने तथा जल के अधिकतम उपयोग के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) . नहर प्रणाली और किसानों के जल-मार्गों में अवशोषण तथा वाष्पीकरण आदि से जल का नुकसान हो जाता है। नहर-प्रणाली और जल-मार्गों के पक्के न होने की स्थिति में ये नुकसान अपरिहार्य और काफी मात्रा में होते हैं।

इन नुकसानों को कम करने का उपाय सिंचाई-सरणियों को पक्का करने में ही है और इस संबंध में राज्य सरकार को सलाह दी गई है।

उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता के बारे में विधि आयोग की रिपोर्ट

390. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने सरकार को उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उक्त रिपोर्ट के अनुसार क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हाँ ।

(ख) विधि आयोग ने सुझाव दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 133 (1) के खण्ड (क) और (ख) को निकाल दिया जाए, क्योंकि सामान्य मुकदमें उच्च न्यायालय के प्रक्रम पर समाप्त हो जाने चाहिए और उच्चतम न्यायालय का आसरा लेना केवल असाधारण परिस्थितियों में ही न्यायोचित ठहराया जा सकता है ।

(ग) विधि आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार कर लिये जाने के पश्चात् ही इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

कटपडी से सिकन्दराबाद तक सीधी एक्सप्रैस रेलगाड़ी चलाने के लिए अभ्यावेदन

391. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें कटपडी से सिकन्दराबाद तक स्लीपर सुविधा सहित सीधी कोच सेवा और सीधी एक्सप्रैस गाड़ी चलाने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) इस प्रस्ताव की जाँच की गयी है । लेकिन सीधे जाने वाला यातायात बहुत कम होने के कारण इसका औचित्य नहीं पाया गया है ।

रेलवे बोर्ड के ढाँचे में परिवर्तन

392. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार रेलवे बोर्ड के गठन में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन के कारण बहुत से अधिकारियों के रेलवे बोर्ड से विभिन्न जोनल रेलवे में और विभिन्न जोनल रेलवे से रेलवे बोर्ड में स्थानान्तरण/नियुक्तियाँ हुई हैं; और

(ख) इस उद्देश्य के लिए अधिकारियों के कितने पदों का उत्सर्जन/सृजन किया गया और उसके फलस्वरूप विभिन्न विभागों में कितने अधिकारियों की पदावनति/पदोन्नति की गई ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) रेलवे बोर्ड के गठन के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें अभी सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मानिकपुर रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर एक्सप्रैस मेल रेलगाड़ियों का रुकना

393. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे पर गोंडा जिले में मानिकपुर रेलवे स्टेशन पर सभी एक्सप्रैस/मेल रेल गाड़ियाँ रुकती हैं;

(ख) एक्सप्रैस एवं मेल रेलगाड़ियों के अतिरिक्त अन्य कितनी गाड़ियाँ मानिकपुर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती हैं;

(ग) मानिकपुर रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली प्रत्येक एक्सप्रैस और मेल गाड़ियों से औसतन कितनी दैनिक आय होती है; और

(घ) पूर्वोत्तर रेलवे पर जरवल रोड स्टेशन पर रुकने वाली एकमात्र एक्सप्रेस गाड़ी से कितनी औसत दैनिक आय होती है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं । इस खंड पर प्रत्येक दिशा में चलने वाली 4 डाक/एक्सप्रैस गाड़ियों में से डाउन दिशा में तीन गाड़ियाँ और अप दिशा में दो के मानिकपुर जंक्शन पर ठहरने की व्यवस्था है ।

(ख) प्रत्येक ओर से पाँच गाड़ियाँ, जिनमें से सभी के मानिकपुर जंक्शन पर ठहरने की व्यवस्था है।

(ग) मानिकपुर पर ठहरने वाली प्रत्येक डाक/एक्सप्रैस गाड़ी की औसत दैनिक आमदनी 271 रु० है ।

(घ) दो एक्सप्रैस गाड़ियाँ प्रतिदिन जरवल रोड स्टेशन पर ठहरती हैं । इस स्टेशन पर ठहरने वाली हर एक्सप्रैस गाड़ी की औसत दैनिक आमदनी 298 रु० है ।

रेलगाड़ियों की रफ्तार बढ़ाना

394. **श्री नागेश्वर राव मेदुरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न रेल गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो पटरी पर कितना अतिरिक्त व्यय किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). 1-11-71 से हावड़ा-दिल्ली के बीच अप/2 डाउन हावड़ा-कालका मेल, 1 डाउन/2 अप बम्बई वी०टी०-हावड़ा मेल (नागपुर होकर), बम्बई और दिल्ली के बीच 3 डाउन/4 अप फ्रन्टियर मेल और 15 डाउन/16 अप मद्रास-नयी दिल्ली जी० टी०/वातानुकूल एक्सप्रैस गाड़ियों की अधिकतम अनुमत रफ्तार प्रति घंटा 100 कि०मी० से बढ़ाकर प्रतिघंटा 110 कि०मी० कर दी गयी है और 101 अप/102 डाउन हावड़ा-

नयी दिल्ली राजधानी एक्सप्रैस की रफ्तार प्रतिघण्टा 120 कि० मी० से बढ़कर प्रतिघण्टा 130-कि०मी० कर दी गयी है। इस प्रयोजन के लिए रेल-पथ पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं किया गया है।

सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को कार्य देने पर प्रतिबन्ध लगाना

395. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को कोई कार्य सौंपने अथवा उन्हें कहीं नियुक्त करने पर प्रतिबंध लगाये जाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार स्वयं ही ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कितने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को कोई कार्य सौंपा है अथवा कहीं नियुक्त किया है ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं।

(ख) सरकार ऐसी किसी प्रस्थापना पर विचार नहीं कर रही है।

(ग) 1 अगस्त, 1967 से 31 जुलाई, 1970 तक की अवधि के दौरान विभिन्न कार्यों के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के 36 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाओं का उपयोग किया गया। 31 जुलाई, 1970 के पश्चात् की अवधि की बाबत जानकारी तुरन्त उपलभ्य नहीं है।

काफी की अधिक काश्त के कारण काफी उत्पादकों को हुई कठिनाई

396. **श्री वरके जार्ज** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वर्ष 1970-71 के काफी के चालू मौसम में काफी की भारी मात्रा में हुई उपज के परिणामस्वरूप उत्पादकों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या काफी बोर्ड द्वारा निर्यात के लिए निर्धारित कोटे के पूरे होने के पश्चात भी बहुत सी काफी बिना बिके रह गई है; और

(ग) काफी उत्पादकों की समस्या को सुलझाने के लिए सरकार शीघ्र ही क्या कार्य-वाही कर रही है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग). 1970-71 में काफी की भरपूर फसल होने के फलस्वरूप बागान मालिकों को काफी बोर्ड को उनके द्वारा दी गई काफी

के भुगतान के बारे में कठिनाइयाँ हो सकती हैं। 3·10 रु० प्रति प्वाइंट की मूल आरक्षित कीमत की तुलना में अभी तक इस फसल के लिए किए गए तथा किए जाने वाले भुगतान की दर 3 रु० प्रति प्वाइंट है। इस फसल में से पूल में प्राप्त 1,09,251 मे० टन की कुल मात्रा में से 1 नवम्बर, 1971 को 69,775 मे० टन काफी पहले ही बेची जा चुकी है और शेष स्टाक 39,476 मे० टन का है। बोर्ड द्वारा निर्यात के लिए 53,000 मे० टन की निर्धारित मात्रा की तुलना में शेष स्टाक में से 15,736 मे० टन काफी की मात्रा निर्यात के लिए अभी बेची जानी है। यह प्रस्तावित किया गया है कि शेष 23,740 मे० टन काफी नवम्बर तथा दिसम्बर, 1971 और 1972 के लिए आन्तरिक बाजार में निकासी के लिए उपयोग में लाई जाएगी।

पत्रातु ताप-बिजली परियोजना का पूरा होना

397. **श्री वरके जार्ज** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजारी बाग में पत्रातु ताप-बिजली परियोजना के प्रथम चरण का कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उससे उत्पन्न कुल बिजली से बिहार को क्या लाभ होगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) पत्रातु ताप विद्युत केन्द्र के प्रथम चरण में शामिल 400 मैगावाट में से 50-50 मैगावाट के चार और 100 मैगावाट का एक विद्युत-उत्पादन यूनिट चालू हो गये हैं। 100 मैगावाट का छटा विद्युत-उत्पादन यूनिट निर्माणाधीन है और इसके चालू वर्ष के दौरान चालू होने की संभावना है।

(ख) इस परियोजना से ग्रिड में 400 मैगावाट प्रतिष्ठापित क्षमता और जुड़ जायेगी और बिहार ग्रिड में लगभग 20,000 लाख यूनिट वार्षिक उत्पादन बढ़ जायेगा जोकि राज्य में उद्योग, कृषि तथा अन्य भारों की माँगों को पूरा करने में काफी सहायक होगा।

काफी की उत्पादन लागत के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय लेना

398. **श्री वरके जार्ज** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड द्वारा काफी की उत्पादन लागत के बारे में अन्तिम रूप से लिय गया निर्णय सरकार को भेज दिया गया है और वह स्वीकृति के लिए नवम्बर, 1970 से विचाराधीन है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप काफी बोर्ड दिसम्बर, 1971 में संभावित आगामी फसल के लिए न्यूनतम विक्रय मूल्य निश्चित नहीं कर सका है; और

(ग) क्या उत्पादन लागत के बारे में अन्तिम निर्णय करने के संबंध में सरकार का शीघ्र कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हाँ,।

(ख) सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने तक, काफी बोर्ड ने 3·10 रु० प्रति प्वाइन्ट का न्यूनतम निकासी मूल्य जारी रखा हुआ है ।

(ग) यह मामला सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

समुद्री तूफान से उड़ीसा को क्षति

399. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों को जो 29 अक्तूबर, 1971 को समुद्री तूफान से क्षतिग्रस्त हुए, इस तूफान के संबंध में कोई चेतावनी दी गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो इस तूफान से किस प्रकार की हानि हुई और उड़ीसा को क्या सहायता दी गई ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 29 अक्तूबर को 12-20 बजे अपराह्न (भारतीय मानक समय) बालासौर और कटक के जिलाधीशों और उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव को तथा 29 अक्तूबर, 4·30 बजे (सांय) (भारतीय मानक समय) आकाशवाणी, कटक और सम्बलपुर को उच्च प्राथमिकता पर तार द्वारा चक्रवातीय तूफान की चेतावनी दी थी जिससे पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के तटीय जिलों के प्रभावित होने की संभावना थी ।

(ख) राज्य सरकार चक्रवात से हुई क्षति का मूल्यांकन कर रही है । राज्य सरकार की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार 8,540 ग्रामों में प्रभावित जनसंख्या 59 लाख है । 9,658 व्यक्तियों और 50,000 पशुओं की जानें गईं । लगभग 4 लाख मकान क्षतिग्रस्त हुए ।

सेना ने सहायता कार्यों में मदद दी थी । केन्द्रीय सरकार ने उन इलाकों के लिए हवाई जहाजों से खाना गिराने के लिए कुछ हवाई जहाज भेजे, जहाँ पहुँचने के लिए सड़कों पर रास्ता नहीं था । केन्द्रीय सरकार ने तत्काल सहायता कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की है । कृषि मंत्रालय ने भी 3 करोड़ रुपये की धनराशि खाद और बीजों को खरीदने के लिए किसानों को ऋण देने हेतु मंजूर की है ।

बनसागर परियोजना की वांछनीयता के बारे में विशेषज्ञों की समिति

400. **जगन्नाथ मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने बनसागर परियोजना की वांछनीयता का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की है;

(ख) क्या सोन नदी पर बनसागर परियोजना का निर्माण करने के मध्य प्रदेश सरकार के निश्चय के बारे में बिहार में भारी रोष पाया जाता है; और

(ग) क्या दो पड़ौसी राज्यों के बीच कटुता पैदा न होने देने की दृष्टि से, केन्द्रीय सरकार का विचार मध्य प्रदेश सरकार से यह कहने का है कि विशेषज्ञों की समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). बनसागर परियोजना पर 1 अगस्त, 1971 को बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री के बीच हुए विचार-बिमर्श के फलस्वरूप एक तकनीकी समिति जिसमें अध्यक्ष, केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग तथा तीनों राज्यों के मुख्य अभियंता सम्मिलित हैं, मुख्य मंत्रियों द्वारा आगे विचार करने के लिए ब्यौरा तैयार कर रही है। इस तकनीकी समिति ने अभी तक अपना कार्य पूरा नहीं किया है।

(ग) और (घ). केन्द्र ने अभी तक मध्य प्रदेश की विकासात्मक योजनाओं में सम्मिलित करने के लिये बनसागर परियोजना को स्वकृति नहीं दी है। जैसाकि ऊपर बताया गया है, ऐसे प्रस्तावों को तैयार किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं, जो सभी राज्यों को स्वीकार्य हों।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior) : Sir, I call the attention of the Minister of Finance to the following matter of Urgent Public Importance and request that he may make a statement thereon :

"Price rise, specially of the essential commodities that affects the fixed and lower income groups."

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : हाल के महीनों में अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में जो वृद्धि हुई है और उससे जनता और विशेषकर कम आय और निश्चित आय वाले वर्गों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है उसके बारे में सम्मानित सदन को जो चिन्ता है, वह चिन्ता मुझे भी है। हाल के महीनों में मूल्यों में जो वृद्धि हुई है, उसके कई कारण हैं; जैसे—बंगला देश से शरणार्थियों का भारी संख्या में आना और विभिन्न राज्यों में बाढ़ और सूखे का व्यापक प्रकोप होना। इनके अतिरिक्त पिछले बजट में जो नए कर लगाये गये हैं, उनसे भी कीमतों में कुछ हद तक वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप मई, 1971 के अन्त से अक्तूबर, 1971 के अन्त तक की अवधि में थोक मूल्यों के सूचक अंक में 4·5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि उपभोक्ता मूल्य-सूचक अंक जो मई, 1971 में 224 था, बढ़ कर सितम्बर, 1971 में 238 हो गया। पिछले वर्ष की स्थिति की तुलना में थोक मूल्यों के सामान्य सूचक अंक में 4·9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परन्तु, अक्तूबर के महीने में थोक मूल्यों के सूचक अंक में कमी हो गई है।

यह कुछ सन्तोष का विषय है कि वर्ष में खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में जो वृद्धि हुई है, वह मामूली-सी है और सरकार के पास अनाज का 75 लाख टन का संकट निरोधक भण्डार है। दालों के मामले में, उपज माँग के अनुरूप नहीं रही है। इस अवधि में तिलहनों और खाद्य तेलों के मूल्य में भी वृद्धि हुई है, लेकिन वृद्धि का स्तर पिछले वर्ष के स्तर की तुलना में कम है। गुड़ की कीमतें पिछले वर्ष कम उत्पादन होने के कारण बढ़ी हैं। कम भूमि में गन्ना बोये जाने के कारण 1971-72 में चीनी का उत्पादन कम होने के अनुमान के परिणामस्वरूप चीनी के मूल्यों में वृद्धि हुई है। अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के मामले में मूल्यों के बढ़ने का मुख्य कारण कच्चे माल की कमी का होना है। यद्यपि कपास का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हुआ है लेकिन हमारी आवश्यकताओं को देखते हुए यह अब भी काफी नहीं है।

कम काम-काज के मौसम (अप्रैल-अक्तूबर) में कई मौसमी कारण पैदा हो जाते हैं और इन दिनों मूल्यों का बढ़ जाना एक सामान्य बात है। जैसाकि मैंने पहले बताया है, इस वर्ष कई अतिरिक्त बातों के कारण मौसमी दबाव बढ़ गया है। कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने कई उपाय किये हैं। कपड़ा मिलों को नियंत्रित कपड़े का उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा गया है और ऐसे कपड़े की बिक्री में होने वाली बेईमानियों को रोकने के लिए सरकार ने यह आदेश जारी कर दिये हैं कि नियंत्रित कपड़े के प्रत्येक मीटर पर उपभोक्ता-मूल्य छपा होना चाहिए। कपास की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए कपास का काफी मात्रा में आयात किया जा रहा है। कपास के अतिरिक्त कच्चे माल में खाद्य तेली और विभिन्न किस्मों के इस्पात की उपलब्धि भी कम है। इन दोनों वस्तुओं का काफी मात्रा में आयात किया जा रहा है। कई वस्तुओं के संबंध में ऋण-नियंत्रण और भौतिक-नियंत्रण के अलावा, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम में संशोधन करके सट्टेबाजी की गतिविधियों को रोकने के लिए हाल ही में कई कदम उठाये गये हैं और खाद्य तेलों और तिलहनों के बारे में अहस्तान्तरणीय विशिष्ट सुपुर्दगी संविदाओं सहित वायदे के सौदे बन्द कर दिये गये हैं और गुड़ के वायदे के सौदों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। शरणार्थियों पर होने वाले बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिए केन्द्र और राज्यों में आयोजना-भिन्न व्यय को सीमित करने और अतिरिक्त साधन जुटाने के उपाय किये जा रहे हैं। हाल में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में, शरणार्थियों पर किये जाने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने के प्रश्न पर भी विचार किया गया था और इसके फलस्वरूप कई राज्य सरकारों ने भी इस दिशा में कदम उठाये हैं। देश में उचित मूल्य की दुकानों का जाल बिछा कर मुख्य अनाजों को निर्धारित मूल्यों पर बेचा जा रहा है और राज्यों को यह सलाह दी गयी है कि वे सरकारी वितरण प्रणाली को और मजबूत बनायें। चीनी की कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति को देखते हुए चीनी की मिलों और व्यापारियों को दिये जाने वाले बैंक-ऋण की उपलब्धि को अगस्त, 1971 में और कम कर दिया गया है। निकासी आदेशों की मान्य अवधि को 45 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया गया और पंजीकृत व्यापारियों को कारखानों द्वारा चीनी की बिक्री करने पर और व्यापारियों द्वारा चीनी का स्टाक करने पर पाबंदियाँ लगा दी गयी हैं। वाणिज्यिक फसलों की उपज और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए जोरदार दीर्घकालीन उपाय किये जा रहे हैं और तिलहनों, कपास और दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। नयी किस्मों के बीजों और संकर बीजों का विकास करने के लिए अनुसंधान कार्यक्रमों को बढ़ाया जा रहा है। आशा है कि आगामी महीनों में मूल्यों के स्तर पर इन उपायों का ठोस प्रभाव पड़ेगा।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : The hon. Minister has admitted that the prices of essential commodities have increased. In a reply to a question the hon. Minister had laid a statement on the Table of the Rajya Sabha which shows that the rise in prices is unprecedented but the Government have not given any specific reasons for this phenomenon. The rise in prices has taken place in case of those items which come for daily use. The Government may take into consideration retail items along with wholesale items while collecting figures of rising prices.

I am pained that the Government is attributing the rising prices to influx of refugees as one of the causes. Actually the rising trend started since taxes were imposed on items used by the common man. At that time the Government spokesmen declared that the increase in prices will be marginal. The Finance Minister has stated in his statement that increase in food articles has been moderate. I do not understand this. What is the dividing line between high and moderate. There is no justification in price rise of food articles. The farmer complains that he is not getting fair return while the consumer has to pay more for food articles. How the hon. Minister is going to solve the conflicting situation? On the one hand he says that rising price is a matter of concern and on the other hand he says it is a matter of satisfaction that the rise in prices is marginal.

I cannot understand how the influx of refugees is the cause of rising price while there is shortage of industrial production, non-achievement of physical targets of the plan, and overdraft by State Government is taking place. May I know whether State Governments will comply with the instruction of the Government not to resort to overdrafts? How far has the Government succeeded in persuading the Chief Ministers to tax the big farmers? I want to know what has been done to stabilise the prices which have been rising despite the assurances given by the Government. I want to know whether the Government is prepared to impose parrial control on sugar. This was in vogue before the elections and those who wanted to purchase it in open market could do so. Despite our objections the control was lifted and now the common man has to pay more for sugar. The number of fair price shops are not sufficient and they are not selling good quality sugar. The country is in the grip of crisis so the Government must hold the price line. It is high time that the tendency of profiteering is curbed. May I know whether the hon. Minister would formulate a plan under which the common man may be able to purchase essential commodities at fair prices. Only then the people will be prepared to face the crisis of the country. I want to know what long term and short term measures have been taken to remedy the situation. Mere sympathy cannot alienate the sufferings of the commonman.

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : मूल्यों में वृद्धि के कुछ कारण दूरगामी स्वरूप के हैं और स्वभावत: उनके लिए दूरगामी समाधान खोजने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए मुद्रा स्फीति, मूल्यों में वृद्धि का मूल कारण है। हम बंगला देश के शरणार्थियों पर सारा दोष नहीं डाल सकते हैं पर निश्चय ही यहाँ लगभग 1 करोड़ शरणार्णियों का खर्चा हमें उठना पड़ रहा है। शरणार्थियों पर होने वाले खर्च ने पहले से विद्यमान मुद्रा स्फीति में वृद्धि की है।

औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। कपास और तिलहन जैसे कृषि पदार्थों का उत्पादन आवश्यक है और स्वभावत: इनका कम उत्पादन मूल्यों पर प्रभाव डालेगा। इसलिए हमें इनका आयात करना पड़ता है।

मूल्यों को न बढ़ने देने के लिए कतिपय उपचारात्मक कार्यवाहियाँ की गई हैं। मैंने यह बता दिया है कि इस उद्देश्य के लिए क्या तात्कालिक कार्यवाही की गई हैं। माननीय सदस्य ने

कहा है कि ज्वार के मूल्य बढ़े हैं। इसका कारण ज्वार उत्पादक राज्यों में इस वर्ष अकाल का पड़ना है, जिससे उत्पादन कम हुआ और फलस्वरूप मूल्यों में वृद्धि हुई है, वास्तव में समूची रबी की फसल और कुछ राज्यों में खरीफ की फसल इस बार प्रभावित हुई है, यदि अगली फसल अच्छी हुई तो स्थिति सुधर सकती है।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : क्या महाराष्ट्र में कपास का मूल्य कम हुआ है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हाँ, कपास के मूल्यों में कमी आई है। यह अच्छी बात है कि मूल्य कम हो रहे हैं परन्तु उनके मूल्य कृत्रिम रूप से कम नहीं होने चाहियें क्योंकि उत्पादकों को उचित मूल्य मिलना चाहिए, इसी प्रकार कृत्रिम रूप से मूल्यों में वृद्ध भी नहीं की जानी चाहिए क्योंकि उससे केवल बिचौलियों को ही लाभ पहुँचेगा। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य-वाही की है कि इन दोनों के लिए ऋण संबंधी सुविधायें सही ढंग से उपलब्ध करायी जायें। इससे अंतत: मूल्यों पर प्रभाव पड़ेगा। कतिपय बातें हमारे विरुद्ध हैं और हम उनका सामना कर रहे हैं।

माननीय सदस्य ने राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट का सहारा लेने की बात कही है। मैंने और योजना मंत्री ने उन राज्यों से वार्त्ता की है जो इसके लिए उत्तरदायी हैं। हमें उनकी कठिनाइयों को समझना है और हमारी भी कठिनाइयाँ हैं। इसके लिए हम नीति बना रहे हैं और आशा है कि सब राज्य उसे स्वीकार करेंगे।

हम राज्यों को कह रहे हैं कि वे कृषि क्षेत्र में कर लगाने का अधिकार केन्द्र को सौंप दें परन्तु वे इसके लिए तैयार नहीं हैं। हाँ, उन्होंने यह अवश्य स्वीकार किया है कि वे कृषि क्षेत्र में कर लगाने की व्यवस्था को अपनायेंगे।

बिजली के तार, केबिल, एल्यूमिनियम और इसके उत्पाद, संश्लिष्ट रबड़, वनस्पति, सीमेंट, मिट्टी का तेल आदि कई वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यदि मिट्टी के तेल के मूल्य पर नियंत्रण है तो इसमें वृद्धि क्यों हुई है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : वस्तुत: इसके लिए बिचौलिया, समाज विरोधी तत्व और विशेषकर व्यापारी वर्ग उत्तरदायी है। केवल अधिनियम को पारित करने से काम नहीं चलेगा। मैंने पहले ही कह दिया है कि देश में उपभोक्ता मूल्य विरोधी आंदोलन का होना आवश्यक है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इसमें अपना योगदान देंगे। यह प्रश्न बड़ा पेचीदा है और इसका समाधान आसान नहीं है, इसके लिए निरन्तर प्रयास और सहयोग की आवश्यकता होगी। इस संकट के समय उत्तेजित होने और किसी प्रकार का आंदोलन आरम्भ करने से किसी को लाभ नहीं पहुँचेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : चीनी के मूल्य में वृद्धि होने के कारण सरकार इसका आंशिक नियंत्रण क्यों नहीं करना चाहती है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : इसके लिए मैं कृषि मंत्रालय से बातचीत करूँगा। चीनी का भंडार अधिक होने के कारण इस पर से नियंत्रण हटाया गया था। इस बात पर विचार किया जायेगा कि इस पर आंशिक नियंत्रण या पूर्ण नियंत्रण लगाया जाये या नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यह प्रश्न इतना पेचीदा है कि केवल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा इसे निपटाया नहीं जा सकता है। हमें आशा है कि इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जायेगा।

जहाँ तक इस संबंध में दिए गए वक्तव्य का प्रश्न है, मैं इसमें दिखाये गये आँकड़े आदि को महत्व नहीं देता हूँ। सारा देश जानता है कि मूल्यों में वृद्धि हुई है और वे आँकड़े कम दिखा रहे हैं।

मूल्यों में वृद्धि से न केवल आम जनता को कठिनाई हुई है अपितु देश की समूची अर्थ-व्यवस्था डाँवाडोल हो गई है। इस समय सीमाओं पर तनाव है। जैसे कि श्री वाजपेयी ने कहा है इसके लिए हमें अल्पकालीन कार्यवाही पर विचार करना पड़ेगा। यदि यहाँ की अर्थव्यवस्था बिगड़ती है तो सीमाओं पर कैसे लड़ा जा सकता है। जब गत बजट प्रस्तुत हुआ था तो उस समय कई सदस्यों ने यह शंका प्रकट की थी कि इतने अधिक करों से मूल्य स्तर में वृद्धि होगी। उस समय वित्त मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि अत्यावश्यक वस्तुओं पर कर नहीं लगाया गया है अतएव इनके मूल्य में वृद्धि नही होगी। परन्तु कुछ सप्ताह पश्चात मूल्यों में अचानक वृद्धि हुई। इस पर मंत्री महोदय ने व्यापारियों को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया। अब वे जनता द्वारा मूल्य विरोधी आंदोलन आरम्भ करने की बात कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। मैं जानता हूँ कि जनता इन मुनाफाखोरों, सट्टेबाजों, जमाखोरों आदि के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है बशर्ते कि सरकार उन्हें यह आश्वासन दे कि वह उन जमाखोरों आदि को बचाने नहीं आयेगी।

आज शाम को दिल्ली में रिजर्व बैंक की ऋण देने संबंधी नीति के विरुद्ध प्रदर्शन किया जायेगा। इसमें नीति में परिवर्तन करने की माँग की जायेगी। गत वर्ष हुई आर्थिक समीक्षा के पृष्ठ 44 पर भी ऋण देने संबंधी नीति की आलोचना की गई है क्योंकि इससे मूल्यों में वृद्धि हुई है। यह ऐसा मामला नहीं है कि उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है। यदि उत्पादन में वृद्धि भी होती है तो भी मूल्य में कमी नहीं होगी। वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में आज यह विरोधाभास है कि अत्यधिक उत्पादन होने से यह आवश्यक नहीं है कि जनता को सस्ती सामग्री मिले। निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति इस बात के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि उत्पादन में वृद्धि न हो और इस प्रकार मूल्य ऊँचे रहें और वे अधिक लाभ अर्जित कर सकें। हम देखते हैं कि कृषि-क्रांति आदि से भी मूल्यों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। गत वर्ष चीनी का उत्पादन बहुत अधिक था परन्तु इसके बावजूद भी मूल्य यथावत् रहे। यही बात अन्य वस्तुओं के संबंध में हुई है। आप मूल्य नियंत्रण लागू कर सकते हैं परन्तु भंडार और सप्लाई पर नियंत्रण किसी दूसरे का होता है। अतएव मूल्य नियंत्रण का कोई प्रभाव नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति जब यह देखते हैं कि उत्पादन अधिक हो रहा है और मूल्य कम हो रहे हैं तो वे कृत्रिम रूप से वस्तुओं का अभाव पैदा कर देते हैं जिससे मूल्य और लाभ अधिक हों। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया आज भी पुरानी पद्धति पर चल

रहा है। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि कम से कम कतिपय, तत्कालिक तथा शीघ्र उपाय किये जाएँ क्योंकि न केवल हम आज देश में नई स्थिति का सामना कर रहे हैं अपितु अब नये सिरे से ऋण दिया जाने वाला है।

ऋण देने की उदार नीति के बारे में विभिन्न मंत्रालयों में मतभेद है। योजना मंत्रालय इस उदार नीति से संतुष्ट नहीं है तो वित्त मंत्रालय इससे संतुष्ट है। अतएव मेरा पहला सुझाव है कि ऋण देने की उदार नीति पर रोक लगाई जाये। दूसरा, सभी प्रकार के वायदा व्यापार पर रोक लगाई जानी चाहिये। तीसरा, क्या आप न केवल मूल्यों पर अपितु भंडार, वितरण पर भी नियंत्रण लगायेंगे जो कि अति आवश्यक है ? यदि ऐसा न किया गया तो जमाखोर तथा मुनाफाखोर इस स्थिति का लाभ उठायेंगे। चौथी, उपभोक्ता माल के भंडार को बनाये रखने के लिये बड़ी मात्रा में दिये जाने वाले ऋण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यदि आप उपरोक्त सुझावों को क्रियान्वित करेंगे तो यह सरकार के प्रयासों का परिचायक होगा। एकाधिकार तथा सट्टेबाजी की प्रथा को दृढ़ता से समाप्त किया जाना चाहिए। आपने एक भी उपभोक्ता उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं किया है। आप कपड़ा उद्योग का राष्ट्रीयकरण करके देखिये। जनता को सस्ता कपड़ा नहीं मिल रहा है, अतएव आप इनका राष्ट्रीयकरण कीजिये।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस विषय पर पूरी बहस होनी चाहिये। इससे माननीय सदस्यों के विचारों को जानने का अवसर मिलेगा। उपभोक्ता मूल्य विरोधी आन्दोलन ऐसा हिंसात्मक आन्दोलन नहीं है जो देश में अराजकता फैलाये। मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त के वक्तव्य के अन्तिम भाग का उत्तर देना चाहूँगा; हालांकि उन्होंने इसमें राजनीति लाने का प्रयत्न किया है।

जहाँ तक ऋण-नीति का संबंध है, हम इनसे पूर्णतः सहमत हैं। प्राथमिकता के क्षेत्रों के मामले में हमें अधिक उदार आर्थिक सुविधाओं के बारे में सोचना पड़ेगा। हम उन तत्वों को कुछ मात्रा में नियंत्रित करने में सफल हो गये हैं जिनका बैंकों तथा इनके कार्यों पर प्रभुत्व रहता था। हमने ऋण सुविधा पर कड़ा नियंत्रण रखने का निर्णय किया है।

जहाँ तक अनिवार्य वस्तुओं का संबंध है, हमने अन्न के वितरण के लिये एक प्रणाली बनायी है। जिसे हम और मजबूत कर रहे हैं। वस्तुओं पर नियंत्रण लगाने में काफी कठिनाइयाँ सामने आती हैं। नियंत्रण के प्रश्न पर विचार करते हुए हमें प्रशासनिक पहलू पर भी विचार करना पड़ता है।

जहाँ तक कपड़े का संबंध है, इस पर पहले से नियंत्रण है। निश्चय ही इसका स्टाक करना पड़ेगा तथा वितरण करना पड़ेगा।

DR. LAXMINARAIN PANDEYA (Mandsaur) : The hon. Minister has concealed the real causes on account of which prices are rising in the country by taking shelter behind draught and flood conditions and influx of refugees from Bangla Desh. Are not the heavy losses in the public sector industries responsible for the rising prices ? If so, what steps have been taken in this direction ? In addition, the hon. Minister has also concealed the fact about foreign loans, which is also one of the factors of rising prices.

The hon. Minister has stated that the prices have risen by 4½ percent. Actually, the prices of commodities of daily use have, in some cases risen by 30 to 50 percent within short period of last 3 months. The speedy rise in the prices have put unbearable burden on common-man and law-income group people. What steps have been taken to stabilise the prices of the commodities of daily use. I want to know categorically the burden, borne by the commonman during the 10 years on this account and the rise in the capital income.

श्री यशवंतराव चह्वाण : हमने अभी इन वस्तुओं के वितरण के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किये हैं। मिट्टी के तेल के मूल्य पर हमने नियंत्रण रखा है। जो अन्य प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाये, उनके बारे में कुछ अन्य माननीय सदस्य भी बोल चुके हैं। अतः मैं अपने उत्तर को दोहराना नहीं चाहता।

SHRI JAGANNATHRAO JOSHI (Shajapur) : Prices are rising for the last few years. The hon. Minister has stated that price-increase has been moderate. I want to know whether the price-rise has been marginal or moderate or more. So many suggestions were given to check the rising prices. What steps were taken on these suggestions ? Mr. Banerjee spoke about extra-expenditure. May I also know whether the Government has decided in favour of saving and austerity ? In case prices are allowed to rise, it will incite the people for violence. What ways and means have been adopted by the Government to check the rising trend in prices ?

श्री यशवंतराव चह्वाण : इन्होंने पहले पूछे गये प्रश्नों को ही दोहराया है। इस दिशा में जो कदम हमने उठाये हैं, वे कुछ दीर्घकालीन हैं और कुछ अल्पकालीन हैं। इन्होंने बजट प्रसाधनों की बात भी की है। जिन वस्तुओं पर कर नहीं लगे, उनकी कीमतें भी बढ़ी हैं। कुछ लोग ऐसी स्थिति का लाभ उठाते हैं। इसीलिये मैंने कहा है कि उपभोक्ताओं को आन्दोलन करना चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : दुर्भाग्यवश सरकार आज मूल्य-स्तर को नियंत्रण में रखने में असफल रही है। दिल्ली में वस्तुओं के दाम कहाँ से कहाँ पहुँच गये हैं।

इसी सदन में सरकार ने सटोरियों से निपटने तथा बैंकों से उन्हें अग्रधन न दिलाने के आश्वासन दिये हैं। इस दिशा में क्यों कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? जब सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है तो अन्न के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण भी क्यों नहीं करती ? कहा जाता है कि मूल्यों में वृद्धि बंगला देश के शरणार्थियों के कारण हुई है। मैं जानता हूँ और यह सिद्ध हो चुका है कि शरणार्थियों के आने से पहले ही मँहगाई बढ़ गयी थी। सरकार द्वारा मितव्ययता के पालन के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि देश का सबसे बड़ा आदमी जब मितव्ययता को व्यावहारिक रूप नहीं दे सकता है, तो सर्वसाधारण से इसकी क्या आशा की जा सकती है। समाजवाद को व्यावहारिक रूप देने का यह क्या तरीका है ?

काले धन को कैसे बाहर निकाला जाये ? प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिये लाठी चार्ज, अश्रुगैस तथा गोलियाँ चलायी जा सकती हैं लेकिन चोरबाजारी तथा भ्रष्टाचार के दमन के लिये इसका उपयोग नहीं किया जाता। क्या सरकार मूल्यों को नियंत्रित करने के लिये सचमुच चिंतित है ? यदि ये थोक व्यापार को अपने हाथ में ले सकें, तो यह समाजवाद की ओर एक बड़ा कदम होगा।

श्री यशवंतराव चह्वाण : थोक व्यापार को हाथ में लेने का विचार बहुत सुन्दर है लेकिन

इसे व्यावहारिक रूप देने के लिये इस पर विस्तारपूर्वक विचार करना होगा। काला धन, एक विकट समस्या है। इसके संबंध में मैंने एक विधेयक पेश किया है जो आज सदन के सामने चर्चा के लिये आयेगा। कर की चोरी के बारे में भी हमने कई कदम उठाये हैं। हम समझते हैं कि आर्थिक अपराध, फौजदारी अपराध से ज्यादा गम्भीर होता है, जिनका उन्मूलन अधिक कठोरता से करना पड़ेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह एक महत्वपूर्ण मामला है। क्या आप इस पर चर्चा की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जहाँ तक श्री बसु के प्रश्न का संबंध है, उसे कार्य मन्त्रणा समिति के सामने रखा जायेगा। अनुमति देना या न देना समिति पर निर्भर करता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं।

अध्यादेश जारी करने के बारे में
Re: Issue of Ordinances

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior): Yesterday I wrote you a letter in regards to issue of so many Ordinances, which is a matter of extra-ordinary importance. I want discussion on it.

MR. SPEAKER : I agree with you that so many Ordinances should not have been issued.

श्री एस० एम० बनर्जी : कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उदाहरणतः, 32 सुरक्षा कर्मचारी तथा 13 पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारी, नौकरी से निकाले गये। मैं आप से अनुरोध करता हूँ कि या तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दें या मंत्री महोदय को वक्तव्य देने के लिये कहें।

अध्यक्ष महोदय : हमने पश्चिम बंगाल संबंधी चर्चा के लिये समय निश्चित कर दिया है।

SHRI ISHAQ SAMBHALI (Amroha) : We want early discussion on the issue of so many Ordinances for which we have sent notice to you.

अध्यक्ष महोदय : मैं स्वयं इस बात को समझता हूँ कि यह कोई सरल बात नहीं है। तीन महीने की इस छोटी सी अवधि में इतने सारे अध्यादेश जारी हुए। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूँगा। मैं प्रधानमंत्री से भी इस संबंध में बात करूँगा। हमें ऐसे उपायों पर विचार करना है, जिस पर भविष्य में किसी को आपत्ति न हो।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड की समीक्षा, प्रतिवेदन तथा निदेशक का प्रतिवेदन आदि और उससे संबंधित एक विवरण

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी या अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) (क) उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड, बरहामपुर (गंजम), के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड, बरहामपुर (गंजम), का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड, बरहामपुर (गंजम), के निदेशक का वर्ष 1968-69 का प्रतिवेदन तथा लेखे का विवरण और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की उन पर टिप्पणियाँ। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—975/71.**]

(2) उपर्युक्त मद (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—975/71.**]

अध्यक्ष महोदय : आपने विलम्ब का स्पष्टीकरण देने वाला एक विवरण भी प्रस्तुत किया है। यह एक अच्छी प्रथा है, जिसकी मैं प्रशंसा करता हूँ।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना तथा विधि आयोग के प्रतिवेदन

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2853 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में संसदीय तथा विधान सभायी निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1966 की अनुसूची 8 में कतिपय संशोधन तथा शुद्धियाँ की गई हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—976/71.**]

(2) (एक) मृत्यु दण्ड के संबंध में विधि आयोग के 35वें प्रतिवेदन—खण्ड एक और दो, की एक प्रति। [**ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—977/71.**]

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—977/71.**]

(3) भारतीय दण्ड संहिता के संबंध में विधि आयोग के 42वें प्रतिवेदन की एक प्रति। [**ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—978/71.**]

विदेशी मुद्रा की चोरी संबंधी अध्ययन दल का प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं, (6) बीजक में हेरा-फेरी द्वारा विदेशी मुद्रा की चोरी संबंधी अध्ययन दल के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [**ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—979/71.**]

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत सूती वस्त्र (नियंत्रण) संशोधन आदेश

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं (7) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत (सूती वस्त्र नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1971 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1457 में प्रकाशित हुआ था तथा तत्संबंधी शुद्धि-पत्र जो दिनांक 10 जुलाई, 1971 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2591 में प्रकाशित हुआ था। [**ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—980/71.**]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमन्, मुझे राज्य सभा के सचिव महोदय से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :

(एक) कि राज्य सभा ने 15 नवम्बर, 1971 को हुई अपनी बैठक में जल प्रदूषण निवारण विधेयक, 1969 संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय राज्य सभा के 81वें सत्र के प्रथम दिन तक और बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकार किया।

(दो) कि राज्य सभा ने 15 नवम्बर, 1971 को हुई अपनी बैठक में अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1970 संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय राज्य सभा के 81वें सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकार किया।

(तीन) कि राज्य सभा ने 15 नवम्बर, 1971 को हुई अपनी बैठक में दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1970 संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय राज्य सभा के 80 वें सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकार किया ।

विधेयकों पर अनुमति

ASSENT TO BILLS

सचिव :

(एक) मैं संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पिछले सत्र के दौरान पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयक सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण) विधेयक, 1971.

(2) विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1971.

(दो) मैं संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पिछले सत्र के दौरान पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयकों की राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणीकृत प्रतियाँ भी सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) पश्चिमी बंगाल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1971.

(2) कृषिक पुनर्वित्त निगम (संशोधन) विधेयक, 1971.

(3) लोक परिसर(अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) विधेयक, 1971.

(4) संविधान (चौबीसवाँ संशोधन) विधेयक, 1971.

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त के प्रतिवेदन संबंधी प्रस्ताव को कल तक के लिये स्थगित किया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर तो कल ही विचार किया जायेगा क्योंकि कराधान विधि (संशोधन) विधेयक विचाराधीन है ।

इसके पश्चात लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर पन्द्रह मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till quarter past fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोकसभा दो बजकर बीस मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at twenty minutes past fourteen of the Clock.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : दुर्गापुर में छात्र परिषद के लड़कों ने एक स्कूल में मुख्याध्यापक के कमरे में पेट्रोल छिड़ककर उसे जिन्दा जला दिया। यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। सरकार इस मामले की जाँच करे और एक वक्तव्य दे।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता दक्षिण) : दुर्गापुर में कोई छात्र परिषद नहीं। उसे कुछ लोगों ने जलाया था।

श्री ज्तोतिर्मय बसु : *

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक—जारी

TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL—CONTD.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और इसे मैंने प्रवर समिति को सौंपने का सुझाव दिया है। महत्वपूर्ण विधेयकों को प्रवर समिति को सौंपने की पहले से ही परम्परा रही है।

इस विधेयक के मुख्यतया तीन उद्देश्य हैं। प्रथम, करों के अपवंचन को रोकना। दूसरे, बेनामी खातों पर रोक लगाना और करों के पुनरीक्षण की व्यवस्था में सुधार करना है। इस संबंध में विधेयक अपूर्ण है। इस बात की आशंका है कि विधेयक के कुछ उपबन्धों को न्यायालयों द्वारा समाप्त कर दिया जायेगा।

प्रशासनिक सुधार आयोग के कार्यकारी दलों के प्रतिवेदन में करों के अपवंचन से प्राप्त धन के प्रयोग के बारे में कई तरीके बताये गये हैं।

कार्यकारी दल के 111 वें पृष्ठ पर 14 मदों का उल्लेख किया गया है जिनमें से केवल 7 वीं मद में भूमि और मकान की सम्पत्ति की खरीद पर धन के भुगतान के बारे में विचार किया गया है। अन्य 13 मदों को छोड़ दिया गया है अत: मैं समझता हूँ कि यह विधेयक अपूर्ण है।

प्रशासनिक सुधार आयोग के कार्यकारी दल ने बेनामी सम्पत्ति समाप्त करने का भी उल्लेख किया है। उसने दो प्रकार के लेन-देन का उल्लेख किया है लेकिन विधेयक में केवल एक प्रकार के ही लेन-देन की ही व्यवस्था की गई है।

इस विधेयक में मुख्यतया कर अपवंचन का उल्लेख किया गया है। मैं समझता हूँ कि इस संबंधी में वांचू समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन के आने की प्रतीक्षा की जानी चाहिये थी।

प्रशासनिक सुधार आयोग के कार्यकारी दल ने कराधान संशोधन विधि के बारे में

---

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

विशिष्ट सिफारिशें या टिप्पणियाँ की हैं । उसके पाँचवे अध्याय में कर विधियों की अनावश्यक जटिलताओं के बारे में भी बताया गया है और इन्हें समाप्त करने का सुझाव दिया गया है । इन सुझावों के बारे में समुचित ध्यान दिलाने की आवश्यकता है ।

आय कर अधिनियम पर विचार के समय पाँच वर्ष तक कोई संशोधन न करने का आश्वासन दिया गया था लेकिन मैं पाता हूँ कि 5 वर्ष की अवधि में आय कर विधि में 400 प्रभावकारी संशोधन किये गये हैं ।

विधेयक को बहुत शीघ्रता से लाया गया है और यह अपने सीमित उद्देश्य को भी पूरा करने में अपर्याप्त है ।

खंड 4 के अनुसार, किसी अचल सम्पत्ति के 'हस्तान्तरण' का अर्थ है बिक्री द्वारा ऐसी सम्पत्ति का हस्तांतरण । लेकिन सम्पत्ति को न केवल बिक्री द्वारा बल्कि अदला-बदली द्वारा भी हस्तांतरित किया जा सकता है । सम्पत्ति की अदला-बदली एक महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर विचार किया जाना चाहिये । सम्पत्ति की अदला-बदली, उसका मूल्यांकन कम कराने के लिये भी की जा सकती है । उसे वास्तविक मूल्य से कम मूल्य पर बेचा जा सकता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि उक्त परिभाषा से बुराई दूर नहीं हो सकती है ।

अचल सम्पत्ति के संबंध में 'उचित बाजार मूल्य' परिभाषा का अभिप्राय यह है कि उक्त सम्पत्ति का वह बाजार मूल्य जो हस्तान्तरण पत्र के दिन सामान्यतया प्राप्त होगा । इससे विदित होता है कि प्रथम परिभाषा पर विचार किया गया है लेकिन दूसरी परिभाषा को छोड़ दिया गया है ।

इस विधेयक का एक अन्य खंड है । यह बहुत खतरनाक है । इसमें अचल सम्पत्ति, जिसके वसूल करने के लिए कार्यवाही की जा सकती है, के बारे में उपबन्ध किया गया है । यह खंड समूचे विधेयक में सबसे त्रुटिपूर्ण है । इसका अभिप्राय यह है कि यदि किसी मामले में सम्पत्ति का मूल्यांकन उसके वास्तविक मूल्यांकन से कम होता है, तो सरकार उस सम्पत्ति का अधिग्रहण कर सकेगी । खंड में इस बारे में कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है ।

विधेयक में कहीं भी ऐसे करदाता के बारे में, जिसने कोई विवरण न दिया हो, पुनर्मूल्यांकन का उपबन्ध नहीं है । विधेयक में कहीं पर भी हस्तांतरक और हस्तान्तरी की परिभाषा नहीं दी गई है । इससे संदेह है कि इससे 5 करोड़ रुपये की आवर्तक निधि प्राप्त होगी, क्योंकि इसमें 4 करोड़ रुपये अन्य मदों के लिये हैं । बम्बई जैसे नगर में यदि दो या तीन मामलों की भी छान-बीन की जाती है तो उनके अन्तर्ग्रस्त राशि 1 करोड़ रुपये से अधिक हो जायेगी ।

मैं जानना चाहता हूँ कि विधेयक में अधिग्रहण सम्पत्तियों के बारे में उपबन्ध न किये जाने के क्या कारण हैं ? सरकार को नियमों में तो इन सब बातों का कम से कम उपबन्ध करना चाहिये था ।

मूल्यांकन अधिकारियों के लिये कोई अर्हताएँ निर्धारित नहीं की गई हैं । प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी यह स्पष्टतया उल्लेख किया है कि मूल्यांकन अधिकारी पूर्णतया अर्हता

प्राप्त तकनीकी व्यक्ति होने चाहिएँ। आय कर अधिकारी ही मूल्यांकन अधिकारी हो जाते हैं जो बहुत त्रुटिपूर्ण है।

इस विधेयक में अनेक त्रुटियाँ हैं उनकी प्रवर समिति द्वारा जाँच की जानी चाहिये। मैं विधेयक के सिद्धान्तों का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि विधेयक में सुधार किया जायेगा और इसकी त्रुटियों को दूर किया जायेगा।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : जिन सिद्धान्तों में अपेक्षित वैधानिक उपाय रखे गये हैं वे बहुत प्रशंसनीय और सराहनीय हैं और आशा की जाती है कि इस बारे में सरकार को सभा के सभी वर्गों का समर्थन मिलेगा। इससे सरकार की जागरूकता का भी बोध होता है।

यह सर्व विदित है कि हमारे देश में अचल सम्पत्ति अत्यधिक आकर्षक रही है। वह काला धन एकत्र करने का साधन बनी रही है। इस विधेयक द्वारा सिद्धान्त रूप में यह अनुभव किया गया है कि इस पर काफी हद तक नियंत्रण किया जाना चाहिए।

इस विधेयक का प्रारूप इतनी शीघ्रता से तैयार किया गया है कि इस बात की शंका है कि इस विधेयक का कार्यान्वयन उस उद्देश्य को प्राप्त करने में बाधक सिद्ध न हो, जिस उद्देश्य से यह बनाया गया था। इससे कानूनी व्यवसाय के प्रसार ही में सहायता मिलेगी। विधेयक के प्रारूप को कुशलता और कलात्मक ढंग से तैयार किया जाना चाहिये था जिससे उस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके जो वित्त मंत्री तथा सभा के विचार से आवश्यक है।

विधेयक के बारे में सबसे पहली आपत्ति यह है कि उन लेन-देन के मामलों में किस प्रकार कार्य किया जायेगा जिनमें हस्तान्तरण के बिना काले धन या अचल सम्पत्ति में निवेश किया जाने वाला हो। इस विधान में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसके अन्तर्गत हस्तान्तरण के बिना अचल सम्पत्ति का व्यापार करने वाले व्यक्ति पर मुकद्दमा चलाया जा सके।

इस संबंध में दूसरी आपत्ति यह है कि अचल सम्पत्ति के माध्यम से जो कर-अपवंचन किया जाता है वह समाज के धनी लोगों के वर्गों में किया जाता है। अन्य लेन-देन के मामलों में भी ऐसा किया जाता है लेकिन अचल सम्पत्ति के मामले में ऐसा बहुत अधिक होता है। इस प्रकार बड़ी धनराशि पर कर-अपवंचन किया जाता है। लाखों रुपये का काला धन इन सम्पत्तियों में लगाया जाता है और बड़े-बड़े भव्य भवन बनाये जाते हैं और उन्हें सहकारी समितियों में लाया जाता है। उन सभी लेन-देन के मामलों में कोई दण्डात्मक उपाय नहीं किये गये हैं। क्या सरकार अमीर व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं रखती और यह सब कानून केवल निर्धन व्यक्तियों के लिये ही बनाये जा रहे हैं, जो इतनी मँहगी कानूनी सलाह लेने में असमर्थ हैं।

वित्त मंत्री को विधेयक को प्रवर समिति को सौंपना चाहिये। विधेयक के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस बारे में पूरी जाँच करनी चाहिए।

विधान की धारा 269 (ग) के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी को कार्यवाही आरम्भ करने का अधिकार देने के लिए बहुत ही कठिन प्रक्रिया अपनाने का उपबन्ध किया गया है। इसमें यह व्यवस्था है कि सक्षम अधिकारी तभी कार्यवाही आरम्भ कर सकता है जब वह प्रत्यक्षतया यह सिद्ध कर सकने में समर्थ हो कि सौदों के परिणामस्वरूप हस्तांतरण कर्त्ता का कर देने का दायित्व कम हो सकता है अथवा टाला जा सकता है और वह यह भी सिद्ध कर सके कि इसके परिणामस्वरूप किसी आय अथवा अन्य अस्तियों को छिपाने में सहायता मिलेगी। इसका अभिप्राय यह हुआ कि कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व सक्षम अधिकारी पर उक्त बातें सिद्ध करने का भार डाला गया है। मैं समझता हूँ कि इस विधेयक से इस विधि को अनावश्यक रूप से जटिल बनाया जा रहा है।

इस बारे में विधि के निर्माताओं ने इस बात की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है कि आय कर अधिनियम की धारा 52 (2) के अन्तर्गत कल्पना के आधार पर कर लगाया जा सकता है अर्थात् ऐसी आय पर भी कर लगाया जा सकता है जो हस्तान्तरण पत्र और बाजार मूल्य का अन्तर समझी जाये। अतः आयकर अधिकारी को उस आय पर कर लगाने का अधिकार है जिसे अचल सम्पत्ति के सौदे में छिपाया गया हो। अतः भविष्य में जब सम्पत्ति के अधिग्रहण संबंधी कार्यवाही की जायेगी तो करदाता को यह कहने का अधिकार होगा कि कर दायित्व के कम होने का कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि आयकर अधिकारी धारा 52 (2) के अन्तर्गत उस पर कर लगाने में सर्वथा सक्षम है।

कराधान विधि का यह स्वीकृत सिद्धान्त है कि जब कर लगाने के दो समान उपबन्ध हों, तो करदाता पर वही उपबन्ध लागू होगा, जिससे उस पर कम कर लगे। इन सब बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

इन सब मामलों को निपटाने के लिये त्रुटिहीन तथा अच्छा प्रारूप तैयार किया जाना चाहिए। यदि एक ही सौदे के बारे में धारा 52 (2) और नये खण्ड XXक के उपबन्ध समान हैं, तो यह समूचा कानून बेकार हो जायेगा।

मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ कि ऐसे व्यक्ति के प्रति, जो काले धन का उपयोग करना चाहता है तथा करों का अपवंचन करने के लिये अचल सम्पत्ति का सौदा करता है, कोई दया नहीं दिखाई गई है। लेकिन इस बात से भारी चिन्ता पैदा हो गई है कि अतिरिक्त आय कर आयुक्त के आदेश के विरुद्ध प्रत्यक्ष कर बोर्ड को अपील की जायेगी। यदि बोर्ड को अपने कर्त्तव्यों का पालन करना है तो उसकी राजस्व के प्रति पूरी तरफदारी होनी चाहिये। अपील का निर्णय एक पक्षपात रहित न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना चाहिये। ईमानदार करदाता के हितों की रक्षा निश्चित रूप से की जानी चाहिये। किसी भी परिस्थिति में अपील बोर्ड के पास नहीं जानी चाहिये।

विधेयक की त्रुटियों के बारे में मैं उल्लेख कर चुका हूँ और इसके प्रारूप में भारी सुधार करने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री को विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिए सहमत हो जाना चाहिए तथा प्रवर समिति को इस पर विचार करने तथा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये।

ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) मेरा दल प्रत्येक ऐसे विधेयक का समर्थन करेगा जिसके परिणामस्वरूप कर अपवंचन पर रोक लगाई जा सके तथा जिससे सरकारी धन का सदुपयोग सुनिश्चित करा जा सके ।

55 करोड़ की जनसंख्या वाले इतने बड़े देश में करदाताओ की संख्या 3 करोड़ से अधिक न होने के मुख्यतया दो कारण हैं । पहला यह कि देश की स्थिति दयनीय है । संयुक्त राष्ट्र संघ की सूची में जिन देशों के नामों का उल्लेख किया गया है, उसमें भारत का स्थान सबसे नीचा है । दूसरे, वर्तमान कराधान तत्र अनेक ऐसे व्यक्तियों पर कर नहीं लगा पाया है, जिन पर कर लगाना चाहिए था ।

अनेक वर्ष पूर्व प्रो० काल्डोर ने यह अनुमान लगाया था कि कर अपवंचन से 200 करोड़ से 300 करोड़ रुपये तक कर की हानि होगी । आय कर आयोग ने, जिसका गठन 1947 में किया गया था, 1058 मामलों की जाँच की और 48 करोड़ रुपये के काले धन का पता लगाया था ।

वर्ष 1951 की स्वैच्छिक घोषणा योजना के अन्तर्गत 20,192 मामलों में 70 करोड़ रुपये के लेखा—बाह्य धन की घोषणा की गई थी । वित्त अधिनियम, 1965 में उल्लिखित योजना के अन्तर्गत 2001 कर निर्धारितियों ने 52·18 करोड़ रुपये की लेखा—बाह्य आय की घोषणा की । उसी वर्ष दूसरी योजना के अन्तर्गत एक लाख से अधिक कर निर्धारितियों ने 145 करोड़ रुपये की आय की घोषणा की । वर्ष 1964 और 1968 के बीच 161 करोड़ रुपये की आय छिपाने के कारण आय कर विभाग ने 39·14 करोड़ रुपये का अर्थ दण्ड लगाया ।

वर्ष 1969-70 के लिए नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में बताया गया है कि 960 करोड़ रुपये की राशि करों के रूप में अभी भी बकाया है, जिनमें से 82% तो आय कर (व्यक्तिगत तथा निर्गमित) के रूप में ही बकाया है ।

सरकार को जो अधिकार पहले से ही उपलब्ध हैं, उनका वह उपयोग नहीं करती तो और अधिक अधिकारों की माँग करना अर्थहीन है ।

ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री महोदय अथवा महा लेखा-परीक्षक ने सदन को गुमराह किया है, क्योंकि राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 1027 के उत्तर में श्री के० आर० गणेश ने बताया था कि 31 मार्च, 1971 को आय कर की कुल बकाया राशि 490·8 करोड़ रुपये थी, जबकि 31 मार्च, 70 को यह राशि 507·91 करोड़ रुपये थी । मंत्री महोदय के आँकड़े सही हैं अथवा महा लेखा-परीक्षक को यह स्पष्ट किया जाना चाहिए ?

समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार वित्त मंत्रालय ने करों की बकाया राशि में कमी करने के लिए अभियान प्रारम्भ किया था और 1967-68 तथा 1968-69 के बीच 40 करोड़ रुपये की बकाया राशि को वसूल किया था । यह अभियान पूर्णत: विफल रहा है ।

श्री के० आर० गणेश ने स्वयं कहा है कि श्री चन्द्रशेखर द्वारा वर्ष 1967-68 में राज्य सभा में आरोप लगाने के पश्चात् 30·24 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व की वसूली हुई ।

बिड़ला साम्राज्य को सरकार के निर्णय की पहले ही सूचना दे दी गई थी। बिड़ला बन्धुओं की हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी ने केवल 2·6 लाख रुपये का लाभ दिखाया था, जबकि, उन्हें वास्तविक लाभ 72 लाख रुपये का हुआ था। इसकी बाद में भी पुष्टि हो गई थी।

सत्तारूढ़ पार्टी के संरक्षक हरिदास मूंदड़ा पर 2,38,97,000 रु० की राशि करों के रूप में बकाया है, परन्तु वित्त मंत्रालय के मंत्री उनके बारे में विभिन्न अवसरों पर गलत सूचना देते रहे हैं।

कलकत्ता में बड़े बड़े पूंजीपति श्रमिक असन्तोष और कानून तथा व्यवस्था का प्रश्न लगातार उठाते रहे हैं, परन्तु केवल मध्य कलकत्ता में ही 50 करोड़ रुपये की राशि करों के रूप में बकाया है जबकि सम्पूर्ण पश्चिम बंगाल के लिए करों की बकाया राशि 240 करोड़ रुपये है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के बारे में इसलिए कार्यवाही नहीं की जाती, क्योंकि वे पश्चिम बंगाल में श्रीमती इन्दिरा गांधी को राजनैतिक लाभ पहुँचाते हैं।

यदि चह्वाण लागत लेखा-परीक्षा करायें, तो करों की बकाया राशि को समूल नष्ट किया जा सकता है। बड़े उद्योगपतियों की कर-अपवंचन की सामान्य प्रक्रिया यह है कि वे उत्पादन की लागत को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाते हैं और बिकी से प्राप्त धन को कम दिखाते हैं।

आय कर अधिकारी अपने कार्यालय में बैठकर फाइलों के कार्य में जुटा रहता है और वह वास्तविक जाँच कार्य नहीं कर पता है। आय कर कार्यालय छोटे कर-निर्धारितियों के लिए हौआ बना हुआ है, परन्तु बड़े कर-निर्धारितियों के लिए वह एक मज़ाक मात्र ही है। श्रेणी I और श्रेणी II के आय कर अधिकारियों में काफी असन्तोष है, क्योंकि समान कार्य करने पर भी उनके वेतन में असमानता बनी हुई है।

इस बारे में मेरा यह भी निवेदन है कि वेतन के अतिरिक्त प्राप्त होने वाले लाभों जैसे बोनस आदि पर कर या तो त्रैमासिक लगना चाहिए अथवा हर महीने लगना चाहिए।

काला धन ही औद्योगिक विकास की गति में बाधक बना हुआ है, क्योंकि वे अपने सही लाभों को नहीं दिखाते और उस धन का काले धन के रूप में उपयोग करते हैं। काले धन के कारण ही जीवन निर्वाह व्यय में और मूल्यों में वृद्धि हो रही है।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि देश में सफेद धन की अपेक्षा काला धन कहीं अधिक है। चह्वाण ने काँग्रेस संसदीय पार्टी की कार्य समिति में कहा था कि लेखा-बाह्य धन की एक समानान्तर अर्थ-व्यवस्था है और लेख-बाह्य धन में निरंतर वृद्धि होती जा रही है।

इस समय 2,450 करोड़ रु० की मुद्रा प्रचलन में है और इतना ही धन काले धन के रूप में है, क्योंकि मुद्रा को हीरे जवाहरातों के रूप में बदल लिया जाता है।

सत्तारूढ़ दल में राजनैतिक अन्तर्द्वन्द्व के कारण पता चला है कि जब ब्रह्मानन्द रेड्डी मुख्य मंत्री पद को छोड़ रहे थे, उस समय प्रवर्त्तन निदेशालय के अधिकारियों ने एक व्यक्ति के घर की

एक अलमारी से 24 लाख रुपये बरामद किये थे। यह काँग्रेस (सत्तारूढ़) के टिकट पर लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे और राज्य के बड़े उद्योगपतियों में से एक हैं।

सेफ डिपाजिट वाल्ट और लाकरों में काफी काला धन भरा पड़ा है। इस बारे में कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए।

सरकारी सूत्रों से पता चला है कि लाखों रुपयों का पुरुस्कार जीतने वाली लाटरी टिकट एजेन्टों से प्राप्त हुए हैं। बड़े-बड़े उद्योगपति कुल्लू और कश्मीर में सेबों के बागान खरीद कर काले धन को सफेद धन में बदल रहे हैं।

चुनाव लड़ने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी को 50-60 करोड़ रुपये एकत्र करने थे और उन्हें सफेद धन कौन दे देगा ? नागरवाला केस से पता चलता है कि किस प्रकार धन आता है।

एक सबसे बड़ा खतरा अधिक मूल्य और कम मूल्य के बीजक बनाना है। श्री एम० जी० कौल की अध्यक्षता में गठित समिति ने कहा है कि अधिक मूल्य और कम मूल्य के बीजक बनाने में 60-80 करोड़ रु० की राशि अन्तर्गस्त है, जबकि प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार यह राशि लगभग 200 करोड़ रुपये है। मेरे विचार में यह राशि प्रति वर्ष 300-400 करोड़ रु० है। मैं ब्रिटिश फर्मों और यूरोप स्थित उनके प्रधान कार्यालयों के बीच इससे संबंधित पत्र-व्यवहार की फोटोस्टेट प्रतियाँ प्रस्तुत कर सकता हूँ।

चौथी लोक सभा की लोक लेखा समिति ने, जिसके अध्यक्ष श्री मीनू मसानी थे, अपनी 56 वीं रिपोर्ट में कहा है कि 1,35,000 रु० के वास्तविक मूल्य के आयातित खाल और चमड़े के बीजक में मूल्य 1,54,32,438 रु० दिखाया गया। समिति ने आगे कहा है कि साक्ष्य के दौरान यह पता चला कि लाइसेंस देने की स्थिति और विदेशी मुद्रा देते समय कोई नियन्त्रण नहीं रखा गया था। सीमा-शुल्क विभाग के मूल्यांकन अधिकारियों ने भी इस बारे में कोई नियंत्रण नहीं रखा जबकि उनसे सभी वस्तुओं के मूल्यों की जानकारी रखने की अपेक्षा थी। जिन व्यक्तियों ने खाल और चमड़े का आयात किया, वे वस्तुतः उसके आयात के इच्छुक नहीं थे, उन्होंने अपने आयात अधिकारों को 2-3% के नाममात्र के कमीशन पर बेच दिया या बिल्कुल ही छोड़ दिया। इससे पता चलता है कि निर्यात संवर्धन परिषद् इन वस्तुओं की आवश्यकता के सही मूल्याँकन में पूर्णतः विफल रही है।

राजकोष में, जिस किसी विधेयक से अधिक धन आयेगा, उसका हमारी पार्टी समर्थन करेगी।

मैं अभी पिछले दिनों लन्दन गया था। वहाँ चाय के व्यापार को मैंने देखा। जब में सहायक के रूप में वहाँ काम करता था, तब बिक्री में डेढ़ दिन लगता था। आज उसी काम में आधा घण्टा लगता है। इस प्रकार करोड़ों रुपये की राशि का कर-अपवंचन किया जाता है। ऐसा इसलिये भी किया जाता है जिससे विदेशी मुद्रा अधिकारियों और चाय बागानों में काम करने वाले कर्मचारियों को धोखा दिया जा सके। चाय की नीलामी नहीं की जाती है। मैं माँग करता हूँ कि श्री चह्वाण इस बारे में जाँच करें।

बीजकों में कम मूल्य और अधिक मूल्य दिखाने से करोड़ों रुपयों का घाटा होता है। गत छः वर्षों से मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता रहा हूँ, परन्तु ऐसा लगता है कि सरकार विदेशी पूँजीपतियों को नाखुश नहीं करना चाहती। बी० ओ० ए० सी० द्वारा सोने की तस्करी के मामले में इनका व्यवहार नम्रतापूर्ण क्यों रहा ? बर्ड एण्ड कम्पनी के मामले में इन्होंने क्या किया ? इन पर माउंटबैटन का दबाव पड़ा और ये कुछ न कर सके। इनका साहस छोटे निर्धारितियों को छेड़ने तक है। बड़े-बड़े निर्धारितियों को छूने के लिये इनके अन्दर साहस नहीं। अधिक आय जुटाने के कार्यों के लिये हम हमेशा की तरह इनके साथ हैं। यदि इस विधेयक का अर्थ अधिक कर एकत्र करना है, तो मेरा दल इनके साथ है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : कर बकाया तथा काला धन-हमारे देश की ये दो मुख्य समस्याएँ रही हैं। यदि बकाया कर की वसूली करने तथा काले धन को निकालने में हम सफल होते हैं तो देश के आर्थिक ढाँचे में परिवर्तन आ सकता है। जिस रूप में यह विधेयक सदन के सामने आया है, उससे ये दो उद्देश्य प्राप्त नहीं किये जा सकते। मुझे विधेयक के कुछ प्रावधानों के बारे में संदेह है। सम्पत्ति के अधिग्रहण के लिए पेचीदा प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। मेरे विचार में इस विधेयक द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी। इसके विपरीत, आय कर विभाग का कार्यभार बढ़ जायेगा।

हम इस बात को नहीं भूल सकते कि आय कर विभाग वसूली कार्य को कुशलतापूर्वक नहीं कर सका। मैं समझता हूँ कि वित्त मंत्री महोदय को इस विधेयक पर पुनः विचार करना चाहिये।

आय कर अधिकारियों में श्रेणी I तथा श्रेणी II के बनावटी वर्गीकरण के कारण काफी असंतोष फैला हुआ है। वास्तव में इन दो श्रेणी के अधिकारियों के बीच कोई अन्तर नहीं है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन ने 29-4-68 को लोक लेखा समिति के सामने कहा था कि आय कर विभाग II के श्रेणी के अधिकारियों की सेवाऐं समाप्त करनी चाहियें। दुर्भाग्यवश इस दिशा में अभी तक कुछ नहीं हुआ है।

काले धन को निकालने तथा बकाया कर की वसूली के बारे में काफी बातें होती हैं। आज सारे उद्योग किसी निश्चित स्थान पर ही हैं। क्या हम अपनी कर संबंधी नीति इस प्रकार की नहीं बना सकते जिसके द्वारा उद्योगों को ऐसे स्थानों पर स्थापित कर सकें, जहाँ इनका अभाव है। इसके द्वारा उद्योग संबंधी क्षेत्रीय असमानता दूर हो जायेगी। कर के न होने या कर संबंधी प्रोत्साहन द्वारा ऐसे स्थानों पर उद्योग स्थापित हो सकेंगे। इसके द्वारा काला धन भी उद्योगों में लगेगा।

कर संबंधी प्रोत्साहन देश के लिये नया नहीं होगा। इसका प्रयोग कई देशों में किया जा चुका है। मैं वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि अधिकारियों के बनावटी वर्गीकरण को समाप्त करने तथा कर संबंधी प्रोत्साहन के प्रश्नों पर पुनः विचार करें।

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद) : मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के विधेयक को प्रवर समिति के विचारार्थ भेजा जाना चाहिये। मेरे विचार में कर संबंधी कानूनों को बहुत पेचीदा बना दिया गया है, जिन्हें कार्यान्वित करना काफी कठिन हो जाता है।

इस विधेयक द्वारा भ्रष्टाचार के अवसर पैदा होते हैं। अधिकारियों को इतनी शक्तियाँ प्रदान की जा रही हैं, जिनका वे दुरुपयोग भी कर सकते हैं। अत: विधेयक का समर्थन करते हुए मैं सुझाव दूंगा कि विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाये।

श्री बालतन्डायुतम (कोयम्बटूर) : काले धन तथा कर अपवंचन की समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए कहा जा सकता है कि यह विधेयक केवल धोखा मात्र है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काले धन के बारे में काफी चर्चा की है। मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि इस विधेयक द्वारा भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा और कुछ न होगा। काले धन की रोकथाम के लिये हमने विमुद्रीकरण के लिये सुझाव दिये थे। विमुद्रीकरण द्वारा यदि आपको लाभ नहीं होगा तो हानि भी नहीं होगी। विधेयक को पेश करने से यही प्रतीत होता है कि सरकार यह दर्शाना चाहती है कि इस दिशा में वह जो कुछ कर सकती है, कर रही है।

आपने सदन में विधेयक पेश किया है, जिसे आप पास कर देंगे। लेकिन इसके बाद क्या होगा ? आपने यह नहीं सोचा। बड़े-बड़े धनवान सम्पत्ति जब्त होने तथा कारावास के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझते। यदि आप इसके बारे में चिंतित हैं तो आप किसी एक धनवान को जेल के अन्दर डाल कर देखिये। विधेयक में छ: महीने की जेल अथवा जुर्माने के दंड की व्यवस्था की गयी है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अदालत उन्हें मुक्त कर देगी क्योंकि ये ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को जेल भेजने की कल्पना भी नहीं कर सकते।

यह विधेयक, अपराधी को अपराध त्याग करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। विधेयक को अचल सम्पत्ति तक ही सीमित नहीं रखना चाहिये। आपको हर प्रकार के छिपे धन तथा हर प्रकार के काले धन को ध्यान में रखना चाहिये तथा आय कर अधिनियम को सरल बनाने के लिये विधेयक लाना चाहिये। दंड की व्यवस्था और अधिक कड़ी होनी चाहिये। यदि आप सचमुच कुछ करना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा कानून बनाना चाहिये जिससे लाभ हो।

श्री पीलू मोदी (गोधरी) : मैं वित्त मंत्री तथा सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि इस विषय पर 50 वर्ष बोलने तथा सोचने के बाद कर अपबंचन के संबंध में अब कुछ किया जा रहा है। इन वर्षों में सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकी जिसके द्वारा ईमानदार आदमी की सरकार की निरंकुशता से रक्षा हो सके। सरकार ने ऐसे कानून बनाये हैं जिसके द्वारा बड़ी-बड़ी मछलियाँ सरकार के जाल से बाहर निकलने का प्रबंध कर लेती हैं। मैं अभी इसके संबंध में अधिक नहीं बोलना चाहता लेकिन प्रवर समिति में अपने विचार रखने का मुझे अवसर मिलेगा।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

आय कर अधिकारी पक्षपात करते हैं और निर्दोष व्यक्तियों को पकड़ते हैं।

7, जंतर मंतर रोड पर हुए आक्रमण और तत्संबंधी घटनाओं को रोकने में दिल्ली पुलिस की असफलता के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE. FAILURE OF DELHI POLICE TO PREVENT VIOLENCE AT 7, JANTAR MANTAR ROAD AND INCIDENTS CONNECTED THEREWITH.

अध्यक्ष महोदय : अब हम 4 बजे लिये जाने के लिए निश्चित मद संख्या 11 को लेंगे ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : अकस्मात ही कार्य सूची का शुद्धि पत्र वितरित किया गया है जिसमें श्री श्यामनंदन मिश्र के बाद श्री मोरारजी देसाई जोड़ने का उल्लेख है। अतः क्या आप कल की चर्चा के लिए मेरा नाम जोड़ने की अनुमति भी देंगे ? मैं श्री देसाई का आदर करता हूँ । उन्हें बोलने दें । लेकिन क्या यह कार्यालय की गलती तो नहीं है··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यालय की गलती नहीं है । उनमें से एक को ही बोलने की अनुमति मिलेगी, दोनों को नहीं ।

श्री कल्याणसुन्दरम् (तिरुचिरापल्ली) : अध्यक्ष महोदय कार्य सूची बना सकते हैं, जो वितरित होने के बाद सदन की सम्पत्ति बन जाती है ।

श्री रामसहाय पांडे (राजनंदगाँव) : दोनों राष्ट्रीय नेता हैं । इनमें से कौन बोले इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर नियम समिति विचार करेगी ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : नियम समिति को इस पर विचार करने दें । अब हम चर्चा शुरू करें ।

श्री नरसिंह नारायण पांडे (गोरखपुर) : जंतर-मंतर घटना संबंधी मामला अभी न्यायालय में है । इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकती । मैं इस पर आपका निर्णय चाहता हूँ ।

श्री विक्रम चन्द महाजन (काँगड़ा) : नियम 186 के अधीन इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकती ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम पुलिस की असफलता पर विचार कर रहे हैं ।

MR. SPEAKER : If you go on like this, how can I ask others to stop.

श्री के० मनोहरन् (मद्रास—उत्तर) : कल हमने चर्चा के बारे में निर्णय किया था । आज इस बात पर झगड़ा हो रहा है । यह सब क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं स्वयं समझता था कि मामला न्यायालय के निर्णयाधीन है लेकिन इस प्रश्न के दो पहलू हैं । अब मैं कुछ समय पहले नियुक्त पीठासीन अधिकारियों संबंधी समिति की रिपोर्ट पढ़ता हूँ ।

जहाँ तक जंतर-मंतर भवन का संबंध है, कोई नहीं जानता कि इस नाम का इस भवन से क्या संबंध है।

श्री मिश्र ने केवल पुलिस की गतिविधियों पर चर्चा किये जाने की माँग की है। उन्होंने यह बहुत ही अच्छा किया है। भवन को अधिकार में लिये जाने का मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए मैं चाहता था कि उस पर विवाद की अनुमति नहीं दी जाये। परन्तु जब यह बात स्वीकार कर ली गई कि न्यायालय में पेश मामलों पर कुछ नहीं कहा जायेगा तभी मैंने चर्चा की अनुमति दी है। मैं आशा करता हूँ कि इस बात पर ध्यान रखा जायेगा।

श्री मोरारजी देसाई (सूरत) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा कांग्रेस (संगठन) के अध्यक्ष श्री सादिक अली तथा कुछ अन्य संसद सदस्यों पर 13 और 14 नवम्बर, 1971 को 7, जन्तर-मन्तर रोड, नई दिल्ली, में किये गये आक्रमण तथा हिंसा और तत्सम्बन्धी घटनाओं को रोकने में दिल्ली पुलिस की असफलता की निंदा करती है।"

श्रीमन्, मैं पूरा प्रयत्न करूँगा कि न्यायालय में पेश मामले के बारे में मैं कुछ न कहूं परन्तु कुछ तथ्य अवश्य सदस्यों के सामने रखूँगा।

उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय सत्ताधारी दल के पक्ष में देते हुए चुनाव चिह्न उन को दे दिया तथा विशेष रूप से यह बताया है कि इस मामले से दलों की सम्पत्ति के अधिकार का किसी भी रूप में फैसला नहीं हो जाता है तथा चुनाव चिह्न सम्पत्ति नहीं है। सम्पत्ति का फैसला दीवानी अदालतों द्वारा किया जायेगा। फिर भी 13 तारीख को कांग्रेस (संगठन) के अध्यक्ष को जो जन्तर मन्तर भवन की दूसरी मंजिल में एक कमरे में बैठे थे श्री चन्द्रजीत यादव, श्री शंकर दयाल शर्मा तथा एक केन्द्रीय उप मंत्री के नेतृत्व में सत्ताधारी दल के कुछ पुरुषों और महिलाओं ने बलपूर्वक पकड़ कर वहाँ से हटाया।

मैं इस समय यहाँ सम्पत्ति का मामला नहीं उठा रहा हूँ केवल कानून और व्यवस्था का प्रश्न ही उठा रहा हूँ।

फिर 14 तारीख को हमारे कुछ प्रमुख सदस्यों के साथ जो विरोध प्रकट करने तथा अपना अधिकार जतलाने के लिए वहाँ पर बैठे हुए थे, दुर्व्यवहार किया गया। राज्य सभा में विपक्ष के नेता श्री गुरुपादस्वामी को बुरी तरह पीटा गया। श्री महावीर त्यागी को पीटा गया और वह गिर गये। श्रीमती सुचेता कृपलानी को भी धक्का दिया गया और वह मुँह के बल गिर गईं। परन्तु पुलिस ने कुछ नहीं किया। बाद में सत्ताधारी दल के सदस्यों के संकेत पर पुलिस ने हमारे अन्य व्यक्तियों को अन्दर भी नहीं आने दिया। श्री कृपलानी को अपनी पत्नी को देखने की भी अनुमति नहीं दी गई। जनता को श्री सादिक अली के कमरे में, जहाँ वह भूख हड़ताल कर रहे थे, उनका हाल-चाल पूछने के लिये भी नहीं जाने दिया गया। सबसे बुरी बात तो यह है कि श्री सादिक अली की पत्नी को, जो पुलिस की अनुमति से उनके कपड़े

लेने मकान पर गयी थीं, पुन: अन्दर नहीं आने दिया गया। यह बात उनके इस संबंध में लिखे एक पत्र से स्पष्ट है।

पुलिस का रवैया सब विधियों तथा नियमों के विरुद्ध था। इसके पश्चात जब श्री गुरुपादस्वामी ने पुलिस से मामला दर्ज करने को कहा तो भी उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की और उनकी बात को अनसुना कर दिया गया।

जन्तर-मन्तर पर जो घटना हुई उसका नेतृत्व केन्द्रीय सरकार के एक उप मंत्री तथा प्रधानमंत्री के एक भूतपूर्व सचिव द्वारा किया जा रहा था। मैं समझता हूँ कि यह कार्यवाही प्रधानमंत्री की अनुमति से की गई थी।

आज के समाचार-पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि जो कुछ हुआ है उसके प्रति प्रधानमंत्री ने अप्रसन्नता व्यक्त की है। परन्तु यह सब उनके स्वदेश लौटने के बाद ही हुआ है। कल यह जो कुछ हुआ उसका इशारा पाकर कलकत्ता दम-दम में भी इसी प्रकार की कुछ घटनाएँ हुई हैं। समाचार-पत्रों में यह सब समाचार प्रकाशित हुए हैं तथा अधिकांश पत्रों ने इन घटनाओं की निंदा की है।

इस सभा को जो कि देश में संविधान की संरक्षक है, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विधि के शासन को बनाये रखा जाये तथा पुलिस उस ढंग से व्यवहार न करे जैसा कि उन्होंने इस मामले में किया है।

यदि कानून का इस प्रकार उल्लंघन होता रहा और यदि इस महान संस्था अर्थात लोक सभा ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो यह निश्चित है कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है अन्यथा इस सभा को स्वयं ऐसे अधिकार ले लेने चाहिए जिससे पुलिस निष्पक्ष और तटस्थ रूप से कार्य करे तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा व्यवस्था करे।

जैसाकि बताया गया कि प्रधानमंत्री इससे नाराज हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि यदि प्रधान मंत्री इस बात से असंतुष्ट हैं तो इस समूची बात को बदलने में उन्हें किसने रोक रखा है। मैं आशा करता हूँ कि वह ऐसा अवश्य करेंगी।

श्री के० डी० मालवीय (डुमरियागंज) : अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के जन्तर-मन्तर मार्ग स्थित कार्यालय में घटी घटनाओं से या उसके तत्काल बाद वहाँ पर जो स्थिति पैदा हुई, उसके लिये मुझे अत्यंत खेद है। मैं उस घटना के राजनीतिक पहलू पर विचार करूँगा।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद मैंने कहा था कि वही काँग्रेस असली काँग्रेस है जिसके हम सदस्य हैं। दो काँग्रेसों का जो भेद अभी तक बना हुआ था वह अब समाप्त हो गया है। यह प्रश्न एक भवन, बैंक खाते तक ही सीमित नहीं अपितु यह प्रश्न एक संस्था का प्रश्न है। मेरा पक्का विश्वास है कि जो गुट उस भवन पर अधिकार जमाये हुआ था, उसका वह अधिकार अनुचित था।

श्री मोरारजी देसाई : श्रीमन्, मुझे कहा गया था कि न्यायालय के विचाराधीन विषय को न उठाया जाये ।

संसद्-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : इस समस्या से संबद्ध राजनीतिक मामले न्यायालय में नहीं हैं ।

आम चुनाव से कुछ समय पूर्व कुछ अनधिकृत लोग एक भवन पर अधिकार जमाए हुए थे जो कि वास्तव में हमारा है ।

श्री मोरारजी देसाई : मैं समझता हूँ कि इस प्रकार न्यायालय में पेश मामला उठाया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं होता तब तक इस विषय का उल्लेख न किया जाये ।

श्री मोरार जी देसाई : मुझे उनके द्वारा मामले के उल्लेख किये जाने पर आपत्ति नहीं है यदि मुझे भी उस बारे में अपने आप में कुछ कहने दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूँगा ।

श्री के० डी० मालवीय : पुलिस द्वारा की गयी कथित ज्यादतियों के बारे में भी हमें कुछ मालूम नहीं है। मैं समझता हूँ कि श्री सादिक अली द्वारा भूख हड़ताल करना उचित नहीं था । मुझे आशा है कि वह अपना व्रत समाप्त कर देंगे । अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के कर्मचारियों ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद हमें भवन में आमंत्रित किया था, हम तभी वहाँ गये थे ।

अध्यक्ष महोदय : आप पुनः न्यायालय के विचाराधीन मामले की चर्चा कर रहे हैं ।

श्री के० डी० मालवीय : मुझे खुशी है कि इस मामले को लेकर श्री मोरारजी देसाई ने संसद में भाषण किया है। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी संसद में वह अपना योगदान देते रहेंगे ।

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : यह केवल स्वामित्व अधिकार का ही प्रश्न नहीं है इसमें एक मूल सिद्धान्त भी अंतर्ग्रस्त है कि यह समूचे देश तथा जनता के लिये चिन्ता का विषय है अथवा नहीं ।

यदि कल को काँग्रेस (स०) वाले कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कानून को अपने अधिकार में न लिया जाये तो भी उनको स्वयं कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये । इसलिये आप यह कहना छोड़ दो कि कानून को अपने हाथ में न लो ।

हैदराबाद के किसानों ने हाल में ही मुझे बताया कि पट्टा तो उनके पास है, परन्तु भूमि भूस्वामी के पास ही है। इस मामले में सत्तारूढ़ दल कहता है कि भूमि पर अधिकार करने के लिये

कानून अपने हाथों में मत लो । परन्तु यहाँ आपसी लड़ाई में कानून अपने हाथ में लिया जाता है । पुलिस भी उनकी मदद करती है । पुलिस के इस प्रकार के व्यवहार पर हमें कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि गत कई वर्षों से हम उसे भुगतते आए हैं । विरोधी पक्ष के प्रत्येक व्यक्ति को तो पुलिस से केवल लाठियों के प्रहार तथा घूँसे ही हाथ लगेंगे ।

पश्चिम बंगाल काँग्रेस कमेटी (संगठन) के कार्यालय में मिदनापुर जिला-काँग्रेस की महिला सचिव को बुरी तरह पीटा गया । उसके वस्त्र फाड़ दिये गये तथा उसे धक्के देकर भवन से बाहर निकाल दिया गया । पुलिस वहाँ पर थी परन्तु वे तो सरकार के संकेतों पर कार्य करती है । देश में कोई कानून और नियम नहीं है । कानून तो यह है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 48 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेटों के समक्ष उपस्थित किया जाये । परन्तु ऐसा किया नहीं जाता । सत्तारूढ़ दल कानून का स्वयं सम्मान नहीं करता है । विरोधी पक्ष के संसद सदस्यों को भी पीटा जाता है और इसे संसदीय प्रजातन्त्र कहा जाता है ।

अगर श्री मोरारजी देसाई सत्तारूढ़ दल के सदस्य होते, तो उनकी पिटाई नहीं होती । पिटाई तो सिर्फ विरोधी पार्टी के सदस्यों की ही होती है । अगर श्रीमती सादिक अली भूख हड़ताल पर बैठे अपने पति के पास चली जातीं, तो क्या जन्तर-मन्तर की इमारत गिर पड़ती ? केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, लाठियों और युवक काँग्रेस द्वारा सरकार अपने विरोधियों को कुचलना चाहती है । भारी करों और संघर्षमय जीवन के कारण जनता कराह रही है । वेतन आदि के बारे में इतने निर्णय और पंचाट दिये जाते हैं, परन्तु उनका क्रियान्वयन नहीं होता । जब क्रियान्वयन के लिए सत्याग्रह या आन्दोलन किया जाता है, तो कानून और व्यवस्था का प्रश्न खड़ा हो जाता है और आन्दोलनकारियों की हत्या तक कर दी जाती है ।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहाँ तक इमारत के स्वामित्व का प्रश्न है, इसका निर्णय दीवानी अदालतें करेंगी । अगर उनके मन में सर्वोच्च न्यायालय के प्रति थोड़ा सा भी सम्मान होता, तो वे कुछ समय तक और प्रतीक्षा कर सकते थे । अगर इस प्रकार के फासिस्टवादी तरीकों को अपनाया जाता रहा, तो देश विनाश की ओर अग्रसर होगा ।

SHRI H. K. L. BHAGAT (East Delhi) : Mr. Speaker, Sir, inspite of your instructions that nothing should be mentioned here about the incident of 7, Jantar Mantar Raod, Shri Morarji Desai has negatived the spirit of rule of law by entering in the matter here; but we shall not do that. The allegations, which Shri Morarji Desai has made here are wrong and unfound. It is also wrong to say that a group of persons lead by Shri Chandrajit Yadav, Dr. Shanker Dayal Sharma and Shri Yashpal Kapur man handled Shri Sadiq Ali, and are responsible for this incident. The manner in which they have attempted to blame the Prime Minister for the incident is highly deplorable. They have attempted through these allegation to condemn our organisation by resorting to propaganda stunt.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

It is incorrect and baseless that some leaders like Shri Sadiq Ali were severely beaten up. There was no such incident of beating anybody. The police was there but it can not act beyond law. Nobody can take any action in an illegal manner. In fact when Shri Chandra jit

Yadav and Dr. Shanker Dayal Sharma went there, no such incident took place. Shri Sadiq Ali was not assaulted there.

I shall request Shri Morarji Desai to read the verdict of Supreme Court very carefully. The Supreme Court has stated that the congress presided over by Shri Sanjivayya is the real congress for the election symbol. Therefore, the congress which has been awarded its election symbol is entitled for the possession of the office building situated at 7, Jantar-Manter Road. If the leaders of Organisation Congress who talk of democracy, have any democratic conscience they should have themselves vacated the illegal possession of that office building and handed it over to us. Democratic Conscience lies in the functioning of democracy.

It is an admitted fact that the leaders of Congress (O) are of the opinion that their party has no principle of its own now. This party has no democratic conscience. We are the real Congress; All India Congress. The Supreme Court has stated in its verdict that Congress presided over Shri Sanjivayya is the real Congress for purpose of Election Symbol, therefore the Congress (O) is not the real Congress. Therefore, the Parliament should not be involved in the Jurisdiction of the Court. I strongly oppose this motion.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : 7, जन्तर-मंतर रोड पर स्थित जो इमारत है वह विस्थापित सम्पत्ति थी और अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी ने इस पर कब्जा किया था। परन्तु बाद में इसकी नीलामी की गई जिसकी सूचना काँग्रेस के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं दी गई और काँग्रेस ने उस समय इस सम्पत्ति को नीलामी में खरीद लिया था। अत: इस सम्पत्ति का बहुत पुराना इतिहास है जो अब पुन: घटा है। परन्तु इस बार जिस प्रकार से इस भवन पर कब्ज़ा किया गया है, वह बहुत अनुचित है और यह कार्य बहुत ही निन्दनीय है। यह बहुत ही निन्दनीय और खेदजनक पूर्वोदाहरण है। यह घटना देश की एक अच्छी राजनीति के हित में उचित नहीं है। आज जन्तर-मंतर रोड पर यह घटना घटी है तो कल किसी अन्य कार्यालय पर कब्ज़ा किया जायेगा और कोई भी सत्तारूढ़ दल अपने अधीन पुलिस का दुरुपयोग कर सकता है। हमें ऐसे कार्यों का समर्थन नहीं करना चाहिए।

नई काँग्रेस का इस समय बहुत अधिक बहुमत है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय भी उनके हित में ही हुआ है। अत: सत्तारूढ़ काँग्रेस को कुछ समय और अधिक प्रतीक्षा करनी चाहिए थी और इस मामले में न्यायालय के निर्णय तक उन्हें शान्त रहना चाहिए था। परन्तु इस घटना से एक अत्यन्त निन्दनीय पूर्वोदाहरण उत्पन्न हो गया है। अत: लोकतंत्र के व्यापक हितों की रक्षा के लिए देश में ऐसी घटनाएँ नहीं घटने देनी चाहिएँ। अत: सत्तारूढ़ काँग्रेस को बहुत शान्त, उदात्त और सहनशीलतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इसे तो समुद्र के समान शान्त, और गम्भीर होना चाहिए। इस भवन पर तो कुछ समय पश्चात भी कब्जा किया जा सकता था।

SHRIMATI MUKUL BANERJEE (New Delhi) : Sir, the allegations made by Shri Morarji Desai and others are baseless and false. The reality is that the staff members of the office called us. We went there and we found that most of the belongings of the Indian National Congress to which we belong and many files were missing. Even the Television and Tape recorder have found their way to the residence of the General Secretary of Congress (O). We entered the building very peacefully and our meeting went on for nearly one and a half hour. There was no police there.

Whatever Shri Morarji has said here is far from reality. Nobody manhandled Shri

Gurupadaswamy. Many Congress (O) workers went there and tried to create tension. At that time the gate was closed by the police. When Shrimati Shanti Devi, wife of Shri Sadiq Ali came there, the police did not know her identity (*Interruptions*).

The police did not know that Shrimati Shanti Devi was the wife of Shri Sadiq Ali. But when police came to know this fact they allowed her to go inside the building. No body assaulted Shri Mahavir Tyagi. He is hale and hearty. There was no breach of peace there and the A. D. M. also witnessed that there was no breach of peace there. Whatever has been said about Shrimati Sucheta Kriplani is altogether wrong. I may tell you that she provoked us there.

How could workers of All India Congress Committee tolerate that all the important documents and other articles belonging to the Party should be destroyed or taken away. It has been stated that we should have waited for some time more. But the position was such that we had no other alternative. All our documents and articles would have been taken away if we had not taken such an action.

We have not taken law and order into our hands. Rather we did not call the police. The behaviour of the police was rather admiring one. We should not blame the police. The police tried to maintain peace there in a very dignified manner. It is not correct to say that police committed any excess; and those who say much things about police, it is politically motivated.

श्री के० मनोहरन (मद्रास उत्तर) : यह जो घटना इस मास की 12 और 13 तारीख को घटी है देश के किसी भी राजनीतिक दल ने इसको उचित नहीं बताया है। पुरानी काँग्रेस को मध्यावधि चुनाव में जनता के निर्णय और अपनी करारी हार के तत्काल बाद और उसी क्षण सम्पत्ति सत्ताधारी दल को सौंप देनी चाहिए थी। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह घटना चुनाव चिह्न के बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के पश्चात् घटी है। सबसे अधिक खेद का विषय तो यह है कि यह घटना उस समय हुई जब कि प्रधानमंत्री विदेशों की यात्रा पर गई हुई थीं।

उच्चतम न्यायालय ने चुनाव चिह्न के बारे में अपना निर्णय देते हुए कहा है कि सम्पत्ति का मामला सिविल न्यायालय में उठाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने अपनी विदेश यात्रा से लौटकर अत्यन्त खेद प्रकट करते हुए कहा है कि जब हमने दो वर्ष तक प्रतीक्षा की थी तो दो महीने और प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए थी। अत: इस खेदजनक घटना से प्रधानमंत्री के सम्मान पर धक्का लगा है। यह सब किया किसने है ? इस प्रकार का कदम उठाना राष्ट्रीय काँग्रेस के जिम्मेदार नेताओं को शोभा नहीं देता। राष्ट्रीय काँग्रेस के नेताओं के इस निन्दनीय कार्य की सब समाचार-पत्रों और सम्पादकीय लेखों में निन्दा की गई है, और इस घटना को गुण्डागर्दी की संज्ञा देते हुए इसकी कटु आलोचना की गई है। यह ठीक है कि समस्त दल की आलोचना नहीं हुई अपितु उस वर्ग विशेष की आलोचना हुई है जिसने यह सब कुछ कार्य किया है।

आपके, अर्थात सत्तारूढ़ दल के इस सदन में 350 सदस्य हैं और आपका मामला बहुत ही ठोस है। परन्तु क्या आप कुछ समय और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे ?

मेरा प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि वे काँग्रेस अध्यक्ष को अनुदेश दें कि वे श्री सादिक अली जी से जाकर मिलें और उनसे भूख हड़ताल समाप्त करने का अनुरोध करें। दूसरे, वहाँ जो पुलिस

का कब्जा है उसे हटाया जाना चाहिए। तीसरे, यह कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विचार करते हुए श्री मोरारजी देसाई और उनके दल के अन्य नेताओं को यह सोचना चाहिए कि क्या उनके लिए यह उचित है कि वे उस सम्पत्ति पर अपना कब्जा करे रहें जो अब एक अन्य दल की सम्पत्ति बन गई है ? अत: इन्हें अपने दल की बैठक बुलानी चाहिए और उच्चतम न्यायालय के निर्णय का आदर करते हुए राष्ट्रीय काँग्रेस की सम्पत्ति वापस कर देनी चाहिए।

प्रत्येक राजनीतिक दल में विचार वैभिन्नय और विघटन होता आया है। परन्तु उन्हें आपस में इस प्रकार झगड़ना नहीं चाहिए।

श्री वयालार रवि (चिरयिकील) : श्री मोरारजी देसाई जी ने जिस रूप में अपनी बात प्रस्तुत की है उसका कोई आधार नहीं है। उन्होंने लोकतंत्र और लोकतंत्रात्मक सिद्धान्तों की चर्चा की है। परन्तु इससे इनका क्या तात्पर्य है यह बात समझ में नहीं आई। इनके दल ने राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कार्यालय पर अवैध कब्जा किया है और देश में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त दल के नाम पर उसकी गरिमा का अनुचित लाभ उठा रहा है। इससे उन्होंने और उनके दल ने राजनीतिक लोकतंत्र का उपहास किया है। इस देश की जनता ने श्री मोरारजी देसाई और उनके दल को पराजित कर उनका तिरस्कार किया है और उच्चतम न्यायिक संस्था ने भी उन्हें अस्वीकार किया है, और फिर भी वे जनता द्वारा सम्मानित और स्वीकृत राजनीतिक दल की सम्पत्ति पर और कार्यालय पर कब्जा किए हुए हैं। अब प्रश्न उठता है कि यह 'स्थान' किस राजनीतिक दल का है। यदि काँग्रेस दल का है तो किस काँग्रेस दल का है और उस काँग्रेस दल का है जिसके साथ मेरा संबंध है और मेरा संबंध उस काँग्रेस से है जिसके साथ श्री मोरारजी देसाई का कोई संबंध नहीं है। अत: यह श्री मोरारजी देसाई का दल है, जिसने हमारे कार्यालय पर अवैध कब्जा किया हुआ है। हमारे नवयुवक काँग्रेस का कार्यालय भी वही है। दो वर्ष पहले श्री मोरारजी देसाई के अभिन्न मित्र श्री सादिक अली ने हमारे युवक काँग्रेस के कार्यालय पर ताला लगा दिया था। उस समय हमारे लिए उसे बलपूर्वक खोलने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। उस समय हमारी सहायता करने के लिए पुलिस भी नहीं थी।

एक बड़े राजनीतिक दल के संगठन के कार्यालय पर ताला लगाना क्या लोकतंत्र है ? श्री मोरारजी देसाई के राजनीतिक दल ने अब भी ऐसी ही कार्यवाही की है। इन्होंने आर० एस० एस० के व्यक्तियों को बुलाया हुआ था। परन्तु पुलिस ने इस बार सराहनीय कार्य किया है, और आर० एस० एस० के लोगों को गुण्डागर्दी करने से रोका है।

श्री जगन्नाथ राव जोशी (शाजापुर) : आर० एस० एस० के बारे में जो कहा गया है। वह सब निराधार और गलत बात है। वहाँ हमारे नेता और कुछ अन्य संसद सदस्य थे। किसी दल पर इस तरह के आरोप लगाना ठीक बात नहीं है। इन बातों को सहन नहीं किया जा सकता।

SHRI ATAL BEHARI VAJPAYEE (Gwalior) : Sir, the incidence at 7, Jantar Mantar Road is highly deplorable and condemnable. But to justify that and rather to support what happened there is still more condemnable. No gentle congressman can ever support the incidence of Jantar Mantar Road—the custodians of law are themselves breaking it. Even if Old congress has been occupying the Congress Office building in an illegal manner, this matter could have been resolved peacefully through court of law and permission to take possession

of the building should have been obtained from there. But the people of New Congress used force there and misbehaved with leaders of the other parties.

श्री एच० के० एल० भगत : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इस प्रस्ताव पर चर्चा की स्वीकृति देते समय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि जन्तर-मन्तर रोड़ पर घटित घटना के बारे में कोई चर्चा नहीं की जायेगी । परन्तु अब यहाँ पर अध्यक्ष महोदय के अनुदेशों का उलंघन किया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूँ कि वे अध्यक्ष महोदय के अनुदेशों का पालन करें ।

SHRI ATAL BEHARI VAJPAYEE : To-day Shri Sadiq Ali, the leader of Old Congress is on fast or here he is being ridiculed. The misbehaviour of the Ruling Congress with their own former colleagues can be well imagined.

Yesterday, the Prime Minister has appealed to the people and the political parties for coopcration. I want to know, is it the way of seeking cooperation ? Is it the way to retain the confidence of the people in democracy ? This condemnable act of the New Congress is nothing but a beginning of fascism in the country. This devil will bring the ruin of Congress (N).Till yesterday we were thinking that it is West Bengal only where there is no law and order and peace, but now in the capital itself the police even did not intervene in the sad incidence at Jantar Mantar Road. The police could stop all these forcible occupation of the building, and washed away law and order there. It is altogether wrong to say that R. S. S. people are guarding the Congress Office. Even I was not allowed by the police to go inside the Office.

It is high time for the Ruling Congress party to realise its mistake and hand over the possession to the Old Congress, as they have already taken a Bungalow at 5, Rajendra Prasad Road. If they feel that the space there is insufficient, they can acquire some other building. But the manner in which they have forcibly occupied No. 7, Jantar Mantar Road is highly improper and rather condemnable. I, therefore, request the Prime Minister to give instructions to her party-men to vacate that building at Jantar Mantar Road, so that the conditions may not be allowed to deteriorate further.

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति विभाग मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : मैं श्री मोरारजी देसाई जी का बहुत आदर करता हूँ । इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए मैं इनका बहुत आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने हमें सिद्धान्त के मामले को उठाने की अनुमति दी है जिससे राजनीति में व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा है । इस प्रस्ताव में ऐसा कुछ उल्लेख नहीं किया गया है अपितु प्रस्ताव जिस भाषा में लिखा गया है, उसे देखते हुए मैं इस मामले को उठा सकता हूँ कि राजनीति में व्यक्तियों से किस प्रकार का व्यवहार किया जाए ।

गत आम चुनावों के दौरान दोनों काँग्रेस के नेता लोगों के पास गये और दोनों ने अपने को काँग्रेस बताया । हमारा विश्वास था कि हम ही काँग्रेस हैं क्योंकि हम काँग्रेस की नीतियों को कार्यान्वित करना चाहते थे जिन्हें, हमारे विचार से, काँग्रेस का दूसरा वर्ग कार्यान्वित नहीं करना चाहता था । परन्तु जनता ने क्या कहा ? तीन राज्यों को छोड़कर श्री मोरारजी देसाई को अन्य राज्यों में एक भी स्थान नहीं मिला, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री मोरारजी

देसाई के दल को जनता ने कांग्रेस मानने से इन्कार कर दिया। यदि वे यथार्थ में गांधीवादी हैं और सत्य और न्याय में विश्वास रखते हैं तो उन्हें सोत्साह कहना चाहिए कि वे काँग्रेस नहीं हैं और वे इस स्थान को खाली कर रहे हैं, और काँग्रेस दल की प्रत्येक वस्तु वापस कर रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय को गलत समझा गया है (व्यवधान)। इस निर्णय को माननीय सदस्यों ने विस्तार से नहीं पढ़ा है। जब यह मामला अनेक महीनों से मुख्य चुनाव आयुक्त के विचाराधीन था तो मैंने इसकी जाँच करने का उनसे अनुरोध किया था। परन्तु सम्पत्ति संबंधी यह मामला चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। फिर भी हमारा आग्रह था कि जो सिद्धांत चुनाव चिह्न के निर्णय के लिए लागू होंगे वे ही सिद्धांत सम्पत्ति संबंधी मामले का निर्णय करने के लिए लागू होंगे, परन्तु इसमें कुछ कानूनी सिद्धांत आते हैं।

श्री नटवरलाल पटेल (मेहसाना) : मंत्री महोदय गलत विवरण प्रस्तुत न करें।

श्री सिद्धांत शंकर राय : श्री मोरारजी देसाई के दल के लोगों ने उच्चतम न्यायालय में यह दलील पेश की थी कि कार्यकारिणी समिति में उनका बहुमत था और इसीलिए उनका बहुमत है और अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के बहुमत और प्रतिनिधियों के बहुमत को मान्य नहीं समझना चाहिए। इसलिए केवल कार्य-कारिणी समिति के बहुमत को ही मान्य मानकर कार्यवाही की जानी चाहिए। परन्तु उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि कार्य-कारणी समिति में 'संगठन' काँग्रेस के अल्पमत की तुलना में अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी से सदस्यों, प्रतिनिधियों और संसद की दोनों सभाओं और राज्यों के राज्य विधान मण्डलों में श्री जगजीवन राम की अध्यक्षता वाली काँग्रेस के सदस्यों का ही बहुमत रहा है। अत: उच्चतम न्यायालय ने भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस दल के एक वर्ग के रूप में हमें ही माना है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जो सिद्ध करना चाहते हैं, वह तो सदन के बहुमत द्वारा भली प्रकार मान्य है।

श्री सिद्धार्थ शंकर राय : मैं इस भ्रम को बिलकुल साफ करना चाहता हूँ कि जनता और उच्चतम न्यायालय का निर्णय किसके पक्ष में हुआ है उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि निर्वाचन आयोग ने जो निर्णय दिया है वह सही है और हमारा गुट भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस है।

श्री के० मनोहरन (मद्रास उत्तर) : परन्तु श्री मोरारजी देसाई ने तो कभी इस बात को अस्वीकार नहीं किया है।

श्री सिद्धार्थ शंकर राय : उन्होंने इस बात को मानने से इन्कार किया है। फिर भी मुझे तथ्यों की जानकारी नहीं है। सारे तथ्य न्यायालय में हैं। अत: मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता।

जहाँ तक दूसरी बातों का संबंध है उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि यदि हम पुलिस की कार्यवाही और अन्य बात पर हस्तक्षेप करते हैं तो हम वास्तव में इस मामले के गुण-दोषों पर जो न्यायालय के विचाराधीन हैं, वाद-विवाद करते हैं। अत: हम तो राजनीतिक

तर्क ही प्रस्तुत कर सकते हैं और मैं श्री मोरारजी देसाई से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने उत्तर में सार्वजनिक रूप में यह कहें कि वे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस नहीं हैं और घोषणा करें कि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस वे नहीं बल्कि हम हैं; और यह मान्यता हमें ही जानी चाहिए।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : इस समय सायंकाल के साढ़े छः बज गये हैं। अब सभा कल तक के लिए स्थगित कर देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि इस मामले को कल तक नहीं छोड़ना चाहिए। केवल दो या तीन वक्ता रह गये हैं और हम इस पर आज ही चर्चा समाप्त कर देंगे।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित आँग्ल-भारतीय) : खेद है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं। हमें आशा थी कि वह इस मामले पर कुछ प्रकाश डालेंगी।

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सम्पत्ति से संबंधित कोई भी विवाद सिविल न्यायालय में सुलझाया जाना चाहिए। इस सारे मामले का यही सारांश है।

खेद की बात यह है कि यहाँ अधिकांश नये सदस्य हैं जो कानून को भली प्रकार नहीं जानते। वैधानिक स्थिति क्या है ? यह स्वत: सिद्ध है कि धारा 145 के अन्तर्गत ये प्रारंभिक प्रक्रियाएँ हैं। जहाँ तक वैध अधिकार का संबंध है, धारा 145 के अन्तर्गत न्यायालय से इसका कोई संबंध नहीं है। इस धारा के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि यदि कोई अतिक्रामक किसी सम्पत्ति पर 2 मास से अधिक से कब्जा किए हुए है तो उसे उस सम्पत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता। और उसे वहाँ से हटाया नहीं जा सकता।

श्री एच० के० एल० भगत (दिल्ली-पूर्व) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है (**व्यवधान**)। यह मामले के गुण-दोषों की आलोचना कर रहे हैं। यह उस मामले पर तर्क दे रहे हैं जो न्यायालय में विचाराधीन पड़ा है।

श्री फ्रैंक एन्थनी : यही तो विधि है। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि इन्द्रा–काँग्रेस ही काँग्रेस है। वही राष्ट्रीय काँग्रेस है। परन्तु, इस घटना को सब समाचार-पत्रों ने एकमत होकर अत्यंत निन्दनीय बताया है (**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे बीच में व्यवधान उत्पन्न न करें। आप केवल व्यवस्था के प्रश्न ही उठा सकते हैं।

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैं समझता हूँ और सारा विश्व यह जानता है कि संगठन काँग्रेस का वहाँ पर दो वर्ष से अधिक से कब्जा है (**व्यवधान**)।

श्री एच० के० एल० भगत : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री एन्थनी मामले के गुण-दोषों की व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं (**व्यवधान**)।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित-आंग्ल-भारतीय) : मैं अपने माननीय मित्रों को यह

बताने का प्रयत्न करता आ रहा हूँ कि यदि किसी व्यक्ति का दो महीने तक निर्विवाद कब्जा रहे, और यदि आप उसे जबरदस्ती बाहर निकालने का प्रयत्न करें तो आप अपराधिक अत्याचार के लिये दोषी होंगे ।

SHRI SHASHI BHUSHAN (South Delhi) : I rise on a point of order. Upper portion of the building has been in occupation of the Indian Youth Congress for the last two years continuously. The hon. Member is giving wrong information.

श्री फ्रैंक एन्थनी : मुझे यह देखकर बहुत दुख है कि इन्होंने इस कार्यवाही के लिए किसी को गिरफतार नहीं किया । यही दुख की बात है, श्री जवाहरलाल नेहरू कभी भी ऐसी बातों को सहन न करते ।

सत्तारुढ़ दल ने क्या किया ? यह ताजी राजनीति की गुंडागर्दी की परम्परा का एक स्पष्ट उदाहरण है । ताजी राजनैतिक गुंडे भी सत्तारूढ़ दल के थे जो अपने आपको कानून से ऊपर समझते थे और अपराध करते थे । श्री जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस भी आज यही कुछ कर रही है ।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : श्री एन्थनी ने न्यायालय के निर्णय से पहले ही हमें दोषी ठहरा दिया है ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने निन्दनीय कार्य किया है और सारे समाचार-पत्रों ने उनकी निंदा की है ।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति विभाग मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : समाचार-पत्रों की रिपोर्टों को हाईकोर्ट के निर्णय के आधार पर ही ठीक माना जाना चाहिए । इन रिपोर्टों पर विश्वास न करें ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : यह देश का दुर्भाग्य है कि पं० जवाहरलाल नेहरू के दल ने ऐसा काम किया है । कल क्या होगा ? एक अस्वस्थ परम्परा का जन्म हुआ है । कालेज के विद्यार्थी कह सकते हैं कि कालेज की सारी अचल-सम्पत्ति हमारी है क्योंकि हमारी फीस से इसे खरीदा गया है । यदि वे ऐसा कहते हुए कालेज की सम्पत्ति पर कब्जा करते हैं तो मेरे विपक्ष के मित्र क्या कहेंगे ? ये देश में आग लगा रहे हैं। ये कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ये लोग पुलिस संस्था का मजाक उड़ा रहे हैं ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों का आदर करता हूँ और विशेषकर उनका जो हमारे भूतपूर्व सहयोगी रहे हैं । उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने की हमारी कभी भी इच्छा नहीं रही है ।

कानून के अनुसार पुलिस का कर्त्तव्य सब नागरिकों की रक्षा करना है। इसके बारे में कोई भी सन्देह नहीं होना चाहिए । इस विषय के हर पहलू पर चर्चा करना कठिन है क्योंकि, जैसे कि अध्यक्ष महोदय ने कहा है, यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : पुलिस की असफलता न्याय निर्णयाधीन नहीं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे मित्र श्री श्यामनन्दन मिश्र ने श्रेय केन्द्र सरकार को दिया है और ऐसा करते हुए उन्होंने यह सिद्ध किया है कि हम कितने निष्पक्ष हैं ·

अब भवन अदालत के कब्जे में है । अब कानून को अपने मार्ग पर चलने देना चाहिए तथा उसके निर्णय का आदर किया जाना चाहिए ।

कुछ सदस्यों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि घटना के समय पुलिस वहाँ नहीं थी । पुलिस को कैसे जिम्मेदार ठहराया जाये क्योंकि पुलिस की उपस्थिति में कुछ नहीं हुआ । इसके साथ साथ इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि पुलिस ऐसी स्थिति में काम कर रही थी जो निजी सम्पत्ति संबंधी एक मामूली झगड़ा नहीं था ।

वास्तविकता यह है कि काँग्रेस के विघटन मध्यावधि चुनाव तथा चुनाव चिह्न संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का देश के हर व्यक्ति पर प्रभाव पड़ा है और आश्चर्य नहीं कि वहाँ तैनात पुलिस वाले भी इससे प्रभावित हुए हों ।

पुलिस ने इस स्थिति में ऐसा ही काम किया, जो उसे करना चाहिए था । शांति भंग होने की ऐसी कोई घटना उस समय नहीं हुई जिसके लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया जा सके । पुलिस ने शांति भंग न होने देने के लिए ही काम किया जिसके लिए उसकी सराहना की जानी चाहिए ।

ऐसी आलोचना भी की गई है कि पुलिस ने अन्दर जाने वाले लोगों को अन्दर जाने से रोका । यह बात सच है ।

इस प्रकार की स्थिति में पुलिस ही यह निर्णय कर सकती है कि किस प्रकार की कार्यवाही की जाये और किस प्रकार की कार्यवाही से स्थिति बिगड़ सकती है । अत: घटना स्थल पर मौजूद व्यक्ति ही यह निर्णय कर सकता है कि किस प्रकार की कार्यवाही की जानी चाहिए ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : श्री सादिक अली को पकड़ा गया और घसीटा गया ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : भवन में जबरदस्ती प्रवेश करने संबंधी शिकायत पुलिस ने दर्ज कर ली थी और उसी समय वहाँ पुलिस का दस्ता भेज दिया गया था । पुलिस ने अपना कार्य किया था ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : श्री गुरूपादस्वामी को बुरी तरह पीटा गया था ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जहाँ तक मुझे सूचना मिली है उन्हें पीटा नहीं गया था और यदि उनको पीटा गया था तो यह बहुत दु:ख की बात है । अब समूचे मामले की जाँच हो रही है और जाँच करते समय इस मामले की भी जाँच की जायेगी । श्री गुरुपादस्वामी से कोई लिखित

शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि वह गम्भीर रूप से घायल हुए होते तो उन्होंने लिखित रूप से अवश्य शिकायत की होती (**अन्तर्बाधाएँ**)।

पुलिस ने विवाद को मजिस्ट्रेट के सामने रखा और मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अन्तर्गत कार्यवाही की। मुझे बताया गया है कि सम्पत्ति पर कब्जा करने के मामले में सामान्यतया इसी प्रकार की कार्यवाही की जाती है। ज्योंही मजिस्ट्रेट को तथ्यों की जानकारी हुई उसने दोनों पक्षों के नाम नोटिस जारी कर दिए तथा उसके बाद क्या हुआ यह मैं बता ही चुका हूँ। मजिस्ट्रेट और पुलिस की इसमें कहाँ गलती है। उन्होंने नियमों के अनुरूप कार्य किया। शक्ति का प्रयोग करने पर स्थिति अधिक गम्भीर हो सकती थी। उन्होंने धारा 145 के अन्तर्गत मामला दर्ज करके सही कदम उठाया और अब यह न्यायालय का काम है कि उसका हल क्या हो ?

ऐसे अवसरों पर पुलिस का काम है सुरक्षा प्रदान करना और शान्ति के भंग होने को रोकना। मैं यह बता दूँ कि उस दल का एक कार्यालय अजमेरी गेट पर भी है। यह पूर्व सूचना मिलने पर कि वहाँ खतरा है, पुलिस तैनात कर दी गई। अतः हर मामले में पुलिस को दोष नहीं दिया जा सकता तथा यह फैसला देना कि पुलिस ने सही कार्रवाई की या गलत, न्यायालय का काम है।

उस दिन किसी भी पक्ष के व्यक्ति को अन्दर नहीं जाने दिया गया। फिर चाहे वह श्रीमती सादिक अली, श्री व श्री मती कृपलानी अथवा श्री चिरंजीव यादव ही क्यों न रहे हों। किसी को भी अन्दर जाने की अनुमति नहीं दी गई। अनुमति न देने के संबंध में मुझे तीन फोन मिले। पर मुझे यह भी बताया गया कि इससे स्थिति के बिगड़ने की संभावना है तथा ज्यों ही स्थिति सुधरेगी, अन्दर जाने की अनुमति दे दी जायेगी और स्थिति सुधरने पर इन सभी को अनुमति दी गई, एक-एक करके। इस सब के कारण जो असुविधा इन लोगों को हुई, उसके लिए मुझे खेद है।

भवन के विवाद के संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। न्याय इसके संबंध में अपना समय लेगा और यह सब मामला सद्भावना के साथ समाप्त हो जायेगा। इसी भावना से मैं श्री सादिक अली से अनशन समाप्त करने का अनुरोध करता हूँ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैं इस मामले के महत्व के बारे में कुछ कह कर वह कहने जा रहा हूँ जो कि मैंने आज इस सदन में देखा। सत्ताधारी दल के श्री के० डी० मालवीय और श्री सिद्धार्थ शंकर राय जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने यहाँ भाषण दिए, पर उन्हें सुनकर लगा कि श्री मोरारजी देसाई जैसे व्यक्तियों के लिए उन्होंने किस प्रकार के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। यह ठीक है कि वे उनसे सहमत नहीं पर शिष्टाचार तो बरता ही जाना चाहिए। पर मुझे लगता है कि शिष्टाचार का आजकल कोई अर्थ नहीं रह गया है।

जहाँ तक मंत्री महोदय का संबंध है, उन्होंने दो अच्छी बातें की हैं। पहली तो यह कि उन्होंने पुलिस का पक्ष लिया और दूसरे यह कि उन्होंने श्रीमती बनर्जी के कथन का खण्डन किया और अनजाने में सच बोले।

अगर ऐसी बात इस सदन के अन्दर हो सकती है कि जन्तर-मन्तर पर हुई घटना को

गलत तर्क देकर उड़ाया जा रहा है, तब मैं कहूँगा कि यह संसद नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि यदि श्री मोरारजी देसाई जैसे लोगों को इस प्रकार अपमानित किया जा सकता है तो वह दिन दूर नहीं जब उनका भी वही हाल होगा।

जबकि इस विषय पर चर्चा हो रही है, तब प्रधानमंत्री का सभा में रहना अत्यन्त आवश्यक है। पर इतना होना तो दूर, उन्होंने इसके विरोध में एक शब्द तक नहीं कहा। उन्होंने कोई खेद प्रकट नहीं किया।

यदि हम ऐसे ही कुतर्कों को सहते रहे और सच मानते रहे तो इस देश का कोई भविष्य नहीं रहेगा। पर निराशा की कोई बात नहीं। वह दिन अवश्य आयेगा जब यह सब कुछ समाप्त होगा और एक अच्छी सरकार की स्थापना होगी।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं सोचता था कि काँग्रेसी श्रीमती गांधी की तरह इस सब घटना के संबंध में अपनी नाराजगी प्रकट करेंगे पर मैं देखता हूँ कि ऐसा करने के विपरीत वे बड़े खुश हैं।

प्रधानमंत्री ने अमरीका में कहा है कि हमारे देश में समाज स्वतन्त्र है पर यदि इस प्रकार की घटनाओं को होते रहने दिया गया तो हमारा समाज भी बन्धनों से जकड़ा समाज हो जायेगा।

मैं इस प्रश्न में नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी राष्ट्रीय काँग्रेस है क्योंकि यहाँ सभी दलों के दो दल रहे हैं। पर मेरा कहना तो इतना है कि जन्तर-मन्तर पर कब्जा करके उन्होंने सही काम किया या नहीं ? क्या उनका शक्ति का प्रयोग ठीक था ? आदि यही मुख्य प्रश्न हैं।

श्री मालवीय ने कहा कि मैं कानून के संबंध में कुछ नहीं जानता। पर यह तो एक साधारण सी बात है कि जब तक कानून आपको अनुमति न दे आप बल प्रयोग से किसी मकान पर अधिकार नहीं कर सकते।

श्रीमती मृदुल बनर्जी ने अपना अनुभव बताया पर देश के सभी समाचार पत्रों ने कुछ और ही बात कही। अब हम किसे सही मानें सभी पत्रों ने सत्ताधारी काँग्रेस द्वारा बल प्रयोग की निन्दा की है अतः हम समझते हैं कि पत्र ही सही हैं, व्यक्ति का कथन नहीं, फिर चाहे वह कोई भी क्यों न हो।

जब श्री शंकर दयाल शर्मा, श्री चन्द्रजीत यादव और श्री सत्तपाल कपूर से प्रमुख व्यक्ति ऐसी हरकतें करते हैं तो आप नक्सलवादियों की किस प्रकार निन्दा कर सकते हैं ?

हमें चिन्ता इस बात की नहीं है कि एक भवन पर कब्जा किया गया, और नहीं हमें दोनों काँग्रेस दलों में मध्यस्थता करनी है, पर हमारी चिन्ता का विषय तो यह है कि इस देश का क्या होगा। जो लोग कानून बनाने वाले हैं, वही कानून को तोड़ रहे हैं। ऐसा होने पर लोगों के प्रजातन्त्र के प्रति विश्वास का क्या होगा ? अतः प्रधान मंत्री को चाहिये कि वे अपने दल के

लोगों से खेद प्रकट करने और मकान को खाली करने को तथा न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करने को कहें ।

यह केवल दो दलों की लड़ाई का प्रश्न नहीं है वरन् यह प्रश्न लोगों के प्रजातन्त्र के प्रति विश्वास का है और उसी दृष्टिकोण से इसका हल निकालना चाहिए ।

SHRI SHASHI BHUSHAN (South Delhi) : The real cause of this trouble is that the employees working in Jantar Mantar office were not paid their salaries for many months. What is worse is that some of these employees who are living in that building with their families were asked to vacate the premises. As things became intolerable they called for our leaders to intervene. When we went there to intervene, the police was called and we were unnecessarily implicated in the dispute.

So far as Shri Sadiq Ali's fast is concerned, he had been our respected leader. I wish that senior leaders should go to him to persuade him to give up his fast.

Now the building is being attached. Therefore, the people who were living there would be in trouble. This is very serious matter. We should collect money to help them.

If any member of Parliament has sustained any injury, the matter should be inquired into as it deserves our full sympathy. When Shri Morarji Desai fought election in Surat, the heads of 300 Congressmen were broken.

श्री मोरारजी देसाई (सूरत) : यह नितान्त झूठ है ।

SHRI SHASHI BHUSHAN : If it is incorrect; let him resign. I also resign and let us fight election from Surat ?

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं चाहता हूँ कि पूर्वी बंगाल की स्थिति पर चर्चा कल दो बजे आरम्भ होगी ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर कल विचार किया जायेगा ।

श्री मोरारजी देसाई : सत्ताधारी दल के लोग जब पहले दाखिल हुए तो वहाँ पर पुलिस नहीं थी । उन्होंने मध्याह्न भोजन के समय का लाभ उठाया, जैसा कि चोर रात का लाभ उठाते हैं तथा वे अन्दर चले गये और कब्जा कर लिया । पुलिस वहाँ आ गई परन्तु पुलिस ने कानून कायम करने में सहायता नहीं की । मुझे पुलिस के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है । उन्होंने किसी पर हमला नहीं किया, सिवाय इसके कि श्रीमती सादिक अली को पुलिस के सिपाही द्वारा पकड़ा गया तथा उन्हें अन्दर आने से रोका गया ।

श्री अमृत नहाटा (बाड़मेर) : यदि उन्हें पुलिस के विरुद्ध यह कोई शिकायत नहीं है तो प्रस्ताव यह रखा ही क्यों गया ?

श्री मोरारजी देसाई : जब मैंने भाषण आरम्भ किया तब उसमें व्यवधान लाये गये । इन लोगों की यह कार्यविधि है । इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है ।

मेरे कथन का अभिप्राय है कि पुलिस कोई कार्यवाही करने तथा गुण्डागर्दी में हमारी हिफाजत करने में विफल रही है। मैंने श्री गुरुपादस्वामी, श्री महावीर त्यागी तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी पर हमला किये जाने के बारे में जो कुछ कहा है, यदि वह गलत साबित होता है, तो मैं उसके परिणाम भुगतने को तैयार हूँ। जो लोग इन तथ्यों को गलत बताते हैं, इनके सही साबित होने पर उन्हें दण्ड भुगतना चाहिए। जब श्री सादिक अली को बलपूर्वक वहाँ से हटाया गया, तो पुलिस वहाँ पर थी और उन्होंने इसे रोका नहीं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : पुलिस बाहर थी।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) नहीं, वे हमारे साथ नहीं थी। वह तुच्छ सेवकों की भाँति कार्य कर रही थी।

श्री वयालार रवि (चिरयिकील) : चित्र समाचार-पत्र में छपा है क्या इससे आप इन्कार करते हैं।

श्री मोरारजी देसाई : जो चित्र यह दिखा रहे हैं वह 13 तारीख का है। मैं 14 तारीख को घटी घटनाओं की बात कर रहा था। टाइम्स आफ इण्डिया के प्रेस प्रतिनिधि ने बताया कि उन्होंने श्री सादिक अली को उन लोगों द्वारा बलपूर्वक उठाते हुए देखा था। पुलिस भवन की चारदीवारी में थी और इन सब घटनाओं को देख रही थी।

हम लोग एक सत्याग्रही की तरह अपने ऊपर कष्ट सह सकते हैं। परन्तु कठिनाई यह है कि यह लोग सत्याग्रह के महत्व को नहीं समझते हैं।

SHRI SHASHI BHUSHAN : The Satyagrah at Birla House was wrong and this is correct.

श्री मोरारजी देसाई : मेरे माननीय मित्र···मेरे लिये उन्हें माननीय कहना गलत है परन्तु सदन की प्रथा के अनुसार हमें कहना पड़ता है।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : हमें मोरारजी देसाई से ऐसी आशा नहीं थी। ठीक है, हम भी श्री मोरारजी देसाई को माननीय नहीं कहेंगे।

श्री समर गुह (कन्टाई) : उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि श्री मोरारजी देसाई उनके दादा सी० आर० दास के मित्र हैं।

श्री सिद्धार्थ शंकर राय : परन्तु यदि वह हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो हमें भी करना पड़ता है।

श्री मोरारजी देसाई : पहले तो उन्होंने कहा कि वह मेरा सम्मान करते हैं और बाद में कहा कि मुझ में आत्मा नहीं है। मैं सत्य में विश्वास नहीं करता।

संसदीय मंत्री तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : हम श्री मोरारजी का पूरा सम्मान करते हैं। वह भी हमारी भावनाओं पर चोट न करें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य एक दूसरे पर आरोप न लगायें।

श्री मोरारजी देसाई : मैंने माननीय सदस्य के लिये जो कुछ कहा वह सूरत के चुनाव के संबंध में दिये गये उनके वक्तव्य के संबंध में है। तथ्य यह है कि जिस घटना का उन्होंने उल्लेख किया है उस समय वह उसके निकट भी नहीं थे। दूसरी ओर हमने कुछ शिकायतें की थीं और अधिकारियों ने कहा कि, इन्हें पारस्परिक संघर्षों के कारण चोटें लगीं। तब भी वे आरोप लगा रहें हैं। यह व्यक्ति ऐसी बातें कहता रहता है। एक सदस्य को माननीय न कहने तथा अविश्वसनीय कहने में क्या अन्तर है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री महोदय क्रोध में आ जाते हैं और अपशब्द कहने लगते हैं। वे कहते हैं कि मैं स्वीकार करूँ कि उनकी संस्था ही इंडियन नेशनल काँग्रेस है। यह नाम मेरे लिये बहुत सम्मान का पात्र है। मैं यह नाम उन व्यक्तियों को नहीं दे सकता जो गुंडागर्दी का सा व्यवहार करते हैं।

श्री राज बहादुर : मैं पुनः माननीय सदस्य से अपील करता हूँ कि वह ऐसी भाषा का प्रयोग न करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूँ कि शांतिपूर्वक माननीय सदस्य की बात सुनें।

श्री आर० एस० पांडे (नन्दगांव) : पहले श्री मोरारजी देसाई ने श्रीमती इन्दिरा गांधी, श्री जगजीवन राम, श्री फखरुद्दीन अली अहमद को काँग्रेस से निकाला। देश ने श्रीमती गांधी को बहुमत प्रदान किया। जिन लोगों ने श्रीमती गांधी को निकाला था, क्या 7, जंतर-मंतर उनका है।

श्री सिद्धार्थ शंकर राय : क्या उन्होंने माननीय सदस्यों को गुंडा बताया है ?

श्री मोरारजी देसाई : मैंने किसी माननीय सदस्य को इस प्रकार संबोधित नहीं किया। मैं उन व्यक्तियों का उल्लेख कर रहा हूँ जिन्होंने गुंडागर्दी की है।

श्री आर० एस० पांडे : जहाँ तक मुझे स्मरण है उन्होंने कहा था, "कि मैं इंडियन नेशनल काँग्रेस को गुंडों को नहीं सौंप सकता।"

श्री मोरारजी देसाई : श्रीमन, उन्होंने यह बात स्पष्टतः स्वीकार की है कि भवन उनके अधिकार में नहीं था और वे उस पर कब्जा लेने गये थे। ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे अब छोड़ दें।

श्री मोरारजी देसाई : मैंने सभी तथ्य वहाँ उपस्थित लोगों की गवाहियों से एकत्रित किये हैं।

जो कुछ घटनाएं हुई हैं, वे शोचनीय हैं। पुलिस ने वैसी कार्यवाही की जैसा कि उन्हें आदेश मिला था।

कुछ व्यक्ति श्री सादिक अली को देखने जाना चाहते थे। पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें साथ ले जाने की बात की, तब उन्हें इन लोगों द्वारा रोक दिया गया।

यह तर्क दिया गया है कि कुछ कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया, वे हमारे साथ बात कर सकते हैं, परन्तु वे जनता का नैतिक पतन करने में विशेषज्ञ हैं। मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि उन्हें प्रलोभन दिया गया है। ऐसा अनेक स्थानों पर हुआ है। यदि कुछ कर्मचारी अथवा सभी कर्मचारी ऐसा कहते हैं, तो भी आप भवन पर अधिकार नहीं कर सकते।

ऊपर की मंजिल में उनकी यूथ काँग्रेस के अधिकार में केवल एक कमरा था, जिस पर उन्होंने पुलिस की सहायता से अधिकार किया था।

श्री आर० एस० पांडे : यदि श्री मोरारजी देसाई की कोई राजनीतिक पार्टी है, तो उन्हें कोई भी भवन दिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : ये फैसले हमें नहीं करने हैं।

श्री आर० एस० पांडे : यह भवन हमारा मन्दिर है, गुरुद्वारा है।

श्री मोरारजी देसाई : यदि माननीय सदस्य न्यायालय में सिद्ध करते हैं कि इस भवन पर उनका अधिकार है, तो हम उसे तुरन्त खाली कर देंगे। उच्चतम न्यायालय के निर्णय का श्री सिद्धार्थ शंकर राय द्वारा गलत अर्थ लगाया गया है। हमें निर्वाचन आयोग का भी अनुभव है।

श्री सिद्धार्थ शंकर राय : जिसमें उनकी हार हुई।

श्री मोरारजी देसाई : हमारी हार इसलिये हुई क्योंकि आप सत्ता में हैं।

श्री शशि भूषण : ऐसी बातों से उच्चतम न्यायालय की मानहानि होती है।

श्री मोरारजी देसाई : उनके द्वारा की गई कार्यवाही मतिभ्रम की है, जिसे परमात्मा विनाश करना चाहता है, पहले उसकी बुद्धि हरता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा काँग्रेस (संगठन) के अध्यक्ष श्री सादिक अली तथा कुछ अन्य संसद् सदस्यों पर 13 और 14 नवम्बर, 1971 को 7, जन्तर-मन्तर रोड, नई दिल्ली, में किये गये आक्रमण तथा हिंसा और तत्संबंधी घटनाओं को रोकने में दिल्ली पुलिस की असफलता की निन्दा करती है।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 17 नवम्बर, 1971/26 कार्तिक, 1893 (शक) के 11 बजे भ० पू० तक के लिये स्थागित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, November, 17, 1971/Kartika 26, 1893 (Saka).

New India Printing Press, Khurja